ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र पर शासकीय कार्यकमों का प्रभाव

(झाँसी जनपद के सन्दर्भ में)

अर्थशास्त्र विषय में पी0एच0डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निदेशक
प्रो0 एम0 एल0 मौर्या
डी0लिट
विभागाध्यक्ष एवं निर्देशक
अर्थ एवं वित्त संस्थान
बुन्देलखण्ड विश्वविधालय, झाँसी।

शोधार्थी
मोहम्मद वहीद मंसूरी
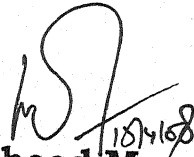
शोध केन्द्र

बैकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविधालय, झाँसी

DECLARATION

I, Mohd. Waheed Mansoori, the research scholar hereby declare that this research entitled, "**Impact of Government Programme on Priority Sector in Rural Economy: With Special Reference to Jhansi District.**" is an original work of mine and not been submitted earlier.

April 15, 2008

(Mohd.Waheed Mansoori)

Department of Economics & Finance
Bundelkhand University
Jhansi
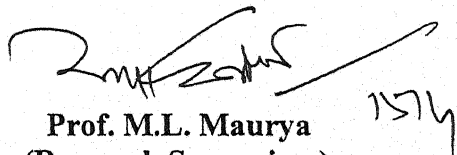
Prof. M. L. Maurya
MBA, M.A, Ph.D, D .Lit :(Economics)
Head & Director
Phone: 91-9415590577

Certificate

This is to certify that Mohd. Whaeed Mansoori has completed his Doctoral Dissertation entitled "**Impact of Government Programme on Priority Sector in Rural Economy: With Special Reference to Jhansi District.**" under my supervision and guidance in the Department of Economics & Finance, Bundelkhand University, Jhansi.

To the best of my knowledge it is an original research work based on the data and facts collected by the researcher on his own. He has also fulfilled all the conditions laid down in the relevant ordinance. The thesis is worthy of consideration for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Economics.

Dated: 15-04-2008
Place : Jhansi

Prof. M.L. Maurya
(Research Supervisor)

Residential Address*: 3/ *IV Professors' Bungalow, Bundelkhand University Campus

Acknowledgement

This research work on " Impact of Government Programme on Priority Sector in Rural Economy: With Special Reference to Jhansi District." is being submitted under the learned guidance of Prof. M.L. Maurya, Head- Institute of Economics & Finance & Dean – Faculty of Arts , Bundelkhand University, Jhansi. First and foremost, I would express my deep sense of gratitude to him for his intellectual supervision, expert comments, pre-eminent interest and unflinching support. His painstaking supervision and guidance have helped in improving the quality of the work.

I am grateful to the Almighty who has ever been showering his blessings on me in the form of helpful and cooperative friends, colleagues and well-wishers around. It is His Blessings that this has work has finally taken the shape of a Thesis.
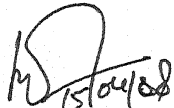
I would also like to place on record my gratitude to senior colleagues in the university for assistance at various stages and encouragement provided by them in completing the work. I owe my deep gratitude to Dr. Mukesh Ranga, Reader, Institute of Economics and Finance, who encouraged me to undertake this work. I am also very thankful to Dr. C.B. Singh, Senior Lecturer for his sincere and necessary support at every stage of the study. I am also very grateful to library staffs, who helped me a lot by providing relevant literature and information related to the topics.

I shall fail my sacred moral duty if I don't express heartfelt gratification to teachers, who showed me the path as a lighthouse of knowledge. I am sincerely indebted to my teachers Dr. Mohd. Furquan for his painstaking effort to go though the thesis and providing me valuable advice to improve the quality of the work.

My regards to parents, uncle and aunty who have always been my inspiration and a positive force behind me in every thick and thin of my life.

My sincere thanks are tendered to my sons Mohd. Danish & Mohd. Tarique and wife, Nazma Praveen who have taken real pains and tolerated me patiently during the tenure of my work, as I was not able to devote enough time to them.

Last but not the least, it is my bounding duty to express my gratitude towards everyone whose guidance and help has made this study successful.

15/04/08

(Mohd Waheed)

प्रस्तावना

गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार अवसरो का सृजन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारतीय आर्थिक विकास के रणनीति के दो प्रमुख उद्‌देश्य रहे। इन तथ्यों के प्राप्ति के लिये अर्थ व्यवस्था का आर्थिक विकास एवं विशिष्ट लक्ष्यों क प्राप्ति सम्बन्धी गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को दो साधनो क रुप में अपनाया गया। गरीबी की समस्या आर्थिक भी इस लक्ष्या के प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारतीय अर्थशास्त्रीयों एवं नियोजकों के अलग –अलग विचार रहै। इस सम्बन्ध में भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास की दर बहुत धीमी रही है अतः विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन (Percolation Theoy of Growth Hypothesis) के परिकल्पना का परीक्षण करने का अवसर ही नही प्राप्त हो सका । सन् 1980 के दशाकों तक अर्थ व्यवस्था के विकास की दर 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऊपर नहीं पहुच सकी। यद्यपि यह एक ऐसा समय रहा है जब कि गरीबी में कमी हुई है और सरकार के द्वारा लक्ष्यों पर आधारित कई गरीबी उन्मूलन के कार्य क्रम चालू किये गयें। अतः इस समयावधि में गरीबी में कमी को विकास और आय के पुर्नवितरण के विभिन्न प्रयासों का परिणाम कहा जा सकता है।

गरीबी एक बहु आयामी विचार है। गरीब को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है और इनमें से कोई विशेष परिभाषा या माप अपने में

पूर्णता स्वयं सिद्ध ओर (full Proof) पर्याप्त नही है। भारत में गरीबी का सबसे अधिक लोकप्रिय मापक उपभोग का दृष्टिकोण रहा है खाद्य एवं संगठन (F.A.O) के द्वारा निर्धारित आदर्शे के आधार पर किसी परिवार या व्यक्ति द्वारा किये गये कुल क्रयो में उस परिवार या व्यक्ति कि पास मुद्रा की वह मात्रा जो उसे खाद्यानों की न्यूनतम केलोरीज प्राप्त करने के दृष्टिकोण उपभोग के लिए प्राप्त है या नही । केलोरीज का आधार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के लिए उसके लिंग. उम्र व पेशें के आधर पर निर्धारित की जाती है जिसके आधार पर वह सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके।

गरीबी मापन के विभिन्न निर्धारक तत्वो को चार भागों में बांटा जा सकता है। (1) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग का विकास (2) विभिन्न दशक वर्ग की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति आय कर वितरण (3) प्रयेक उपभोक्ता वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति और (4) विभिन्न उपभोक्ता वर्गो के उपयोग की जाने वाली वस्तुओ के सूचकांक जिनके आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।

सरकार द्वारा चालू किए गये विभिन्न कार्यक्रमो का विभिन्न उपभोग वर्ग के उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव के अतिरिक्त सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया है । गरीबी रेखा

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यय की वह न्यूनतम मात्रा होती है। जो खाद्यानों को खरीदने के लिए पर्यापत होती है। जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 केलोरीज प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र में 2100 केलोरीज प्रति व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकें। इसे योजना आयोग द्वारा सन् 1973 – 74 कीमत स्तर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49.9 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपये का अपुमान लगाया है।

समष्टि दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता या उनके प्रभाव को उपभोग स्तर के परिवर्तन. ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि वस्तुओ के मूल्य स्तर. कृषि उत्पादन की अगत वस्तुओं के कीमत स्तर में होने वाले परिर्वतनो द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। समष्टि नीति के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन के लिए व्यक्ति स्तर पर भी लक्ष्यों पर आधारित कार्यक्रम चालू किये गये है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रुप से चलाये जा रहें जिनके वित्तीय मामलों में 80:20 का अनुपात है। इन कार्यक्रमों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम. ग्रामीण क्षेत्र मे महिलाओं एवं बच्चो के विकास का कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम. जवाहर रोजगार योजना और रोजगार बीमा योजना आदि है।

ग्रामीण जीवन् के गरीबी पर व्यक्ति स्तर पर प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमो में से वर्तमान अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रो के महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) से सम्बन्धित है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मे यद्यपि ग्रामीण जीवन के सभी अंगो को शामिल किया गया है ग्रामीण परिवार को आर्थिक सहायता दे कर उसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना. ग्रामीण युवको को अधिक कुशल बनाने के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम पर ग्रामीण महिलाओं को भी अलग से आत्म निर्भर. कुशल बनाने तथा आय सृजित कियाओं में लगाया भी आवश्यक है क्योंकि भारतीय अर्थ व्यवस्था में गरीबी अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में ही है।

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसके द्धारा महिलाओं को आय सृजन एवं रोजगार के अवसरो में किस प्रकार वृद्धि की गयी है जिसमे उनका आर्थिक तथा सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है।

वर्तमान अध्ययन आठ अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में कार्यक्रम की सामान्य. संक्षिप्त रुप रेखा प्रस्तुत करने के साथ – साथ कार्यक्रम के विकास को झाँसी जनपद के सन्दर्भ में किया गया है जिससे वर्तमान अध्ययन जनपद सम्बन्धित है। दूसरे अध्याय में अध्ययन विधि को स्पष्ट किया

गया है। यह अध्ययन जनपद के जिन विकास खण्ड़ो में यह कार्यक्रम लागू किया गया है उनमें लाभार्थियों के पारिवारिक. सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अध्ययन विधि के अन्तर्गत सैम्पुल का चुनाव. लाभार्थियो का चुनाव प्रश्नावली तथा पूरे करने की कार्य प्रणाली को स्पष्ट किया गया है। तीसरे अध्याय में झाँसी जनपद की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को द्धितीयक समंको के आधार पर स्पष्ट किया गया है। चौथे अध्याय में लाभार्थी द्धारा वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायो एवं उद्योगों का विवरण प्रस्तुत किया गया है. पांचवे अध्याय में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की विशेषताओं को प्राथमिक एवं द्धितीयक समंको के आधार पर व्यक्त किया गया है। छठे अध्याय में कार्यक्रम द्धारा उनके आर्थिक जीवन में होने वाले परिर्वतनों जैसे आय सृजन. उपभोग स्तर. मजदूरी आदि पर विचार किया गया है। सातवें अध्याय में परिवारों के दायित्व एवं सम्पत्तियों के प्रारुप को स्पष्ट किया गया है। आठवें अध्याय में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो एवं भविष्य की नीति प्रतिपादित करने के लिए सुझाव को दिया गया है. जिनके द्धारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रुप से लागू करके ग्रामीण क्षेत्र की ग़रीवी दूर की जा सके । वर्तमान अध्याय नीति निर्धारको. नियोजको. कार्यक्रमकर्ताओं एवं ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिये सहायक हो सकेगा।

विषय सूची

अध्याय— 1

जनपद की स्थिति

जनपद की स्थिति

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से सम्बन्धित है जो एक मण्डल स्तर का जनपद है। इसके अन्तर्गत जालौन, ललितपुर, तथा झॉसी जनपद आते हैं। इन जनपदों को उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र कहा जाता है। निकटवर्ती बांदा जनपद को एक मण्डल स्तर घोषित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो मण्डल झांसी व बांदा आते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सन् 2005 के अन्त में 14600 वर्ग किलोमीटर लगभग है। विभिन्न जनपदों में इसके विभाजन को सारणी संख्या 1 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी सख्या–1

भौगोलिक दशामें

(हजार वर्ग किलोमीटर में)

क्रं सं.	जनपद	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1.	झॉसी	5.0	34.2
2.	ललितपुर	5.0	34.2
3.	जालौन	4.6	31.6
	योग	**14.6**	**100**

झॅसी जनपद पॉच तहसीलों– झॅसी, मोंठ, गरौठा, टहरौली, मऊरानीपुर तथा आठ विकास खण्डों–मोंठ, चिरगांव, बामौर, गुरसरांय, बंगरा, मऊरानीपुर बबीना तथा बड़ागांव में विभाजित है।

जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में सन् 2003–2004 के अन्त में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 64.7 प्रतिशत था जो 2004–2005 के अन्त में 62.4 प्रतिशत हो गया था। शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 51 प्रतिशत सिंचित हैं। सकल बोये गये क्षेत्रफल में सकल सिंचित क्षेत्रफल सन् 2004–05 के अन्त में 45.6 प्रतिशत था।

जनपद में जनसंख्या की स्थिति

सन् 2001 के जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1745.23 हजार थी। विभिन्न दशकों में जनपद की जनसंख्या तथा दशकों में होने वाली वृद्धि को सारणी संख्या–2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–2

क्रं सं.	जनगणना वर्ष	जनसंख्या (हजार में)	दशक में जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)
1.	1971	47.9	20.34
2.	1981	54.8	20.54
3.	1991	70.6	28.58
4.	2001	86.3	25.7
	योग	**29.4**	**100**

सारणी संख्या–2 से यह बात स्पष्ट है कि झांसी जनपद की जनसंख्या वृद्धि दशक 1991–2001 के बीच 25.7 प्रतिशत रही हैं, जनपद के जनसंख्या की वृद्धि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जनपदों की तुलना में दूसरे स्थान पर ही है। ललितपुर जनपद के जनसंख्या की वृद्धि दशक

1991–2001 के बीच 30.2 प्रतिशत रही है, इसके पश्चात झांसी जनपद का स्थान है, जैसा कि सारणी संख्या–3 से स्पष्ट है।

सारणी संख्या–3

दशक (1991–2001) में जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत

क्रं सं.	जनपद	दशक में जनसंख्या वृद्धि
1.	झांसी	25.7
2.	ललितपुर	30.2
3.	जालौन	23.6

जनपद में विभिन्न विकास खण्डों में जनसंख्या वृद्धि को सारणी संख्या–4 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या–4

ग्रामीण जनसंख्या की जनपद की प्रति 10 वर्ष की जनसंख्या वृद्धि

क्रं सं.	विकास खण्ड	ग्रामीण जनसंख्या का योग	पुरूष	महिला	गत दशक में वृद्धि का प्रतिशत
1.	चिरगांव	126503	67362	59141	23.03
2.	मोंठ	137492	73393	64099	22.98
3.	गुरसरांय	121432	65348	56084	18.60
4.	बामौर	120045	64908	55137	8.01
5.	मऊरानीपुर	139064	74083	64981	24.93
6.	बंगरा	1371253	72870	64383	26.75
7.	बबीना	136536	73004	63532	30.70
8.	बड़ागांव	114822	61393	53429	25.56
9.	योग ग्रामीण	1033147	552361	480786	22.34

सेन्सर हैण्ड बुक 2001 के अनुसार

अनुसूचित जाति जनसंख्या

बुन्देलखण्ड में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 25.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या निवास करती है, विभिन्न जनपदों में इसके विभाजन को सारणी संख्या 5 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–5

अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण 2001

क्रं सं.	जनपद	अनुसूचित जाति जनसंख्या का कुल प्रतिशत	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1.	झांसी	28.66	1.4
2.	जालौन	27.12	1.1
3.	ललितपुर	24.39	0.6

झांसी जनपद के विभिन्न तहसीलों में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का वितरण अलग–अलग रहा है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या मऊरानीपुर इसके बाद गरौठा तथा मोंठ का क्रम रहा है, जिसे सारणी संख्या–6 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–6

क्रं सं.	तहसील	कुल जनसंख्या हजार में	अनुसूचित जाति जनसंख्या हजार में	कुल जनसंख्या प्रतिशत
1.	झांसी	7901	182	27.2
2.	मऊरानीपुर	332.8	115.1	35.9
3.	मोंठ	269.8	74.9	30.1
4.	गरौठा	201	64.3	35.0
5	टहरौली	151.2	53.3	

झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में भी सबसे अधिक अनुसूचित जाति व जनजपति जनसंख्या मऊरानीपुर विकास खण्ड इसके पश्चात बंगरा व गुरसंराय विकास खण्ड का क्रम है। मऊरानीपुर विकास खण्ड में जनपद की कुल जनसंख्या का 36.3 प्रतिशत, बंगरा में 35.6 तथा गुरसरांय में 35.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थी, जिसे सारणी संख्या–2 में स्पष्ट किया गया है।

<u>सारणी संख्या–7</u>

जनपद के विकास खण्डों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का विवरण

क्रं सं.	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 2001
1.	मोंठ	30-1
2.	चिरगांव	29-3
3.	बामौर	34-7
4.	गुरसंराय	35-7
5.	बंगरा	35-5
6.	मऊरानीपुर	38-8
7.	बबीना	26.5
8.	बड़ागांव	28.6
समस्त विकास खण्ड		32.0

ग्रामीण व शहरी जनसंख्या

यद्यपि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है और अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, फिर भी नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि हुयी है। अन्य जनपदों की तुलना में झांसी जनपद में नगरीय करण की गति अधिक तीव्र रही है। क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में

ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को सारणी संख्या– 8 में स्पष्ट किया गया है।

<u>सारणी संख्या–8</u>

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण शहरी जनसंख्या विभाजन (2001)

क्रं सं.	जनपद	कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
1.	झांसी	60	40
2.	ललितपुर	86	14
3.	जालौन	78	22

झांसी जनपद में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रही है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जनपद की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। दशक 1971–1981 में ग्रामीण जनसंख्या में होने वाली वृद्धि 20.54 प्रतिशत तथा 1991–2001 के बीच यह वृद्धि 22.34 प्रतिशत रही है, जिसे सारणी संख्या–9 में दिखाया गया है।

<u>सारणी संख्या– 9</u>

जनपद की ग्रामीण जनसंख्या की प्रति दशक जनसंख्या वृद्धि (2001)

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या हजार में	गत दशक में वृद्धि प्रतिशत में
1981	705.7	20.54
1991	863.30	28.58
2001	1033.14	22.34

विभिन्न विकास खण्डों में यह वृद्धि अलग–अलग दर से हुयी है। दशक में 1991–2001 में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 22.35 प्रतिशत और

समस्त विकास खण्डों के जनसंख्या की वृद्धि दर 22.35 हो रही हैं सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर पर बबीना इसके पश्चात चिरगांव और सबसे कम बामौर विकास खण्ड की रही है, जिसे सारणी संख्या– 10 में स्पष्ट किया गया है।

<u>सारणी संख्या–10</u>

जनपद में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर (1991–2001)

क्रं सं.	विकास खण्ड	जनसंख्या हजार में	गत दशक में प्रतिशत वृद्धि
1.	मोंठ	137.49	22.98
2.	चिरगांव	126.50	23.08
3.	बामौर	120.04	8.01
4.	गुरसंराय	121.43	18.60
5.	बंगरा	137.25	26.75
6.	मऊरानीपुर	139.06	24.93
7.	बबीना	136.53	30.71
8.	बड़ागांव	114.82	25.56
	योग	**1033.14**	**22.35**

जनपद में स्त्री पुरुष अनुपात

झांसी जनपद की जनसंख्या में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार स्त्री–पुरूष अनुपात 1:1.17 रहा है। यदि प्रति हजार पुरूष पर स्त्रियों की संख्या पर विचार किया जाय तो मण्डल के विभिन्न जनपद प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या झांसी व ललितपुर में अन्य जनपदों की तुलना में अधिक रही है, जिसे सारणी संख्या–11 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–11

प्रति हजार पुरूष पर महिलाओं की संख्या (2001)

क्रं सं.	जनपद	स्त्रियों की संख्या
1.	झांसी	863
2.	ललितपुर	863
3.	जालौन	829

झाँसी जनपद के विभिन्न तहसीलों में स्त्री पुरूष जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहा है, जिसे सारणी संख्या–12 द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

सारणी संख्या–12

जनपद की जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात (2001)

क्रं सं	तहसील	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	झांसी	367.2	422.9	1:1.2
2.	मोंठ	125.9	143.9	1:1.5
3.	गरौठा	92.7	108.3	1:1.5
4.	मऊरानीपुर	155.6	176.9	1:1.2
5.	टहरौली	70.5	80.6	1:1.2
	कुल योग	811.9	932.6	–

जनपद में ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री पुरूष जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न दशकों में परिवर्तन हुआ है। स्त्री एवं पुरूषों की जनसंख्या में गत दशकों में वृद्धि अलग–अलग हुयी है। इसे सारणी संख्या–13 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–13
ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रं सं	वर्ष	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	1981	325.8	380.3	1:1.16
2.	1991	397.1	466.2	1:1.17
3.	2001	480.7	552.3	1:1.4

सारणी संख्या 13 से यह स्पष्ट है कि 1981–1991 के दशक में स्त्री पुरूष अनुपात 1:1.16 रहा है, जो 1991–01 की दशक में बढ़कर 1:1.17 हो गया, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि स्त्रियों की संख्या पुरूषों की तुलना में कम हो रही है। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति दशक 1991–2001 के मध्य अलग–अलग रही है, जिसे सारणी संख्या–14 में अंकित किया गया है।

सारणी संख्या–14
विकास खण्डों की जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रं सं	तहसील	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	मोंठ	64.1	73.4	1:1.18
2.	चिरगांव	59.1	67.3	1:1.16
3.	बामौर	55.1	64.9	1:1.16
4.	गुरसंराय	56.1	65.3	1:1.19
5.	बंगरा	64.4	72.9	1:1.15
6.	मऊरानीपुर	65.0	74.1	1:1.14
7.	बबीना	63.5	73.0	1:1.12
8.	बड़ागांव	53.4	61.4	1:1.18
समस्त विकास खण्ड		480.7	552.3	1:1.17

झांसी जनपद के अनुसूचित जाति जनसंख्या का स्त्री पुरूष अनुपात सन् 2001 के जनगणना के अनुपा5 1:1.12 आता है, यह अनुपात जनपद की विभिन्न तहसीलों में लगभग समान रहा है, जिसे सारणी संख्या– 15 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–15

जनपद की तहसील स्तर पर स्त्री पुरूष अनुपात अनुसूचित जाति व जनजाति

क्रं सं	तहसील	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष
1.	झांसी	82.3	99.7
2.	मऊरानीपुर	55.4	60.60
3.	मोंठ	32.5	42.5
4.	गरौठा	30.6	33.4
5.	टहरौली	25.1	27.9
	योग	225.9	264.10

जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या के स्त्री पुरूष अनुपात को सारणी संख्या–9 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–16

विकास खण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति जनसंख्या में स्त्री पुरूष अनुपात

क्रं सं	तहसील	स्त्री जनसंख्या हजार में	पुरूष	अनुपात
1.	मोंठ	19.5	21.5	1:1.25
2.	चिरगांव	16.9	20.1	1:1.21
3.	बामौर	19.2	22.3	1:1.25
4.	गुरसंराय	20.1	23.2	1:1.25
5.	बंगरा	21.3	27.3	1:1.16
6.	मऊरानीपुर	22.4	27.3	1:1.12
7.	बबीना	16.8	18.4	1:1.12
8.	बड़ागांव	15.0	17.9	1:1.16
	योग	151.2	179	1:1.25

3. जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हैं अतः क्षेत्र की जनसंख्या में कृषि कर्मकारों की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्षेत्र की जनसंख्या में कर्मकारों की जनसंख्या विभिन्न जनपदों में 30 से 36 प्रतिशत है, जिसका अर्थ यह है कि 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या आश्रित जनसंख्या है, जिसमें बच्चे, प्रौढ़, व्यक्ति हैं। क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के जनसंख्या में कर्मकारों, कृषि कर्मकारों की जनसंख्या की स्थिति को सारणी संख्या 17 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–17

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जनसंख्या में कर्मकार जनसंख्या–2001

क्रं सं	जनपद	कुल मुख्य कर्मकारों की जनसंख्या में प्रतिशत	कुल जनसंख्या में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत	कृषि श्रमिकों का प्रतिशत
1.	झांसी	30.1	16.7	4.7
2.	ललितपुर	32.7	26.5	3.4
3.	जालौन	29.6	23.2	6.8

सारणी संख्या–17 से यह बात स्पष्ट है कि जनपदों के जनसंख्या में मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत ललितपुर जनपद में सबसे अधिक 32.7 प्रतिशत रहा है और सबसे कम 29.6 प्रतिशत जो जालौन जनपद का रहा है। विभिन्न जनपदों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुल मुख्य कर्मकार जनसंख्या का अनुपात अलग–अलग रहा है, जिसे सारणी संख्या 18 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी सख्या–18

जनपदों में कर्मकार जनसंख्या–2001

क्रं सं.	जनपद	कुल जनसंख्या में ग्रामीण	कर्मकार जनसंख्या नगरीय	जनसंख्या का प्रतिशत योग
1.	झांसी	32.8	26.1	30.1
2.	ललितपुर	33.7	26.5	32.7
3.	जालौन	30.7	25.9	29.6

झांसी जनपद की जनसंख्या में कुल मुख्य कर्मकर जनसंख्या का अनुपात सन 2001 की जनगणना के अनुसार 38.1 प्रतिशत रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में 32.8 तथा नगरीय क्षेत्र में 26.1 प्रतिशत रहा है। कुल जनसंख्या में कृषि कर्मकरों का सन 2001 की जनगणना के आधार पर कृषक तथा कृषि श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए 13.7 प्रतिशत रहा है। कृषि श्रमिकों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 4.7 रहा है। जनपद के कर्मकर जनसंख्या के विभाजन को सारणी संख्या 19 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–19

कर्मकर जनसंख्या का विवरण (2001)

क्रं सं.	कर्मकरों की श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	कृषक	46.5
2.	कृषि श्रमिक	15.6
3.	पशु पालन, जंगल लगाना	1.0
4.	खान खोदना	0.2
5.	पारिवारिक उद्योग	3.4
6.	गैर पारिवारिक उद्योग	5.8
7.	निर्माण कार्य	2.0
8.	व्यापार व वाणिज्य	7.4
9.	यातायात व संचार	5.8
10.	अन्य	12.3

सारणी संख्या 19 से यह स्पष्ट है कि कर्मकर जनसंख्या का 62.1 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कृषक व कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। पारिवारिक व गैर पारिवारिक उद्योग में कर्मकरों का 9.2 प्रतिशत लगा हुआ

है। व्यापार व वाणिज्य में 7.4 प्रतिशत कर्मकर लगे हुए हैं। झांसी जनपद के कुल कर्मकार जनसंख्या में 81.7 प्रतिशत मुख्य कर्मकर तथा 18.3 प्रतिशत सीमान्त कर्मकार है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों झांसी जनपद में मुख्य कर्मकरों में कृषकों का अनुपात सबसे कम रहा है। विभिन्न जनपदों में मुख्य कर्मकारों में कृषक तथा कृषि श्रमिकों के प्रतिशत को सारणी संख्या–20 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–20

मुख्य कर्मकरों में कृषक व कृषि श्रमिकों का वितरण (2001)

क्रं सं.	जनपद	मुख्य कर्मकरों में कृषक	कृषि श्रमिक (प्रतिशत में)
1.	झांसी	46.5	15.6
2.	ललितपुर	70.7	10.3
3.	जालौन	55.1	23.1

सारणी 20 से यह स्पष्ट है कि कर्मकर जनसंख्या में कृषकों का अनुपात अन्य जनपदों की तुलना में सबसे अधिक है और झांसी जनपद की स्थिति सबसे कम है। कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों की जनसंख्या तथा कृषि मं लगे कर्मकरों का अनुपात सभी जनपदों में प्रायः समान रहता है, जिसे सारणी संख्या–21 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–21
जनपदों में कर्मकार जनसंख्या का विभाजन (2001)

क्रं सं.	जनपद	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर जनसंख्या	कृषि में लगे कर्मकर प्रतिशत में
1.	झांसी	32.8	86.0
2.	ललितपुर	33.7	88.8
3.	जालौन	30.7	90.6

झांसी जनपद के तहसील स्तर पर कर्मकर जनसंख्या के विभाजन से यह बात स्पष्ट है कि मुख्य कर्मकरों की जनसंख्या मऊरानीपुर में सबसे अधिक है, इसके पश्चात मोंठ तहसील का स्थान रहा है। मुख्य कर्मकरों में से कृषि में लगे कृषक व कृषि श्रमिकों की संख्या अधिक मोंठ तहसील इसके बाद मऊरानीपुर का स्थान है। जनपद के कर्मकर जनसंख्या का तहसील स्तर के विभाजन को सारणी संख्या 22 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–22
जनपद के तहसीलों में कर्मकर जनसंख्या (2001)

क्रं सं	तहसील	कुल कर्मकर मुख्य कर्मकर	मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर
1.	झांसी	75.9	66.9	8.9
2.	मऊरानीपुर	90.0	75.4	14.6
3.	मोंठ	94.1	72.2	22.0
4.	गरौठा	86.0	68.6	17.4

जनपद के कर्मकर जनसंख्या पर विकास खण्ड स्तर पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता हे कि सभी विकास खण्डों की स्थिति प्रायः समान रही है, जिसे सारणी संख्या–23 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–23
कर्मकर जनसंख्या का वितरण

क्रं सं.	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत	मुख्य कर्मकरों में कृषि में लगे कर्मकरों का प्रतिशत
1.	मोंठ	30.6	90.7
2.	चिरगांव	34.2	89.4
3.	बामौर	32.9	92.3
4.	गुरसंराय	33.4	90.5
5.	बंगरा	31.5	84.3
6.	मऊरानीपुर	34.5	86.6
7.	बबीना	33.2	78.0
8.	बड़ागांव	32.2	75.1
समस्त विकास खण्ड		32.8	86.0

सारणी संख्या–23 से यह स्पष्ट है कि जनपद की कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर जनसंख्या कुल जनसंख्या का 32.8 प्रतिशत रही है। मऊरानीपुर, बबीना, चिरगांव व गुर संराय विकास खण्डों में कर्मकर जनसंख्या का प्रतिशत जिले के जनपद के प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार कृषि में लगी कर्मकर जनसंख्या का प्रतिशत जनपद का 86.0 प्रतिशत रहा है पर मोंठ, चिरगांव, बामौर, गुरसंराय विकास खण्डों का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत अधिक रहा है।

जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या के घनत्व का अर्थ एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों का घनत्व सबसे अधिक बांदा जनपद और सबसे कम ललितपुर जनपद का रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व 184.2 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जिसे सारणी संख्या–24 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–24

जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (2001)

क्रं सं.	जनपद	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (2001)
1.	झांसी	181.0
2.	ललितपुर	126.6
3.	जालौन	210.7

सारणी संख्या– 24 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के जनसंख्या का घनत्व बांदा तथा जालौन जनपदों के घनत्व से कम ललितपुर अन्य जनपदों की तुलना में अधिक रहा है। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में जनसंख्या के घनत्व को सारणी संख्या–25 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–25

विकास खण्ड वार जनसंख्या का घनत्व (2001)

क्रं सं.	विकास खण्ड	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर (2001)
1.	मोंठ	184
2.	चिरगांव	207
3.	बामौर	128
4.	गुरसंराय	145
5.	बंगरा	212
6.	मऊरानीपुर	198
7.	बबीना	200
8.	बड़ागांव	224
समस्त विकास खण्ड		181

आयु वर्गानुसार जनसंख्या

जनसंख्या के आयु वर्ग के अनुसार विभाजन से आश्रित तथा अर्जित जनसंख्या के अनुपात स्पष्ट किया जाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सभी आयु वर्ग में पुरूष व स्त्रियों का अनुपात 292.2:250.7 है। विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी संख्या–26 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–26

आयु वर्गानुसार जनसंख्या (2001)

जनपद में आयु वर्गानुसार जनसंख्या जनगणना (2001)

सभी आयु वर्ग

क्रं सं.	जिले का नाम	योग		ग्रामीण		नगरीय	
		पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां
1.	झांसी	935707	809524	552361	480786	383346	328738
2.	ललितपुर	841505	749875	305325	288247	536180	461628
3.	जालौन	736868	571261	530148	415622	206720	155639
मण्डल योग		2514080	2130660	1387834	1184655	1126246	946005

सारणी संख्या 26 से यह बात स्पष्ट होती है कि सभी जनपदों के जनसंख्या में पुरूषों की सख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक रही है। यही बात नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या दोनों में सही है। यदि 15 वर्ष से नीचे की जनसंख्या पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से कुल पुरूष जनसंख्या का 41.6 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 15 वर्ष के नीचे की जनसवंख्या रही है। विभिन्न जनपदों की स्थिति को सारणी 20 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 27

15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या (2001)

क्रं सं.	जनपद	0–14 वर्ष तक की जनसंख्या पुरूष (हजार में)	कुल पुरूष जनसंख्या	14 वर्ष की जनसंख्या का कुल पुरूष जनसंख्या से प्रतिशत
1.	झांसी	382.7	935.7	40.9
2.	ललितपुर	284.4	841.5	33.8
3.	जालौन	298.4	736.8	40.5

सारणी संख्या 27 से यह बात स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में 40 से 42 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 15 वर्ष से नीचे की उम्र की रही है। केवल ललितपुर जनपद में यह जनसंख्या कुल पुरूष जनसंख्या का 33.8 प्रतिशत रही है। यदि क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में कार्य योग्य जनसंख्या पर विचार किया जाये तो 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या की स्थिति को सारणी संख्या–28 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 28

15 से 59 वर्ष की पुरूष जनसंख्या (2001)

क्रं सं.	जनपद	पुरूष हजार में	कुल पुरूष जनसंख्या हजार में	कर्मकर जनसंख्या का कुल पुरूष जनसंख्या में प्रतिशत
1.	झांसी	500.6	935.7	53.5
2.	ललितपुर	474.6	841.5	56.4
3.	जालौन	393.5	736.8	53.4

सारणी संख्या–28 से यह स्पष्ट है कि प्रायः मण्डल के सभी जनपदों में कार्य करने योग्य जनसंख्या लगभग आधी रही है। सभी जनपदों में 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या अवयस्क तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की रही है।

प्रौढ़ जनसंख्या या 60 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या मण्डल के प्रायः सभी जनपदों में 5 से 6 प्रतिशत रही है, जिसे सारणी संख्या 34 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या – 29

60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या हजार में (2001)

क्रं सं.	जनपद	6 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष	कुल जनसंख्या पुरूष	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	झांसी	52.4	935.7	5.6
2.	ललितपुर	82.5	841.5	9.8
3.	जालौन	44.9	736.8	6.1

यदि झांसी जनपद के आश्रित व अर्जित जनसंख्या पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि अर्जित आयु वर्ग में कुल पुरूष जनसंख्या का 53.5 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। शेष 40.9 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या 14 वर्ष की आयु वर्ग के अन्तर्गत तथा 5.6 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या प्रौढ़ वर्ग के अन्तर्गत है।

जनपद में पुरूष जनसंख्या का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभाजन को सारणी संख्या 30 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–30

झांसी जनपद में आयु के अनुसार पुरूष जनसंख्या का वर्गीकरण

क्रं सं.	आयु वर्ग	ग्रामीण	कुल में प्रतिशत	नगरीय	कुल में प्रतिशत	कुल पुरूष जनसंख्या
1.	सभी आयु वर्ग	552.4	62.5	783.3	37.5	935.7
2.	0–14 वर्ष	244.2	63.8	138.5	36.2	382.7
3.	15–59 वर्ष	305.9	61.1	194.7	38.9	500.6
4.	60 वर्ष से अधिक	35.8	68.4	16.6	31.6	52.4

सारणी संख्या– 30 से यह बात स्पष्ट होती है कि झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने योग्य आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 61.1 प्रतिशत निवास करता है। इसी प्रकार 14 वर्ष के नीचे आयु वर्ग की 63.8 प्रतिशत जनसंख्या तथा प्रौढ़ वर्ग की 68.4 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जनपद की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और अधिकांश जनसंख्या कृषि से अपनी जीविका अर्जित करती है।

जनपद के स्त्रियों की जनसंख्या का वितरण भी ग्रामीण प्रधान है। यदि सभी आयु वर्ग की महिला जनसंख्या पर विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि जनपद की महिला जनसंख्या का 61.5 प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा 38.5 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों मं निवास करती है। विभिन्न आयु वर्ग के महिला जनसंख्या के वितरण को सारणी संख्या–31 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–31

झांसी जनपद की महिला जनसंख्या का वर्गीकरण

क्रं सं.	आयु वर्ग	ग्रामीण	कुल में प्रतिशत	नगरीय	कुल में प्रतिशत	कुल महिला जनसंख्या %
1.	0–14 वर्ष	175.0	62.3	105.9	37.7	280.9
2.	15–59 वर्ष	246.0	59.6	166.8	40.4	412.8
3.	60 वर्ष से अधिक	76.1	65.7	39.7	34.3	115.8
4.	सभी आयु वर्ग	480.8	59.4	328.7	40.6	809.5

सारणी संख्या 31 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के अवयस्क वर्ग के अन्तर्गत कुल स्त्री जनसंख्या का 62.3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र कार्य करने की आयु वर्ग के अन्तर्गत 59.6 प्रतिशत महिला जनसंख्या तथा प्रौढ़ वर्ग के अन्तर्गत 65.7 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

महिलाओं की वैवाहिक स्थिति

यदि महिलाओं को उनके पारिवारिक स्तर के अनुसार विभाजित किया जाये तो उन्हें अविवाहित, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा आदि वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्त्रियों के विभिन्न स्तर को सारणी संख्या–32 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–32

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक स्थिति (2001)

क्रं सं.	जनपद	कुल स्त्री जनसंख्या	अविवाहित	विवाहित	विधवा	तलाक शुदा
1.	झांसी	378.1	79.3	261.5	36.9	0.41
2.	ललितपुर	182.1	24.6	140.7	16.6	0.2
3.	जालौन	348.7	65.3	249.9	33.2	0.3
	योग	908.9	331.5	1271.9	186.8	1.6
कुल जनसंख्या में प्रतिशत			18.5	70.8	10.4	0.3

यदि बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर सम्पूर्ण दृष्टि से विचार किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि मण्डल की महिला जनसंख्या में 18.5 प्रतिशत महिला में अविवाहित, 70.8 प्रतिशत विवाहित, 10.4 प्रतिशत विधवा तथा 0.3 प्रतिशत महिलायें तलाकशुदा वर्ग के अन्तर्गत आती है। झांसी जनपद की महिला जनसंख्या की सामाजिक स्थिति सारणी संख्या– 33 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 33

झांसी जनपद के महिलाओं की पारिवारिक स्थिति (2001)

क्रं सं.	पारिवारिक स्तर	महिला जनसंख्या (हजार में)	कुल जनसंख्या में प्रतिशत
1.	अविवाहित	79.3	20.8
2.	विवाहित	261.5	68.3
3.	विधवा	36.9	10.5
4.	तलाकशुदा	0.4	0.4
	योग	**378.1**	**100.00**

सारणी 33 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद में 20.8 प्रतिशत अविवाहित 68.3 प्रतिशत विवाहित तथा 10.9 प्रतिशत महिलायें विधवा एवं तलाकशुदा वर्ग की रही है।

साक्षरता की स्थिति

साक्षरता के दृष्टिकोण से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक पिछड़ा क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है सन् 2001 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 27.16 रहा है, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह 28.69 प्रतिशत रहा है। पुरूषों की साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य में 38.76 प्रतिशत पुरूष साक्षर रहे हैं, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पुरूषों की साक्षरता 41.78 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार स्त्रियों की साक्षरता को प्रतिशत 13.95 रहा है। बुन्देल खण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों मं साक्षरता का प्रतिशत ललितपुर में 21.34, बांदा 23.3 और हमीरपुर का 26.31 प्रतिशत क्रमश 37.06 और जालौन का 35.95 रहा है, जो राज्य के प्रतिशत से अधिक रहा है। पुरूषों और महिलाओं को साक्षरता के प्रतिशत को सारणी –34 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 35

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति (2001)

क्रं सं.	जनपद	साक्षरता का प्रतिशत		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1.	झांसी	28.11	50.93	37.06
2.	ललितपुर	16.53	40.02	21.34
3.	जालौन	32.87	47.92	35.85
4.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	24.08	47.41	28.69
5.	उ0प्र0	23.34	45.91	27.16

सारणी संख्या– 35 से यह स्पष्ट है कि झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत उत्तर प्रदेश व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र का प्रतिशत राज्य एवं क्षेत्र दोनों की तुलना में अधिक रहा है। अन्य जनपदों की स्थिति झांसी जनपद की तुलना में नीचे ही रही है।

यदि झांसी जनपद के साक्षरता की स्थिति पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि जनपद के साक्षरता की स्थिति में प्रत्येक दशक में सुधार हुआ है। सन् 1981 में जनपद की सारता का प्रतिशत 28.9 रहा है, जो 2001 में बढ़कर 51.6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार पुरूषों की साक्षरता एवं स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हुयी है। पुरूषों की साक्षरता 1981 में 40.9 और 2001 में बढ़कर 66.7 प्रतिशत हा गया और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 1981 में 15.4 जो 2001 में बढ़कर 38.7 प्रतिशत हो गया, जैसा कि सारणी संख्या – 36 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–36

झांसी जनपद में साक्षरता का प्रतिशत

क्रं सं.	जनपद	साक्षरता का प्रतिशत		
		पुरूष	स्त्री	कुल
1.	1981	40.9	15.4	28.9
2.	1991	50.6	21.4	37.0
3.	2001	66.7	28.7	54.6

विकास खण्डों में परिवारों की स्थिति

झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति अलग–अलग रही है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत 41.1 रहा है। पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 59.1 तथा महिलाओं का 19.6 रहा है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति की सारणी संख्या–37 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–37

जनपद में विकास खण्डवार साक्षरता की स्थिति (प्रतिशत में)

क्रं सं.	विकास खण्ड	साक्षरता का प्रतिशत		
		कुल	पुरूष	स्त्री
1.	बामौर	46.0	65.1	23.2
2.	चिरगांव	47.3	67.1	23.8
3.	बामौर	42.7	62.5	18.6
4.	गुरसंराय	42.3	61.6	19.0
5.	बंगरा	36.5	527	17.4
6.	मऊरानीपुर	36.5	55.1	19.1
7.	बबीना	34.3	49.3	19.1
8.	बड़ागांव	41.1	59.2	19.4
योग ग्रामीण क्षेत्र		**41.1**	**59.1**	**19.6**

सारणी संख्या– 37 से स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में चिरगांव विकास में साक्षरता का प्रतिशत 47 जो सबसे अधिक है, इसके पश्चात मोंठ, बामौर व गुरसंराय का स्थान है। पुरूषों की साक्षरता चिरगांव में सबसे अधिक और बंगरा में सबसे कम तथा स्त्रियों की साक्षरता सबसे कम बबीना तथा चिरगांव में सबसे अधिक रही है।

सामान्य अधोसंरचना सुविधायें

ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधोसंरचना की सुविधायें, बहुत अधि सीमा तक, वहां रहने वालों द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके सामाजिक जीवन उनके बच्चों के जीवन, समय के उपयोग उनके अधिमान तथा अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए अपनाये गये उपायों के सम्बन्ध में किये जाने वाले चुनाव का निर्धारण करती है। आधारभूत अधोसंरचना की सुविधायें, जो ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे जल, ईंधन स्वास्थ्य, रक्षा, विद्युत, सड़क, बस सेवायें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, पोस्ट तथा दूर संचार की सेवायें, स्वास्थ्य सुविधायें, गृह, मातृत्व सेवा केन्द्र, शिुश रक्षा इकाई, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि मुख्य हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त अधोसंरचना सुविधाओं द्वारा पुरूष, महिलाओं व बच्चों, अमीर व ग़रीब, स्वरोजगार व मजदूरी पर आधारित रोजगार में लगे लोगों, ऊपरी तथा निम्न जाति वग्र के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। विभिन्न लोगों का ध्यान इन सुविधाओं के सम्बन्ध में समान नहीं होता है। इन अधोसंरचनाओं के प्रति ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों को उनके प्राप्त उत्तरों द्वारा आगे विचार किया जायेगा। यहां पर अध्ययन क्षेत्र में प्राप्त सामान्य अधोसंरचना की सुविधाओं की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्युत

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की सुविधा का विकास हो रहा है। विद्युत घरेलू उपभोग, व्यापारिक कार्यों, औद्योगिक उपयोग, कृषि कार्य के उपयोग एवं सड़कों पर प्रकाश के लिए प्राप्त होती है। झांसी जनपद में विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली विद्युत के उपभोग को सारणी संख्या–31 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–38

झांसी जनपद में विद्युत उपभोग (हजार किलोवाट घंटा)

क्रं सं.	मद	2002–03	कुल विद्युत का प्रतिशत	2005–06	कुल विद्युत का प्रतिशत
1.	घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	67798	34.4	78204	28.9
2.	वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	31729	16.1	31971	11.8
3.	औद्योगिक विद्युत शक्ति	52757	26.8	113277	41.7
4.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	3900	2.0	4031	1.5
5.	कृषि विद्युत शक्ति	34538	17.5	38741	14.3
6.	सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उंदल व्यवस्था	6415	3.2	5432	1.8
	योग	197137	100.0	271056	100.00

सारणी संख्या – 38 से यह बात स्पष्ट है कि औद्योगिक उत्पादन के लिए विद्युत का उपभोग होता है, जो 2005–06 के अन्त में कुल उपमार्ग का 41.7 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र में कुल विद्युत उपभोग का केवल 14.3 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है।

झांसी जनपद में सन् 2001 के अन्त में कुल आबाद गांवों की संख्या 759 थी। इन गांवों में से सन् 2005–06 के अन्त में विद्युतीकृत गांवों की संख्या–548 रही है जो कुल गांवों की संख्या का 72.2 प्रतिशत है। विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या सन् 2005–06 के अन्त में 581 रही है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या – 39 में स्पष्ट किया गया है–

<u>सारणी संख्या– 39</u>

झांसी जनपद में विद्युतीकृत ग्राम (2005–06)

क्रं सं.	विकास खण्ड	विद्युतीकृत ग्रामों की कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत	विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियां
1.	मोंठ	62.2	80
2.	चिरगांव	70.5	76
3.	बामौर	60.4	65
4.	गुरसंराय	60.0	75
5.	बंगरा	87.7	71
6.	मऊरानीपुर	88.1	85
7.	बबीना	73.6	51
8.	बड़ागांव	83.7	78
	योग ग्रामीण		**581**

सारणी संख्या–39 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न विकास खण्डों में कुल गांवो में आधे से अधिक गांव विद्युतीकृत हैं। सबसे अधिक विद्युतीकृत गांव मऊरानीपुर विकास खण्ड में हैं। विकास खण्ड में 88 प्रतिशत विद्युतीकृत गांव है। बामौर और गुरसंराय विकास खण्डों में 60 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत

हैं। वर्तमान अध्ययन मऊरानीपुर, चिरगांव, बंगरा व बबीना विकास खण्डों से सम्बन्धित हैं। इन विकास खण्डों में विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत क्रमशः 88. 1, 70.5, 87.7 व 73.6 प्रतिशत रहा है।

जल सुविधा

परिवार के उपयोग के लिए जैसे पीन के लिए, भोजन पकाने के लिए तथा कपड़ा धोने के लिए पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही पड़ती है। इस कार्य में कितना समय लगता है, यह घर से जल प्राप्ति स्थान की दूरी पर निर्भर है। भारतीय गांवों में जल के प्रमुख स्रोतों में कुओं और तालाबों का प्रमुख स्थान है। झांसी जनपद के विभिन्न विका खण्डों के सभी गांवो में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। कृषि क्षेत्र विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित होता है। इनमें नहरें, नलकूप, कुंए, तालाब तथा अन्य मुख्य हैं। जनपद के शुद्ध बोये गये क्षेत्रफलमें सिंचित क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल 51.0 प्रतिशत रहा है। विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या 45 में स्पष्ट किया गया है। सारणी से यह बात स्पष्ट है कि सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र बड़ागांव विकास खण्ड में जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 76.1 प्रतिशत है और सबसे कम गुरसंराय विकास खण्ड में जो 29.2 प्रतिशत है।

जनपद में कृषि काय्र के लिए सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। सिंचाई के साधनों के विकास के कारण विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है, जिसे सारणी संख्या – 40 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 40
जनपद के विकास खण्डों में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (प्रतिशत में)

क्रं सं.	विकास खण्ड	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बाये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	मोंठ	48.2
2.	चिरगांव	64.9
3.	बामौर	45.2
4.	गुरसंराय	29.2
5.	बंगरा	50.4
6.	मऊरानीपुर	51.2
7.	बबीना	71.0
8.	बड़ागांव	76.1
समस्त विकास खण्ड		51.0

जनपद में कृषि कार्य के लिए सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। सिंचाई के साधनों के विकास के कारण विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है, जिसे सारणी संख्या–41 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या– 41

जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल

हजार हेक्टेयर में

क्रं सं.	सिंचाई के स्रोत	2002–03 क्षेत्रफल	कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत	2005–06	कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत
1.	नहरें	71.2	54.3	87.0	54.3
2.	नलकूप	–	–	–	–
क.	राजकीय	1.9	1.5	–	–
ख.	व्यक्गित	48.1	36.7	54.0	33.7
3.	कुएं	48.1	36.7	54.0	33.7
4.	तालाब	1.2	0.9	2.4	1.5
5.	अन्य	5.8	6.6	9.5	5.9
	योग	130.9	100.0	160.3	100.0

सारणी संख्या– 41 यह स्पष्ट है कि जनपद में नहरों का विशेष महत्व है। सन् 2005–06 के अन्त में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 54.3 प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा गया है। इसके पश्चात कुओं का स्थान है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 33.7 प्रतिशत कुओं द्वारा संचा गया है। इसके अतिरिक्त नलकूपों व तालाबों का उपयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन महिलाओं से सम्बन्धित हैं। अतः परिवार के उपभोग में आने वाले जल के साधनों का उनके द्वारा अपनाये गये मजदूरी आधारित एवं स्वरोजगार को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका विश्लेषण सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर किया जायेगा।

अध्याय– 2

अध्ययन की विधि

अध्ययन की विधि

विगत दो दशकों से आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान के सम्बन्ध पर विचार किया जाने लगा है । वर्तमान में यह स्वीकार किया जा चुका है कि भारत जैसे विकासशील देश में कार्यरत जनसंख्या (पुरूष, महिलायें एवं बच्चे) विभिन्न किया कलापों द्वारा अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिला जनसंख्या भी विभिन्न क्रिया कलापों में लगी हैं । ग्रामीण क्षेत्र की महिला जनसंख्या सामान्यतया कृषि या भूमि पर आधारित उत्पादन कार्य, पषुओं पर आधारित तथा विनिर्माण कार्ये में लगी है । इनके द्वारा छोटे व्यापारी और फेरीवाली, ग्रामीण श्रमिक तथा विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करने का कार्य किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं जैसे जीवन निर्वाह कृषि, दुग्ध व्यवसाय, बुनाई, दस्तकारी सम्बन्ध में बहुत कम ध्यान दिया जाता है । विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यो में महिलाओं के क्रियाओं के ज्ञान का क्षेत्र अभी भी सीमित है केवल प्रषिखित महिलाओं के काम्र करने के घण्टों, विशेष कार्य में उनकी कठिनाइयों एवं समस्याओं ओर मजबूरी आदि पर विचार किया गया है । अतः ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न उत्पादन के कार्यो में महिलाओं में किये जाने वाले कार्यो उनकी समस्याओं, कठनाइयों और अन्य पहलुओं पर विचार करना अध्ययन का अभी भी एक नया क्षेत्र है । यद्यपि इस दिशा में ज्ञान तथा जानकारी के प्रयास प्रारम्भ हो चुके हैं पर अभी भी यह प्रक्रिया धीमी है ।

महिलाओं को ही अपनी रक्षा करनी है, इस बात की जानकारी महिलाओं में मलिाओं के संगठन जो कार्य करने वाली महिलाओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, उनके कार्यो के माध्यम से हुई हैं । इन संगठनों का कार्य महिलाओं के कल्याण एवं उनके संगठन के लिए कार्यरत रहता है । महिलाओं के संगठन उन्हें संगठित करने तथा उनके जीवन में सुधार के लिए कार्यशील है । इन संगठनों द्वारा महिलाओं के जीवन सुधार के लिए धनात्मक कार्य किये जाते हैं और उनके द्वारा नीति निर्धारकों, संस्कारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यो में हस्तक्षेप किया जाता है । संगठनों के इन कार्यो द्वारा महिलाओं को वास्तविक रूप में सहायता की जा सकती है। यह इस बात की जानकारी पर निर्भ्झर है कि महिलायें किन–किन क्रिया कलापों में लगी हैं और उनकी प्रमुख समस्यायें कौन–कौन सी हैं, जिन्हें मलिा संगठनों द्वारा अपने कार्य में सम्मिलित किया जा रहा है वे उनके कार्यो तथा नीति को पर्याप्त आधार प्रदान करती हैं । आर्थिक क्रिया–कलाप क्षेत्रों के अनुसार अलग–अलग होते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र में मांग पक्ष्ज्ञ की ओर से विचार करने पर कच्चे मालों की प्राप्ति तथा बाजार की दशा में अलग–अलग तथा पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तुओं की सेवाओं के प्रकार तथा स्वभाव अलग–अलग होते हैं। अतः महिलाओं द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं की क्षेत्रीय स्तर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार के लिए आर्थिक महत्वपूर्ण तथा सार्थक होगा ।

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के झॉसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की गरीब, मजदूरी पर आधारित रोजगार तथा स्वरोजगार में लगी महिलाओं का अध्ययन है । ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरी एवं स्व रोजगार से जीविकोपार्जन करने वाले महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर ग्रामीण महिला एवं बाल

विकास कार्यक्रम के पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का परीक्षण करना ही अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगी ग्रामीण महिलाओं के कार्य एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सहभागी विधि (participatory method) द्वारा किया गया, जिससे इन मलिाओं के प्राप्त संसाधनों का परीक्ष्ज्ञण करके उन्हें और अधिक बढ़ाने के लिए सुझाव दिया जा सके ।

शोध प्राविधि

वर्तमान अध्ययन ग्रामीण कार्यरत महिलाओं क आर्थिक जीवन के कुछ पहलुओं को जैसा वे स्वयं इसका अनुभव करती हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से समझने एवं ज्ञात करने का एक प्रयास है । विभिन्न लोगों के जीवन से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र करने की बहुत सी विधियां हैं। उदाहरण के लिए प्रश्नावली विधि द्वारा उनके बीच जाकर अनुभव प्राप्त करना सूचना देने वालों से उन्हीं के विचार जानकर उनका अनुभव प्राप्त करना, आदि। किस प्रकार की सूचनायें एकत्र की जानी हैं यह शोध के प्रारूप, परीक्षण्या की जाने वाली वरिकल्पनाओं ओर अन्य तथ्यों द्वारा निर्धारित होती हैं । जब अध्ययन का उद्देश्य मात्र कुछ परिकल्पनाओं का परीक्ष्ज्ञण करना होता है या ज्ञान वृद्धि करना होता है, तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन को पूरा करने के लिए कुछ लोगों या इकाइयों को अनग कर लिया जाता है और उन्हीं से सम्बन्धित आंकड़ों की व्याख्या करके निष्कर्ष ज्ञात कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के अध्ययन का महत्व एक विचार व्यक्त करने या दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है । इस प्रकार के निष्कर्षो में ऐसे लोगों का सैम्पुल जिनके बारे में सूचनायें एकत्र की गयी है। वे इस विचार को स्पष्ट करने के एक साधन मात्र होते हैं। इस दुष्टिकोण से किया गया शोध

कार्य के निष्कर्षो का प्रयोग उन्हीं लागों पर लागू करने के लिए नहीं किया जाता है ।

जब अध्ययन का उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन व उनके रहन–सहन की दशाओं मे सुधार करना होता है तो दृष्टिकोण पूर्णतया अलग हो जाता है । ऐसी स्थिति में शोध कर्ता उन लोगों से अनग होकर कार्य नहीं कर सकता । वास्तव मे शोध कमी विधि, एकत्र किये जाने वाले आंकड़े तथा उनकी व्याख्या अलग से नहीं की जा सकती है । जब शोध कार्य का उद्देश्य लागों के जीवन को सुधारने के लिए सुझाव देना और शोध के निष्कर्षो का प्रयोग उनके जीवन को सुधारने के लिए किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में जो लोग इससे सम्बन्धित होते हैं, उन्हें शोध का मुख्य अंग माना जाना चाहिए। शोध से सम्बन्धित लोगों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए । वे लोग कौन हैं, वे कौन सा कार्य करते हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनकी आवश्यकतायें क्या हैं, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हैं और उनकी इच्छा में क्या है, उनके समक्ष कौन–कौन सी कठिनाइयां और समस्यायें हैं और इन समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे क्या निदान चाहते है। इन प्रश्नों को शोधकर्ता द्वारा अपने शोध में पहले से ही शामिल करना होता है या जिन्हें शोधकर्ता महत्वपूर्ण समझता है, उन्हें उसे स्पष्ट करना होता है या शोध कार्य जिन लोगों से सम्बन्धित होता है, उनसे सम्पर्क करके ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए । एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत ऐसा अनुभव किया जाता है कि शोध से सम्बन्धित लोगों से सम्पर्क करके अध्ययन का प्रारूप तैयार किया जाय, आंकड़े एकत्र किये जाये और प्राप्त निष्कर्षो का उपयोग किया जाय, इस दृष्टिकोण को सही भागी दृष्टिकोण कहा जाता है । यह सहभागिता विभिन्न स्तरों पर हो सकती है तथा इसे कई विधियों से प्रयोग

किया जा सकता है । शोध प्रारूप बनाने के स्तर, आंकड़ों को एमत्र करने, आंकड़ों के विश्लेषण स्तर पर, निष्कर्षो के प्राप्त करने या इन निष्कर्षो को उनके जीवन में लागू करने के लिए आधार बनाते समय सहभागिता प्राप्त की जा सकती है । सहभागिता का स्तर शोध कार्य में सहभागिता कितने स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है । सहभागिता का स्तर शोध कार्य में सहभागिता कितने स्तरों पर प्राप्त की गयी है पर निर्भर है । सहभागिता के अन्तर्गत लोगों के साथ की जाने वाली मीटिंग, सभायें, सामूहिक वार्तालाप, प्रश्न व उत्तर के लिए बैठकें, लोगों के विचार व दृष्टिकोण ज्ञान करने कील विभिन्न विधियां और निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए वे सभी साधनों जिनका प्रयोग किया जाता है, सभी को शामिल किया जा सकता है ।

किसी शोध कार्य में सहभागिता दृष्टिकोण उसके लगने वाले समय के साथ निर्धारित किया जाता है, रूोंकि सहभागिता के अन्तर्गत शोधकर्ता व शोध से सम्बन्धित लोग दोनों को एक साथ आना आवश्यक होता है । अध्ययन के लिए एूचनाओं को एकत्र करने में दोनों का प्राप्त होना आवश्यक है, इसे कार्य शोध (Action Research) कहा जाता है । इसके अन्तर्गत कोई पूर्व निर्धारित परिकल्पना का परीक्षण मात्र नहीं कि या जाता है, क्योंकि अध्ययन का उद्‌देश्य किसी समस्या का हल ढूंढ़ना होता है, केवल सिद्धान्त का प्रतिपादन करना नहीं होता है, जो भी परिकल्पनायें या प्रश्नों पर विचार करना होता है वे अध्ययन के दौरान ही उठाये जाते हैं अध्ययन के पहले नहीं ।

वर्तमान अध्ययन को सहभागिता दृष्टिकोण पर आधारित कार्य शोध अध्ययन कहा जा सकता है । वर्तमान अध्ययन का उद्‌देश्य ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन के लिए चलाये गये विशेष कार्यक्रम की कार्यशैली के लक्ष्यों को कहां तक प्रांप्त कर सकती है ? ग्रामीण महिलाओं के गरीबी उन्मूलन के लिए और

क्या किया जाना चाहिए जिससे झॉसी जनपद के ग्रामीण कार्यरत महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए वह सहायक हो सके ।

शोध के सम्बन्ध में पहली आवश्यकता यह होती है कि शोधकर्ता को उन लागों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए जिनसे अध्ययन को पूरा करने के लिए मिलना है । देष की अधिकांश मलिा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहती है । ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में अध्किांश महिलायें न्यून आय वर्ग में हैं जो या तो मजदूरी के आधार पर कार्य करती है या स्व रोजगार में लगी हैं, देश की लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यही तथ्य झॉसी जनपद के लिए भी सत्य है । शोध कार्य का उद्देश्य, झॉसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगाार व स्वरोजगार में लगी महिलायें जिन्हें ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम द्वारा लाभ प्राप्त हुआ है, उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, का अध्ययन करना है । इन महिलाओं के क्रिया कलाप तथा सामाजिक जीवन का अध्ययन उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है ? इसे समझने में सहायक हो सकता है । इस अध्ययन में ज्ञात समस्यायें और उनके हल द्वारा उनके आर्थिक जीवन में सुधार किया जा सकता है वर्तमान अध्ययन पूर्णतया ग्रामीण महिलाओं से ही सम्बन्धित है । इस अध्ययन को पूरा करने में सहभागिता दृष्टिकोण ही सबसे उपयुक्त माना गया । ग्रामीण महिलाओं की समस्यायें, जैसा कि उन लोगों ने स्पष्ट किया और जेसा वे अनुभव करती हैं। वर्तमान अध्ययन को अनुभव व वास्तविकता से निकट लाने में सहायक होगा। इसलिए इसे पूरा करने में सहभागिता दृष्टिकोण को अपनाया गया है । ऐसी आशा एवं अनुभव किया जाता है कि वर्तमान अध्ययन ग्रामीण महिलाओं के समस्याओं को समझने और उनके गरीबी के उन्मूलन में लाभदायक प्रयास सिद्ध होगा । यद्यपि ग्रामीण

महिलाओं के जीवन के सम्बन्ध में अभी बहुत अधिक ज्ञात नहीं है फिर इसी प्रकार के प्रयास से उनके जीवन की समस्याओं, गरीबी, असहाय की स्थिति आदि के सम्बन्ध में ज्ञात किया जा सकेगा । भविष्य के अध्ययन सरल और अधिक उपरयोगी होंगे ।

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम का ग्रामीण मलिाओं पर पड़ने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रीााव का अध्ययचन करने के लिए झॉसी जनपद को चुना गया । झॉसी जनपद में आठ विकास खण्ड, चिरगॉव, मोंठ, गुरसरांय, बामौर, मऊरानीपुर, बंगरा, बबीना, व बड़ागांव हैं । ग्रामीण मलि एवं बाल विकास कार्यक्रम जनपद में 1992–93 से प्रारम्भ किया गया । इसके लिए जनपद के विकास खण्ड मऊरानीपुर एवं चिरगांव को चुना गया । इसके पश्चात 1993–94 में जनपद के दो और विकास खण्डों बबीना एवं बंगरा का चुनाव किया गया । सन् 1994 के अन्त तक यह कार्यक्रम जनपद के चार विकास खण्डों मऊरानीपुर, चिरगांव, बबीना व बंगरा में चालू की गयी। अध्ययन के लिए चारों विकास खण्डों को लिया गया । इन विकास खण्डों में सन 2001 के अन्त में कार्याक्रम में लाभान्वित महिलाओं या महिला परिवारों की संख्या को सारणी संख्या एक में स्पष्ट किया गया हे :–

सारणी संख्या – एक

लाभान्वित महिला परिवारों की संख्या (सन 2001)

क्रमांक	विकास खण्ड	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1.	मऊरानीपुर	775
2.	चिरगांव	375
3.	बबीना	175
4.	बंगरा	200
	कुल योग	

सारणी संख्या एक से यह बात स्पष्ट है कि सन् 2001 के अन्त में लाभान्वित महिलाओं के परिवारों की संख्या 1525 रही है । योजना के अन्तर्गत गरीब, साधनहीन, दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाली महिला श्रमिकों, विस्थापित महिला श्रमिक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को शामिल किया जाता है । योजना के अन्तर्गत 25 से 30 महिलाओं के समूज का गठन किया जा है ।

चयनित व्यवसाय एवं महिला/वालकों की स्थिति

योजना से लाभान्वित ग्रामीण, महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं के अध्ययन के लिए तथा अध्ययन को व्यवहारिकता से अधिक नजदीक लाने के लिए एक बड़े सेम्पुल लेने पर विचार किया गया । यद्यपि सम्पूर्ण संख्या का 20 प्रतिशत या 1/5 इकाइयों का अध्ययन सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्यापत माना जा सकता है पर अध्ययन को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए कुल संख्या के एक तिहाई या 33 प्रतिशत महिला परिवारों का अध्ययन करने का निश्चय किया गया । इन महिलाओं का चुनाव

रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर या गांवों में जाने पर प्राप्त महिलाओं का साक्षात्कार करके उनका अध्ययन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । विभिन्न विकास खण्डों में इनकी संख्या अलग – अलग होने के कारण सर्वेक्षण यि जाने वाले मलि परिवारों का विभाजन अनुपातिक रूप में उनकी संख्या के आधार पर कर लिया गया जिसे सारणी संख्या दो में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या – 2

विकास खण्ड के आधार पर महिला समूहों का विभाजन

क्रमांक	विकास खण्ड	लाभान्वित महिला परिवार	सर्वेक्षण के लिए चुने गये परिवारों की संख्या का 1/3 भाग
1	मऊरानीपुर	775	258
2.	चिरगांव	375	125
3.	बबीना	175	58
4.	बंगरा	200	66
	कुल योग	1525	507

विभिन्न विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त महिला समूहों के आंकड़ों के आधार पर सारणी संख्या–2 के परिवारों की संख्या ज्ञात की गयी है। एक सामान्य सिद्धान्त के आधार पर एक समूह के अन्तर्गत 25 महिलाओं के परिवारों को शामिल किया जाता है। सारणी संख्या दो में स्पष्ट किये गये महिला परिवारों को विकास खण्ड से प्राप्त लाभान्वि महिला परिवारों के समूह के आधार पर निकाला गया है। यद्यपि यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को उनके जीवन स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण से लागू किया गया था पर कार्यक्रम बहुत उत्साहजनक नहीं रहा

है। विकास खण्ड से प्राप्त आंकड़ों में यह बात अधिकारियों द्वारा स्पष्ट की गयी कि सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक परिवारों को योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था पर आवश्य प्रशिक्षण, ओर अन्य सुबिधाओं को प्रदान करने पर भी महिलाओं ने उस कार्य को नहीं किया, जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, और आवश्यक यंत्र और औजार प्रदान किये गये थे। ऐसे महिला समूहों को निष्क्रिय समूह घोषित किया गया। सर्वेक्षण में यह बात पायी गयी कि विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों में एक बड़ी संख्या में निष्क्रिय समूह पाये गये। विभिन्न विकास खण्डों में लाभान्वित महिला समूहों और सक्रिय तथा निष्क्रिय महिला समूहों की स्थिति को सारणी संख्या – 3 में स्पष्ट किया गया है।

<u>सारणी संख्या– 3</u>

विकास खण्डों में लाभान्वित महिला परिवारों की स्थिति (2001)

क्रं सं.	विकास खण्ड	कुल गठित समूह	सक्रिय समूह	निष्क्रिय समूह
1.	मऊरानीपुर	51	31	20
2.	चिरगांव	51	15	36
3.	बबीना	14	7	7
4.	बंगरा	15	8	7
	कुल योग	**131**	**61**	**70**

सारणी संख्या–3 से यह बात स्पष्ट है कि जनपद के उपरोक्त चारों विकास खण्डों में सन् 2001 के अन्त तक 131 महिला समूहों का गठन ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था, जिसमें से केवल 61 समूह की कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठा रहे थे और

इसके आधार पर अपने रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में प्राप्त प्रशिक्षण एवं सुविधाओं का लाभ उठाने में समर्थ रहे हैं और 70 या लगभग 57 प्रतिशत महिलायें कार्यक्रम में प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेकर उस व्यवसाय को नहीं अपनाया बल्कि अपने पम्परागत व्यवसाय में मजदूरी के अधिकार पर या स्वरोजगार के रूप में लगी हुये है।

अध्ययन के लिए कुल गठित समूह को ध्यान में रखा गया। एक समूह में 25 महिला परिवारों के आधार पर 61 x 25= 1525 परिवार आते हैं, जिनका विभाजन विभिनन विकास खण्डों में सारणी संख्या एक के आधार पर रहा है। इन्हीं कुल परिवारों में से 507 महिलाओं का अध्ययन किया गया।

कार्यक्रम में चयनित व्यवसाय

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में पुरूषा की भांति महिलायें भी विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया कलापों में लगी हुयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलायें विभिन्न आर्थिक क्रिया अन्य के यहां कार्य करती हैं दूसरे किसी व्यवसाय को स्व रोजगार के आधार पर अपना कर उस कार्य में लगी हुयी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी विभागों द्वारा महिलाओं के क्रिया कलापों को 15 वर्गों में विभाजित किया गया था और इन्हीं 15 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का कार्य किया गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न 15 व्यवसायों को चुना गया है:–

1. मिनी डेरी
2. रेडीमेड गारमेन्ट
3. बरी, पापड़ बनाना
4. बरी, पापड़ बनाना
5. दरी, कम्बल
6. बांस डलिया
7. बान रस्सी बनाना
8. टाट–पट्टी
9. अबर चरखा
10. दलिया मसाला
11. डेकोरेशन पीस
12. साबुन बनाना
13. स्वेटर बुनाई
14. अचार, मुरब्बा
15. रैक्सीन बैग

सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण तथा सुविधायें प्रदान करने की रूप रेखा के अनुसार महिला समूहों का गठन विभिन्न विकास खण्डों में किया गया। व्यवसायों के सरकारी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकरण को सारणी संख्या चार में स्पष्ट किया गया है।

क्रं सं	चयनित व्यवसाय	मऊरानीपुर कुल गठित सक्रिय		विकास खण्ड चिरगांव		बबीना		बंगरा	
		समूह (1)	समूह (2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1.	मिनी डेरी	22	14	14	11	–	–	7	4
2.	रेडीमेड गारमेन्ट	5	4	15	3	–	–	2	2
3.	बरी पापड़	–	–	5	5	3	3	1	1
4.	लुंगी, तोलिया	6	4	–	–	–	–	2	–
5.	दरी, कम्बल	2	2	2	–	1	–	2	1
6.	बांस डलिया	5	4	2	1	–	–	–	–
7.	बान रस्सी	2	1	–	–	–	–	1	–
8.	टाट–पट्टी	1	1	–	–	2	2	–	–
9.	अम्बर चरखा	2	–	6	–	4	2	–	–
10	दलिया मसाला	3	1	1	–	–	–	–	–
11	साबुन	–	–	1	–	2	–	–	–
12	डेकोरेशन पीस	–	–	1	–	–	–	–	–
13	स्वेटर बुनाई	1	–	–	–	–	–	–	–
14	अचार–मुरब्बा	2	–	3	–	1	–	–	–
15	रेक्सीन बैंग	–	–	1	–	1	–	–	–
	योग	51	31	51	15	14	7	15	8

सारणी संख्या–4 से स्पष्ट है कि जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1996 के अन्त तक कुल 131 महिला समूहों का गठन किया गया था और 2001 के अन्त में जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा ज्ञात हुआ कि इन महिलाओं के मात्र 61 समूह की विभिन्न विकास खण्डों में सक्रिय रह गये हैं। सक्रिय समूहों में विभिन्न व्यवसायों में से केवल कुछ ही व्यवसाय समूह ही कार्यशील हैं शेष व्यवसाय मात्र सरकारी कागजों की खाना पूर्ति मात्र के लिए चलाये गये थे पर महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर उसके सुविधाओं को प्राप्त करने मात्र के उद्देश्य से भाग लिया था। विभिन्न व्यवसायों में सक्रिय व्यवसायों

के महिला समूहों की स्थिति को सभी विकास खण्डों के योग के रूप से सारणी संख्या पांच में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–5

गठित महिला समूहों में सक्रिय महिला समूहों की स्थिति

क्रमांक	व्यवसाय	गठित समूह	सक्रिय समूह
1.	मिनी डेरी	43	29
2.	रेडीमेड गारमेन्ट	22	9
3.	बरी पापड़	9	4
4.	लुंगी, तोलिया	8	4
5.	दरी, कम्बल	7	3
6.	बांस डलिया	7	5
7.	बान–रस्सी	3	1
8.	टाट–पट्‌टी	3	3
9.	अम्बर चरखा	12	2
10.	दलिया मसाला	5	1
11.	साबुन	3	–
12.	स्वेटर बुनाई	1	–
13.	अचार मुरब्बा	6	–
14.	डेकोरेशन पीस	1	–
15.	रेक्सीन बैग	1	–
	योग	131	61

सारणी संख्या–5 से यह बात स्पष्ट होती है कि सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित व्यवसायों में से सबसे अधिक सफल मिनी डेरी का व्यवसाय है, जिसमें अधिकांश महिला समूह कार्यरत हैं। अतः सफल व्यवसायों में से रेडिमेड गारमेन्ट, बरी–पापड़, लुंगी–तौलिया, दरी–कम्बल, बांस डलिया और रस्सी, टाट–पट्टी अम्बर चरखा चलाने के व्यवसायों में महिलायं लगी हैं।

सर्वेक्षण के लिए चुने गये व्यवसाय समूह

अध्ययन के लिए ड्वाकरा कार्यक्रम में लाभान्वित महिला परिवारों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षण व सुविधाओं के महिलाओं का अध्ययन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। विकास खण्डों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चार विकास खण्डों में कुल 131 समूहों का गठन किया गया था जो 15 व्यवसायों से सम्बन्धित थे। इन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित व सुविधाओं के महिलाओं का अध्ययन करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। विकास खण्डों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चार विकास खण्डों में कुल 131 सूहों का गठन किया गया था जो 15 व्यवसायों से सम्बन्धित थे। इन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित महिलाओं पर सम्पूर्ण संख्या की दृष्टि से विचार करके आधी संख्या का सर्वेक्षण करने का निश्चय किया गया। इस आधार पर 760 महिलाओं का अध्ययन किया जाना था। अध्ययन के लिए महिलाओं का चुनाव व्यवसायों में लाभान्वित संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए था पर सरकारी कार्यक्रम में महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए चुने गये निर्धारित व्यवसायों में समूहों की संख्या सीमित होने के कारण व्यवसायों के आधार पर चुनाव न करके विकास खण्डों में लाभान्वित महिला परिवारों की आधी संख्या की महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया, चाहे वे जो भी व्यवसाय का प्रशिक्षण क्यों न प्राप्त किया

हो। विभिन्न विकास खण्डों में सर्वेक्षण के लिए चुने गये महिला समूहों को सारणी संख्या– 5 में स्पष्ट किया गया है।

सर्वेक्षण प्रक्रिया

अध्ययन को पूरा करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी, जिसे गांवों में जाकर कार्यक्रम में लाभान्वित महिलाओं से सम्पक्र करके साक्षात्कार विधि द्वारा प्रश्नावली को पूरा किया गया। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से उनके व्यवसाय तथा उनसे सम्बन्धित किन रचनाओं को एकत्र किया जाय ? इसे निश्चित करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर प्राप्त महिला अधिकारी कार्यकर्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाओं से भी सम्पर्क करके प्रश्नावली को अधिक से अधिक व्यापक बनाने का प्रयास किाय गया। कार्यक्रम में निर्धारित व्यवसायों में प्राप्त प्रशिक्षण महिलाओं के गांवों की सूची विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त करके उन गांवों में जाकर प्रत्येक व्यवसाय या अन्य किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त महिला या महिलाओं का पता लगाया गया। यह पता लगाना कठिन इसलिए नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विभिन्न व्यवसाय जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रम निम्न आय वर्ग, जाति वर्ग तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए ही बनाये जाते हैं। अतः किसी गांव में इस प्रकार के महिलाओं के घर जाकर उनसे मिले तथा उनेस मीटिंग करके प्रश्नावली को भरने का काय्र किया गया। उनसे मिलकर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनके उनके आर्थिक जीवन के बारे में पूंदा गया और यह भी पूंछा गया कि आपके जाति के ओर कितने परिवार आपके गांव में हें और आप जो कार्य कर ही हैं उसे और कितनी महिलायें आपके गांव में इस कार्य को कर रही हैं। आप क्या शिक्षित हैं, आपके बच्चे

क्या करते हैं? आप तथा आपके बच्चे कहां कार्य करते हैं और उन्हें कितनी मजदूरी मिलती हैं? उनके गांव में कौन–कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं और उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के प्रश्नों के पूंछे जाने पर अधिक संख्या में महिलाओं ने रूचि दिखायी तथा उनसे खुलकर प्रत्येक प्रश्न पर वार्ता हुई और प्रश्नावली को भली भांति भरने में आसानी हुयी, महिलाओं के अतिरिक्त बचचे तथा अध्कि उम्र के लोगों ने भी हमारे बैठक में भाग लेने की रूचि दिखायी। सर्वेक्षण के दौरान उत्तर देने वाली महिलाओं ने उनसे पूंछे जाने वाले प्रश्नों को उद्देश्य जानने के सम्बन्ध में उत्सुकता प्रकट की। इसके लिए उन्हें स्पष्ट किया गया, आप लोग अपनी जीविका चलाने के लिए किस प्रकार का कार्य करती हैं तथा आपके समक्ष कौन–कौन सी समस्यायें हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तथा आपके समक्ष कौन–कौन सी समस्यायें हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में आपके अनुभवों को ज्ञात करके आपकी सहायता के लिए तरीके तथा उपाय ढूंढने का प्रयास किया जायेगा, जिससे आपका सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, सुधारा जा सके। ग्रामीण महिलाओं में वर्तमान शोध के सर्वेक्षण के दौरान तरह–तरह की धारणायें थी, कि चुनाव करीब आ रहे हैं और इसीलिए महिलाओं से मिलने के लिए महिला को भेजा गया है। गई मौंकों पर ऐसा अनुभव किया गया कि उनकी धारणा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्य किया जा रहा है। कुछ महिलाओं ने अपने प्रस्तूति से सम्बन्धित कुछ समस्यायें भी रखी और उनके इलाज के सम्बन्ध में परामर्श भी लेना चाहा। इस प्रकार की धारणाओं द्वारा उनके गत वर्षों के अनुभव को स्पष्ट किया गया। एक विशेष व्यवसाय में लगी महिलाओं द्वारा अन्य गांव या उसी गांव के अन्य महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई। शोध सर्वेक्षण में अन्य महिलाओं के पास चलना ग्रामीण महिलाओं के समक्ष एक कठिन परिस्थिति भी उत्पन्न करती थी। इनमें से कुछ

महिलायें साथ चलने को तैयार हो जाती थी और अन्य गांव के लोगों के भय से जाने से मना कर देती थी, कुछ महिलायें जाने को तैयार तो हो जाती थी जब उनसे जाने का समय और मिलने का स्थान निश्चित करना होता था तो वे नहीं आती थी। विकास खण्ड के कुछ गांवों की महिलायें जो किसी प्रकार परिचित थी व साथ में जाकर अपने गांव के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की। गांवों के कुछ महिलाओं को, जिनके सम्बन्ध आस–पास के गांवों में थे, अपने पास सर्वेक्षण कार्य में सहायता के लिए साथ ले जाया गया और वहां की महलिाओं से बात चीत की गयी। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप जिन क्षेत्रों से सूचनायें एकत्र की जानी थी, उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी और जनपद के चार विकास खण्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया।

किसी गांव के एक विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त महिला को उसी गांव की अन्य महिलाओं से मिलने के लिए साथ ले जाने का विचार के अनुसार उस महिला को अध्ययन टीम का एक सदस्य बनाकर और उसी की सहायता से गांव के अन्य महिलाओं द्वारा भी प्रश्नावली को पूरा करने में सहायता ली गयी। इस विधि द्वारा कुछ विशेष व्यवसाय करने वाली विशेष जाति वर्ग के महिलाओं को साथ ले जाने में सफलता प्राप्त हुई पर कुछ विशेष जाति वर्ग और व्यवसाय की महिलाओं को साथ ले जाने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं हुई। ऐसी दशा में सर्वेक्षण का कार्य स्वयं जाकर और उन महिलाओं से मिलकर पूरा किया गया। ऐसे गांवों में जहां की महिलायें साथ जाने के लिए तैयार थी, उनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जा नहीं जानी जा सकती थी, वह सरलता से ज्ञात की जा सकी, जिन गांवों में महिलायें साथ में जाने के लिए तैयार थी, उनके सम्बन्ध में

विस्तृत जानकारी जो नहीं जानी जा सकती थी, वह सरलता से ज्ञात की जा सकी, जिन गांवों में महिलायें साथ में जाने को तैयार नहीं हुई, उस दशा में उन महिलाओं से बात करने में और वे खुलकर बात कर सकें और सचूनायें दे सकें, इसके लिए उन्हें बहुत समझाना पड़ा तथा उन्हें विश्वास में लेना पड़ा कि सही सूचना देने में उनका कोई नुकसान नहीं होगा और न ही उनके विरूध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी।

सर्वेक्षण कार्य के लिए किसी गांव में जाकर एक विशेष जाति या विशेष व्यवसाय या कार्य करने वाले लोगों के समूह के बारे में पूंछना होता था, उसके बाद गांव में उन्हीं लोगों के बस्ती में जाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। जिन लोगों के घर जाकर सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया उनके द्वारा पहले बैठाया गया, इसके बाद सम्बन्धित महिला को बुलाकर अपने उद्देश्य के बारे में बताया गया और उसे महिला से बात की गयी। एक ही स्थान पर यदि आस–पास कई महिलायें मिल गयीं तो उन्हें बुलाकर साथ बैठाया गया। इस प्रकार की बैठक में महिलायें एक समूह का सदस्य समझकर अधिक निर्भय होकर स्थिति को अधिक सही–सही स्पष्ट किया। इस प्रकार एक समूह में महिलाओं को एकत्र हो जाने पर उनसे 3 गांव तथा आस–पास के गांवों में उसी प्रकार या अन्य प्रकार के व्यवसाय में प्राप्त प्रशिक्षण या व्यवसाय कर रही महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की की जा सकी। इसके पश्चात इन महिलाओं से उनके जीवन तथा कार्य किया जा सकता, ऐसा पाया गया कि एक गांव में एक ही प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें थी और जिस गांव में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें थी, उनसे अलग–अलग मिला गया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके प्रश्नावलीपूरी की गयी। महिलाओं के साक्षात्कार के समय और उसके बाद यह पूंछा गया कि उनके

आर्थक जीवन या व्यवसाय में सुधार के लिए कौन सा उपाय किया जाय ओर इस सम्बन्ध में उनके सुझाव ज्ञात किये गये। उनके दिये गये सुझावों को नेट किया गया। जैसे–जैसे विभिन्न व्यवसायों के अधिक से अधिक महिलाओं से साक्षात्कार किया गया वैसे–वैसे इन महिलाओं से अधिक घुल मिलकर बात करने तथा उन्हें विश्वास में लेने, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को समझने में आसानी हुई। साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि एक गांव की महिला को दूसरे गांव की महिला से मिलने के लिए साथ ले जाने की प्रक्रिया या विचार अधिक उपयोगी और सफल नहीं साबित हो सका। ऐसी स्थिति में उस गांव में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं, स्कूल की अध्यापिकाओं और पंचायत के सदस्यों आदि के घरों की प्रौढ़ महिलाओं की सहायता की गयी, क्योंकि ग्रामीण महिलायें अपने को दूसरे गांवों में जाने के सम्बन्ध में अपने को सक्षम नहीं पाती थी। ग्रामीण स्तर पर लगी सरकारी विभागों की महिलाओं ने सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की। वे अपनी सुविधानुसार ग्रामीण महिलाओं से मिलाने, अन्य गांवो में जाकर वहां की महिलाओं से मिलाने के लिए साथ गयी और प्रश्नावली को पूरा करने तथा उनसे मिलान, बातीत करने और समस्याओं एवं सुझावों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुई। सरकारी विभागों में कार्यरत महिलाओं के साथ जाने, उनके समझाने और उन्हीं की भाषा का प्रयोग किये जाने से ग्रामीण महिलाओं में विश्वास जागृत करने में सहायता प्राप्त हुई और उन्होंने सही एवं स्पष्ट बात बताने में अपने को एक सहज स्थिति में पाया। साथ ही इन महिलाओं द्वारा उन्हीं के बीच काम किये जाने की स्थिति में ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न व्यवसायों, आर्थिक जीवन, कार्य आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकी। ग्रामीण महिलाओं से साक्षात्कार के समय इन्हीं सरकारी महिलाओं द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों का प्रयोग किया गया इन महिलाओं की समस्यायें अधिक से अधिक

स्पष्ट होती गयी। एक गांव के सर्वेक्षण के बाद उसके अनुभव, विचार, समस्यायें, एवं सुझाव आदि के बारे में गांव से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को एकत्र करके उन्हें रखने का कार्य किया जाता रहा। अस्पष्ट विचारों को एकत्र करके उन्हें रखने का कार्य किया जाता रहा। अस्पष्ट विचारों पर वार्तालाप किये गये। जिन गांवों में साक्षात्कार के समय पूरी सूचना नहीं मिल सकी उसे पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार उस गांव में पुनः भ्रमण किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान जैसे–जैसे अधिक से अधिक महिलाओं से साक्षात्कार किया गया उनमें से अधिकांश महिलायें जो असहाय थी उन्होंने सहायता की मांग की, इस सम्बन्ध में उनकी सहायता भी की गयी। इनमें से अधिकांश महिलायें जो विधवा थी, उन्होंने सरकार से सहायता भी की गयी। इनमें से अधिकांश महिलायें जो विधवा थी, उन्होंने सरकार से सहायता प्राप्त करने में मदद करने की बात कही। इन महिलाओं को पेंशन के फार्म लाकर देने और फार्म भरवाकर अधिकारियों तक जमा करने की सहायता की गयी। इसी प्रकार सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्धा महिलाओं की उसी प्रकार मदद की गयी।

इसी प्रकार कुछ महिलाओं ने ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में सहायता की मांग की उन्हें भी इस दशा में निर्देशन दिया गया।

सर्वेक्षण में लगा समय

कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें यद्यपि वे पहले से अपने परम्परागत व्यवसाय में लगी हुयी थी पर कार्यक्रम में प्राप्त सुविधायें प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण में नाम लिखवा लिया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात नये

व्यवसाय करने के बजाय अपने पुराने परम्परागत व्यवसाय में चली गयी। कार्यक्रम की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए विभिन्न विकास खण्डों में कार्यक्रम में गठित महिला समूहों के संख्या के आधार पर आनुपातिक संख्या निर्धारित करके सन् 2001–01 के अन्त तक गठित महिला समूहों की आधी संख्या के आधार पर 50 प्रतिशत महिलाओं का अध्ययन करने का निश्चय किया गया। सर्वेक्षण का कार्य मई 2005 से प्रारम्भ किया गया और जून 2006 में पूरा किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि से अध्ययन पूरा करने के अतिरिक्त सर्वेक्षण के पहले तथा उसके पश्चात जिला स्तर पर कार्यरत महिला विकास अधिकारियों तथा उसके पश्चात जिला स्तर पर कार्यरत महिला विकास अधिकारियों तथा चिरगांव स्थित ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं से समय–समय पर वार्तालाप, बैठकें तथा सुझाव व अन्य बातों पर विचार विमर्श किया गया।

उग्रगामी सर्वेक्षण

वर्तमान अध्ययन पूर्णतया फील्ड सर्वेक्षण पर आधारित है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक जीवन पर एक विशेष सरकारी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना था, इसके लिए विभिन्न विकास खण्डों के महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके प्रश्नावली को पूरा करना था। प्रश्नावली के अन्तर्गत महिलाओं के पारिवारिक, जानांकीय, सामाजिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त अधा संरचना सम्बन्धी सुविधाओं, उनके आय के स्रोतों, परिवार व उनके द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं, परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य, काम प्राप्त करने के तरीके, कार्य के घण्टे, सृजित आय, बाजार, कच्चा माल, कुशलता, तथा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में जानकारी

प्राप्त करने से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया था। इसके अतिरिक्त बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जानी थी। सर्वेक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों, प्रश्नावली में आवश्यक सुधार तथा और भी सूचनायें जो सर्वेक्षण किया गया और उनसे प्राप्त उत्तरों, वार्तालाप तथा सुझाव के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन व सुधार किया गया।

प्रश्नावली

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की दशाओं को ज्ञात करने के लिए 760 महिलाओं को रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर चुना गया। सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं के जीवन के बारे में बहुत सी बातें मालूम पड़ी। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण खेत्र की महिलाओं के आर्थिक जीवन पर सरकारी कार्यक्रमों के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना था। ग्रामीण महिलाओं के समक्ष कौन–कौन सी समस्यायें हैं, उनके जीवन से सम्बन्धित सूचनाओं को विभिन्न विभागों में बांटकर एकत्र किया गया, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **जनांकीय** – उम्र, परिवार के सदस्य, शिक्षा का स्तर, वैवाहिक स्तर आदि से सम्बन्धित सूचनायें।
2. **सामाजिक** – जाति, छुआ छूत, अन्य गांवों में उनके सम्बन्ध तथा गांव के अन्य जातियों से सम्बन्ध आदि।
3. **अधो संरचना**– गांव में प्राप्त जल, ईधन, शोच तथा स्वास्थ्य, सड़कें, बस सेवा, विद्युत, टेलीफोन सुविधायें, रास्ते गल्ले की दुकानें, आटा मिलें, स्कूल तथा गृह निर्माण आदि।

4. **आर्थिक** – आय के स्रोत, आर्थिक क्रियायें तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्य, कार्य प्राप्त करने के तरीके, आय सृजन, कार्य के घण्टे, बाजार, कच्चे माल, आवश्यक यंत्र तथा औजार प्रवास तथा व्यवसाय से सम्बन्धित समस्यायें आदि।
5. **सेवायें** – शिशुपालन, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, कुशलता और आवश्यक संगठन आदि।

इन विभिन्न प्रकार की सूयचाओं के आधार पर ग्रामीण महिलाओं के विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। इसके पश्चात उनकी समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा स्पष्ट समाधानों के आधार पर कुछ और भी उपयोगी सुझाव दिये गये हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सकें।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा अपने जीविकापार्जन के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियायें की जाती हैं। इन महिलाओं द्वारा दो रूपों में आर्थिक क्रियायें सम्पन्न की जा रही हैं। पहले रूप के अन्तर्गत महिलायें अपने मजदूरी के आधार पर अपने भौतिक श्रम द्वारा व्यक्तिगत रूप में या परिवार के एक इकाई के रूप में अपनी जीविकापार्जन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ महिलायें अपने पेशे में अपने संसाधनों का विनियोजन करके स्वयं द्वारा श्रम करके या परिवार के सदस्यों की सहायता से श्रम करके उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिन्हें स्वरोजगार में लगी महिला वर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है। स्वरोजगार में लगी कुछ महिलाओं का केश अध्ययन भी किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन के बारे में उनके व्यक्तिगत अनुभव को स्पष्ट किया गया है।

वर्तमान अध्ययन का महत्व – वर्तमान अध्ययन के महत्व के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा जीविकोर्पाजन के लिए किये गये कार्यों विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं की एक बड़ी संख्या लगी हुयी है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब ग्रामीण रोजगार में लगी तथा स्वरोजगार में लगी महिलायें किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही है ? तथा इनके द्वारा किये जाने वाले कार्य व व्यवसाय के आधार पर उनके सामाजिक महत्व को स्पष्ट करना वर्तमान अध्ययन के विषय का एक बड़ा हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्राकृतिक संसाधन और अधो संरचना की सुविधाओं का ग्रामीण महिलाओं के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा गरीब महिलाओं के सामाजिक वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना वर्तमान अध्ययन का दूसरा महत्व है। विभिन्न व्यवसायों और आर्थिक क्रिया कलापों में लगी ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की जानकारी देने तथा उनके सम्भावित उपायों को स्पष्ट करना अध्ययन के तीसरे महत्व को स्पष्ट करता है।

अध्याय– 3

भौगोलिक क्षेत्रफल

भौगोलिक क्षेत्रफल

स्कूल व्यवस्था को एक आशा भरी एवं ऊँचे विचारों से देखा जाता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई समाप्त करके रोजगार प्राप्त करने की आशा से इसे देखता है। स्कूल में न तो विद्यार्थियों और न ही प्राध्यापकों दोनों द्वारा नियमित रूप से आते हैं, कभी कभी यह नहीं खुला होता है पर प्राध्यापकों को वेतन प्राप्त होता रहता है। गांवों में साक्षरता की आवश्यकता है पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा नव युवकों को किसी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं होती हैं। इसके द्वारा न तो वह उपयुक्त आय अर्जित कर पाता है और न ही कार्य अवसरों के योग्य ही बन पाता है। अतः साक्षरता की आवश्यकता के बावजूद स्कूल प्रणाली के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत अधिक नहीं है। गरीबों के लिए प्रत्येक बच्चा दो हाथ लेकर जन्म लेता है, जिससे वह परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्कूल भेजने का विकल्प उन्हीं परिवारों के लिए खुला होता है जो उस बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि वे अपने माता–पिता के साथ आते जाते हैं। शेष बच्चों में लड़कियों को उपनिच्छा से स्कूल भेजा जाता है। यद्यपि प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क है पर बच्चों को स्कूल भेजने का अर्थ अभिभावकों पर अतिरिक्त कार्य के बोझ का बढ़ना माना जाता है। यदि परिवार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि सभी बच्चों को स्कूल भेज सके तो वे लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता है।

परिवार में सबसे बड़ी लड़की पर घर देखने तथा छोटे बच्चों की देखरेख तथा ईंधन और पशुओं को चारे आदि का प्रबंध करने का दायित्व सौंपा जाता है, जब भी मजदूरी आधारित रोजगार में कार्य करने जाती है। यह

परिवार में बिना भुगतान या मुफ्त में प्राप्त होने वाला श्रम होता है ओर इन मदों पर परिवार का होने वाले व्यय की बचत होती है। लड़कियों को स्कूल भेजने का अर्थ परिवार को उनकी सेवाओं के न प्राप्त होने की हानि के अतिरिक्त उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर परिवार का अतिरिक्त व्यय तथा उनकी शिक्षा पर किये ज़ाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। ऐसे गांवों में जहां केवल प्राथमिक स्तर के शिक्षा की व्यवस्था है उनमें लड़कियों को माध्यमिक व होई स्कूल स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है उनमें लड़कियों को माध्यमिक व हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए दूसरे गांवों में जाना होता है। यदि हाई स्कूल स्तर की शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी दूरी पर नहीं होती, बल्कि अधिक दूर पर होती है तो इसके लिए स्कूल जाने के लिए बस के किराये पर भी व्यय करना होता है। इसके अतिरिक्त लड़कियों के बस में अकेले आने–जाने से सुरक्षा की समस्या भी उत्पन्न होती है। लड़कियों के सुरक्षा के अतिरिक्त एक निश्चित उम्र के पश्चात उन्हें और अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। साथ ही अभी भी परिवारों में ऐसी धारणा बनी है कि शादी के बाद लड़कियां दूसरे घर में चली जाती हैं। अतः इनकी शिक्षा पर व्यय करना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि उनकी शिक्षा का लाभ अन्य परिवार को होता है।

झांसी जनपद की कुल ग्रामीण महिला जनसंख्या सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 325.3 हजार थी, जिसमें से 19.6 प्रतिशत साक्षर थी। जनपद में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 33.7 प्रतिशत और कुल जनसंख्या के साक्षरता का प्रतिशत 51.6 रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के साक्षरता का प्रतिशत 41.1 तथा नगरीय क्षेत्र का 67.4 प्रतिशत रहा है। अशिक्षा के कारण महिलाओं को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। वे बहुत सी प्राप्त होने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं, उनका शोषण होता है, उनमें

परिवर्तन नहीं हो पाता हैं किसी कार्य मे वे वे बहुत से कर्मचारियों और अधिकारियों से विश्वास के साथ बात नहीं कर पाती हैं। स्कूल व्यवस्था से साक्षरता की कुशलता अर्जित करना महिलाओं के लिए कठिन है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी कठिन है। जब यदि यही लड़कियां युवती बन जाती हैं तो उन्हें परिश्रमी, कम कुशलता वाले कार्य और घरेलू कार्यों तथा बच्चों के पालन पोषण का कार्य दिया जाता है, जिनमें अधिक कुशलता और शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। युवतियों की तुलना में प्रौढ़ महिलाओं को नई कुशलता सिखाना कठिन होता है और उन्हें विकास के कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें समझाना और उनमें विश्वास जागृत करना। वर्तमान में प्रौढ़ महिला जनसंख्या को छोड़ दिया गया है, जब वे युवतियां भी उन्हें शिक्षा नहीं दी गयी और वे अपने लिए उत्तम स्थिति की मांग करने में समर्थ नहीं है। वर्तमान की नव युवतियां भविष्य की प्रौढ़ महिलायें हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 40 प्रतिशत जनसंख्या 15 वर्ष के उम्र से कम की हैं। महिलाओं के विकास की आशा केवल नई उम्र की लड़कियों को शिक्षित करके ही की जा सकती है।

आवास : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार अपने निजी घरों में रहते हैं, चाहे यह झोपड़ी हों, आधा पक्का और कच्चा या पक्का घर क्यों न हों। बहुत कम लोग किराये के मकान में रहते हैं। गरीब महिलाओं की झोपड़ियां बहुत छोटी होती हैं, यहां तक कि उनके पूरे घरेलू सामान भी उनमें नहीं आ पाते हैं। परिवार अधिकतर समय में झोपड़ी के बाहर ही रहता है। कभी–कभी खाना भी बाहर बनाया जाता है, बच्चे झोपड़ियों के बाहर ही खेलते हैं और झोपड़ियों के बाहर ही सोते हैं। घरेलू आर्थिक क्रियायें भी झोपड़ियों के बाहर ही की जाती है। स्थान की कमी गरीबों की एक वास्तविक समस्या होती है। झोपड़ी के अन्दर की जगह कुछ बरतनों, कपड़ों, चटाइयों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को

सुरक्षित रखने के लिए भी पर्याप्त होती है। बरसात के दिनों में कहीं भी स्थान ढूंढना पड़ता है। झोपड़ी के छोटी होने के कारण वास्तव में रहने की जगह नहीं होती है। जब लड़का बड़ा हो जाता है और उसका खुद का परिवार हो जाता है तो आवास की समस्या और भी विकराल हो जाती है। उन्हें जब दूसरा घर नहीं मिलता तो वे परिवार के सदस्यों के लिए किराये का मकान लेता है।

आवास की समस्या केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए होती है। गांव में घर का होना एक विश्वास को जन्म देता है तथा गरीब परिवारों के लिए यह एक सम्पत्ति होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के नाम नहीं होती है।

सरकार की ओर से गरीब व्यक्तियों के लिए, जिनके पास मकान नहीं है, भूमि देने की योजना है, जिस पर वे मकान बना सकते हैं, इसके लिए ऋण तथा अनुदान का प्रबंध किया जाता है। परिवारों को आवास के लिए भूमि की प्राप्ति तथा उसके आवश्यक धनराशि की प्राप्ति गांव में सरपंचों द्वारा की जाती है। बहुत से गांवों में गरीब परिवारों द्वारा मकान के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भूमि की प्राप्ति सरपंचों द्वारा की जाती है। बहुत से गांवों में गरीब परिवारों द्वारा मकान के लिए भूमि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भूमि की प्राप्ति सरपंच द्वारा ही निश्चय किया जाता है, इसके अतिरिक्त ऋण के रूप में स्वीकृत रकम भी सीमित हुआ करती है। जिन परिवारों को इसकी आवश्यकता होती है उन्हें भूमि नहीं मिल पाती है। साथ ही ऋण की रकम लागत से कम हुआ करती है और परिवारों के पास पैसा न होने के कारण मकान का निर्माण बीच में ही रोकना पड़ता है। सरकार द्वारा मिलने वाले

भूखण्डों के सम्बनध में एक सामान्य शिकायत यह रही है कि इसके अन्तर्गत मिलने वाले भूखण्ड गांव के बाहर हुआ करते हैं। इन भूखण्डों पर रहने वाले परिवार गांव के अन्य लोगों से अलग हो जाते हैं और उन्हें जल इत्यादि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। साथ ही सुरक्षा की भी समस्या होती है। इन कठिनाइयों का सामना महिलाओं को करना होता है।

जहां तक जनपद में आवासीय मकानों की प्राप्ति का प्रश्न है। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 227.7 हजार आवासीय मकान थे और परिवारों की संख्या 236. हजार परिवार थे। ग्रामीण क्षेत्र में 141.5 हजार मकान व 144.5 हजार परिवार थे, जिनमें 397.1 हजार जनसंख्या आवास करती थी। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या–1 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–1

झांसी जनपद में आवासीय मकान तथा परिवार (2001)

क्रमांक	विकास खण्ड	आवासीय मकानों की सं0 (हजार में)	परिवारों की संख्या हजार में
1.	मोंठ	18.5	18.9
2.	चिरगांव	17.2	17.6
3.	बामौर	16.5	16.8
4.	गुरसरांय	16.8	17.3
5.	बंगरा	18.2	18.3
6.	मऊरानीपुर	19.5	19.7
7.	बबीना	18.3	18.9
8.	बड़ागांव	16.3	16.9
	योग विकास खण्ड	141.4	144.4
योग	ग्रामीण	141.4	144.4
	नगरीय	86.2	92.1
	जनपद	**227.7**	**236.6**

सारणी संख्या–1 से यह स्पष्ट है कि आवासीय मकानों की संख्या की तुलना में परिवारों की संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में अधिक है और 10.2 प्रतिशत परिवारों के पास आवासीय मकान ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रो मे बालविकास एवं ग्रामीण महिला की स्थिति

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद के ग्रामीाण गरीब महिलाओं के विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सर्वेक्षण हैं। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक दशाओं पर सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों को पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं के आर्थिक जीवन में सुधार के लिए ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम, जिसे ड्वाकरा कहा ज़ाता है, लागू किया गया, जिसमें उन्हें व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा आवश्यक कच्चे माल, यंत्र व औजार तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने का कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं से सम्बन्धित व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने की आशा ही गयी थी, जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक जीवन में सुधार हो सके।

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलायें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में लगी हुयी हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि ग्रामीण महिलायें दो रूपों में रोजगार में लगी हुयी हैं। कुछ महिलायें दूसरों के घर पर मजूदरी के आधार पर कार्यरत हैं तथा कुछ महिलायें अपनी पूंजी लगाकर अपने परिवार की सहायता से स्व–रोजगार में लगी हुयी हैं।

सारणी संख्या–54

विभिन्न विकास खण्डों के आधार पर व्यवसाय के अनुसार महिलाओं का विभाजन

क्रं सं.	व्यवसाय	मऊरानीपुर	चिरगांव	बबीना	बंगरा	कुल
1	कृषि श्रमिक	61	32	17	19	129
2	निर्माण कार्य	17	8	10	4	39
3	मिट्टी खोदना	11	9	10	4	34
4	ईंटे बनाना	22	2	6	5	35
5	बांस का कार्य	8	6	5	5	24
6	चमड़े का कार्य	11	9	8	3	31
7	मिट्टी के बर्तन बनाना	9	14	5	9	37
8	बुनाई	11	5	9	3	28
9	मुर्गी पालन	7	5	8	2	22
10	डेरी का कार्य	10	4	7	10	31
11	सिलाई	6	7	6	2	21
12	नरकट का कार्य	7	3	5	4	19
13	किराना स्टोर	3	4	7	5	19
14	सब्जी उगाने का कार्य	7	9	3	2	21
15	दरी कम्बल बनाना	7	—	—	3	10
	कुल योग	**197**	**117**	**106**	**80**	**500**

वर्तमान अध्ययन 500 महिला परिवारों से सम्बन्धित है। इन महिला परिवारों का चुनाव कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के गांवों का पता लगाकर उनका पता लगाकर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विकास खण्ड की महिलाओं को उनके द्वारा

किये जाने वाले व्यवसायों के आधार पर विभाजित करने पर उनका वितरण विकास खण्ड से प्राप्त वर्गीकृत आंकड़ों से अलग–अलग प्राप्त हुआ है। व्यवसाय के आधार पर सर्वेक्षण की गयी महिलाओं के वर्गीकरण को सारणी संख्या–54 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 2 को सर्वेक्षण में महिलाओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर बनाया गया है। यद्यपि इस बात की जानकारी विकास खण्ड कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दी गयी थी कि महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए दिया गया प्रशिक्षण मात्र प्रशिक्षण ही रहा है। वे अपना व्यवसाय जो पहले से कर रही थी, वही कर रही हैं और कुछ महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय को प्रारम्भ किया और कुछ दिनों के पश्चात छोड़ दिया।

सारणी संख्या–54 से यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण की गयी महिलाओं के द्वारा 15 व्यवसाय किये जा रहे हैं। जनपद के विभिन्न विकास खण्डों से मऊरानीपुर विकास खण्ड से कुल 197, चिरगांव से 117, बबीना से 106 और बंगरा से 86 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस प्रकार कुल 500 महिलाओं का सर्वेक्षण किाय गया जो विभिन्न व्यवसायों में लगी हुयी थी।

लाभाथियों का चयन

सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटा जा सकता है–

1. मजदूरी आधार पर रोजगार में लगी महिलायें
2. स्वरोजगार में लगी महिलायें।

रोजगार के इन रूपों के निर्धारण में कई सामाजिक तथ्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। महिलाओं द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय मुख्यतया उनके जाति, वर्ग का प्रमुख स्थान है। महिलाओं में उनके क्या कार्य हैं और क्या नहीं हैं? इस बात की पूर्णतया विकसित भावना पायी गयी और इस बात का निर्धारण उनके जाति के आधार पर ही होता है। अतः वे अपने कार्यों को अपनी जाति के आधार पर ही निश्चित करती हैं। विभिन्न प्रकार के बाजों से सम्बन्धित कार्यभागियों द्वारा ही किये जोते हैं चमड़े का कार्य केवल चमारों द्वारा, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के कार्य कुम्हारों द्वारा सब्जी उगाने का कार्य काछी और कुर्मियों द्वारा किये जाते हैं। यद्यपि उनके द्वारा किये जाने वाले परम्परागत कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के अवसर प्राप्त होने पर भी केवल अपने परम्परागत कार्यों को करने पर ही जोर दिया जाता है। परम्परागत कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने में अनिश्चितायें अधिक होती हैं और नये कार्यों से सम्बन्धित अप्रत्याशित हानि बहुत अधिक होती है और इन हानियों को सहन करने का क्षमता उनमें नहीं होती या बहुत अधिक कम होती है। इसलिए नये धंधों में नये विनियोग नहीं किये जाते हैं होती या बहुत सीमित मात्रा में किये जाते हैं। जाति पर आधारित व्यवसायों में ऐसे जोखिमों को टालना सरल होता है। यह भी सर्वेक्षण में पाया गया कि कोई व्यवसाय अन्य जाति के लोगों द्वारा परम्परागत आधार पर किये जा रहे हैं, यदि उस व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण किसी संस्था द्वारा दिया जा रहा है, जिससे उनकी कुशलता में वृद्धि हो सके तो उसे तो उसे वे प्राप्त करने में अपनी इच्छा व्यक्त की और प्रशिक्षण प्राप्त भी किया हैं ऐसा करने में व्यवसाय में विनियोग का जोखिम कम हो जाता है। प्रशिक्षण में उन्हें एक निश्चित मात्रा का वेतन या वृद्धि प्राप्त होती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके कुशलता वृद्धि में सहायक होता है। ऐसा करने में उन्हें अन्य लोगों का सहयोग भी प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य लोग भी जाति पर आधारित व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने के लिए

प्रोत्साहित होते हैं। उन्हें एक समूह भी शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा उस अपनाये गये व्यवसाय को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और गांव में उनकी सामाजिक स्थिति बनाये रहने में सहायता प्राप्त होती है, जिसे ग्रामीण समाज स्वीकार कर लेता है।

गरीब व्यक्तियों के बच्चों को भी अपनी जाति के कारण हानि उठानी होती है। यदि उनमें कुछ कार्य सीखने की इच्छा होती है तो वे अपने माता–पिता के ही व्यवसाय को सीखने के लिए बाध्य होते हैं। यदि वे अपने परिवार के व्यवसाय को न सीखें तो वे बिना व्यवसाय में कुशलता प्राप्त किए हुए ही बड़े हो जाते हैं। बहुत कम मात्रा मे ऐसे युवक होते हैं, जिनमें अन्य व्यवसाय करने की योग्यता विकसित हो पाती है। ऐसी स्थिति में केवल शरीरिक श्रम से सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य या व्यवसाय करके प्राप्त करने के अवसर बहुत कम हुआ करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीब परिवार के बच्चे अनिश्चितता, अयोग्यता और अपर्याप्ता की भावना लेकर विकसित होते हैं। उनकी गरीबी सामाजिक स्थिति को और भी भयावह बना देती हैं। स्कूलों में गरीबों के बच्चों के साथ भेद–भाव किया जाता है और युवकों में एक उपयुक्त जीविकापार्जन करने के तरीकों का अीाव होता है और वे अकुशल श्रमिक ही बने रह जाते हैं।

गरीबों में एक दुर्भाग्य की भावना भी विद्यमान होती है। हम लोग अमुक कार्य करने के लिए जन्म लिये हैं। हम लोगों ने पूर्व जन्म में ऐसे कुछ पाप किए हैं जिनका प्रायश्यित वर्तमान में कर रहे हैं और उसका फल भोग रहे हैं। यही हमारा भाग्य है। हम लोग गरीब पैदा हुए हैं और गरीब ही मरेंगे। हम लोगों की कौन सुनेगा। यह अनुभव अधिकांश महिलाओं के रहे हैं, जो उनके असहाय और योग्यता की स्थिति में स्पष्ट करता है कि वे अेकेले कुछ अधिक

नहीं कर सकते। वे इस बात को नहीं जानते कि अपनी स्थिति में कैसे सुधार करें। इसका अर्थ यह नहीं है क वे अपनी स्थिति में सुधार करना नहीं चाहते हैं। जहां कहीं भी उन्हें कुछ आशा की किरण दिखायी पड़ती है उसके प्रति वे आकर्षित हो जाते हैं। सर्वेक्षण में महिलाओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि आप के तरह यहां कई लोग आते हैं और लिखकर ले जाते हैं, आप हम लोगों के लिए कुछ करें। हम लोगों के लिए गांव में कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। आप हम लोगों के गांव से बाहर जाने पर हम लोगों को भूल न जावें। इस प्रकार के वक्तव्य उनके जीवन में विकास की आशा को स्पष्ट करती है, जिसके सहारे वे जीवित हैं पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी हैं, क्योंकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत से लोग गांव में आते रहते हैं और हम लोगों की बातों को लिखकर ले जाते हैं पर उसके बाद कुछ नहीं होता है। हम लोग यही बताते बुढ़िया हो गये हैं पर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह उनके वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है।

सर्वेक्षण में पाया गया कि जीवित रहने के लिए उनके विचार जो मिलना है, शीघ्र मिले या प्राप्त हो, व्यवहारी वादी हो गये हैं। उनके लिए वर्तमान और केवल आज ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य के कल में हम लोग जीवित रहेगें कि नहीं कल किसने देखा है, यह उनके विचार रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर गये, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर दें, अन्यथा वे भी हम लोगों की तरह अभाव की स्थिति में जीवन काटेगें। वे अपने परिवार चलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति ऐसा हो गया है कि वे सभी स्थिति को सहने करने को तैयार हैं। इसे कारण उनमें अधिक गतिशीलता आ गयी है वे किसी भी समय और कभी भी तथा कहीं भी कार्य करने को तैयार रहती हैं। इन महिलाओं के परिवार तथा उनके गृहस्थी के लोग भी बहुत अधिक गतिशील जीवन के लिए

तैयार हैं। जहां कहीं भी उन्हें आय प्राप्त हो वे वहां जाकर रह भी सकती हैं। उनका अपनी सम्पत्ति के प्रति अधिक मोह नहीं रह गया हैं, जिससे मैं आय प्राप्त करने में अपने को असमर्थ पाती थी। वे अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए कही भी निवास करने को तैयार है और अपने दिन काट सकती हैं। वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती है, अतः वे पूर्णतया गतिशील की स्थिति में बनी रहती है।

एसी महिलायें जिन्होंने अपनी पूंजी का विनियोजन करके स्वरोजगार में लगी है, उनके अन्दर गतिशीलता का अभाव पाया गया, वे अपना स्थान एक गांव में बना चुकी है और केवल मैं अपने बने माल की बिक्री या कच्चे माल की ख़रीददारी के लिए ही इधर उधर जाती है। उनकी गतिशीलता थोड़े समय की तथा थोड़ी दूर की होती है और वे अपने घर को आसानी से नहीं छोड़ सकती है। केवल वे ही महिलायें कहीं भी जाने को तैयार थी जो अपना श्रम बेंचकर जीविका अर्जित करती हैं। इस प्रकार की गतिशीलता के कारण उनके अन्तर्गत आकस्मिकता की भावना आ गयी है। वे किसी से खुद भी नहीं जानती कि किसी समय क्या हो सकता है? वे किसी समय मे कहां होगी, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अतः उनका किसी के यहां काम करने का वादा उन्हें विवश करने वाला नहीं होता है। उनका स्थानीय होना प्रमुख होता है।

ग्रामीण गरीब, रोगार तथा स्वरोजगार में लगी महिलायें गांव की निम्न जाति वर्ग की महिलायें होती हैं। जाति व्यवस्था से इन महिलाओं के समक्ष बहुत सी समस्यायें उत्पन्न होती है। वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के गरीबी शोषण व असहाय बने रहने का एक प्रमुख कारण उन निम्न जाति में जम्न लेना है। इसलिए वे उत्तम स्थिति के योग्य ही नहीं है और न ही वे अपनी

आर्थिक स्थिति को सुधारने की योग्यता ही रह जाती है। जाति व्यवस्था कई रूपों में ग्रामीण रोजगार तथा स्वरोजगार में लगी महिलाओं के आर्थिक–सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है जिन पर विचार करना आवश्यक होता है।

झांसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में छुआछूत की समस्या अभी भी बनी हुयी है, जिससे सबसे अधिक हानि हरिजनों को होती है। इनके आवास गांव के एक कोने में अलग होते हैं, जिन्हें हरिजन बस्तियां कहा जाता है तथा वे गांव के प्रमुख बस्ती और आर्थिक क्रियाओं से अलग हुआ करती हैं। इन्हें गांव के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है और वे तालाब में कपड़े नहीं धो सकते हैं। नाऊ जाति के लोग उनके घर पर नहीं जाते हैं और लोग उनके घरों का दूध या घी नहीं खरीदा करते हैं। उन्हें इन सेवाओं को बेचने व खरीदने के लिए अपना स्वयं प्रबंध करना होता है, जिन गांव में छुआ–छूत का विचार अधिक विद्यमान है, उन गांवों में हरिजनों में विद्रोह व विरोध की भावना तीव्र पायी गयी है। उच्च जाति के लोगों के प्रति विनम्रता का भाव पाया गया और उच्च जाति व निम्न जाति के बीच किसी भी प्रकार के सहयोग की भावना नहीं पायी गयी। आपस में इनके घरों में आना जाना भी नहीं है और न ही उच्च जाति व निम्न जाति के बीच किसी भी प्रकार के सहयोग की भावना नहीं पायी गयी। आपस में इनके घरों में आना जाना भी नहीं है और न ही उच्च जाति के लोग उनके घरों में चाय या पानी पीने को तैयार नहीं हैं और भोजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सर्वेक्षण के लिए जब हरिजनों के घर जाने पर इनकी महिलाओं ने बड़ी उत्सुकता से इस बात की जानकारी करना चाहा कि उच्च जाति की महिलाओं से क्या बात की गयी और उन लोगों ने क्या जवाब दया है। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया पिछड़ी जाति की महिलाओं में पायी गयी। हरिजन परिवारों में पानी या चाय पीने की बात बड़ी

तेजी से गांव के अन्य जाति के महिलाओं तक पहुंच गयी थी। एक मुसलमान जाति की महिला द्वारा यह भी कहा गया कि आपने जमादार व चार जाति के लोग के यहां चाय पी हैं आपको गांव में कोई पानी का गिलास नहीं देगा। इन सबके होते हुए भी ऐसे भी गांव पाये गये जहां हरिजन जाति के लोग अपने को उच्च जाति के लोगों से अपने को अलग होना नहीं स्पष्ट किया गया। यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उच्च जाति के लोग उन लोगों से खुलकर व्यवहार नहीं करते हैं, पर छुआछूत की भावना खुली न होकर छिपी हुयी है। ऐसा अनुभव किया गया कि जिन गांवों में गरीबी अधिक ही है, उनमें जाति प्रथा थी उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं है और जिन गांवों में कुछ लोग सम्पन्न और कुछ गरीब रहे हैं उनमें जाति प्रथा अभी भी सामाजिक सम्बन्धों को निर्धारित करती हैं और ऊँच–नीच का भेद विद्यमान है।

हरिजनों के अति अन्य जाति की महिलायें, जिन्हें पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है, वे अपने बीच भी भेदभाव का अनुभव करती हैं, क्योंकि वे यद्यपि अछूत नहीं हैं फिर भी पिछड़ी जाति की हैं। पिछड़ी जाति के अन्तर्गत कुशवाहा कुम्हार, केवट जाति की महिलायें सर्वेक्षण में पायी गयी। यद्यपि वे अछूत वर्ग की नहीं हैं, फिर भी उनके साथ बिना भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया जाता है। इन महिलाओं के अन्दर भी उच्च जाति वर्ग के लोगों से सहायता प्राप्त करने एवं समानता की भावना का अभाव पाया गया। यद्यपि पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उच्च जाति के लोगों के सम्मान व शक्ति को कम करने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, फिर भी वे सब स्थितियों पर अपनी निगाह रखते हैं वे इस बात को जानती हैं कि उनके परिवार के प्रति अन्याय किया जाता है, उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जाता है पर वे इस स्थिति को सहन करने के लिए मजबूर हैं। उदाहरण के लिए एक गांव के कुछ जबरदस्त लोग उसे अपने कब्जे में लेकर खेती करने

लगे। इससे गरीब लोगों को अपनी बकरियां चराने में कठिनाई होने लगी पर गांव के अन्य लोग उस भूमि को कृषि से कार्य से मुक्त नहीं करा सके और न ही कोई कार्यवाही ही की गयी, क्योंकि यह एक विदित तथ्य है कि चारागाह की भूमि सभी गांव वालों की होती है। भूमि पर कब्जा करने वालों ने गलत कार्य किया है, इस बात को सभी को बताया जाता है पर कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरे गांव में ढीमर जाति के लोगों की जमीन पर गांव के कुछ लोंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यद्यपि रेकार्ड पर ढीमर जाति के लोगों का नाम चढ़ा है और उन लोगों ने उस भूमि पर काई वर्षो से कृषि कार्य रहे थे, फिर भी वे लोग गांव के शक्तिशाली लोगों को जमीन पर कब्जा करने से नहीं रोक सके और उन लोगों ने इस जमीन को गांव सभा की जमीन घोषित करा दी।

मऊरानी विकास खण्ड के कुछ गांवों में पीने के जील की व्यवस्था पाइप लाइन के माध्यम से की गयी है और गांव के सभी वासियों में पाइप के द्वारा जल पहुंचाने की व्यवथा की गयी है, इसके लिए हरिजनों व भंगियों को कर चुकाना होता है। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया गाय कि हरिजन बस्तियों तक जल की आपूर्ति एक या दो वर्षो के पश्चात काट दी जाती है। पाइप लाइन पर बस्तियों के पहले और अधिक टोटियां लगाकर जल के प्रवाह को हरिजन एवं मलिन बस्तियों तक पहुंचने से पहले रोक लिया जाता है और इन पाइपों को बिना टोटी का बना दिय जाता है, जिससे पानी बहता रहता है और मलिन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, पर उन्हें कर चुकाने के लिए जोर दिया जाता है।

कुछ गांवों में अभी भी निम्न जाति के लोगों को कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए मजदूर किया जाता है। भूमि पतियों द्वारा उन्हें मारा पीटा

भी जाता है और गांव से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया जाता है। गरीब परिवार के लोग इसे जानते हैं कि यह गलत है पर वे इसे सहन करते हैं, क्योंकि वे अपने को असहाय स्थिति में पाते हैं।

विभिन्न जातियों क बीच सम्बन्ध कभी–कभी बहुत खराब पाये गये भले ही उनमें छुआछूत की भावना नहीं पायी गयी। कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दर, निम्न जाति वर्ग को प्राप्त सुविधायें, विभिन्न विकास योजनाओं में उन्हें प्राप्त सहायता उनके लिए कच्चे माल की प्राप्ति कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके कारण आपस के सम्बन्ध तनावपूर्ण बने हैं। ऊँची जाति के लोग सामान्यतया इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि सरकार निम्न जाति के लोगों को बहुत अध्कि सहायता प्रदान कर रही है और उन्हें आवश्यकता से अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है और वे लोग खूब खा पीकर शक्तिशाली हो गये हैं। उच्च जाति के लोगों का यह विचार है कि इन्हं अब कोई विशेष सहायता नहीं दी जानी चाहिए। उच्च जाति के लोगों में इस भावना के कारण उनका निम्न जाति के लोगों के प्रति उनका व्यवहार शोषण करने के नियत का होता है और वे इस बात का प्रयास करते हैं कि निम्न जाति के लोगों को प्राप्त होने वाला लाभ न्यूनतम हो सके, जिससे सरकारी योजनाओं के कारण ऊँची जाति व निम्न जातियों के बीच अन्तर कम न हो सके। यह बात निम्न जाति वर्ग के लोगों को ज्ञात है।

ग्रामीण वातावरण में विभिन्न जातियों के बीच के सम्बन्ध गांव के मुखिया, सरपंच, ग्राम प्रधान आदि के व्यवहार व दृष्टिकोण पर निर्भर हैं। यदि ग्राम प्रधान सबको समान रूप से मदद करना चाहता है तो गावं मे तनाव का वातावरण कम होत है। इन गांवों में गरीब से व निम्न जाति के लोगों में एक दूसरे के सहयोग की भावना पायी गयी। इनके अन्तर्गत एक सुरक्षा की भावना

पायी गयी तथा उनके अन्दर यह विश्वास पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा उनके बुरे समय में सहायता की जायेगी। ऐसे गांवों में जहां ग्राम प्रधान का दृष्टिकोण इन लोगों को सहायता न होने का रहा है, उन गांवो में तनाव पाया गया। कुछ गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा निम्न जाति के लोगों को विकास योजनाओं की सहायता कम से कम देने या न देने का प्रयास रहा है, उन गांवों में उच्च जाति व निम्न जाति के लोगों के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं।

आवास सुविधायें, ऋण प्राप्ति की सुविधा, अनुदान, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, भूमिहीनों, को भूमि प्रदान करने, सड़क निर्माण, शिशु कल्याण कार्यक्रम, विद्युत कनेक्सन पंचायत घर का उपयोग और गांव सभा की भूमि के उपयोग आदि कार्यक्रमों के अधिकारी गांव में आते हैं तो पहले वे ग्राम प्रधानों से ही मिलते हैं। गरीब परिवार` लोग अवसर दिन में घर पर नहीं होते हैं। इसलिए इन अधिकारियों से प्रत्यक्ष मिलने के अवसर कम मिल पाते हैं। वे इन योजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी या तो अन्य लोग जो इसका लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं या अन्य गांव के लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अधिकारियों से इन कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क हो पाता है और इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है।

आवश्यकता पड़ने पन इन परिवारों को ग्राम प्रधानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिनसे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त होती है तथा सहायता प्राप्त करने के तरीके आदि भी इन्हीं से ज्ञात होते हैं। बहुत से गांवों में गरीब व पात्र व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों की जानकारी होती है और वे इसके सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर भी उन्हें देख टाल दिया जाता है। कभी–कभी प्रधानों और उनके व्यक्तियों द्वारा इन

परिवारों की सहायता के लिए उनके लिए फार्म भी भर दिये जाते हैं और फार्म भरवाकर अपने पास रख लिये जाते हैं। कभी–कभी प्रधानों द्वारा इन परिवारों के लोगों को स्वयं जाकर जानकारी प्राप्त करने का कहा जाता है तब उनकी मदद करने का वादा किया जाता है। कभी–कभी उन्हें सहायता प्राप्त करने के लिए कई बार ग्राम प्रधानों व सरपंचों को याद दिलाने आना होता हैं यह स्थिति उन गांवों में पायी गयी जहां पर विभिन्न जातियों के बीच के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे हैं और ग्राम प्रधानों द्वारा गरीबों की मदद नहीं की जाती है पर ऐसे गांव भी पाये गये जहां ग्राम प्रधानों का दृष्टिकोण गरीबों की मदद करने का रहा है और वह स्वयं इन परिवारों को मदद करने का कार्य किाय जाता है, इन गांवों में जातियों के सम्बन्ध तनावपूर्ण नहीं रहे हैं।

बाल मजदूरी/महिला स्थिति

सर्वेक्षण में बाल मजदूरी /महिलाओं द्वारा जो व्यवसाय किये जो रहे हैं उन्हें 15 वर्गों में पाया गया। ग्रामीण महिलायें निम्न व्यवसायों में लगी हुयी हैं। इन महिला परिवारों की आर्थिक सामाजिक दशाओं को स्पष्ट करने के पहले उनके द्वारा किये जाने वलो व्यवसायों के बारे में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है।

कृषि श्रमिक

ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रमिक के रूप में कार्य करना एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। अध्ययन में 500 ग्रामीण महिलाओं में से कुल 129 ग्रामीण महिला परिवारों द्वारा कृषि श्रमिक के रूप में कार्य किया जाता है। यद्यपि विभिन्न विकास खण्ड की इन महिलाओं को अत्म निर्भर बनाने के लिए ट्राइसेम योजना की भांति प्रशिक्षण तथा किट्स आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था ाी की गयी थी, पर इन महिलाओं द्वारा

विभिन्न कारणों और कठिनाइयों के कारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय को न अपनाकर अपने पुराने व्यवसाय परम्परागत व्यवसाय ही अपना रखा है और वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी जीविका अर्जित कर रही है। सारणी संख्या 3 पर व्यवसायो मे कार्यरत महिला की स्थिति दर्शयी गयी है।

सारणी संख्या–3

विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत ग्रामीण महिलायें

क्रं सं.	व्यवसाय	मऊरानीपुर संख्या	कुल प्रशिक्षित महिलाओं से प्रतिशत विकास खण्ड							
			चिरगांव		बबीना		बंगरा		कुल	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1.	कृषि श्रमिक	61	30.9	32	27.3	17	16.0	19	129	25.8
2.	निर्माण कार्य	17	8.6	8					39	
3.	मिट्टी खोदना	11	5.6	9					34	
4.	ईंटे बनाना	22	11.2	2					35	
5.	बांस का कार्य	8	4.0	6					24	
6.	चमड़े का कार्य	11	5.6	9					31	
7.	मिट्टी के बर्तन	9	4.1	14					37	
8.	बुनाई	11	5.6	5					28	
9.	मुर्गी पालन	7	4.0	5					22	
10.	डेरी का कार्य	10	5.4	4					31	
11.	सिलाई	6	3.5	7					21	
12.	लकड़ी का कार्य बाजे से सम्बन्धित	7	4.0	3					19	
13.	किराना स्टोर	3	0.5	3					19	
14.	सब्जी उगाना	7	3.5	4					21	
15.	दरी कम्बल बनाना	7	3.5	-					10	
		197	117	117	106		80		500	

सारणी संख्या–3 से स्पष्ट है कि मऊरानीपुर विकास खण्ड में ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 197 ग्रामीण महिलाओं को अत्म निर्भर बनाने व

आय अर्जित करने के साधन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 30.9 प्रतिशत महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में अपनी जीविका अर्जित कर ही हैं। इसी प्रकार चिरगांव विकास खण्ड की 117 ग्रामीण महिलाओं में 32 या 27.3 बबीना विकास खण्ड की 106 महिलाओं में से 32 या विकास खण्ड की कुल प्रशिक्षित महिलाओं का 16 प्रतिशत तथा बंगरा विकास खण्ड की 80 महिलाओं में से 19 या कुल महिलाओं का 25 प्रतिशत भाग कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। झांसी जनपद एक असमतल धरातल का क्षेत्र है, फिर भी सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गाय है। सन् 1995–96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 314 हजार हेक्टेयर था, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र 160 हजार हेक्टेयर था, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 50.9 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार जनपद की कृषि अभी भी अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। अध्ययन में चुने गये विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था में भी कृषि प्रधान है। इन विकास खण्डों के सिंचाई की सुविधाओं के विकास को सारणी संख्या– 4 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–4
अध्ययन के लिए चयनित विकास खण्डों में सिंचित क्षेत्र 1995–96 (हजार हेक्टेयर में)

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्रवार शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1	मऊरानीपुर	42.3	21.6	51.2
2	बंगरा	33.6	17.0	50.4
3	चिरगांव	36.6	23.7	64.9
4	बबीना	24.0	17.0	71.0
	योग जनपद	314.0	160.00	50.9

सारणी संख्या–4 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन से सम्बन्धित विकास खण्डों में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है और सभी विकास खण्डों का शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से गांवों में एक फसल उगायी जाती है, जहां पर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एक से अध्कि फसलें उगायी जाती हैं। सन् 1995–96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का केवल 26.2 प्रतिशत था। अध्ययन के अन्तर्गत चुने गये विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की स्थिति को सारणी संख्या–57 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–5

चयनित विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में 1995–96)

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्रवार शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1	मऊरानीपुर	42.3	4.2	9.9
2	बंगरा	33.6	5.8	17.2
3	चिरगांव	36.6	5.3	14.4
4	बबीना	24.0	9.5	39.5
	योग जनपद	**160.0**	**42.0**	**26.2**

कृषि श्रमिकों को कितने दिनों कृषि क्षेत्र में कार्य मिल पाता है, यह बोयी जाने वाली फसलों की संख्या तथा प्रकार पर निर्भर है। यह कार्य बहुत ही मौसमी होता है और यह अल्पकालीन मात्र केवल 15 से 20 दिनों को होता

है, जिसमें सभी किसानों को एक साथ श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं कृषि में भूमि की जुताई, बुआई, पौध लगाने, सिंचाई, खर पतवार निकालने, उर्वरक और कीट नाशक दवाओं को छिड़कने, फसल की कटाई, पंवाई, ओसाई, सफाई, फसलों को बोरे में भरना एवं बैलगाड़ी पर लदाने के कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में महिलाओं को मुख्यतया निराई, बुआई, पौध लगाने, कटाई, फसलों से भूसा निकालने के कार्य, दवाई, सफाई, फसल को बोरे में भरने और बैलगाड़ी में लदायी के कार्य में लगाया जाता है। इन कार्यों को किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं।

कृषि श्रमिक तीन तरीकों या प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं :–

1. दैनिक मजदूरी के आधार पर
2. टुकड़े या किसी काम विशेष के लिए निर्धारित मजदूरी (पीस रेट्स)
3. वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर

महिलाओं को दैनिक मजूदरी या काम के टुकड़े के आधार पर निर्धारित मजदूरी की दरों के आधार पर काम में लगाया जाता है। जिन किसानों को मजदूरों की आवश्यकता होती है, उन्हें मजदूरों के घर जाकर किसी विशेष दिन उनके खेत पर जाकर काम करने के लिए कहना होता है। श्रमिक किसानों के घर काम करने के लिए कहने के लिए या काम मांगने के लिए श्रमिक नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके मोल भाव करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि किसान उनके घर जाते हैं तो वे मजदूरी के बारे में बात करने में समर्थ होते हैं और उन्हें एक उपयुक्त मजदूरी प्राप्त करने की आशा हो जाती है। जब श्रमिक किसी अन्य गांव या स्थान पर जाते हैं तो उन्हें काम खोजने और करने के लिए कहना और जाना होता है। यह एक निराशाजनक स्थिति होती है। जब किसानों द्वारा उनके पास जाकर काम

करने के लिए कहा जाता है तो वे अपने गांव में कार्य करने के बजाय दूसरे गांवों में जाकर कार्य करना अधिक पसंद करते हैं जब कृषि श्रमिकों (पुरूष और महिलाओ) को दैनिक मजदूरी या कार्य के टुकड़े की मजदूरी पदर पर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष कृषक के साथ बंधे (अटेच्ड) नहीं हैं। वे किसी के यहां कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस स्थिति को श्रमिक पसन्द भी करते हैं। केवल वे श्रमिक जो वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर लगाये जाते हैं वे एक विशेष समय के लिए बंधे होते हैं। इसके पश्चात में पुनः ठेका के लिए सौदा कर सकते हैं। यदि श्रकमक किसी किसान से ऋण लिए होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब तक ऋण की रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक के लिए व उस किसान से बंधे होते हैं। कृषि कार्य के लिए श्रमिक बड़े किसानों या ऐसे किसानों द्वारा लगाये जाते हैं, जो अपने परिवार वालों की सहायता से समय पर कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं।

सरकार द्वारा घोषित 50 से 55 रूपये की सामान्य न्यूनतम मजदूरी की दर के बावजूद विभिन्न विकास खण्डों में या एक ही विकास खण्ड में दी जाने वाली मजदूरी की दरों मे समानता का अभाव है। कृषि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी सम्बन्धित किसान की आर्थिक सम्पन्नता, श्रमिकों की प्राप्ति, किसी विशेष गांव में भू स्वामियों के नियंत्रण शक्ति, बोयी जाने वाली फसल की पुकार तथा आस–पास के गांवों में प्रजलित मजदूरी की दर पर निर्भर है। दैनिक तथा कार्य के टुकड़े पर आधारित मजदूरी नकद, वस्तु रूप में और मिली जुली (आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में) विधि से भुगतान की जाती है। बोआई, पौध रोपाई और निराई के कार्य के लिए मजदूरी नकद रूप में ही दी जाती है, क्योंकि उस समय किसान के पास फसल तैयार नहीं होती है। यदि फसल का पिछला स्टाक उसके पास होता है

तो वह उपरोक्त कार्यों के लिए भुगतान वस्तु के रूप में कर दिया जाता है। फसल के कटाई, मड़ाई दवाई के समय में भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता है, क्योंकि उस समय फसल तैयार होती है। कुछ गांवों में किसानों द्वारा एक सामान्य दर पर मजदूरी देने के लिए सहमति दी जाती है। इस कार्य के लिए कभी–कभी गांव के किसानों द्वारा श्रमिकों की सलाह से मीटिंग कर ली जाती है।

किसी श्रमिक के दैनिक मजदूरी या काग्र के टुकड़े (पीस) मजदूरी के आधार पर लगाया जाता है, यह कार्य की आवश्यकता और श्रमिकां के कार्य को देखने के लिए प्राप्त मानव शक्ति पर निर्भर है। यदि श्रमिकों के कार्य को देखने के लिए परिवार में पर्याप्त लोग होते हैं और वे इस बात का निश्चय करने में समर्थ होते हैं कि एक दिन में श्रमिक द्वारा किया गया कार्य पर्याप्त है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक को दैनिक मजदूरी के आधार पर लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक जितना कार्य एक दिन में कर सकते हैं, उतना ही कार्य करते हैं और श्रमिकों में धीरे–धीरे काम कम करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनके एक दिन का भुगतान पहले से ही निश्चित होता है। यदि श्रमिक द्वारा किये गये श्रम का उत्पादन या काम अधिक होता है तो कृषक को लाभ होता है, क्योंकि इसके लिए उसे अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होता है। दूसरी और श्रमिकों को यह प्रयास होता है कि काम को अधिक से अधिक दिनों में पूरा किया जाय, क्योंकि उन्हें उसी कार्य के लिए अधिक दिनों तक कार्य करने पर अधिक मजदूरी या रकम प्राप्त होती है। इस स्थिति में किसान श्रमिकों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं और वे हमेशा श्रमिकों के साथ खड़े होकर उन्हें कार्य करने के लिए कहते रहते हैं और उन्हें अधिक सुस्त नहीं होने देते हैं।

जब किसानों के पास श्रमिकों के कार्य को देखन के लिए पर्याप्त लोग उसके परिवार में नहीं होते हैं या उन्हें अपने काम को एक निश्चित समय में पूरा करना या कराना होता है, (जैसा कि धान की रोपाई का कार्य), या जब काम अति आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में श्रमिकों को टुकड़े की मजदूरी या पीस दर पर लगाया जाता है। खेत में एक निश्चित क्षेत्र तक या निर्धारित कार्य के लिए एक निश्चित मात्रा की रकम मजदूरी के रूप में देने का सौदा कर लिया जाता है, या मजदूरी का भुगतान बोयी जाने वाली फसल के वजन के एक निश्चित प्रतिशत या अनुपात के रूप में किया जाता है। यह केवल बुआई के समय ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक एक टीम में या समूह में साथ–साथ कार्य करते हैं और उनका प्रयास काम को कम से कम समय में समाप्त करने का रहता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास दूसरा काम करने के लिए समय बच जाता है। साधरणतः वे अपने परिवार वालों की सहायता से कार्य को पूरा करते है, जिससे मजदूरी की सारी रकम परिवार वालों को ही प्राप्त हो सके। टीम के सदस्य मजदूरी की रकम को बराबर–बराबर हिस्से में आपस में बांट लेते हैं। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं होती तो आस–पास के लोगों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। श्रमिक काम करने के यंत्र व औजार अपना स्वंय का अपने साथ लाते हैं।

जनपद में मुख्यतया गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, लाछी सरसों, तिल, रेण्डी, मूंगफली, गन्ना, आलू आदि फसलों को उगाया जाता है। अध्ययन चयनित विकास खण्डों में फसलों का प्रारूप निम्न प्रकार है।

मऊरानीपुर – गन्ना, चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मसूर, चना, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, आलू।

चिरगांव – चावल, गेंहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू।

बंगरा – चावल, गेंहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू।

बबीना – चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, मसूर, चना, मटर, अरहर, सरसों, तिल, मूंगफली, गन्ना, आलू।

किसानों द्वारा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें जैसे गन्ना, आलू, सनई व हल्दी का उत्पादन थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उपरोक्त सभी फसलों में श्रमिकों को उस समय लगाया जाता है जब कार्य इतना अधिक होता है कि परिवार के सदस्यों की क्षमता से बाहर होता है। गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, सरसों आदि फसलों के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक की प्रधानता के कारण एक बड़ी मात्रा में कृषि श्रमिकों को लगाया जाता है। इन कार्यों में श्रमिकों के भौतिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। महिला श्रमिक असंगठित हुआ करती है। किसी भी विका खण्ड में कोई भी गैर सरकारी संगठन कार्यशील नहीं पाया गया जो इन महिला श्रमिकों को संगठित कर सके। कृषि श्रमिक संगठन में केवल पुरूष श्रमिक ही सदस्य पाये गये पर इसकी सदस्यता सभी गांवों और सभी श्रमिकों तक विस्तृत नहीं पायी गयी।

धान के कृषि में पौध रोपड़, निराई व कटाई के समय श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पोध रोपड़ के समय लगभग एक माह का कार्य इन्हें मिल जाता है। यह एक कठिन मेहनत वाला कार्य होता है। इसमें श्रमिकों के

पैर में कीचड़ युक्त पानी में सूजन आ जाती है। इनके पैरों में जोंक लग जाती हैं, जिससे उनके पैरों से खून चूस लेती हैं। यदि वे दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं तो उन्हें 50 से 60 रूपये प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इसी मजदूरी में उन्हें प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करना होता है। कुछ विकास खण्डों में उन्हें 7 बजे प्रातः से ही कार्य करना होता है। कुछ विकास खण्डों में उन्हें वहांजाना होता है, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें 6 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तक अपने पैरों पर ही चलना और खड़े रहना होता है। दोपहर में भोजन के लिए आधे घण्अे से एक घण्टे का समय मिलता है, यह भी क्षेत्र पर निर्भर है। उन्हें अपना भोजन साथ लाना होता है। इस भोजन के साथ किसानों द्वारा दाल या सब्जी आदि दे दी जाती है, कहीं कहीं तो केवल प्याज या मिर्च दे दी जाती है। कुछ स्थानों पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है। केवल चिरगांव विकास खण्ड में ऐसा पाया गाय कि उन्हें पूरा भोजन दिया जाता है, श्रमिकों को जो भोजन प्राप्त होता है, उसे वे ग्रहण करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इस भोजन से आप संतुष्ट हैं तो उन्होंने उत्तर में कहा कि इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, अपना पेट भरने के लिए खाना ही पड़ता है।

यदि उन्हें टुकड़े की मजदूरी के आधार पर (प्राइस रेट्स) तो उन्हें एक बीघा खेत में पौध रोपड़ के लिए 50 से 150 रूपये तक दिाय जाता है (एक एकड़ में 1.75 बीघा होता है) इस कार्य को 5 से 6 व्यक्तियों द्वारा पूरे दिन कार्य करना होता है। यदि उन्हें धान रोपने के लिए बेहन भी निकालनी होती है और बेहन निकाल कर लगाना होता है तो मजदूरी निकली हुई बेहन को केवल लगाने को कार्य करने करने की तुलना में अधिक होती है। इस मजदूरी प्रणाली में वे एक दिन में जितना अधिक कार्य कर सकते हैं, उतना कार्य करते हैं। उन्हें इसके अन्तर्गत दोपहर में कोई भोजन नहीं दिया जाता है।

साधारणतः मजदूरी नकद रूप में दी जाती है पर कभी–कभी उन्हें रोपण कार्य के लिए अनाज भी दिया जाता है।

धान की खेती में अगला कार्य निराई का होता है। इस कार्य में उन्हें दैनिक मजदूरी के आधार पर रखा जाता है जो 20 रूपये से 30 रूपये के बीच होती है, यह कार्य लगभग 20 से 25 दिन का होता है। धान की कटाई के समय विभिन्न कार्यों में उन्हें पीस दर के अनुसार भुगतान किया जाता है। यदि फसल की कटाई के समय उनके द्वारा सभी कार्य किये जाते हैं तो उन्हें एक बीघे पर अधिकतम 5 मन अनाज (एक मन = 30 किलोग्राम) या 250 रूपये दिये जाते हैं। सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली एक मन की है, जो चिरगांव व बबीना विकास खण्डों में प्रचलित है। एक बीघे की कटाई में 5 से 8 व्यक्तियों को लगाया जाता है। यदि वे विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हैं तो उन्हें तीन से चार दिन लगता है। यदि उनके द्वारा कुछ ही कार्य किये जाते हैं तो मजदूरी का भुगतान नहीं होता है। सामान्यतया एक बीघ भूमि के फसल की कटाई, तौलाई, दवाई, ओसाई, तथा भराई, तथा लदाई के कार्यों के लिए एक मन अनाज मजदूरी में दिया जाता है। यह इस मजदूरी की दर पर श्रमिकों द्वारा कौन–कौन से कार्य किये जायेगें इसका निर्णय स्वंय श्रमिक को करना होता है। फसल की कटाई का कार्य भी अधिकतम एक माह तक चलता है।

गेहूं की खेती में मजदूरी का भुगतान दैनिक आधार पर किया जाता है। श्रमिकों को 15 से 20 रूपये और दोपहर का भोजन प्रतिदिन दिया जाता है। बुआई व कटाई के लिए यही मजदूरी दी जाती है, फिर भी क्षेत्रीय अन्तर पाया जाता है। गेहूं की खेती में पीस रेट की मजदूरी की प्रथा नहीं प्रचलित है। इस कार्य में उन्हें एक माह का समय मिलता है। कुछ स्थानों पर ऐसा पाया

गया कि गेहूं की कृषि में भी फसलों की कटाई में पीस रेट के अनुसार मजदूरी दी जाती है। उन्हें एक बीघ गेहूं का खेत काटने के लिए 16 से 20 सेर गेहूं (1 सेर = 1/2 किलो) दिया जाता है। इस कार्य के लिए एक दिन में कार्य पूरा करने के लिए दो व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है। इसी प्रकार एक गेहूं के एक बीघा खेत की फसल काटने के लिए अधिकतम दो मन अनाज दिया जाता है। एक दिन में पूरा कार्य सम्पन्न कराने के लिए पांच या 6 व्यक्तियों को लगाया जाता है। मऊरानीपुर व चिरगांव विकास खण्डों के कुछ गांवों में गेहूं की फसल काटने के लिए सात से दस किलोग्राम गेहूं दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। बंगरा व बबीना विकास खण्ड के कुछ गांवो में 15 रूपये तथा डेढ़ और दो सेर गेहूं दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। चिरगांव विकास खण्ड के गांवों में 4 किलो गेहूं व दोपहर का भोजन दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है, या इसके बदले में 5 बुशल गेहूं दिया जाता है (जो 6 सेर गेहूं के बराबर होता है) गेहूं के बुआई व कटाई में भी धान की कृषि की भांति मेहनत करने की आवश्यकता होती है।

कृषि में उन्हें 15 रूपये से 20 रूपये और भोजन प्रतिदिन के हिसाब से बोआई के समय दिया जाता है। इसकी कृषि मऊरानीपुर और बबीना विकास खण्डों में अधिक होती है। उन्हें 8 बजे प्रातः से 6 बजे शाम तक कार्य करना होता है। बीच में एक घण्टे का विश्राम दिया जाता है। फसल की कटाई के समय मजदूरी का भुगतान पीस रेट के अनुसार किया जाता है। एक बीघे बाजरे की कटाई के लिए उन्हें 4 से 8 सेर बाजरा दिया जाता है। बाजरे में उसके दाने को अलग करने का कार्य अतिरिक्त होता है, इसके लिए भी उन्हें बाजरे के रूप में भुगतान किया जाता है। इन दोनों कार्यों में उन्हें दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। कहीं–कहीं बाजरे की बाली काटने के लिए 20 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है। कुछ स्थानों पर उन्हें भोजन नहीं

दिया जाता , बल्कि उन्हें चाय और बीड़ी दी जाती है तथा भोजन दोनों दिाय जाता है। यदि मौसम सूखा होता है, तो वे अधिक कार्य करना सम्भव नहीं होता है। यदि परिवार बड़ा होता है तो वे एक दिन में अधिक बाजरा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। बाजरे की बुवाई से कटाई तथा उन्हें 15 से 20 दिनों का कार्य प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हो जाता है।

अन्य फसलों के उत्पादन जैसे मक्का, ज्वार आदि की कृषि में श्रमिकों को कुछ दिनों के लिए दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य मिल जाता है। यह समय एक सप्ताह से दस दिन तक का होता है। इन फसलों में उन्हें 15 रूपये से 20 रूपयों और भोजन मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। वस्तुओं के रूप में मजदूरी देते समय किसान न फसलों को बाजार के मूल्य पर विचार करके कम से कम या सस्ते दर पर नकद या वस्तु के रूप में दैनिक या पीस रेट मजदूरी का भुगतान करते हैं। श्रमिक अधिकतर पीस रेट की मजदूरी के आधार पर कार्य करना पसन्द करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इन्हें अधिक आय प्राप्त होती है। साथ ही उन्हे इस प्रकार की मजदूरी में एक निश्चित मात्रा में अनाज प्राप्त हो जाता है,जो उनके भोजन की आवश्यकता को पुरा करने में सहायक होता है। बहुत से किसान फसलों के बचे हुए पदार्थों को भी ले जाने की अनुमति दे देते हैं जो उनके द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः कृषि श्रमिकों द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि परिवार का कम से कम एक व्यक्ति कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता रहे, क्योंकि उसके द्वारा ईंधन और अनाज की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता प्राप्त होती है। कृषि श्रमिकों यदि कृषक की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वे श्रमिकों को शीघ्र ही भुगतान कर देते हैं। कुछ लोग श्रमिकों के घर जा कर उन्हें भुगतान कर देते हैं पर कभी–कभी श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए किसानों के घर उन्हें भुगतान के लिए याद कराने जाना पड़ता है। कुछ

महिलाओं ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि काम कराने के बाद मजदूरी प्राप्त करने जाने के लिए पैर दर्द करने लगते हैं। यदि श्रमिकों द्वारा मजदूरी के कम होने की शिकायत करने पर उन्हें अगले दिन काम पर आने से मना कर दिया जाता है।

श्रमिक कार्य करते–करते थक जाते हैं पर वे इसकी शिकायत किससे करें, क्योंकि उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। अपना पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही है, यही मेरे भाग्य में लिखा है, यदि कार्य ने करें तो क्या खायेंगे। महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि चाहे उनके पीठ में दर्द हो या शरीर में दर्द हो उन्हें कार्य करने के लिए जाना होता है। महिलाओं ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि उन्हें अधिक मजदूरी इसलिए भी नहीं दी जाती, क्योंकि उच्च जाति के किसान यह सोचते हैं कि यदि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो हमारा काम कौन करेंगें, मजदूर मिलने में कठिनाई होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपने शोषण से थक चुकी हैं पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। उन्होंने अन्य कार्य करने की इच्छा की पर कठिनाईयों के कारण उसे करने का साहस नहीं पाती हैं।

श्रमिकों व किसानों के बीच जो भी शर्तें तय होती हैं वह सब कुछ मौखिक होता है, किसी किसान के यहां कितने दिन काम किया है, केवल इतना ही श्रमिक याद रखते हैं और उन्हीं दिनों की मजदूरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कभी–कभी उन्हें तुरन्त भुगतान नहीं प्राप्त होता, बल्कि कुछ दिनों के बाद आने के लिए कहा जाता है। यदि वे अपने मजदूरी लेना भूल जाते हैं तो वह कृषकों द्वारा हड़प लिया जाता है। जब किसानों द्वारा काम करने के बदले मजदूरी समय पर नहीं मिल पाती है तो वे ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं। जब किसानों द्वारा श्रमिकों की लेने के लिए मजबूर होते हैं।

जब किसानों द्वारा श्रमिकों की मजदूरी की रकम नहीं दी जाती हैं तो उनके लिए ऋण लेना सरल हो जाता है, क्योंकि वे इस आधार पर ऋण लेते हं कि उन्हेंने जिस किसान के यहां कार्य है, उसके यहां से रकम प्राप्त होने पर ऋण की अदायगी कर दी जायेगी। इस आधार पर वे ऋणदाता से ऋण प्राप्त हो जाता है। किसान अपने अनाज की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए अपने अनाज की बिक्री तुरन्त न करके कुछ दिन रोक लेता है और श्रमिको को दी जाने वाली रकम के भुगतान पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक को ऋण वापस करने वाला नही समझा जाता। इसलिए उन्हें अपने गांव में ऋण मिलना कठिन होता है। उन्हें अपने गांव में ऋण उनके यहां काम करने का ठेका लेने का वायदा करने पर ही प्राप्त होता है। महिलाओं ने आपसी बातचीत में यह स्पष्ट किया कि अपने गांव में उन्हें या उनके पति को ऋण उसी समय प्राप्त हो सकता है, जब उधार देने वाले में यह विश्वास हो कि उसकी रकम वापस कर दी जायेगी और ऋण लेने के लिए पर्याप्त सम्पत्ति या गहने हैं। यदि खेत हो या जमीन हो या उस फसल खड़ी हो या घर में जानवर हो तो ऐसी स्थिति में गांव में ऋण मिल सकता है। हमारे पास ऐसी सम्पत्तियों के अभाव में कोई रूपया नहीं देना चाहता है। हम लोगों को जब रकम प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें जो भी काम मिलता है, उसे करना होता है।

अपने सम्बन्धों को किसानों से अच्छझ बनाये रखने तथा भविष्य में काम मिलने की गारन्टी के लिए जब की उन्हें किसी किसान द्वारा काम करने के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें जाना पड़ता है। मऊरानीपुर एवं बंगरा में ऐसा पाया गया कि काम करने के लिए आदिवासी महिलाओं व पुरूषों को आस–पास के क्षेत्रों से बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी होती है और गांव के स्थानीय महिलाओं को काम पाने में कठिनाई होती है।

दैनिक मजदूरी या पीस रेट मजदूरी दोनों के अन्तर्गत दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति शिशु कल्याण या स्वसस्थ्य की सूविधाओं की व्यवस्था नही होती है। इसके उन्हें किसी प्रकार के लाभ जैसे भविष्य निधि बोनस और ग्रेच्यूटी आदि ही प्राप्त होता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र की महिला क्षमिक भी न्युनतम मजदूरी कानुन के अन्तर्गत आती है। पर कानून को भली भांति लागू करना अभी भी बाकी हैं यह शिशु कल्याण कल्याण की सुविधाओं के अभाव में महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने बच्चों के साथ ले जाना होता है, जिसे वे एक कपड़े में सुलाकर वे किसी पेड़ की डाल में लटका देती है। कभी–कभी वे अपने साथ लकड़ी का खटोला ले जाती हैं और उसमं बच्चे को सुला देती है। बच्चे के रोने पर भी उन्हें कभी–कभी किसानों द्वारा काम से अलग कर दिया जाता है। काम के समय उन्हें बच्चों को देखने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, जहां उन्हें अन्य महिलाओं की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है, क्योंकि वे अपने साथ बच्चे को ले जाती हैं। जब वे सड़क के किनारे काम करती हैं तो उनके बच्चों को कुत्ते नुकसान पहुंचाते हैं। कभी–कभी तेज आंधी आने पर बच्चे को चोट लग जाती है। यदि वे अपने बच्चे की देख–रेख में लग जाती हैं तो उन्हें अगले दिन काम पर न आने के लिए कहा जाता है ऐसी स्थिति में बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार के खतरे में छोड़कर काम पर जाना ही पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने साथ काम में मदद करने के लिए ले जाया जाता है।

कृषि क्षेत्र में काम एक सीमित समय के लिए ही मिल पाता है। इसलिए श्रमिकों को शेष समय में आय के दूसरे साधन ढूंढने पड़ते हैं। बहुत से श्रमिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रम करने के अतिरिक्त घरेलू उत्पादन का कार्य किया जाता है। कुछ जाति के लोग ढोल बजाने का या अन्य बाजा बजाने का

कार्य किया जाता है। कुछ लोगों द्वारा अन्य श्रम के कार्य, जैसे निर्माण कार्य में सहयोग देना, ईंटे बनाना, मिट्टी खोदने का कार्य किया जाता है। कुछ महिलायें आस–पास के नगरों के क्षेत्रों में काम करने के लिए जाती हैं। जिन महिलाओं के स्वास्थ्य नहीं ठीक होता या बूढ़ी महिलायें अन्य स्थानों पर काम करने नहीं जाती हैं। बूढ़ी महिलायें कृषि कार्य में भी नहीं जाती हैं, कयोंकि उन्हें कठिन मेहनत करनी होती है। यह केवल मजबूत व स्वस्थ महिलाओं द्वारा ही किया जा सकता है। बूढ़ी महिला एवं पुरूष घरों पर जानवरों को देखने के लिए रह जाते हैं और छोटे बच्चों को भी उन्हीं के पास घर पर छोड़ दिया जाता है।

श्रमिकों को कृषि कार्य करने के लिए किसी विशेष कुशलता सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, वे इस कार्य करने की दक्षता अपने परिवार में ही और खेतों में अन्य लोगों को काम करता देखकर सीख लेता या प्राप्त कर लेता है। बच्चे इसे आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वे अपने माता–पिता के साथ खेतों पर उनकी मदद के लिए साथ जाया करते हैं। कृषि में जब मौसम के समय कार्य की अधिकता होती है तो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काम पर ले जाया जाता है।

कृषि कार्य करने वाली महिलायें अक्सर अनपढ़ होती हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे होती हैं जो थोड़ी रकम का जोड़ घटाना आदि कर सकती हैं और उन्हें कितनी मजदूरी प्राप्त होगी इसे ज्ञात कर लेती है। शेष महिलायें पढ़ी लिखी न होने के कारण दूसरों पर निर्भर होती हैं जो उन्हें जोड़ घटाकर उनकी मदद कर देते हैं और उन्हीं के सहारे वे जान पाती हैं कि उन्हें उचित रकम मिल रही है या नहीं। उनके काम कर लेने के बाद परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति किसानों के पास उनकी रकम लेने जाता है। महिलायें अपनी

रकम पुरूषों को दे देती हैं। जब कभी भी उन्हें परिवार के व्यय के लिए रूपयों की आवश्यकता होती है, वे पुरूषों से कहती हैं। महिलाओं व पुरूषों की आय में अन्तर बहुत कम किया जाता है। महलिाओं द्वारा परिवार के खाने, कपड़े और परिवार के स्वास्थ्य पर रकम व्यय किाय जाता है और इस बात को हमेशा निश्चित करती रहती है कि परिवार के लोगों को खाने के लिए घर में पर्याप्त खाद्य सामग्री है। वे इस बात को जानती हैं कि परिवार में एक वर्ष में कितनी खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, ऐसे में उने सामने इस खाद्य सामग्री को किस प्रकार प्राप्त किया जाये। जो भी काम मिल जाये उसे वे उस समय तक करती रहती हैं जब तक वे परिवार के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री एकत्र नहीं कर लेती हैं। सामान्यतया खाद्य सामग्री का स्टाक मौसम के आधार पर एकत्र किया जाता है। फसलों की कटाई के समय उन्हें पर्याप्त अनाज की प्राप्ति हो जाती है। इसी समय में कृषि श्रमिकों को छोटी रकम के ऋण लेने पड़ते हैं, दूसरे स्थानों पर काम के लिए जाना पड़ता है या घरेलू कार्यों को करने में लगाना होता है या फिर भूखे रहना पड़ता है। वर्षा के पहले उन्हें कुछ काम मिल जाता है और फसल की कटाई तक यह सिलसिला चलता रहता है। जिन क्षेत्रों में केवल एक फसल उगायी जाती है उनमें श्रमिकों को वर्ष के 30 या 40 दिनों तक ही कार्य मिल पाता है पर जहां सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ है और दो या तीन फसलें उगायी जाती हैं उन क्षेत्रों में 100 से 150 दिनों तक कार्य मिल जाता है। कृषि क्षेत्र में कितने दिनों का कार्य मिल पाता है यह कृषि में प्रयोग किये जाने वाले बीजों और अन्य आगतों पर निर्भर हैं। यदि उत्तम बीजों और अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज का प्रयोग किया जाता है। यह कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है और वे बेकार हो जाती हैं। उत्तम कोटि के बीजों के प्रयोग के कारण निराई काकार्य आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हो जाता है, उपज अधिक होती है, जिससे कुल उत्पादन भी अधिक होता है। निराई के कार्य के लिए

महिला श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह जाती है और महिलाओं के कार्य के अवसरों में कमी होती है, लेकिन उन्हें कटाई के समय काम मिल जाता है। वैसे झांसी जनपद में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप कार्य के अवसरों में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे एक से अधिक फसलें उगायी जाती हैं और वही कार्य प्रत्येक फसल के उत्पादन में करना होता है।

महिलाओं से बातचीत करने के दौरान ऐसा अनभव किया गया कि वे इस बात को जानती हैं कि जितना कार्य वे करती हैं उसके बदले जो उन्हें अनाज मिलता है, या जो आय उन्हें प्राप्त होती है, वह उनके श्रम के मूल्य के बराबर नहीं होती है। वे केवल इतना ही जानती हैं कि किसान हम लोगों के श्रम के आधार पर ही अमीर बने हैं। एक महिला ने इस बात को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहा कि हम लोग किसानों के लिए सभी कार्य करते हैं– खेत ठीक करने, फसल की कटाई, दवाई, सफाई भराई और उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। केवल हम उनका भोजन बनाकर उनके मुंह में नहीं डालते हैं। शेष सभी कार्य हम करते हैं। ग्रामीण महिलाओं में आशावान पाया गाय उनके अनुसार भविष्य उत्तम होगा, उनमें से कुछ का कहना था कि क्या आ हमारी मजदूरी बढ़वा सकेगी ? आप हम लोगों के आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने में सहायता करें और सरकार को लिखकर हमारी मदद करें और हमारे गांव आप फिर आवें, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, भगवान आपको सकुशल रखे, चावल का ूटकर उस पर पालिश करने का कार्य हाथ से किाय जाता था, अब इन कार्यों को चावल मिलें तथा दाल मिलें में मशीनों द्वारा किाय जताा है। महिलाओं के कार्य अवसरों में कमी हो रही है और काम के नये अवसर पुरूषों के पक्ष में विकसित हो रहे हैं। अब अधिकांशतः

महिलाओं से कुशल कार्य कराये जाते हैं, जैसे पानी भरने का कार्य, भरे अनाजों के बोरे ढोने का कार्य, इन मिलों में कराये जाते हैं। बहुत से श्रमिक हाथ से किये जाने वाले कार्य भूल भी गये हैं।

मिट्टी खोदने का कार्य

मिट्टी खोदने का कार्य खुले में पुरूष एवं महिलओं दोनों द्वारा एक टीम में किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जमीन या खेत को समतल बनाना, सड़क निर्माण, कुएं खोदने का कार्य, निर्माण कार्य खेतों के चारों ओर मेड़ बनाना, आदि हैं। यह कार्य बहुत ही विस्तृत तथा बड़े क्षेत्र में फैला होता है। यह एक श्रम प्रधान कार्य है, जिसमें पुरूष यंत्रों की सहायता से मिट्टी खोदते हैं और महिलायें इसे सिर पर रखकर दूसरे स्थान पर रखने के लिए ले जाती हैं या ट्रकों में लादती है, जिसे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इस प्रकार के कार्य के अवसर निजी व्यक्तियों द्वारा जैसे किसानों द्वारा जो अपने खेत को समतल बनाने या ठीक करने का कार्य कराते हैं या अपने खेतों के चारों और मिट्टी की दीवाल बनाकर खेत को सुरक्षित बनाने या मेड़ बनाने का काम करते हैं, कुएं खोदने या घर बनाने का कार्य कराते हैं। सरकार का सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा भी इस प्रकार के कार्य के अवसर प्रदान किये जाते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, नहर, कुएं तथा बांध निर्माण के कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं। लोक निर्माण के कार्य सामान्यतया ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं। इन कार्यों में लगे श्रमिक परिवार बाहर कार्य करने के कारण अन्य कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह कार्य बहुत ही कठिन परिश्रम वाला होता है। किसी भी जाति के लोग इस कार्य को कर सकते हैं, बशर्ते कार्य मिल जाये।

जब कभी व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के कार्य कराये जाते हैं तो वे अपने ही गांव के श्रमिकों को ही आकर काम करने के लिए कहते हैं। के वल कुछ ही श्रमिकों की आवश्यकता होती है और कार्य की मजदूरी दोनों के आपसी बातचीत से निश्चित कर ली जाती है। ऐसे कार्यों में कार्य करने का स्थान श्रमिकों के घर के पास ही होती है। कार्य करने के घंटे तय नहीं होते और न ही मजूरी का भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई रजिस्टर नहीं होता, जिस पर हस्ताक्षर किया जाये। सभी लेन–देन मौखिक हुआ करता है।

लोक निर्माण विभाग के कार्य जब ठेकेदारों द्वारा कराया जाता है तो वे भी कार्य स्थान के पास के गांवों से ही श्रमिकों को बुलाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें श्रमिकों को कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं करनी होती है। श्रमिक काम करने के पश्चात अपने गांव या घर को लौट जाते हैं। ठेकेदार गांवों के श्रमिकों के बारे में नहीं जानते होते इसलिए उन्हें कुछ लोगों की सहायता लेनी होती है, जिन्हें 'गैंग लीडर' कहा जाता है। गैंग लीडर वे व्यक्ति होते हैं जो ठेकेदारों के हमेशा सम्पर्क में होते हैं। जब कभी कोई प्रोजेक्ट ठेकेदारों को स्वीकृत हुआ करता है तो गैंग लीडर गांवों से श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, जिनके ऊपर उनका नियंत्रण होता है। वे श्रमिकों को काम दिलाने का वादा करके उन पर नियंत्रण रखते हैं। कार्य के अवसरों के सीमित होने के कारण श्रमिक भी इस बात को जानकर खुश होते हैं कि कोई ऐसा भी है जो उन्हें प्राप्त कार्य की सूचना देकर उनकी उसे प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। गैंग लीडर ठेकेदारों के लिए सुरक्षा का कार्य करता है, क्योंकि वह काम कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धि कराता है और गैंग लीडर श्रमिकों के लिए भी सुरक्षा का कार्य करता है। वह इस बात की निगरानी रखता है कि ठेकेदार उनसे काम कराकर उनकी मजदूरी की रकम बिना श्रमिकों को दिए हुए भाग न जाये। इसके लिए गैंग लीडर

श्रमिकों से एक निश्चित मात्रा की फीस लेता है जो एक रूपये से तीन रूपये प्रतिदिन हुआ करती है या एक रूपया प्रत्येक इकाई कार्य, जो श्रमिकों द्वारा किया जाता है के अनुसार लेता है। यह रकम ठेकेदारों द्वारा उनके मजदूरी की रकम से काट ली जाती है तथा गैंग लीडरों को दे दी जाती है। बहुत से ऐसे भी श्रमिक होते हैं जो बिना गैंग लीडारों की मदद से ही काम ढूंढने के लिए निकलते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भी इस प्रकार के कार्य लोक निर्माण विभाग के समय पूरी होती है, जब किसी क्षेत्र से इस फिट लम्बाई व 10 फिट चौड़ाई एवं एक फुट गहराई तक की मिट्टी की खुदाई कर ली जाती है। काय्र की एक इकाई दो श्रमिकों (पुरूष और महिलाओं) द्वारा एक दिन में पूरी कर ली जाती हैं वे उक्त मापक की मिट्टी प्रत्येक दिन में खोद सकते हैं इसलिए मजदूरी की दरों के सम्बन्ध में भ्रम हो जाता है कि यह एक दिन की मजदूरी है, जबकि वह पीस रेट के आधार पर दी गयी मजदूरी होती है। एक इकाई कार्य करने की न्यूनतम मजदूरी 50 रूपये है पर श्रमिकों को 35 रूपये से 40 रूपये ही दिया जाता है और उन्हें पूरी रकम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य के अनुपात में भुगतान किया जाता है। यदि उनके द्वारा एक इकाई से अधिक का कार्य किया जाता है तो भी उन्हें एक इकाई की ही मजदूरी प्राप्त होती है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में यदि ठेकेदारों द्वारा समय से पहले या शीघ्र ही कार्य समाप्त कराना होता है तो अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐसी स्थिति में श्रमिकों को भुगतान कार्य की इकाईयों के अनुसार दिया जाता है। अधिक तेज कार्य करने वाली श्रमिकों की टीम द्वारा दो या तीन इकाईयों का कार्य एक दिन में पूरा कर लिया जाता है। श्रमिकों से बात के दौरान यह मालूम हुआ कि उन्हें 30 रूपये से 35 रूपये

प्रति इकाई कार्य के अनुसार भुगतान किया जात है, पर यह बहुत कम क्षेत्रों में दिया जाता है। महिला श्रमिक अपने छोटे बच्चों को अपने साथ सहयोग से प्रदान किये जाते हैं पर यह इस कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा ठेकेदारों की सहायता से कराया जाता है। केवल ठेकेदार इस कार्य को नहीं कराते हैं। दोनों ही दशाओं में श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी है, क्योंकि ठेकेदारों को यह रजिस्टर लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ता स्वयं आकर कार्यक्रम पर किये गये व्यय का भुगतान करते हैं। इसलिए रेकार्ड बनाये जाते हैं, शेष लेनदेन मौखिक हुआ करता है।

व्यक्तियों द्वारा कराये जाने वाले कार्य में भुगतान प्रत्येक दिन किया जाता है या एक निश्चित मात्रा के कार्य को पूरा किाय जाने पर एक निश्चित रकम का भुगतान किया जाता है। इसके अन्तर्गत दी गयी मजदूरी की दरें कृषि श्रम के समान हुआ करती हैं, फिर भी इनमें मजदूरी की दरें प्रत्येक गांव में अलग–अलग होती हं जो 20 रूपये से 25 रूपये प्रतिदिन के बीच है। जब यह भुगतान एक मुश्त राशि में दिया जाता है तो श्रमिक इसे प्रतिदिन की मजदूरी से तुलना करते हैं। एक मुश्त राशि के भुगतान में जो राशि मिली होती है उस काय्र के लिए जितने श्रमिक लगाये जाते हैं और जितने दिन काम किया गया होता है, उससे भाग देकर राशि का अनुमान लगाया जाता है।

लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को भुगतान कार्य की इकाई के अनुसार किया जाता है। कार्य की एक इकाई उससे ली जाती है और उन्हें कपड़े के पालने में रखकर छोड़ दिया जाता है। यदि परिवार में प्रौढ़ महिलायें होती है तो छोटे बच्चों को घर

पर उन्हीं के पास छोड़ दिया जाता है। जब श्रमिक काम करने के लिए दूसरे गांवों या गांव से दूर साइट पर कार्य करने जाते हैं तो अपने दोपहर का भोजन साथ ले जाते हैं और अपनी पीने का पानी भी साथ ले जाते हैं, अगर कार्य करने की जगह गांव के पास होती है तो वे खाने के लिए घर वापस चले आते हैं।

इन कार्यों में दी जाने वाली मौद्रिक मजदूरी कई बातों पर निर्भर हैं, यदि काम करने की जगह गांव से अधिक दूर है तो उन्हें कुछ अधिक रकम मजदूरी के रूप में दी जाती है। यदि ठेकेदार या गैंग लीडर उन्हें काम पर आने के लिए कहते हैं तो उन्हें कुछ अधिक रकम दी जाती है। जब वे अपने से काम पर आते हैं तो उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। कार्य करने की जगह दूर होने पर श्रमिकों को रूकने की सुविधा ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाती है, पर जब श्रमिक स्वयं काम ढूढंते–ढूढते वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रूकने की सुविधा नहीं प्रदान की जाती, भले ही उनके घर काम करने के स्थान से चाहे जितना अधिक दूर हो। इसी प्रकार मजदूरी के भुगतान में भी ठेकेदार केवल उन श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में अधिक रूचि लेते हैं, जिन्हें वे कार्य पर बुलाते हैं और जो श्रमिक स्वयं काम पर आते हैं उनके भुगतान में वे अधिक रूचि नहीं लेते हैं। इसी प्रकार जब श्रमिकों द्वारा काम करने के लिए अपने यंत्र और औजार लोय जाते हैं तो उन्हें कुछ अधिक रकम का भुगतान किया जाता है, जो ठेकेदारों के यंत्र व औजारों का प्रयोग करने वाले श्रमिकों को नहीं प्राप्त होती है।

कुछ कार्यों में पुरूष एवं महिलाओं को समान मजदूरी नहीं दी जाती है। महिलाओं को 20 रूपये तथा पुरूषों को 30 रूपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है और अधिकतर स्थानों पर समान मजदूरी दी जाती है। इसके लिए

ठेकेदारों का यह कहना है कि काम के ठेका स्वीकृत कराने के लिए उन्हें बहुत से लोगों को पैसा देना होता है और उस पैसे को भी वसूल करना होता है। इसे वे श्रमिकों को स्वीकृत रकम से कम का भुगतान करके वसूल करते हैं, साथ ही में उन्हें अपने लाभ को भी सुनिश्चित करना होता है।

साधारणतः महिलाओं को पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, केवल वे इतना जानती हैं कि उन्हें एक निश्चित कार्य को करना है, कभी–कभी उन्हें कुल दिनों की संख्या ज्ञात होती है, जितने दिन उन्हें काम करना होता है, कभी–कभी वे उस समय तक काम करती रहती है, जब तक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है और वे इस बात को नहीं जानती कि काम कब समाप्त होगा।

यदि महिलायें कार्य के स्थान पर बीमार हो जाती हैं तो ठेकेदार उनके ठीक होने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ऐसी स्थिति में या तो वे अपने घरों को लौट आती हैं या उसी जगह रूक जाती हैं। अपनी दवा वे वहीं पर उस समय खरीदती हैं, जब उनके पास पैसा होता है। दवा खरीदने के लिए जाने पर पहले वे दवा की कीमत पूंछती हैं। यदि उनके पास उतना पैसा होता है तो वे दवा खरीद लेती हैं, अथवा नहीं।

मिट्टी खोदने के कार्य में उन्हें चोट भी लगती है उनके हाथ पेर में खरोंच आ जाती है और कभी–कभी खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वे कार्य करती हैं। कभी कभी उनके पीठ और कमर में दर्द होता है या सीने में दर्द होता है पर वेपैसे के लिए कार्य करती हैं, जब उनके पास पैसा होता है वे खाती हैं अन्यथा वे भूखे ही रहकर काम करती हैं, उनका कहना है कि यही हमारा जीवन है यदि हम काम न करें तो हमें खाना कौन देगा। हम

अपना पेट कैसे भरें ? हम लोगों को मिट्टी में रहना होता है तथा मिट्टी में ही खाना होता है। वे ठेकेदार से कभी भी बहस नहीं करती, भले ही वह उन्हें कम मजदूरी क्यों न दें, क्योंकि वे जानती है कि ऐसा करने पर उन्हें भविष्य में काम नहीं मिलेगा। कभी कभी जब प्रोजेक्ट के लिए फण्ड नहीं आता तो उन्हें अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए एक लम्बे समय तक इन्तजार करना होता है। वे असहाय स्थिति में होती हैं और इस शोषण के लिए वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं।

कुछ महिलाओं का कहना था कि हम लोगों का जीवन आपकी तरह नहीं है, आप तो लिखकर चली जावेगी। हम लोगों को तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, हम लोग पंखे की हवा के नीचे काम नहीं करते हैं।

जब काम का समय छोआ होता है। 15 या 20 दिनों का होता है तो मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। जब काम अधिक समय तक (तीन से चार माह का) चलने वाला होता है तो मजदूरी का भुगतान सप्ताह में या पन्द्रह दिनों के बाद होता है। कभी–कभी उन्हें जितना मिलना चाहिए, उतनी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल ठेकेदारों द्वारा इसलिए किया जाता है कि श्रमिक काम के बीच में छोड़कर चले न जाये। भुगतान का एक दूसरा तरीका प्रत्येक सप्ताह में एक निश्चित मात्रा की रकम अग्रिम के रूप में दी जाती है। यह प्रणाली 'खर्ची प्रथा' कहलाती है, जिसमें श्रमिकों का पूरा भुगतान कार्य के समाप्त होने पर किया जाता है पर श्रमिकों को प्रत्येक सप्ताह में एक धनराशि विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में दे दिया जाता है। श्रमिकों को अन्तिम के रूप में दी जाने वाली कम परिवार के आकार पर निर्भर है और पांच या छः सदस्यों वाले परिवार का एक सौ रूपये की राशि दी जाती है और शेष धनराशि कार्य के पूरे होने पर

दी जाती है। यदि श्रमिकों को अतिरिक्त रकम की आवश्यकता होती है तो वे ठेकेदार से मांगते हैं। वास्तव में यह उनकी ही रकम होती है जो वे अपने श्रम द्वारा अर्जित करते हैं और वह ठेकेदारों के पास होती है। ठेकेदार द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि को रजिस्टर में लिखा जाता है और श्रमिक उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं। ठेकेदार द्वारा दी गयी रकम को याद करना होता है और काम समाप्त होने पर वे प्राप्त होने वाली रकम का हिसाब लगाते हैं। सामान्यतया किसी पढ़े लिख आदमी की सहायता ली जाती है और उसी की माध्यम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उन्हें पूरी रकम जो मिलनी चाहिए वह मिली है या नहीं। कभी कभी गैंग लीडर की भी सहायता ली जाती है।

श्रमिकों का भुगतान पति व पत्नी दोनों की मजदूरी उसे दे दी जाती है; जो इसे प्राप्त करने के लिए जाता है। साधारणतः पुरूष ही मजदूरी प्राप्त करने जाता है। महिलायें उसी समय मजदूरी प्राप्त करने जाती हैं, जब उनके पति घर पर नहीं होते या जाने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां मजदूरी का भुगतान केवल पुरूषों को ही किया जाता है, महिलाओं को भुगतान लेने जाने पर भी नहीं दिया जाता है। बहुत कम महिलायें पढ़ी होती है जो रूपया गिनने में समर्थ होती हैं। वे केवल रजिस्टर में अंगूठा निशान लगती हैं। उनका कहना है कि वे अनपढ़ होती हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि हम किस पर हस्ताक्षर बना रहे हैं। वे विश्वास पर कार्य करती हैं, यदि वे इस बात को जानती हैं कि उन्हें जितना मिलना चाहिए, उससे कम दिया जा रहा है, फिर भी वे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वे असहाय होती हैं। वे इस बात को भी जानती हैं कि उनसे कटौती की गयी कम का एक भाग गैंग लीडर को दिया जाता है, कभी–कभी मजदूरी का रूपया मजदूरी प्राप्त होने पर उन्हीं के पास रहता है और कभी–कभी यह रूपया

पुरूषों को दे दिया जाता है और आवश्यक पड़ने पर उनसे मांग लिया जाता है।

लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कार्य करने के घण्टे नौ बजे प्रातः 6 बजे सांय तक निश्चित होते हैं। बीच में एक घण्टे का अवकाश दिया जाता है। कहीं–कहीं पर काम 8 बजे प्रातः प्रारम्भ होता है तथा दो घण्टे का अवकाश दोपहर में दिया जाता है। कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें सात बजे प्रातः से सात बजे शाम तक काम करना होता है। कार्य करने के स्थान पर आठ बजे प्रातः पहुंचने के लिए उन्हें अपने घरों से बहुत सवेरे चलना होता है। व्यक्तियों के यहां कार्य करने के घण्टे नहीं निश्चित होते हैं यदि कार्य करनें का स्थान दूर होता है तो महलिाओं को कार्य पर जाने व वापस आने के लिए बहुत लम्ब रास्ता चलना पड़ता है। उन्हें 3 से 5 किलोमीटर तक चलना होता है और आते समय वे ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करती आती हैं।

किसी भी कार्य में बच्चों के देखरेख, स्वास्थ्य, दुर्घटना, क्षतिपूर्ति या अवकाश की सुविधायें नहीं प्रदान की जाती हैं। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को इन मदों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाती है। बहुम कम ऐसा सुना गया या नहीं सुना गया कि श्रमिकों के बीमार होने पर उन्हें कोई धनराशि दी जाती है। उन्हें कार्य स्थल पर रिपोर्ट करना होता है, चाहे वे उस दिन काम करें या न करें। यदि कार्य करने के दौरान उन्हें चोट लग जाती है या वे घायल हो जाते हैं तो बहुत कम ऐसे उदाहरण मिले हैं, जब उनके दवा आदि का व्यय ठेकेदारों द्वारा वहन किए जाते हैं। इन श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, बोनस, ग्रेच्युटी आदि का प्रबंध इन श्रमिकों के लिए नहीं हैं।

ऐसी भी महिलायें पायी गयी जो अपने अपने गांव के निकट कार्य स्थल पर कार्य करती हैं। वे दिन भर काम करने के पश्चात शाम को अपने घरवापस चली आती हैं कुछ ही ऐसी महिला श्रमिक मिली जो बस द्वारा जाकर भी काम करने को तैयार थी, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी होती है या प्रत्येक दिन एक घण्टे पैदल ही जाना पड़ता है।

ऐसी भी महिलायें मिलीं जो कहीं भी काम करने जाने के लिए तैयार थीं, वे ऐसी महिलायें थी जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं थी और वे अपनी जीविका इसी कार्य से अर्जित करती हैं। इस प्रकार की महिलायें गैंग लीडरों से हमेशा सम्पर्क बनाये रख़ती हैं, जो उन्हें कार्य के अवसरों के बारे में बताते रहते हैं। वे अवसर अधिक दिनों तक चलने वाले कार्यों की तलाश करती हैं और वे कार्यस्थल पर ही जाकर रहती हैं। इनके कार्यस्थल पर जाने का किराया ठेकेदारों द्वारा दिया जाता है। वापसी किराया श्रमिकों को देना पड़ता है। कार्यस्थल पर रहने के लिए टेन्ट लगाने के लिए पोलीथीन तथा बांस इत्यादि का प्रबंध ठेकेदारों द्वारा कर दिया जाता है, वापसी किराया श्रमिकों को देना पड़ता है। कार्यस्थल पर रहने के लिए पोलीथीन तथा बांस इत्यादि का प्रबंध श्रमिक परिवारों को ही करना होता है। कभी–कभी टेन्ट लगाने के लिए केवल बांस का प्रबंध कर दिया जाता है, उस पर छाजन, पोलीथीन या कपड़ा आदि का प्रबंध स्वयं श्रमिक को करना होता है। श्रमिक खुले मैदान में रहते हैं। उनका अन्य लोगों से बहुत कम सम्पर्क हो पाता है वे खर्ची प्राप्त होता है, उस दिन अवकाश कर दिया जाता है। यह हमेशा नहीं होता है। दवा इत्यादि के लिए उन्हें पास के कस्बे या नगर में जाना होता है। महिलाओं को पानी भी भरना होता है और सभी घरेलू कार्य करने होते हैं।

मिट्टी खोदने का कार्य एक टीम या समूह के साथ किया जाता है। अकेली एक महिला अनजान व्यक्ति के साथ काम करने में कठिनाई का अनुीाव करती हैं। यदि उन्हें के गांव में उनका परिवार के पुरूष साथ में होते हैं तो वे कार्य करने चली जाती हैं, अन्यथा वे कार्य नहीं करती हैं। बंगरा व मऊरानीपुर विकास खण्ड के कुछ गांव की महिलाओं ने यह बताया कि वे एक टीम में जाकर कुछ महिलायें मिट्टी खोदने और कुछ उसे ढोने का कार्य करती हैं। पर यह बहुत कम पाया गया। सबसे सामान्य रूप यह होता है कि पुरूष मिट्टी खोदने तथा महिलायें उसे सिर पर रखकर ढोने का कार्य करती हैं।

यह काय्र बरसात के मौसम के अतिरिक्त वर्षा भर चलता है पर वास्तव में कितने काम मिल सकेगा, यह किसी क्षेत्र के निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर है। काम करने के दिन प्रत्येक वर्ष में अलग–अलग होते हैं। किसी वर्ष में काम नहीं भी होता है। यह उन महिलाओं के बारे में भी सही है जो ऐसे कार्यस्थलें पर कार्य करती हैं, जहां वे सरलता से पहुंच सकें। जो कुछ दूर यात्रा करके भी कार्य करने को तैयार हैं, उन्हें 50 से 60 दिनों तक कार्य मिल जाता है। वे महिलायें जो कहीं भी जाने को तैयार रहती हैं, उन्हें 6 से 8 महीनों तक काम मिला जाता है।

ठेकेदारों से उन्हें ऋण प्राप्त होता है पर कुछ विशेष जाति के लोग जो ठेकेदार से भली भांति परिचित होते हैं और वे उसके नियंत्रण में होते हैं, वे थोड़ी रकम के ऋण भांति परिचित होते हैं और वे उसके नियंत्रण में होते हैं, वे थोड़ी रकम के ऋण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। एक सौ श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए 40 हजार रूपयों की आवश्यकता होती है पर ऐसे परिवार केवल मिट्टी खोदने के धंधे से ही अपनी जीविका अर्जित करते हैं।

इस प्रकार के श्रमिकों में आदिवासी परिवार पाये गये जो स्वस्थ एंव हुष्ट–पुष्ट पाये गये। गैंग लीडर उनके लिए बरसात के मौसम के लिए धनराशि की व्यवस्था करते हैं, जब उन्हें काम नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार के लोग ठेकेदारों के साथ उस स्थान पर जाया करते हैं, जहां उन्हें काम मिलता है। जब तक ऋण के रूप में ली गयी धनराशि अदा नहीं कर दी जाती वे किसी अन्य गैंग लीडर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। श्रमिकों द्वारा लीडर से लिए ऋण पर ब्याज नहीं देते हैं, बल्कि कार्य के समय कार्य की एक इकाई पर एक रूपया काटने की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें से लीडर ठेकेदारों को ब्याज दिया करते है, जो उन्हें धनराशि दिया करते हैं। आदिवासी परिवार के लोग एक दिन में निर्धारित कार्य की 6 या 7 इकाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। काम के समाप्त होने पर उनके द्वारा ली गयी रकम को काटकर उनकी कुल मजदूरी की कुल रकम उन्हें दी दी जाती है। इन परिवारों द्वारा कुछ रकम बरसात के मौसम के लिए बचा ली जाती है, जिसे वे लेकर अपने घर लौट आते हैं, भले ही वह पूरे बरसात के मौसम के लिए पर्याप्त न हों, फिर भी वे बरसात क`समय बिना किसी आय के अपने भोजन पानी आदि का प्रबंध करते हैं। यही कारण है कि वे अपना श्रम गैंग लीडर के पास अगले वर्ष उन्हीं के साथ काम करने के लिए बंधक रख देते हैं। इस सम्बन्ध में कोई लिखित समझौता नहीं हाता, बल्कि वे इस सम्बन्ध में ईमानदार होते हैं।

मिट्टी खोदने के कार्य में कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे इस कार्य की कुशलता एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान सीख लेते हैं। यह एक मेहनत का कार्य होता है, केवल स्वस्थ पुरूष और महिलायें ही इस कार्य को कर सकती हैं। वृद्ध, रोगी और शारीरिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को कोई दूसरा काम खोजना होता है।

मिट्टी खोदने के कार्य में कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे इस कार्य की कुशलता एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान सीख लेते हैं। यह एक मेहनत का कार्य होता है, केवल स्वस्थ पुरूष और महिलायें ही इस कार्य को कर सकती हैं। वृद्ध, रोगी और शारीरिक दृष्टि से कमजोर महलिाओं को कोई दूसरा काम खोजना होता है।

कार्य करने की दशायें विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत कठिन होती है। उनकी शक्ति इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए लड़ने में ही खत्म हो जाती है। उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए किसी अन्य कार्य करने का मौका ही नहीं मिला पाता है। इधर कार्य प्राप्त करने की कोई गारन्टी नहीं होती है। ऐसे परिवार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने के लिए प्रवास करते हैं उनके बच्चे भी कार्य करने की कुशलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं और वे भी शारीरिक श्रम के आधार पर जीविका अर्जित करने वाले बन जाते हैं। इन महिलाओं को श्रमिक तो माना जाता है पर उन्हें नियमित श्रमिक नहीं माना जाता है। उन्हें कार्य करने के दौरान होने वाली घटनाओं, कठिनाइयों और स्वास्थ्य सम्बन्ध क्षतियों से सुरक्षित रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाता है। महिलाओं की कोई प्रतिनिधि संस्था पायी गयी जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उनकी स्थिति में सुधार कर सकें।

निर्माण कार्य :– निर्माण कार्य के अन्तर्गत सड़क निर्माण, सीमेन्ट के टाइल्स बनाना, पत्थर काटना, नहर निर्माण, कोटा के पत्थरों से नहरों की लाइनें बनाना और अन्य इसी प्रकार के कार्य आते हैं। मिट्टी खोदने के कार्य की भांति निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा ग्रामीणों को रोजगार के अवसर दिये जाते हैं। कभी–कभी मिट्टी खोदने तथा निर्माण कार्य दोनों साथ–साथ चलते हैं। निर्माण कार्य में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है जो कम

कुशलता के श्रम के साथ पूरा किया जाता है। कम कुशलता वाले कार्यों में महिलाओं को अधिक श्रम वाले तथा सरल कार्यों में लगाया जाता है, जैसे सिर पर रखकर निर्माण सम्बन्धी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पत्थर तोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी ले जाना, सीमेन्ट के टाइल्स को पानी देना, सड़कों को साफ करना, गिट्टी एवं बालू दोनों का कार्य, सड़कों पर पानी छिड़कना आदि। कुशलता वाले कार्यों में जैसे निर्माण कार्य के लिए आवश्यक माल मसालों का मिलाना, पदार्थों का मापना, मशीन चलाना, प्लास्टर करना, पत्थर बिछाना, आदि कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। निर्माण कार्य में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, क्योंकि निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामान ढोने का कार्य महिलाओं द्वारा किाय जाता है, बिना उनके श्रम के पुरूषों द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इस कार्य में पुरूषों एवं महलिाओं के कार्यों का बंटवारा स्पष्ट होता है, यह कार्य किसी भी जाति के श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है, जो भी इस कार्य को करना चाहता है, वह जब तक काम है, तब तक अपनी जीविका प्राप्त कर सकता है।

श्रमिकों को प्राप्त करने की प्रथा मिट्टी खोदने के कार्य की ही भांति है। व्यक्तिगत क्षेत्र के कार्यों के लिए अपने ही गांव के लोग ही मिल जाते हैं। ऐसे कार्यों में काम करने का स्थान गांव के पास में ही होता है। यह एक अकंशल कार्य है, इसे कोई भी कर सकता है, जो इसे करना चाहता है। इस कार्य में महिलाओं एवं पुरूषों की टीमें अलग–अलग कार्य करती है। अकेली महिला भी कार्य स्थान पर कार्य कर सकती है, इसमें किसी अन्य अजनबी व्यक्ति के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। श्रमिक अपने साथ अपना भोजन अपने साथ अपना भोजन अपने साथ लेकर आते हैं, या अपने घर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस कार्य में मजदूरी दैनिक आधार पर कृषि श्रमिकों की मजदूरी के सामान ही निश्चित की जाती है। कभी कभी एक

निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित धनराशि, निश्चित की जाती है, जिस कार्य को टीम द्वारा जितने दिन में चाहे कर सकते हैं। पर व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्माण कार्य के अवसर बहुत कम होते हैं, अधिकांश कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूरे किये जाते हैं, क्योंकि यह कार्य अधिक खर्चीले होते हैं। मिट्टी खोदने के कार्य में व्यक्तिगत क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्माण कार्य की तुलना में अधिक होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य स्थल का निर्धारण किसी विशेष क्षेत्र के वर्ष विशेष की निर्माण योजना के आधार पर निश्चित किया जाता है। कार्य ठेकेदारों द्वारा पूरा कराया जाता है। ठेकेदार गैंग लीडरों के माध्यम से कार्य करते हैं जो श्रमिकों के सम्पर्क में हुआ करते हैं। इस कार्य में निर्माण कार्य स्थल के पास के गांवों से ही श्रमिक प्राप्त किये जाते हैं। पर जब स्थानीय क्षेत्रों से श्रमिक नहीं मिल पाते तो गैंग लीडरों की सहायता से कहीं से भी श्रमिक प्राप्त कर लिये जाते हैं। यदि यह कार्य पंचायत के माध्यम से करना होता है तो श्रमिकों को सरपंच द्वारा बुलाया जाता है। श्रमिक कार्य स्थल पर जाते हैं और दूर होने पर अपने साधनों द्वारा वहां जाते हैं। कभी–कभी श्रमिक आने जाने की सुविधा की मांग गैंग लीडर से सौदा करते हैं। यदि ठेकेदारों को श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो वे परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। वैसे ठेकेदार कम से कम सुविधायें देने को स्वीकार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के घण्टे 9 बजे प्रातः से 6 बजे सायं तक होते हैं, बीच में एक घण्टे का अवकाश होता है। कार्य के लिए श्रमिकों को 6 बजे प्रातः ही अपना घर छोड़ना होता है। जब कभी भी कार्यस्थल पर महिलाओं से बात करने के लिए कार्यस्थल पर गये तो निरीक्षकों द्वारा उन्हें बात करने के लिए मना किया या जल्दी ही बात समाप्त करने को कहा गया।

निर्माण कार्य में सरकार द्वारा न्यूनतम दैनिक मजदूरी 50 रूपये निश्चित की गयी है। महिलायें प्राय5 20 रूपये से 25 रूपये प्रतिदिन प्राप्त करती हैं। यह कार्य पर निर्भर है। जैसे– नहर निर्माण या सड़क निर्माण कार्य आदि कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की दरें अलग–अलग होती हैं। महिलाओं को केवल अकुशलता वाले कार्य दिये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें न्यूनतम दर पर मजदूरी दी जाती है। कुशलता पर आधारित कार्य पुरूषों द्वारा किये जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 35 से 40 रूपये तक प्राप्त होते हैं, जबकि महिलाओं द्वारा अधिक परिश्रम के कार्य किये जाने के बदले में केवल 25 रूपयों तक ही प्राप्त होते हैं।

विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग मजदूरी की दरें प्राप्त होती हैं। नहरों के किनारे पत्थर ले जाने के लिए 30 रूपये प्रतिदिन, पत्थरों को ट्रक पर लादने के लिए 60 रूपये प्रतिदिन जिसमें पत्थरों को तोड़ना, उसे ट्रक पर लादना शामिल है। पत्थर तोड़ने के लिए 60 पैसा प्रति पत्थर दिया जाता है। सिर पर पत्थर लादकर सड़कों के निर्माण के लिए ले जाने के लिए 40 रूपये प्रतिदिन दिये जाते हैं। इनमें कुछ कार्य के लिए महिला एवं पुरूषों को समान मजदूरी और अन्य कार्यों में महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त होती है। निर्माण कार्यों में भी श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनों का अभाव है, जिससे उनके हितों की रक्षा हो पाती है ओर उनके सौदा करने की शक्ति सीमित है।

<u>ईंटे बनाना :–</u> ईंट बनाने कार्य उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कि मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। यह कार्य अधिकांशतः मऊरानीपुर विकास खण्ड में किया जाता है। वैसे प्रत्येक विकास खण्ड में यह कार्य किसी न किसी पैमाने पर किया जाता है। अध्ययन में ईंट बनाने का कार्य 35 महिला परिवारों

द्वारा किया जाता है। इनमें से अधिकांश महिलायें मऊरानीपुर विकास खण्ड में थी। पुरूष व महिलायें दोनो मिलकर इस कार्य को करते हैं। अधिकांशतः एक ही परिवार की महिलायें दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। अधिकांशतः एक ही परिवार की महिलायें एवं पुरूष दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। यह कार्य दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। पहले स्तर पर मिट्टी से ईंटे तैयार करना और फिर उसे धूप में सुखाने का कार्य ओर दूसरे स्तर पर इन ईंटो को भट्ठे में लगाना व पकाने का कार्य किया जाता है। इनमें महिलाआं द्वारा दोनों स्तरों के कार्य किये जाते हैं और उनके कार्य पुरूषों के कार्य से अलग होते हैं। कार्य के प्रथम चरण में ईंट बनाने वाली टीम को कार्यस्थल पर रातों दिन रहना पड़ता है, क्योंकि यह कार्य लगातार किया जाता है। पुरूषों द्वारा खेतों में मिट्टी खोदने का किया जाता है और अधिक मात्रा में मिट्टी खोदी जाती हैं, जो लकड़ी के सांचे में डालकर ईंट का रूप देते हैं। बनी हुई ईंटो को महिलाओं द्वारा उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है जहां पर उन्हें रखा जाता है और उन्हें उन्हें सूखने के लिए छोड दिया जाता है। मिट्टी खोदने का कार्य शाम को प्रारम्भ किया जाता है, मिट्टी में पानी मिलाकर रखा जाता है और काम रात में प्रारम्भ किया जाता है। यह कार्य उस समय तक किया जाता है, जब तक भट्ठे के लिए आवश्यक मात्रा में ईंटे तैयार नहीं हो जाते हैं। एक भट्ठे में 50 हजार से एक लाख ईंटे एक साथ पकायी जाती हैं। श्रमिकों द्वारा ईंटो की गिनाई भी साथ–साथ की जाती है, जब आवश्यक मात्रा की ईंटे तैयार हो जाती हैं तो कार्य का दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

कार्य के दूसरे स्तर में धूप में सूखी ईंटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर चौकोर आकार में लगाना होता है, जिसके बीच में स्थान छोड़ना होता है, जिसके बीच कोयले के टुकड़े तथा रूई के गोले प्रत्येक पर्त में डाला जाता

है साथ ही धान की भूसी भी फैलायी जाती है। भट्ठा में ईंटे इस प्रकार लगायी जाती है कि जैसे–जैसे ईंटे की ऊँचाई बढ़ती जाती है, उसके आकार कम होता जाता है। सबसे नीचे वाले भाग के पास में लकड़ी रखी जाती है। जब भट्ठे को पूरी तरह तैयार कर लिया जाता है तो लकड़ी रखी जाती है। धीरे धीरे कोयले में आग पकड़ लेती है। धूप में सूखी हुई उन्हें धीरे–धीरे पकती है और रंग बदल देती है। अन्त में लकड़ी वे कोयला पूरी तरह जल जाती है और भट्ठा शान्त हो जाता है और ईंटे बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। काम के इस स्तर में भट्ठे में ईंटो के रखने की लम्बाई और चौड़ाई कोयले की मात्रा तथा अन्य ईंधन तथा ईंटो की पर्तों के लगाने के निर्णय का कार्य कुशल व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उन्हें मिस्त्री कहा जाता है। इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है। महिलाओं को ईंटो के सूखने वाले स्थान से भट्ठे में रखने वाले स्थान पर ढोने के लिए दैनिक मजदूरी पर लगाया जाता है। इस कार्य के लिए पुरूषों को भी लगाया जाता है।

सामान्यतया जो श्रमिक मिट्टी से ईंट बनाने का कार्य करते हैं यदि वे खाली रहते हैं तो दूसरे स्तर में भी कार्य करते हैं। ईंटों के बनाने का कार्य एक विशिष्ट कार्य हैं, इसके लिए ईंटे के भट्ट के पास रहना आवश्यक होता है। यह कार्य बरसात के मौसम को छोड़कर वर्ष भर किया जाता है। ईंट बनाने का मौसम दशहरे से होली तक होता है। दूसरा मौसम होली से जब तक बरसात नहीं होती तब तक का होता है। ईटों के भट्ठे प्रायः आबादी के बाहर हुआ करते हैं और प्रायः जनपद के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। श्रमिक विभिन्न भागों से इनमें कार्य करने आते हैं। पूरे मौसम में एक निश्चित मात्रा में ईंटों को बनाने के कार्य का समझौता हो जाता है और रमिक मौसम प्रारम्भ होते ही काम शुरू कर देते हैं। विभिन्न ईंटों के भट्ठे अलग–अलग करके घर

वापस आ जाते हैं। और कुछ दूसरे मौसम में भी कार्य करते हैं। काम प्राप्त करने के लिए श्रमिक पहले पहल ईंट भट्ठों के पास जाते हैं। इस कार्य में वे अपने सम्बन्धी रिश्तेदारों व पड़ोसियों से मदद प्राप्त करते हैं। जब दोनों पार्टियों में समझौता हो ज़ाता है और ईंट भट्ठों के मालिक जब श्रमिक के कार्य से संतुष्ट रहते हैं तो लम्बे समय तक श्रमिकों को कार्य मिला होता है।

ईंट भट्ठों के मालिक कभी–कभी किसानों से उनके खेत किराये पर ले लेते हैं और भट्ठों के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं। भू–स्वामियों को वे एक निश्चित किराया देते हैं। यदि भट्ठे मालिक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होते तो वे साझेदार बना लेते हैं और लाभ का बंटवारा हिस्सेदारों में होता है। कभी–कभी भट्ठे मालिक के पास खुद की जमीन होती है। इस प्रकार की स्थिति में श्रमिकों को पीस रेट के आधार पर खा जाता है। दूसरी व्यवस्था में किसान अपने खेत को समान बनाने या खेत की सतह को नीचा कराते हैं, ऐसी स्थिति में वे स्वयं श्रमिकों से ईंटे बनाने का समझौता खेत से मिट्टी खोदकर करते हैं। इसकी लागत किसान तथा श्रमिक दोनों मिलकर वहन करते हैं। बनी हुई ईंट को बेचकर लाभ प्रापत किया जाता है। यह कार्य छोटे खेतों पर एक या दो मौसम के लिए किया जाता है और जब खेत बराबर हो जाता है तो उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। श्रमिक किसी दूसरे किसान को ढूंढ़ लेते हैं, जिन्हें अपना खेत समतल बनाने या नीचा करने के लिए एक या दो मौसम में ईंट की पथाई करानी होती है।

ईंट बनाने के कार्य में मजदूरी का भुगतान पीस रेट के अनुसार किया जाता है, जो 50 से 70 रूपये हजार ईंट हुआ करता है। श्रमिक एक निश्चित समय तक कार्य करने के लिए सहमत होते हैं। मजदूरी की दरें ईंट निर्माण

संगठन द्वारा ईंट निर्माण श्रम यूनियन वैसे बात करके होली के समय प्रत्येक वर्ष घोषित कर दी जाती है। दिन भर में 1500 से 2000 ईंट बनाने के लिए तीन या चार श्रमिकों की एक टीम यदि वे अधिक परिश्रम करते हैं तो बना पाते हैं। यदि वे धीमी गति से कार्य करते हैं तो दिन भर में एक हजार ईंट बना लेते हैं। उनहें भुगतान रोज नहीं किया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में श्रमिकों को एक निश्चित मात्रा में अग्रिम दिया जाता है, जिसे खर्ची प्रणाली कहा जाता है। सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है जब श्रमिकों को एक निश्चित मात्रा में अग्रिम दिया जाता है, जिसे खर्ची प्रणाली कहा जाता है। सप्ताह में एक दिन निश्चित होता है जब श्रमिकों को एक निश्चित रकम दे दी जाती हैं सामान्यतया तीन या चार श्रमिकों के एक टीम को 100 रूपये की रकम दी जाती है। श्रमिक बनायी जानी वाली ईंटों का हिसाब रखते हैं तथा भट्ठा मालिक भी अपनी डायरी में बनायी गयी ईंटो की संख्या तथा श्रमिकों को अग्रिम के रूप में दी जाने वाली रकम लिखे रखते हैं। कभी–कभी मालिक श्रमिकों की हाजिरी भी मारते हैं। श्रमिक अधिकतर विश्वास पर कार्य करते हैं। मालिकों द्वारा रखे गये रिकार्ड पर श्रमिक विश्वास रखते हैं। बहुत कम पढ़े लिखे श्रमिक अपने कार्यों तथा लिये गये यपयों का स्वयं हिसाब रखते हैं। कभी कभी मालिक इन्हें हिसाब रखने के लिए डायरी दे देते हैं। मौसम के अन्त में उनके लेनदेन का हिसाब किया जाता है। वास्तव में श्रमिक द्वारा 1100 ईंटों के निर्माण के बाद भुगतान किया जाता है, क्योंकि एक हजार अच्छी ईंटों के निर्माण में 100 ईंटें टूट–फूट, बेकार के रूप में काट ली जाती हैं। श्रमिक अपना गुजारा प्राप्त अग्रिम से करते हैं, जिस दिन अग्रिम दिया जाता है, उस दिन छुट्टी होती है। ईंट के भट्ठे बाजार या बस्तियों से दूर होते हैं अतः श्रमिकों को अपने खाद्य सामग्री, ईंधन, दवा, और अन्य सामान खरीदने के लिए आस–पास के नगर में जाना होता है। उसी दिन वे अपने कपड़े साफ करते हैं तथा आराम करते हैं। खर्ची प्रथा कई कारणों से चालू

रखी जाती है। पहला कारण तो श्रमिकों को काम पर रोके खने के लिए जिससे वे काम को बीच में छोड़कर न चलें जायें। दूसरा कारण यह है कि मजदूरी की सह दर मौसम के अन्त में स्पष्ट होती है। तीसरा कारण यह है कि ईटों का निर्माण एक बड़ी मात्रा में किया जाता है और बेचने से पहले उसे पकाया जाता है तथा उसमें लगी रकम को वसूल करना होता है। भट्ठे मालिक श्रमिकों को कम से कम रकम देना चाहते हैं। केवल उनके खाने भर को पर्याप्त रकम ही दिया करते हैं। अच्छे मौसम के समय में श्रमिक अपने खाने व खर्चे से बचाकर तीन हजार से चार हजार रूपये तक बचाकर लाते हैं और औसतन एक हजार से पन्द्रह सौ रूपये घर पा लाया करते हैं। यह बचाकर लायी गयी रकम बरसात में उनके परिवार के व्यय के काम आती हैं, जब उनके पास कार्य नहीं होता है। इन श्रमिकों द्वारा अधिक परिश्रम के कार्य किये जाते हैं। अतः वे बरसात में आराम करना पसन्द करते हैं और उनके पास जो रकम होती है, उसी में गुजारा कर लेते हैं। वे वास्तव में अपने लिए बहुत अधिक पूंजी का निर्माण करने में सफल नहीं होते हैं। यदि वे बरसात के मौसम में भी कार्य करें तो वे कुछ रकम बचा सकते हैं। उन्हें त्यौहारों, विवाहों तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर व्यय करना होता है, कहीं–कहीं श्रमिकों को दो हजार से तीन हजार ईंटे बोनस के यप में दी जाती हैं।

श्रमिकों को नकद प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य सुविधायें नहीं प्राप्त होती हैं। ईंटे बनाने में प्रयोग आने वाले यंत्र व औजार भट्ठा मालिक के ही होते हैं। ईंट भट्ठों के पास रहने के लिए श्रमिकों को बिना पकी हुई ईंटे रहने का स्थान बनाने के लिए दी जाती है, जिसके द्वारा वे अस्थानयी निवास का निर्माण कर लेते हैं। उन्हें इन ईंटों को घर जाते समय वापस करना होता है। पानी भट्ठे के आस–पास ही मिल जाता है, क्योंकि ईंट निर्माण में जल एक आवश्यक आगत होता है पर अन्य सामान जैसे ईंधन, खाना बनाना, शौच,

बाल कल्याण, स्वास्थ्य और चोट इत्यादि लगने पर उसका इलाज स्वयं श्रमिकों को करना होता है। श्रमिक का पूरा परिवार उसके साथरहता हैं। कभी–कभी बुजुर्ग सदस्य भी इन्हीं के साथ जाते हैं और वे छोटे बच्चों की देखरेख किया करते हैं। ईंट के भट्ठे मुख्य सड़क व गांवों से दूर हुआ करते हैं। श्रमिक दूध के बकरियां अपने साथ ले आते हैं। उनके राशन कार्डों की उनके लिए उपयोगिता नहीं होती हैं। उन्हें खुले बाजार में अन्य लोगों की भांति उन्हीं मूल्यों पर सामान खरीदना होता है। बच्चों की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, जहां बच्चों को दो स्कूलों में भेजा जाता है। जब वे ईंट भट्ठे पर काम कर रहे होते हैं तो भट्ठे के पास के स्कूल में भेजते हैं और जब वे गांव में होते हैं तो गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं अधिकांश श्रमिक अपने प्रवासी प्रवृतित के कारण बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। वे अपने बच्चों को जहां वे जाते हैं अपने साथ ले जाया करते हैं। बच्चे जिस किसी भी कार्य में मदद करते हं जो वे कर सकते हैं। बच्चे वही कार्य करना सीख जाते हैं और उनके माता–पिता के प्रवासी प्रवृत्ति के कारण उनका भविष्य प्रमाणित होता है।

इस प्रकार के श्रमिकों को गांव से कोई भी ऋण की सुविधा नहीं मिल पाती है, क्योंकि वे गांव में बहुत कम होते हैं ईंट भट्ठे के मालिक भी उन्हें ऋण नहीं देते हैं। कभी–कभी मौसम के प्रारम्भ में उन्हें थोड़ी रकम मिल जाती हैं पर मौसम के समाप्त होने पर कोई भी रकम उन्हें मालिक द्वारा नहीं प्राप्त होती है। मजदूरी का भुगतान परिवार के मुखिया को किया जाता है और महिलायें कोई रकम नहीं प्राप्त कर पाती है। बहुत सी महिलायें हिसाब–किताब रखना नहीं जानती। थोड़ी बहुत रकम वे अपने पास रखती हैं। रूपये अधिकांशतः पुरूषों द्वारा रखे जाते हैं। महिलायें अपनी आवश्यकतानुसार पुरूषों से अपने व्यय के लिए रूपये मांग लेती हैं। कुछ पुरूष श्रमिक ईंटों के

निर्माण तथा उसमें लगने वाली पूंजी तथा आवश्यक वस्तुओं की लागत के बारे में ज्ञान रखते हैं। महिलायें इन सब बातों के बारे में जानकारी नहीं रखती है वे केवल उस कीमत के बारे में जानकारी रखती है, जिस पर ईंटें बिकती हैं। ईंटों की बिक्री भट्ठे पर ही होती है, जिसे ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है।

कुछ श्रमिक जाति के कुम्हार व मिट्टी के बर्तन बनाने वाले पाये गये जो मिट्टी के बरतन के काम को अधिक लाभदायक न होने के कारण ईंटे बनाने का काम्र करने लगे हैं। वे मिट्टी के कार्य में अधिक कुशल होते हैं और सरलता से ही ईंट बनाने का कार्य सीख लेते हैं। कुछ अन्य जाति के लोग भी ईंटे बनाने कार्य करते हैं। ईंट बनाने का धन्धा मिट्टी के बर्तन बनाने धंधे की भांति जाति पर आधारित नहीं है।

महिलाओं को ईंट बनाने का कार्य करने के अतिरिक्त घरेलू कार्य भी करना होता है। वे रात में ईंट बनाने तथा दिन में भोजन बनाने, कपड़ा धोने, पानी भरने बच्चों की देखरेख तथा मिट्टी खोदने का कार्य करती है, जिससे वे रात को ईंटे बनाने का कार्य के कारण थकी हुई होती हैं, उनके बदन में दर्द होता है, उनके हाथें की उंगलियों में कभी–कभी खून निकलता रहता है। उन्हें शीतकाल में भी कार्य करना होता है। उनके सिर के बाल भी गिरने लगते हैं। वे खुले में रहने की अभ्यस्त हो जाती है और अन्य कार्यों की तुलना में अधिक आय प्राप्त होने के कारण व ईंट भट्ठों में काम करती हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए जो भी कार्य मिल जाता है, उसे करना होता है।

महिलायें ईंट बनाने के कार्य में इसलिए लग जाती है, क्योंकि उन्हें अपने गांवों में अधिक काम नहीं मिल पाता है। यदि उन्हें भूमि तथा ऋण मिल जाये तो वे ईंट बनाने का कार्य स्वयं करने लगे जो दूसरों के भट्ठे पर जाकर

पीस रेट के आधार पर काम करने की तुलना में अधिक लाभदायक है। ईंट भट्ठों के पास खुले में रहने के लिए उन्हें भयमुकत होना आवश्यक है अन्यथा वे अपनी जीविका ईंट निर्माण द्वारा अर्जित नहीं कर सकते हैं।

महिलायें जो भट्ठों में लगाने के लिए ईंटे ढोने का कार्य करती हैं, उन्हें मजदूरी ईंटों की संख्या के आधार पर प्राप्त होती हैं। यहां पर 20 पेसे 25 पेसा प्रत्येक 21 ईंटों को ढोने के लिए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे दिन में 20 से 25 रूपये तक अर्जित कर लेती हैं, यह उस क्षेत्र के मजदूरी दर पर निर्भर है। उन्हें किसी भट्ठे पर इस से पन्द्रह दिनों के लिए काम मिल पाता हैं यह एक कठिन परिश्रम का कार्य है, उनके पैरों में सारे दिन इधर–उधर आते–जाते दर्द होने लगता है। यदि भट्ठा अधिक दूर होता है तो वहीं पर रूक जाती हैं और अपने बच्चों के साथ ले जाया करती हैं तथा अपना खाना वहीं बनाया करती हैं। भट्ठा मालिक द्वारा कच्ची ईंटे रहने का स्थान बनाने के लिए दिया जाता है।

ईंट भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों की ईंट श्रमिक संघ की स्थापना की गयी है जो श्रमिकों के हित के लिए क्रियाशील है, पर इसमें केवल पुरूष श्रमिको को ही सदस्य बनाया जाता है, यद्यपि महिलायें भी उतनी ही मेहनत से कार्य करती हैं, जितना पुरूष करते हैं। यूनियन द्वारा श्रमिकों के मजदूरी की दरें निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं प्रदान किया जाता है। महिला श्रमिकों को यूनियन के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बांस का कार्य :– बांस का कार्य एक विशेष जाति द्वारा किया जाता है, यह कार्य भंगी जाति के लोग करते हैं। यह एक परम्परागत जाति पर आधारित पेशा है। इस जाति के लोग गांव में दो या तीन परिवार रहते हैं। यह परिवार का पेशा है, जिसमें महिलायें विभिन्न प्रकार क कार्य करती हैं। केवल बाजार से कच्चे माल लाने के अतिरिक्त अन्य कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बांस, रैक्सीन, चमड़े की खाल, सूती धागे तथा मरे जानवरों की तांत आदि सामान सूप व टोकरियां बनाने के लिए बाजार से खरीदे जाते हैं। सूप फसलों के सफाई के समय अनाज को साफ करने के लिए सभी किसान परिवारों द्वारा प्रयोग किया जाता है और अन्य परिवारों द्वारा इसका प्रयोग घरेलू कार्य के लिए किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ दिनों के बाद इसे बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। सूप का निर्माण घरों में ही किया जाता है और गांव के लोग या तो इसे इनके घरों से खरीदते हैं या अन्य गांवों में दरवाजे जाकर इसे बेचा जाता है और टोकरी का प्रयोग खाद्यान्न रखने के लिए, खाद्यान्न ढोने के लिए, मिट्‌टी, फल व सब्जी आदि लाने के लिए किया जाता है। इसका भी निम्रण बांस द्वारा घरों पर किया जाता है और सूप की ही भांति इसकी बिक्री की जाती है। बांस का काम करने वाले परिवारों द्वारा या तो सूप बनाने या टोकरी बनाने का काय्र किया जाता है। दोनों समान एक ही परिवार द्वारा बहुत कम मात्रा में बनाने हैं।

यह व्यवसाय वर्ष भर किया जाता है पर कृषि के समय में इन परिवारों द्वारा पीन आय बढ़ाने के लिए कृषि श्रमिक के रूप में भी काय्र कर लिया जाता है। बांस का काम जजमानी प्रथा के अन्तर्गत किया जाता है, पर वर्तमान में यह नकद लेनदेन के आधार पर ही किया जाता है। बहुत कम ऐसा पाया गया कि लोग सूप लेने के लिए अनाज से बदला करते हैं। यह

काम अपने ही घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है और इस कार्य के लिए श्रमिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

इस कार्य में कच्चे माल प्राप्त करने का काम्र पुरूषों द्वारा ही किया जाता है। बांस की खरीददारी कुछ स्थानों से की जाती है, सिरकी, प्लास्टिक, रैक्सीन, चमड़े, मरे जानवरों के धागे आदि शहर के बाजारों से प्राप्त किये जाते हैं। कच्चे माल की खरीददारी प्रत्येक समय में एक ही स्थान से की जाती है। बांस व सिरकी का प्रयोग सूप बनाने वालों द्वारा किया जाता है। रैक्सीन, प्लास्टिक या चमड़े का प्रयोग सूप के बनने में प्रयोग किया जाता है। सिरकी को बांधने के लिए मरे जानवरों के धागे या प्लास्टिक के धागे काप्रयोग सूप बांधने के लिए किया जाता है। सूप के निर्माण के कच्चे माल की खरीददारी सूप के प्रकार पर निर्भर है, साथ ही श्रमिकों के पास प्राप्त धनराशि और क्षेत्र में सूप की मांग पर निर्भर है।

कच्चे माल खरीदने के लिए दो या तीन प्रणाली प्रचलित हैं– कुछ लोग आठ से दस दिन के कार्य करने के लिए थोड़ी मात्रा में कच्चे माल खरीदते हैं और कुछ लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में, जो लगभग एक माह के उत्पादन कार्य के लिए पर्याप्त होता है, सामान का कच्चे माल खरीदा जाता है। वे प्रायः बस से कच्चे माल खरीदने जाते हैं। और सामान सिर पर लादकर वापिस आया करते हैं कभी–कभी उन्हें बांस लाने के लिए लगेज चाज्र देना होता है।

बांस काफी मंहगा मिलता है, क्योंकि एक या दो बांस एक बार में खरीदा जाता है। यह 25 रूपसे से 50 रूपये का प्राप्त होता है। जो लोग एक माह के उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदा करते हैं उन्हें बांस कुछ सस्ता

मिल जाता है। अन्य कच्चे माल प्रायः स्थिर मूल्यों पर प्राप्त होता है। रैक्सीन, रिक्शा, कारके सीट कवर से बचे हुए भाग से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सूप के निर्माण में किया जाता है। चमड़े या तो मोची या चमड़े निकालने वाले लोगों से प्राप्त किया जाता है। मरे हुए जानवरों के तांत कसाई घरों ताि धागे धागे बेचने वालों से प्राप्त किये जाते हैं और सिरकी शहर के बाजारों में प्राप्त हो जाती है। सभी कच्चे माल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, का आकार दिये जाने का कार्य इस उत्पादन कार्य का सबसे अधिक कुशलता और दक्षता का कार्य है। पुरूष व महिलायें दोनों उत्पादन का कार्य करती हैं। बच्चे भी कभी–कभी उत्पादन कार्य में सहायता करते हैं, कुछ परिवार उत्पादन के सभी कार्य को एक ही बार में समाप्त कर देते हैं, जिससे प्रत्येक दिन उत्पादन तैयार कर लिया जाता है। कुछ परिवारों में काम विभिन्न स्तरों में तैयार किया जाता है, जिससे उत्पादन चार या पांच दिनों में तैयार किया जाता है। ओसतन दो कार्यकर्ता (पुरूष व स्त्री) एक दिन में दो सूपों का निर्माण कर सकते हैं। तेजी से काम करने वालों की टीम, जिसमें अधिक लोग काम करने वाले होते हैं, एक दिन में तीन या चार सूपों का निर्माण करते हैं। जो लोग एक सप्ताह या दस दिनों के उतपादन के लिए कच्चे माल लाते हैं, वे बीस से पच्चीस सूपों का निर्माण कर लेते हैं और उन्हें बेचते हैं। पन्द्रह दिनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीदने वाले लोगों द्वारा लगभग पच्चास सूपों का निर्माण किया जाता है और एक माह के उत्पादन का कच्चा माल खरीदने वालों द्वारा 200 से 250 सूपों का निर्माण किया जाता है।

अपने ही गांव में लोग सूप की खरीददारी उनके घरों से करते हैं। वे सूप की बिक्री अपने गांव में जब कभी इसका निर्माण होता है कर दिया करते हैं। जब इन्हें अन्य गांवों में बेचने जाना होता है तो वे कई सूपों को एकत्र करके अपने साि ले जाते हैं। सामान्यतया वे सप्ताह में इसकी बिक्री करते हैं

और दो या तीन दिनों में वे कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा गत सप्ताह में बनाये गये सभी सूपों की बिक्री हो सके। पुरूष एवं महिलायें दोनों सूप बेचने जाती है। महिलायें प्रायः अपने ही गांव में और पुरूष गांव के बाहर अन्य गांावों में सूप की बिक्री करने के लिए जाते हैं इसकी बिक्री इनके द्वारा नकद के आधार पर की जाती है। कोई भी व्यक्ति उन्हें इसके बदले में अनाज नहीं देता है, फिर भी कुछ महिलाओं ने यह बताया कि अभी भी महिलाओं द्वारा अपने गावं में बिक्री में एक सूप के बदले ढाई सेर अनाज मिल जाता है। सूपों की बिक्री व्यापारियों या दुकानदारों को नहीं की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा इन्हें अच्छी कीमत नहीं प्राप्त होती है। केवल मजबूरी की सिति में ही इसकी बिक्री व्यापारियों के यहां करनी होती है।

सूप बनाने की कुशलता परिवार में ही प्राप्त होती है। कुछ परिवारों में यह कार्य दर पुस्त दर या पीढ़ियों से चला आ रहा है। महिलायें यह कला या तो पअने माता–पिता या ससुराल में सीख लेती हैं। इसके निर्माण में विभिन्न आकारों के चाकू की आवश्यकता बांस काटने के लिए होती हैं तथा सिरकी सीने के लिए एक बड़ी सुई की तथा एक कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है। ये सब यंत्र परिवारों में होते हैं जो पीढ़ियों से परिवार में चलते हैं।

बांस के कार्य से प्राप्त होने वाली आय सूप को बेचने से प्राप्त कीमत पर निभ्रर हैं एक सूप की औसत कीमत 20 से 25 रूपये प्रति सूप के बीच होती हैं। पर कुछ परिवारों द्वारा 30 रूपये प्रति पीस प्राप्त कर ली जाती हैं। तांत से बने सूपों की कीमत कुछ अधिक होती है। सूप की कीमत उसमें लगे कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर है और बिक्री कीमत लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखकर ऊँची रखी जाती है। साथ ही इसकी कीमत कच्चे माल के खरीद की मात्रा पर भी निर्भर है। जो एक माह के कच्चे माल की खरीददारी करते हैं

उन्हें उन व्यक्तियों की तुलना में अधिक लाीा या आय प्राप्त होती हैं जो एक सप्ताह या दस दिनके उत्पादन के लिए कच्चे माल खरीद कर उत्पादन का कार्य करते हैं, कयोंकि इकट्ठा कच्चे माल खरीदने वालों की प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती हैं, जबकि कीमत समान होती है, इसलिए उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त कच्चे माल के प्रयोग पर भी उत्पादन लागत निर्भर है, वे लोग जो एक निश्चित कच्चे माल से अधिक उत्पादन की इकाइंया तैयार करते हैं तथा इसे बेकार होने से बचाते हैं उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है।

एक सप्ताह या दस दिन के उत्पादन के लिए 60 से 100 रूपये तक का विनियोग करना होता है, जिससे 20 से 25 सूपों का निर्माण किया जाता है, जिससे उन्हें 150 से 200 रूपये की आय प्रत्येक सप्ताह या दस दिनों में होती है। 150 रूपये के विनियोग द्वारा 50 सूपों का निर्माण किया जाता है, जिससे 350 से 500 रूपये की आय प्रत्येक 15 दिनों होती है और उनका लाभ 200 रूपये आदि 350 रूपयों का होता है। इसी प्रकार 300 रूपये या 350 रूपये के विनियोग द्वारा 180 से 200 सूपों का निर्माण किया जाता है, जिससे 2000 रूपये से 2500 रूपये में प्राप्त होती है। यह आय दो या तीन व्यक्तियों की मेहनत द्वारा जो एक सप्ताह के उत्पादन के आधार पर या पांच या छः व्यक्तियों की आय होती है जो महीने या डेढ़ महीने के कच्चे माल की खरीददारी के आधार पर उत्पादन कार्य करते हैं। इसी आय से इन परिवारों द्वारा अपनी आधारभूत आवश्यकताओं तथा आकस्मिक इसलिए उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में भी कार्य करना होता है या अन्य कार्य जो मिलता है, उसे करते हैं।

इस कार्य में लगे श्रमिक जब तक उनके द्वारा बनाये गये उत्पाद बिक नहीं जाते, तब तक वे पुनः कच्चा माल लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास अधिक मात्रा में धनराशि विनियोजन के लिए नहीं होती है। जब कभी उनका उत्पाद बिक नहीं जाता वे अधिक कच्चे माल नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी सिीति में वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उन्हें नकद की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपना भोजन व कुछ धनराशि से कच्चा माल खरीदते हैं। वे अपना सामान सस्ते में भी निकाल देते हैं, जब उसके खराब होने की सम्भावना होती है। सामान बेचने से जो रकम प्राप्त होती है, वे पूरी रकम व्यय नहीं करते, जिस रकम का कच्चा माल खरीदना होता है, उस धनराशि को निकाल कर यदि वे शेष धनराशि में से भी कुछ बचा लेते हैं, तो वे अगले उत्पादन के लिए कुछ अधिक मात्रा की रकम का विनियोजन करते हैं। यदि किसी उत्पादन के चक्र में उनहें किसी आकस्मिक व्यय का सामना करना पड़ जाता है, तो उनहें अपनी पूंजी का भी उपयोग करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में पूंजी एकत्र करने के लिए दूसरा काम करना पड जाता है या उधार लेकर उत्पादन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाता है और जब पुंजी नहीं मिल जाती, उत्पादन बन्द रखा जाता है।

जो लोग बांस की टोकरी बनाने का काम करते हैं वे चार बांसों से छः बड़ी या आठ छोटी टोकरियं बना लेते हैं। पुरूष तथा महिलायें दोनों टोकरी बनाने का कार्य करते है। बांस को बड़ी–बड़ी पटरियों में पहले काट लिया जाता है। इसके बाद टोकरियां बनायी जाती हैं। बड़ी टोकरी 45 रूपये की एक बेचते हैं, जिसमें 60 रूपये का विनियोग होता हैं। एक सप्ताह के उत्पादन कार्य के लिए चार बांस पर्याप्त होते हैं। दस दिनों में 300 रूपये की आय प्राप्त होती है, क्योंकि इसे बेचने में दो या तीन दिन लग जाते हैं। छोटी टोकरियां 20 रूपये में बिकती हैं और दस दिनों में कुल 200 रूपये की प्राप्ति

होती है। वे पांच बांस खरीदते हैं, जिसके लिए उनहें 70 से 75 रूपये व्यय करने होते हैं प्रत्येक सप्ताह 100 से 150 रूपये की आय प्राप्त होती हैं। इसे बेचने के लिए पुरूष एवं महिलायें एक गांव के दूसरे गांव जाया करते हैं।

टोकरियां बेचने से प्राप्त आय पुरूष एवं महिलाओं दोनों के हाथ में आया करती हैं। महिलायें इसे गिन नहीं सकती हैं, इसलिए परिवार का व्यय पुरूषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महिलायें अधिकांशतः अनपढ़ होती हैं। इनमें से कुछ गिन सकती हैं, सभी कार्य मौखिक हुआ करते हैं। इसलिए महिलाओं की निरक्षरता एक बाधा नहीं है। कभी–कभी महिलायें कच्चे माल की लागत व सूप और टोकरी की मांग को जनती हैं, पर उन्हें कच्चे माल की लागत व सूप और टोकरी की मांग को जानती हैं, पर उन्हें कच्चे माल खरीदने का स्थान ज्ञात नहीं होता है। इन श्रमिकों की कोई प्रतिनिधि संस्था नहीं होती है। यद्यपि वे कठिन परिश्रम करते हैं पर उन्हें इस कार्य से बहुत कम आय प्राप्त होती है। एक ही स्थिति में बैठे–बैठे उनकी कमर दर्द करने लगती है। उनकी आंखों पर भी भार पड़ता हैं वे अपने काय्र में अधिक रकम लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उनका कहना था कि हम लोगों के पास नोट छापने की मशीन नहीं है। कच्चे माल की खरीददारी जब हम लोगों के पास पैसा हाता है, तब की जाती है। कच्चे माल की गुणवत्ता हम लोगों के पास प्राप्त रकम की मात्रा पर निर्भर है। हम लोगों को अपना उत्पादन बेचने के लिए बहुत दूर–दूर जाना होता है, जब हम अपना उत्पादन बेचने में असमर्थ होते हैं, तो श्रमिक का कार्य करना होता है, बड़ी कठिनाईयों से हम अपना पेट भर पाते हैं, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमारे बच्चे खिचड़ी खाकर रहते हैं। जब हम व्यापारियों को अपना माल बेचते हैं, तो हमें हानि उठानी पड़ती है। हम अपना माल हानि पर नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इसको बनाने में हमें कठिन मेहनत करना होता है। जब हम

लोग अपना माल नहीं बेच पाते तो मजबूर होकर व्यापारियों के हाथ हानि पर बेचना पड़ता है। इस प्रकार कठिन परिश्रम के बाद भी हमें अपने व्यापार से कुछ भी नहीं मिल पाता है।

<u>नरकट का कार्य :–</u> नरकट एक प्रकार का जंगली पौधा है जो झांसी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में जंगलों या खेतों के चहारदिवारियों तथा ऊँची नीची भूमियों पर हुआ करता है। इसका प्रयोग बरतनों को रखने के लिए आधार बनाने और चारपायी के बांध या रस्सी बनाने के काय्र में लाया जाता है। हरिजन की एक विशेष जाति द्वारा इस कार्य को किया जाता है। यह कार्य विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरूषों द्वारा नरकट को खेतों तथा खुली जगहों से लाकर देने तथा इससे बने उत्पादों को बेचने के कार्य में मदद ली जाती है। इस कार्य में जहां कहीं से भी मिल जाता है, नरकट एकत्र करने का कार्य किया जाता है। महिलायें नरकअ से बरतन स्टैण्ड और अन्य सामान बनाती हैं और नकद या अनाज के बदले में बेचती हैं। नरकट प्रायः अक्टूबर से नवम्बर माह में प्राप्त होता है। महिलायें दो या तीन की समूह में अपने बच्चों तथा पुरूषों के साथ जाकर हसिया से नरकट काटने का कार्य करती हैं और प्रत्येक परिवार द्वारा अधिक से अधिक नरकट काटकर रख लिया जाता है, जिससे वर्ष भर उत्पादन का कार्य किया जा सके, क्योंकि नरकट एक विशेष समय पर ही प्राप्त होता है। इसलिए पूरे वर्ष के लिए नरकट का स्टाक रख लिया जाता है।

नरकट का किसी परिवार द्वारा कितना स्टाक रखा जाता है, यह अपने गांव तथा आस–पास के क्षेत्रों में उसके द्वारा बने उत्पादों की मांग तथा परिवार में कितनी महिलायें इस कार्य को करती है। इस पर भी निर्भर हैं। नरकट को बण्डल में बांधकर रखा जाता है तथा 150 से 250 बण्डल तक

एकत्र करके रखा जाता है। जहां पर इसकी मांग अधिक नहीं होती, जैसा कि बबीना विकास खण्ड में है, उन क्षेत्रों में 50 से 60 बण्डल तक एकत्र किये जाते हैं। नरकट को हंसिया से कटना एक कठिन कार्य " और महिलायें अधिकतर घायल भी हो जाती हैं जंगलों में जाकर नरकट काटकर एकत्र करना भी एक कठिन कार्य है, उन्हें सात से दस किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उन्हें जंगल में कांटों और झाड़ियों में घूमना पड़ता है, जिससे उन्हें चोट भी लग जाती है। कभी–कभी जिन किसानों के खेत के चारों और इस लगाया जाता है वे इसे काटने नहीं देते हैं। कभी–कभी उन्हें इसको काटने पर उन्हें मार खानी पड़ती है और उन्हें खेत से निकाल दिया जाता है। कुछ किसानों द्वारा इसे बेंच दिया जाता है। और उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है। किसान सोचते हैं कि यह उनक लिए कच्चा माल है, जो उन्हें मुफ्त में क्यों दिया जाय इसलिए उन्हें कुछ कीमत प्राप्त करके दिया जाता है। महिलायें दो रूपये का एक बण्डल नरकट प्राप्त करती हैं। जब नरकट खरीदने से प्राप्त होता है तो उनके पास जितना पैसा होता है, उसी के अनुसार वे खरीददारी करती हैं। नरकट बेचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, पर अभी बड़ी मात्रा में नरकट खरीदने से ही नहीं प्राप्त होती है। महिलायें इसे अपने सिर पर लादकर घर पा लाती है। कभी–कभी पुरूषों द्वारा साइकिल का प्रयोग किया जाता है। जब नरकट की मात्रा अधिक होती है तो गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जब परिवार में पर्याप्त सदस्य नहीं होते हैं तो श्रमिक काम में लगाये जाते हैं और उन्हें 15 बण्डल के लिए 30 रूपये प्रतिदिन दिया जाता है। महिलायें ज्वार और धान के पौधे भी इन्हें बांधने के लिए एकत्र करती हैं।

नरकट को पहले तालाब, या पानी के गढ्ढे में एक माह के लिए डाल दिया जाता है, बाद में इसे पानी में डालकर मुलायम तथा चिकना बनाया जाता है। एक माह के बाद उसे पानी से निकालकर धूप में सुखाया जाता है।

इसके बाद उसे छाया में किसी खम्बे या खूंटी में टांग दिया जाता है। ऐसे गांव जहां पानी नहीं मिलता है, वहां पर इसे पानी में भिगोने की समस्या होती है।

जब इसकी सहायता से बरतनों के रखने का स्टैण्ड (पाट होल्डर) बनाना होता है तो थोड़ी मात्रा मे सूखे नरकटों का प्रयोग किया जाता है। इसे छीलकर और भी पतला करके पुन5 पानी में भिगोया जाता है। इसके बाद उसे लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है, जब तक कि यह मुलायम और लचीला नहीं हो जाता है और इसी से बिनकर बर्तनों के स्टैण्ड आदि बनाये जाते हैं। ज्वार व धान के पौधें के सूखे पुआल का प्रयोग इसके अन्दर डालकर ऊपर से नरकट से बुनायी की जाती है, जिससे बरतनों का स्वरूप बन जाता है। इसे गोले के आकार में बदला जाता है, इसके चारों और नरकट से गट्ठी देकर बिनाई का कार्य किया जाता है, कभी–कभी इसके बीच में कपड़े के टुकड़ों का प्रयोग पुआल और नरकट के बीच किया जाता है। धान का पुआल महिलाओं को उन किसानों से प्राप्त हो जाता है, जहां वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं तथा कपड़े के टुकड़े गांव की दर्जी के पास से प्राप्त हो जाते हैं। कहीं–कहीं वे कपड़े के टुकड़े या कतरन वजन में तौलकर 5 रूपये किलो के हिसाब से प्राप्त करती हैं बनी हुई सामग्री गांव के घरों में बेची जाती है। वे दूसरे गांव में जाकर भी इसे बेचती हैं या नगर के किसी दुकानदार को इकट्ठा बेच दिया करती हैं।

इस प्रकार बनी हुई टोकरी, बरतन स्टैण्ड आदि सामान 5 पैसे से 7 रुपये की बिकती है। कुछ गावों मे इसे अनाज के बदले में बेचा जाता है। वर्ष भर लगातार इन सामानों को देने के लिए आधा मन अनाज दिया जाता है। पर ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहां एक से दो मन तक अनाज इसके लिए

दिया जाता है। जिसके द्वारा परिवार में लगने वाले सभी सामनों की पूर्ति इनके द्वारा की जाती है। ये सामान अधिक दिनों तक नहीं चलते हैं।

एक बण्डल नरकट से एक अच्छे कार्यकर्ता द्वारा दस से बारह इनडोनीच बना सकता है। कुछ महिलायें केवल उतने ही बण्डलों से उसका आधी संख्या में इन्डोनीच बना सकती है। इन्डोनीज के अतिरिक्त वे सुधीयास भी बनाती हैं। बड़े बरतनों की मांग बहुत अधिक होती है। पर बड़ी मांग के बर्तनों का निर्माण आदेशों के आधार पर किया जाता है, क्योंकि इनमें अधिक समय और अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है। एक दिन में दो या तीन सुधीयास उसी नरकट के बण्डल से बनायी जा सकती है। इसी प्रकार एक बर्तन स्टैण्ड (पाट होल्डर) जिसे सीध (सीका) कहते हैं। यह बर्तन के शक्ल का एक प्लेट होता है, जिसे बर्तन को बदलने में प्रयोग किया जाता है। इसे भी आदेश प्राप्त होने पर बनाया जाता है। एक सीका बनाने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सीका और सुधियास से इन्डोनीज की तुलना में अधिक दाम प्राप्त होता है। सुधियास लगभग दस रूपये की और सीका के लिए 10 से 15 रूपये प्राप्त हो जाते हैं। पर इन वस्तुओं की मांग बहुत कम होती है। एक माह में चार या पाचं सुधियास और दो सीका बनाया जाता है। जब इन्हें अनाज से बदला जाता है तो सुधियास के बदले दो से पांच सेर अनाज प्राप्त होता है। जब इसकी वार्षिक आधार पर आपूर्ति की जाती है तो इसके अन्तर्गत इन्डोनीज, सीका और सुधियास तीनों को शामिल किया जाता है। सामान्यतया आधा मन अनाज के बदले 10 से 15 इन्डोनीज दो सुधियास तथा दो सीका दिये जाते हैं।

जब इन्डोनीज की बिक्री महिलाओं द्वारा अपने ही गांव मे की जाती है तो परिवारों द्वारा इसकी आपूर्ति करने की सूचना समय–समय पर दी जाती

है। जब महिलाओं को पैसे की या अनाज की आवश्यकता होती है तो वे गांव में घर–घर जाकर इन्डोनीज देने के लिए पूंछती हैं। जब इनहें अन्य गांवों में बेचा जाता है तो महिलायें दो या तीन टीम के समूह में घर–घर जाती हैं और इन्डोनीज बेचा करती हैं जब वे किसी दुकानदार को अपना माल दिया करती हैं तो उसे अधिक मात्रा में उसकी आपूर्ति करती हैं। दो या तीन दिनों में वे गांव के बाहर इन्डोनीज बेचने के लिए निकलती हैं। जहां पर इनकी आपूर्ति दुकानदारों को की जाती है, उन्हें 15 दिनों में माल दिया जाता है। पर कभी–कभी इन लोगों के पास बस का किराया तक नहीं होता है, जब वे इसे दुकानदार के पास बेचने के लिए जाया करती है।

जब इन्डोनीज बेचेन के लिए महिलायें दूर के गांवों के इन्डोनीज बेचने जाती हैं तो वे उस समय तक अपने गांव वापस नहीं आती हैं, जब तक उनका पूरा माल नहीं बिक जाता है। आवश्यकता पड़ने वे उस गावं में रात को भी रूक जाती हैं और अगले दिन उसे बेचने का प्रयास करती हैं। यही कारण यही कारण है कि वे बेचने के कार्य लिए अकेले न जाकर एक समूह में जाया करती हैं। जब इन सामानों बिक्री वार्षिक खाद्यान्न के आधार पर की जाती है तो इनके परिवार निर्धारित होते हैं। एक नरकट का कार्य करने वाले परिवार द्वारा बारह से पन्द्रह परिवारों को इसकी आपूर्ति की जाती है। यदि किसवी गांव में केवल दो या तीन परिवार इस कार्य को करने वाले होते हैं तो परिवारों को विभाजन बराबर संख्या के आधार पर होता है। इन परिवारों द्वारा अपने गांव से वस्तु की आपूर्ति द्वारा कितनी आय प्राप्त होगी यह उनके गांव वालों के साथ सम्बन्ध पर निर्भर है। यदि इनके सम्बन्ध गांव वालों से अच्छे नहीं होते तो गांव के अमीर लोग इन्डोनीज की खरीददारी या तो दूसरे गांव से या नगरों से करते हैं और गावं वालों से इसकी खरीददारी नहीं करते हैं।

यह केवल बदले की भावनावश किया जाता है, जिससे इन श्रमिकों की स्थिति और भी खराब हो जाती है।

नरकट के कार्य से बहुत अधिक आय नहीं प्राप्त होती है, परयह कुछ परिवारों के आय का साधन हैं इन्हें प्राप्त होने वाला अनाज एक प्रकार से भूख के प्रति सुरक्षा का कार्य करता है, भले ही वह वर्ष के कुछ महीनों के लिए पर्याप्त होता है। जब इन श्रमिकों को धनराशि या नकद प्राप्त होता है, तो वे अपना खाद्यान्न खरीदते हैं। वे अपने माल की आपूर्ति के बदले खाद्यान्न लेगें या नकद यह उनके परिवार में प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा पर निर्भर है। सभी परिवारों द्वारा अपने परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य कार्य करते हें, वे कृषि कार्य, मिट्टी खोदने तथा अन्य श्रम प्रधान कार्य करते हैं जो भी उन्हें समय–समय पर प्राप्त होता है। पर ये कार्य मौसमी होते हैं ओर वे वर्ष के कुछ ही दिनों के लिए प्राप्त होता है। वे नरकट का कार्य इसलिए करते हैं, क्योंकि अन्य जाति के लोग इसे करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए वे अपनी आय को बढ़ाने के लिए कोई भी दूसरा कार्य करते हैं और जैसे ही दूसरा कार्य समाप्त हो जाता है वे नरकट के कार्य पर वापस आ जाते हैं। वे अपने परिवार के खाद्यान्नों की आवश्यकता को जानते हैं। उनका पहला उद्देश्य परिवार के लिए वर्ष भर के लिए पर्याप्त अनाज की प्राप्ति करना होता है। उन्हें नकद की भी आवश्यकता होती है और नकद के लिए अधिमान उस समय होता है, जब परिवार के लिए पर्याप्त अनाज एकत्र कर लिया जाता है। जब कभी उनके पास खाद्यान्न पर्याप्त होता है और उनके लिए नकद की आवश्यकता बहुत अधिक होती है तो वे नकद प्राप्त करने के लिए अनाज को बेंच देते हैं और नकद प्राप्त करके इसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह उन गांवों में होता है जहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में अनाज (प्रति परिवार दो या तीन मन अनाज प्राप्त होता है) प्राप्त होता है। उन्हें

अनाज मिलता है, नकद नहीं। वे उधार भी लिया करते हैं जिसे वे बाद में वापस करे हैं। यह इसलिए आवश्यक होता है, कि वे अपना पूरा अनाज बेच नहीं सकते, क्योंकि भोजन की आवश्यकता होती है। यदि वे अनाज प्राप्त करते हैं तो अनाज को दुकानों पर बेचकर आवश्कयता की अन्य वस्तुएं खरीद ली जाती हैं।

कुछ महिलायें नरकओं से रस्सियां भी बनाती हैं जो चारपाइयां बनने के काम आती हैं महिलायें रस्सियां बनाती हैं और पुरूष विभिन्न परिवारों में चारपायी के बुनाई का काम करने जाते हैं। एक चारपायी में दो या तीन बण्डल नरकट की आवश्यकता होती है। इस कार्य में उन्हें एक चारपायी की रस्सी के लिए 20 रूपये व बुनाई के कार्य के लिए भी 15 से 20 रूपये प्राप्त होते हैं। पुरूषों द्वारा बुनाई का कार्य अन्य गांवों में भी किया जाता है। कभी–कभी चारपायी बिनने के बजाय केवल रस्सी ही बेच दी जाती है।

महिलायें नरकट के कार्य के साथ घरेलू कार्य भी करती हैं। घरेलू कार्य समाप्त करने के बाद वे इस कार्य को करती हैं। वे पांच से 6 घण्टे इस कार्य को करती हैं। बच्चों की देखरेख भी कार्य के साथ–साथ की जाती है। महिलायें इन्डोनीज बनाकर अपने दिन प्रतिदिन के व्ययों को पूरा करती हैं। जब वे नरकट प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाती हैं तो वे इस कार्य को नहीं करती हैं, बल्कि वे पहले से कुछ इन्डोनीज बनाकर रख देती हैं, जिसे बेंचकर वे कुछ अनाज या पैसे प्राप्त करती रहती हैं। मौसम के समय वे एक दिन उत्पादन का कार्य तथा एक दिन नरकट एकत्र करने का कार्य करती हैं। वे इतने अधिक मात्रा में नरकट एकत्र करती हैं कि वह अगले मौसम तक चल सके।

बरसात के समय में नरकट को सूखे रखना एक समस्या होती है। सूखे महीनों में नरकट झोपड़ियों के छत पर रख दी जाती है पर बरसात में इसे पार के अन्दर रखा जाता है। यदि नरकट भीग जाती है तो वह बेकार हो जाती है ओर उस समय अन्य माल नहीं मिल पाती है। इन लोगों को अपना कच्चा माल सावधानी से बचाकर रखना होता है। यद्यपि इनकी झोपड़ियां छोटी होती हैं पर वे कच्चे माल को उसी में बचाकर रखना होता है। यद्यपि इनकी झोपड़ियां छोटी होती हैं पर वे कच्चे माल को उसी में बचाकर रखते हैं। महिलायें अपनी गरीबी के बारे में बहुत ही जागरूक हैं उनका कहना था कि इस कार्य को करते हुए हम लोगों का जीवन बीत जाता है, हम लोग बूढ़ी हो गयी हैं पर कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लोगों के हाथ में खरोंच पड़ गयी हैं पर कोई सुधार व विकास नहीं हुआ है। हम लोगों के हाथ थक गये हैं, हमारा शरीर एक ही स्थिति में बैठे–बैठे दर्द करने लगता है, यदि हम लोग अपने हाथों की खरोंच को देखें तो अपना पेट कैसे भरें। यदि हम लोग दूसरा काम करने जाते हैं तो प्रत्येक दिन खाना हम लोगों को नहीं मिलेगा। जब हम कृषि में कार्य करते हैं तो कुछ पैसा हाथ में दिखायी पड़ता है। जब कभी हमें नकद की आवश्यकता होती है घर के अनाज को बेचना पड़ता है।

अन्य पेशों की भांति इन श्रमिकों की कोई प्रतिनिधि संस्था कार्य नहीं कर रही है, जो इनके आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा कर सके।

<u>चमड़े का कार्य :–</u> यह एक जाति प्रथा पर आधारित पेशा है, जिसे चमार जाति के लोग करते हैं। हरिजन जाति में चमार एक उपजाति है। बर्तन उद्योग की भांति यह भी एक परम्परागत उद्योग है पर इसे कार्य के कुछ स्तरों में तकनीकी परिवर्तन आये हैं। यह एक पारिवारिक कार्य है, जिसमें महिलायें

कुछ कार्यों में मदद करती हैं। इस कार्य में कुछ काम घर के अन्दर तथा कुछ घर के बाहर पूरा किए जाते हैं।

जब गांव में कोई जानवर मर जाता है तो चमारों को सूचना दी जाती है। मरे हुए जानवर को पहले गांव के बाहर उठाकर ले जाया जाता है। चमार की बस्तियों में जो भी व्यक्ति उस समय खाली होता है, इस कार्य के लिए जाता है। यह एक अधिक परिश्रमी कार्य है, महिलायें भी इसमें सहायता करती हैं, जब पुरूषों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है। अधिकांश गांवों में जानवर को खींचकर बाहर ले जाया जाता है। महिलायें तथा पुरूष दोनों ही जानवरों को खींचते–खींचते थक जाते हैं, कभी–कभी उन्हें कंधे पर लादकर ले जाया जाता है। कुछ गांवों में अब चमारों द्वारा एक गाड़ी का प्रयोग जानवरों को ले जाने के लिए किया जाता है, जिससे उनका कार्य हल्का हो जाता है। गांव के बाहर जानवर ले जाकर चाकू और कैचियों से उसके खाल निकालने का कार्य किया जाता है। हड्डियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरूष तथा महिलायें दोनों मिलकर इस कार्य को करती हैं चमड़े को सावधानी के साथ निकाला जाता है, जिससे उसे नुकसान कर रख लिया जाता है। जानवर के चमड़ने निकालने का कार्य में दो या तीन घण्टे लग जाते हैं। इस कार्य के लिए चमारों द्वारा अपने यंत्रों और औजारों का प्रयोग किया जाता है। कुछ गांवों में किसानों द्वारा अपनी बैलगाड़ी जानवर को फेंकने के लिए दी जाती हैं और कहीं–कहीं चमारों को इसके लिए दस से पच्चीस रूपये तक किराया देना होता है।

चमड़ा निकालने के बाद इसे महिलाओं को दे दिया जाता है, जो नमक लगाकर इसके काटने का कार्य करती हं। एक बड़े जानवर के चमड़े को साफ करने में लगभग दस किलो नमक लग जाता है। महिलायें यह नमक

दुकानदार से खरीदकर इसका तुरन्त उपयोग करती हैं। नमक लगा हुआ चमड़े को सूखने के लिए 48 से 60 घण्टे तक लगते हैं नमक द्वारा चमड़े की दुर्गन्ध दूर होती है तथा कीट नाशक होता है और यह चमड़े में नमी बनाये रखने में सहायक होता है। चमड़े को छाया में सुखाना अच्छा माना जाता है। इसके बाद इसे मोड़कर रखा जाता है। चमड़े की कीमत उसके सूखने के गुण पर निर्भर है। जिसका अर्थ है कि चमड़े मे काले धब्बे नहीं होना चाहिए, जो सूरज की रोशनी में चमड़ा सूखाने के कारण या सम धरातल के न होने पर होता है। एक समान सूखने के लिए चमड़े को कुछ घण्टों के बाद उलटना होता हैं। जाड़े में चमड़ा गर्मियों की अपेक्षा अच्छी तरह सूखता है। बरसात में इसका सूखना कठिन कार्य है। महिलाओं द्वारा इसे अपने घरों के भीतर चमड़े के सूखाने का कार्य करती हैं, जिसके कारण उन्हें विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

चमड़े के सूखने के बाद चमड़े के उत्पादन योग्य बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। परम्परागत तरीके द्वारा चमड़े की सफाई, घस व पेड़ के छालों द्वारा की जाती है, जिसके अन्तर्गत प्रकृति प्रदत्त रसायन कुंआ करते हैं। इस तरीके में महिलाओं को बहुत से काम करने होते हैं, जैसे घास और पेड़ों की छाल को एकत्र करना, उन्हें महीने लग जाता है, फिर भी उद्योगों के रसायन द्वारा साफ किये गये चमड़े की तुलना में अधिक कड़ा तथा मोटा होता है। चर्म शोधन की आधुनिक तकनीकों के विकास तथा चर्म शोधन उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप अब उद्योगों के रसायन द्वारा साफ किये गये चमडत्रे तुलना में अधिक कड़ा तथा मोटा होता हैं चर्म शोधन की आधुनिक तकनीकों के विकास तथा चर्म शोधन की आधुनिक तकनीकों के विकास तथा चर्म शोधन उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्परूप अब उद्योगों तकनीकों के विकास तााि चर्म शोधन उद्योगों की स्थापना के पिरणाम स्परूप

अब उद्योगों द्वारा शोधित चमड़े, का प्रयोग बढ़ रहा है। अब परम्परागत तरीके से चर्म शोधन के बजाय उद्योगों द्वारा शोधन का कार्य किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त चमारों के पूंजी में ह्रास हुआ है और उनके पास चर्म शोधन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। चर्म शोधन की पुरानी विधि धीरे–धीरे समाप्त हो रही है और चमार अधिक तर आंशिक रूप से सूखे चमड़े को बेच देते हैं। इस प्रकार सूखे हुए चमड़े खरीदने के छोटे व्यापारियों का उदय हुआ है और उन चमारों में से ही कुछ लोग इस कार्य को करने लगे हैं। वे गांव–गांव घूमकर इस प्रकार प्राप्त चमड़े की खरीददारी करते हैं। चमार इन व्यापारियों का इन्तजार चमड़ा बेचने के लिए करते हैं, क्योंक उनसे कुछ अधिक कीमत चमड़े की प्राप्त हो जाती है। यदि चमारों द्वारा इन व्यापारियें से ऋण प्राप्त किया गया होता है तो चमड़े की उन्हें कुछ कम मूल्य प्राप्त होता है। चमारों को रूपये की अधिक आवश्यकता होने पर वे अपने चमड़े को बेचने के लिए जाया करते हैं। यह मजदूरी में बिक्री की स्थिति होती है। व्यापारी इन चमड़े को शोधक कारखानों में बेचते हैं और इसका शोधन के पश्चात पुनः चमारों को इनकी वस्तुएं बनाने के लिए प्रापत हो जाता है। कुछ केन्द्रों पर अभी भी पुराने तरीके से चमड़े का शोधन किया जाता है, फिर भी चमार शोधित चमडत्रे व्यापारियों से ही खरीदते हैं। व्यापारीगण आस–पास के गांवों में जाकर सूखे चमड़े खरीदने का कार्य करते हैं पुरानी तथा आधुनिक दोनों तरीकों से चमड़े के शोधन में पर्याप्त मात्रा में चमड़े की प्राप्ति का होना आवश्यक है और इसके लिए दोनों प्रकार के तरीकों से शोधन करने वाले अधिक मात्रा में सूखे चमड़े खरीदते हैं।

पुराने तरीके के शोधन विधि में बहुत सी महिलायें इसकी प्रक्रिया से परिचित हैं और वे स्वयं चर्म शोधन का कार्य भी करती हैं आधुनिक तरीके में यह पूर्णतया पुरूषों का ही कार्य हो गया है। महिलाओं को श्रमिक के रूप में

लगाया जाता है, जो शोधन कार्य में पानी भरने का कार्य करती हैं। आधुनिक तरीके में उद्योगों से बने रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रसायनों का अनुपात तथा समय दोनों ही अलग–अलग होता है और महिलायें इन तरीकों से परिचित नहीं है। आधुनिक तरीके से शोधित चमड़े को तैयार होने में लगभग एक माह का समय लग जाता हैं यह पुरानी विधि से शोधित चमड़े की तुलना में अधिक मुलायम होता है पर यह कम टिकाऊ होता है।

विभिन्न गांवों में सूखे चमड़े अलग–अलग स्थानों पर बेचे जाते हैं एक गाय का चमड़ा 75 से 100 रूपये, भैंस का चमड़ा, 100 रूपये से 125 रूपये तथा बैल का चमड़ा 75 से 100 रूपये तथा बकरी का चमड़ा 75 से 100 रूपये का बिकता है।

वर्तमान में इस पेशे से चमारों को यदा कदा आय प्राप्त होती है, जो आंशिक रूप से शोधित चमड़े की बिक्री का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें आय केवल उस समय प्राप्त हो सकती है, जब गांव में कोई जानवर भरता है। इस घटना के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यदि किसी गांव में एक या दो चमारों के परिवार होते हैं, उन्हें वर्ष में सात या आठ चमड़े प्राप्त हो जाते हैं। जब चमारों के परिवारों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें एक या दो चमड़े वर्ष में प्राप्त हो जाते हैं। जब जानवरों में कोई महामारी फैलती है तो उन्हें अधिक चमड़े प्राप्त हो जाते हैं। यदि जानवरों की अच्छी देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छे भूसे और भोजन दिया जाता है तो वे स्वस्थ रहते हैं तथा अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। ऐसी स्थिति में उकने कम चमड़े प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऐसे गांव जहां लोग कम मात्रा में जनवर पालते हैं, वहां भी चमड़े अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होते हैं। यह उन लोगों का एक नियमित पेशा बन जाता है जो चमड़े के शाधन का कार्य करते हैं, कयोंकि यह एक

लगातार चलने वाला कार्य होता है, जो लोग आंशिक रूप से शोधन का कार्य करते हैं, वे अपनी जीविका केवल इसी कार्य से नहीं अर्जित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनका मुख्य पेशा कृषि श्रमिक या श्रम प्रधान कोई भी कार्य होता है और चमड़े का कार्य उनका मुख्य पेशा कृषि श्रमिक या श्रम प्रधान कोई भी कार्य कोई अन्य नहीं करता है। वे लोग जो चमड़े का शोाध्न पूरी तरह करते हैं और उससे चमड़े का सामान भी बनाते हैं वे इस कार्य से अपनी जीविका अर्जित करने के लिए एक युक्तिसंगत आय प्राप्त करते हैं। जिन गांवों में एक या दो चमारों के परिवार होते हैं, उनके लिए परिवार के सदस्यों की सहायता से जानवरों की खाल उतारना अधिक कठिन होता है, उन्हें अन्य जातियों के लोगों की सहायता लेनी होती है, और उसके लिए उन्हें मेहनताना देना होता है।

जानवरों की हड्डियां, खुर तथा पूंछ के बाल गांव के सभी परिवारों द्वारा वर्ष भर एकत्र किये जाते हैं और वर्ष में एक बार व्यापारियों के हाथ 50 से 60 रूपये के बीच दाम लेकर बेंच दिए जाते हैं। बहुत से चमार परिवार इस प्रकार प्राप्त रकम का प्रयोग खुद नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पुरोहितों को दे देते हैं जो इधर उधर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अन्य लोग इसे एक फण्ड के रूप में रखते हैं और अपने जाति के लोगों को उनके आवश्यकता के समय दे दिया करते हैं।

चमारों में एक ऐसी परम्परा है कि अपने जाति के लोगों में चमड़े के कार्य से प्राप्त होने वाली आय के लिए सभी परिवारों को समान अवसर दिया जाता है। इसके लिए एक क्रम बना दिया जाता है, जिसे सभी परिवार मानते हैं, यह विभिन्न जानवरों के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक गांव में दस परिवार हैं तो वे सभी परिवार के बैल का चमड़ा प्राप्त करने के

लिए अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य जानवरों जैसे भैंसा, गाय, ऊँट आदि जानवरों के चमड़े प्राप्त करने के लिए सभी का क्रम लगा दिया जाता है। अतः छोटे बड़े सभी जानवरों के लिए उन जानवरों के मृत्यु के अनुसार क्रम बांध दिया जाता है। पर किसी परिवार को कब मौका प्राप्त होगा, इसकी भविष्यवाणी करना कठिन है। यह प्रणाली बहुत ही उपायेगी है तथा इसके अनुसार परिवारों के बीच काम का बंटवारा समान रूप से हो जाता है। यदि किसी गांव में बहुत अधिक परिवार होते हैं तो एक परिवार को वर्ष में दो वर्ष में चमड़ा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ गांवों में यह प्रणाली नहीं है, बल्कि चमारों के परिवार गांव के निश्चित परिवारों के साथ जुड़े होते हैं। वास्तव में यह पेशा जजमानी व्यवस्था के आधार पर चलता रहा है। किसानों द्वारा चमारों को अनाज दिया जाता है, जिसके बदले में चमारों द्वारा किसानों को बैलों के लिए चमड़े की लगाम, उन्हें तथा उनके परिवार वालों को चप्पल तथा जूते दिये जाते हैं। मरे जानवरों को ले जाने के बदले में उन्हें कच्चा माल (चमड़ा) दे दिया जाता है तथा शोधन के पश्चात चमड़ा उसी किसान को अनाज के बदले में दे दिया जाता है और दूसरे लोगों को नकद प्राप्त करके बेच दिया जाता है। वर्तमान में पूरी व्यवस्था का व्यापारीकरण हो चुका है और किसानों द्वारा अब कोई भी अनाज चमारों को नहीं दिया जाता है, बल्कि किसान मरे जानवरों के बदले उनसे कुछ पैसे भी प्राप्त करते हैं। मऊरानीपुर तथा बंगरा विकास खण्डों के कुछ गांवों में अभी भी जजमानी प्रथा चालू है जहां पर चमारों द्वारा चमड़ा शोधन तथा उससे सामान बनाने का कार्य किया जाता है।

चमड़े का पुराने या आधुनिक तरीके से शोधन करने के लिए सूखे चमड़े को कुण्ड में रसायन लगाकर रखा जाता है और उसे कुछ दिनों के बाद तीन कुण्ड में रखा जाता है, जिनमें अलग–अलग रसायन पड़े होते हैं। पुरानी

विधि के अन्तर्गत चमड़े को प्रतयेक कुण्ड में एक माह तक तथा आधुनिक विधि के अन्तर्गत दस दिनों तक रखा जाता है। पुरानी विधि में एक घास, जिसे जवासी कहते हैं, बबूल की गोंद, फिटकिरी, हल्दी तथा रेण्डी का तेल मिलाया जाता है। आधुनिक विधि के अन्तर्गत मैग्नेशियम सल्फाइड, बबूल की गोंद, हरदी और रेण्डी का तेल मिलाया जाता है। जिन चमारों द्वारा चर्म शोधन का कार्य स्वयं किया जाता है उन्हें कुण्ड बनवाने के लिए जल की सुविधा और रासायनिक पदार्थ खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अन्य चमारों से चमड़ा खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे यह कार्य हमेशा चलता रहे। इसी कारण से चर्म शाधन का कार्य केवल कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गया है। कुण्ड बनवाने तथा जल की सुविधा के विकास के लिए लगभग पांच हजार रूपये की आवश्यकता होती है। यदि नये कुएं का निर्माण करना होता है तो इस हजार रूपये लगते हैं। उन गांवों में जहां चर्म शोधन का कार्य किया जाता है, ये सुविधायें बहुत दिनों से प्राप्त हैं। उन्हें नये शिरे से निर्माण नहीं किया जाता है। शोधन के लिए चमड़ा खरीदने का विनियोग उसके कार्य के अनुसार अलग–अलग है। जो चर्म शोधन अपने गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वे वर्ष में यह कार्य दो बार करते हैं वे एक साथ आठ या दस चमड़े का शोधन एक बार करते हैं। यदि चर्म शोधन के सभी रसायन खरीदना होता है तो दस चमड़े के शोधन में एक हजार रूपये की रकम लगती है, जो लोग शोधन का कार्य लगातार करते हैं वे दो हजार से तीन हजार रूपये का विनियोजलन करते हैं। शोधित चमड़ा 50 रूपये या 75 रूप्ये किलो के हिसाब से बिकता है। एक भैसें या बैल के चमड़े का वजन बीस किलोग्राम के आस–पास होता है। एक बार चमड़े को बेचकर अगले उत्पादन के लिए उसी राशि का विनियोग किया जाता है।

अध्याय– 4

लाभार्थियों

का

आय स्तर

अध्याय– 4

लाभार्थियों का आय स्तर

व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

वर्तमान अध्ययन झांसी जनपद के आठ विकास खण्ड मऊरानीपुर, चिरगांव, बबीना तथा बंगरा के कुल 500 महिलाओं से सम्बन्धित है, जो विभिन्न व्यवसायों में लगी हुयी है। अध्ययन में प्राप्त महिलायें एक तो सवयं परिवार की मुखिया हैं और परिवार का आर्थिक बोझ स्वयं संभाल रही है या कुछ महिलायें ऐसी है, जो अपनी आय द्वारा अपने पति के आय में सहायक के रूप में परिवार के आर्थिक जीवन में सहायता प्रदान कर रही हैं । यद्यपि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में कुल अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं को ही नहीं रखा जाता, बल्कि उन सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है, जो उस कार्यक्रम की पात्र होती है फिर भी किसी भी कार्यक्रम में जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन होता है समाज का ढांचा कुछ इस प्रकार का है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अधिकांशतः भूमिहीन मजदूरों में होती है जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इन महिलाओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण को सारणी संख्या 1 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि मऊरानीपुर विकास खण्ड की कुल 197 लाभार्थी महिलाओं में 7.2 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 43.1 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 48.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की हैं। चिरगांव विकास खण्ड में 6.8 प्रतिशत सामान्य, 46.1 प्रतिशत पिछड़ी जाति तथा 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाहत व जनजाति वर्ग की थीं। बबीना विकास खण्ड में इन महिलाओं का विभाजन सामान्य वर्ग की 11 प्रतिशत 41.7 प्रतिशत पिछड़ी

जाति तथा 47.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की रही है । बंगरा विकास खण्ड में 8.7 प्रतिशत सामान्य 43.2 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 48.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। मोंठ विकास खण्ड में 11.4 प्रतिशत सामान्य, 30.3 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 58.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। बामौर विकास खण्ड में 8.9 प्रतिशत सामान्य, 41.1 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। बडागॉव विकास खण्ड में 15 प्रतिशत सामान्य, 31 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 53.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। गुरसरांय विकास खण्ड में 21.6 प्रतिशत सामान्य, 41.4 प्रतिशत पिछड़े वर्ग तथा 36.9 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की थीं।

सारणी संख्या – 1

लाभार्थी महिलाओं का जातीय, वर्गीकरण

क्रं सं.	विकास खण्ड	समान्य वर्ग	%	पिछडा वर्ग	%	अनुसूचित जाति व जनजाति	%	कुल
1.	मऊरानीपुर	16	7.2	85	43.1	96	48.7	197
2.	चिरगांव	6	6.8	54	46.1	57	47.1	117
3.	बबीना	12	11.0	44	41.7	50	47.3	106
4.	बंगरा	8	8.7	34	43.2	38	48.1	80
5.	मोंठ	15	11.4	40	30.3	77	58.3	132
6.	बामौर	10	8.9	46	41.1	56	50.0	112
7.	बडागॉव	32	15.2	65	31.0	113	53.8	210
8.	गुरसरांय	24	21.6	46	41.4	41	36.9	111

1. **विकास खण्डों में कृषि की दशा :**

किसी समाज के परिवार के आकार द्वारा उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्पन्नता स्पष्ट होती हैं पहले परिवार का ढांचा अधिकांशतः आर्थिक तथ्यों पर आधारित था। आदिवासी जातियां और जन जातियां समहों

में घूमा करती थीं। कृषि समुदाय बड़े आकार के परिवार चाहता था जिससे कृषि के श्रम की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। जैसे – जैसे सभ्यता का विकास होता गया व्यक्तिवाद के विचार का विकास हुआ जिसके कारण सीमित परिवार का विकास होता गया। कुछ सीमा तथा औद्योगीकरण, नगरीकरण और शिक्षा के विकास द्वारा छोटे आकार के परिवारों को बल मिला। जनसंख्या अप्रवासन तथा आप्रावस के तथ्यों द्वारा परिवार के आकार को छोटा करने में सहायता प्राप्त हुई है।

समाज की अर्थ व्यवस्था तथा परिवार का आकार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, मुख्यतया कृषि प्रधान है। यहां तक कि देश के उद्योग कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कराये माल पर आधारित हैं। परम्परागत उद्योगों द्वारा एक बड़ी मात्रा में मानव क्रम पर आधारित हैं मशीनीकरण द्वारा इस दिशा में कोई भी सुधार नहीं किया जा सका है। अभी भी लगभग 70 से 80 प्रतिशत देश की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और लगभग इतनी ही जनसंख्या अशिक्षित है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। इसलिए जो अशिक्षित है उनको केवल निम्न स्तर तथा शारीरिक श्रम पर आधारित रोजगारों में अवसर प्राप्त है।

वर्तमान सर्वेक्षण में इन महिलाओं के परिवारों को उनके सम्बन्धों को एक के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके लिये उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के मुखिया के साथ सम्बन्ध को भी ज्ञात किया गया। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवार छोटे रहे हैं जबकि 47.3 प्रतिशत पिछड़ी जाति की महिलाओं के परिवार 6 से 10 सदस्यों के पाये गये सम्पूर्ण दृष्टिकोण से

लगभग 44.4 प्रतिशत सभी जाति के परिवारों में 6 से 10 सदस्य जब कि 5.0 प्रतिशत परिवारों में 11 से 15 सदस्य तथा 2.8 प्रतिशत परिवार, यदि उन्हें यह कहा जाये, केवल एक सदस्य के परिवार थे।

अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों के आकार का छोटा होना, यद्यपि यह आशा के विपरीत है अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भूमिहीन कृषि श्रमिक होने का परिचायक है। भारत के ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में भू स्वामित्व एक सम्मान की वस्तु मानी जाती है लेकिन कृषि श्रमिकों को एक कम मात्रा की आय प्राप्त होती है क्योंकि यह मौसमी पेशा है। ऐसी स्थिति में केवल छोटे परिवार ही जीवित हर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में कार्य न होने पर उन्हें अपनी जीविका के लिए अन्य साधन ढूढ़ने के लिए इधर उधर आवास करना होता है जिसके कारण परिवार के कुछ सदस्य वहीं रह जाते हैं जिससे एक अनग परिवार बन जाता है।

अधिकांश महिलायें परम्पराओं तथा अंध विश्वासों में विश्वास करने वाली पाई गई तथा अपने बच्चों की शादी एवं विवाह अल्पायु में ही करती हैं जिसके कारण परिवारों का बंटवारा हो जाता है जिससे परिवार के आकार में और भी कमी होती है । कभी कभी संविधान के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ, विशेषकर आर्थिक और शिक्षा के सम्बन्धी प्रेरकों का परिवार के आकार को प्रभावित करते है । अनुसूचित जाति के परिवारों को शिक्षा तथा रोजगार की सुविधा आरक्षण के कारण प्राप्त होती है वे अपना परिवार अलग कर लेते हैं और वे सामान्य रू‍ से नगरों में रहने लग जाते हैं । सारणी संख्या – 2

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के पारिवारिक सम्बन्धों को केवल प्राथमिक सम्बन्ध तक ही सीमित रखा है । वर्तमान अध्ययन में

परिवार का अर्थ केवल माता–पिता और उनके बच्चों से लिया जाता है लगभग 89.2 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि उनके परिवार में केवल प्राथमिक सम्बन्धों तक के सदस्य शामिल है । लगभग यही ढांचा सामान्य वर्ग के महिलाओं के परिवारों का भी रहता है । ऐसे परिवार जिनमें प्राथमिक और द्वितीयक सम्बन्धियों के सदस्य थे उनका प्रतिशत केवल 7.4 प्रतिशत रहा है ।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के पविारों का आकार तुलनात्मक रूप छोटा रहा है सम्बन्धों का ढांचा, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, उसमें केवल प्राथमिक समूह के सदस्यों द्वारा ही बना है । इसमें से 2.8 प्रतिशत परिवार जिन्हें नही लागू होता है लिखा गया है ऐसे परिवारों में केवल एक सदस्य का परिवार रखा गया है ।

सारणी संख्या– 2 महिलाओं के परिवार का आकार

परिवार में सदस्य संख्या	सामान्य वर्ग सं0	प्रति0	पिछड़ी जाति सं0	प्रति0	अनुसूचित जाति सं0	प्रति0	कुल संख्या	प्रतिशत
एक सदस्य	2	2.4	3	1.4	9	2.3	14	2.8
2 से 5 सदस्य	20	48.8	100	46.2	115	48.1	235	47.1
6 से 10 सदस्य	18	43.3	109	47.3	93	0.7	222	44.0
11 से 15 सदस्य	4	4.8	8	4.1	10	0.7	5	5.1
16 से 20 सदस्य	7	0.6	4	1.0	11	0.6		0.5
20 से अधिक	1	0.1	—	—	13	0.8		0.1
कुल	**42**	**100.0**	**217**	**100.0**	**241**	**100.0**	**500**	**100.0**

यद्यपि कृषि क्षेत्र की मांग बड़े आकार के परिवारों की होती है पर अध्ययन में शामिल महिलाओं द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया कि वे बड़े आकार के परिवारों का जोखिम उठाने के लिये तैयार नहीं थीं क्योंकि अधिंशतः वे भूमि हीन कृषक श्रमिक या आकस्मिक श्रमिक रही हैं। यह परिवार के छोटे आकार बनाये रखने का एक प्रमुख कारण रहा है ।

सारणी संख्या – 3 महिला परिवारों में सम्बन्धों का प्रारूप

ग्रह मुखिया से सम्बन्ध	सामान्य वर्ग सं0	प्रति0	पिछड़ी जाति सं0	प्रति0	अनुसूचित जाति सं0	प्रति0	कुल संखा	प्रतिशत
प्राथमिक	33	85.1	187	90.4	206	90.4	426	89.2
द्वितीयक	–	–	3	0.2	7	0.3	10	0.2
तृतीयक	–	–	2	0.1	2	0.1	4	0.1
प्राथमिक व द्वितीयक	4	9.8	13	6.6	14	6.6	31	7.4
प्राथमिक व तृतीयक	1	02	2	0.1	2	0.1	5	0.1
प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक	1	0.2	–	–	–	–	1	0.5
प्राथमिक द्वितीयक नैकर	1	0.2	3	0.2	5	0.2	9	0.2
लागू नहीं होता	2	4.5	5	2.3	5	2.3	12	1.8
कोई संम्बन्ध नहीं	–	–	2	0.1	–	–	2	0.2
कुल	**42**	**100.0**	**217**	**100.0**	**241**	**100.0**	**500**	**100.0**

उम्र लिंग तथा परिवार का ढांचा

जनसंख्या संरचना एंव उसकी बनावट को उम्र व लिंग का एक अधिक मात्रा तक प्रभावित करते हैं । उम्र का प्रभाव शिक्षा, रोजगार, विवाह तथा अवकाश ग्रहण, पेशे के ढांचे, व मृत्यु दर तथा कुछ विशेष सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं पर पड़ता है ।

लिंग की अनुपात भी सामाजिक व आर्थिक तथ्यों को उतना ही प्रभावित करता है जितना उम्र । यह पिछड़े वर्षो के प्रजनन दर, मृत्यु दर तथा प्रवास द्वारा प्रभावित होती है, तथा जन्म व मृत्यु दर में महत्वपूर्ण सीान रखता है । लिंग अनुपात तथा वैधानिक जन्म को प्रभावित करते हैं ।

सामान्यतया भारतीय जनगणना में लिंग अनुपात को एक हजार पुरूषों के पीछे महिलाओं की संख्या द्वारा स्पष्ट किया जाता है । भारत में महिलाओं की कमी रही है । यदि इसी को वर्तमान अध्ययन में लागू किया जाये तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं में यह पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति महिलाओं के साथ भी यह बात लागू होती है ।

विभिन्न वर्ग की महिलाओं के परिवार से सम्बन्धित आंकडों को प्राप्त करते समय उनके परिवार के पुरूर्षो एवं स्त्रियों की संख्या भी ज्ञात की गई परिवार के सदस्यों में लिंग के अनुपात की व्याख्या करते समय 1 से 9 पुरूष/स्त्रियों को अलग समूह में रखा गया ।

सारणी संख्या 4 से यह स्पष्ट है कि विभिन्न जाति वर्ग की महिलाओं के लिंग अनुपात में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है । प्रायः प्रत्येक वर्ग की

महिलाओं के परिवार में एक से चार पुरूष और स्त्रियां रही है । यह प्रत्येक वर्ग में समान रहा है। दो पुरूष व दो स्त्रियों के सदस्य वाले परिवार 24.2 प्रतिशत तथा 24.3 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के परिवारों में रहे हैं । इसी प्रकार 22.6 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत परिवारों में 3 पुरूष व 3 स्त्रियां के सदस्य रहे हैं। जैसे – जैसे पुरूषों एवं स्त्रियों की संख्या बढ़ती गयी है इनका प्रतिशत गिरता गया है। पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवारों को उम्र के अनुपात विवरण ज्ञात करने के लिये इन्हें उम्र के वर्गो में बांटा गया और प्रत्येक उम्र के समूह में 1 से 9 सदस्य वाले परिवारों को भी अलग से वितरित किया गया ।

सारणी संख्या 4 से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनमें एक से दो सदस्य 6 वर्ष या उससे कम उम्र के थे । लगभग 38.8 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र के सदस्य नहीं थे जो एक आश्चर्य की बात है । इसमें 2. 2 प्रतिशत ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिनमें केवल एक सदस्य थे लगभग सभी परिवारों में 6 से अधिक बच्चे इस उम्र के नहीं है । इस आधार पर छोटे परिवार के तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है ।

उम्र वर्ग 7 से 10 वर्ष के वर्ग में 48.3 प्रतिशत परिवारों में एक भी सदस्य नहीं थे तथा शेष 49.6 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य इस उम्र वर्ग के थे । इसी प्रकार 54.2 प्रति5शत परिवारों में 11 से 15 वर्ष के उम्र का कोई सदस्य नहीं था । शेष 43.3 प्रतिशत इस वर्ग के अन्तर्गत एक या दो सदस्य थे लेकिन 30.3 प्रतिशत इस वर्ग के अन्तर्गत एक सदस्य वाले परिवार है । इसी प्रकार की स्थिति 16 से 20 वर्ष के उम्र वर्ग के सदस्यों के साथ भी है । औसतन 54.6 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग का कोई सदस्य नहीं था । शेष 29 प्रतिशत परिवारों में एक व्यक्ति सदस्य इस उम्र वर्ग में था ।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 से 20 वर्ष की उम्र वाली लड़कियों को अधिकांशतः विवाह कर के उन्हें दूसरे घर भेज दिया जाता है। यही कारण है कि 11 से 20 वर्ष उम्र के सदस्यों का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है । जब 21 से 30 वर्ष के प्रौढ़ों पर विचार किया जाये तो 60 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में एक या दो सदस्य पाये गये । 35 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में कोई सदस्य नहीं था । यही कारण है कि पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के महिला परिवारों में प्रौढ़ों की संख्या अधिक रही है । 31 से 40 वर्ष के प्रौढ़ों की संख्या 56 प्रतिशत परिवारों मेंएक से दो रही है और 42 प्रतिश्ज्ञत परिवारों में इस उम्र वर्ग में कोई सदस्य नहीं रहा है । इस वर्ग में बहुत कम परिवार ऐसे रहे है जिनमें तीन सदस्यों से अधिक रहे हैं ।

जैसे – जैसे उम्र बढ़ती जाती है बहुत कम सदस्यों की संख्या पाई जाती है। 41 से 50 वर्ष के उम्र के सदस्य 55 प्रतिशत परिवारों में नहीं थें। बहुत कम परिवारों में उसे अधिक सदस्य इस उम्र वर्ग के पाये गये। लगभग 40 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग में एक सदस्य प्रत्येक परिवार में पाया गया । इस उम्र वर्ग के समूह में कोई भी परिवार नहीं पाया गया । अधिकांशतः अनुसूचित जाति कू परिवारों में 50 वर्ष से अधिक उम्र से अधिक के सदस्य बहुत कम पाये गये लगभग 72 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र वर्ग के कोई सदस्य नहीं है परिवारों में इस प्रकार के केवल एक सदस्य पाया गया । 84 प्रतिशत परिवारों में 60 वर्षो से अधिक के सदस्य नहीं थे ।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि जनसंख्या में बच्चों तथा प्रौढ़ों की संख्या अधिकतर रही है । जब कि 6 वर्ष से कम उम्र के लोग 60 प्रतिशत जो 7 से 10 वर्ष के उम्र वर्ग में कम और 50 प्रतिशत हो जाता है और 11 से 20 वर्ष उम्र वर्ग में कम परिवार 45 प्रतिशत हो जाता है

। लेकिन जब प्रौढ़ों की बात की जाती है तो 21 से 30 वर्ष के उम्र वर्ग के लोग 68 प्रतिशत परिवारों में पाये गये और पुनः 31 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के प्रौढ़ों के परिवार में कमी हुई है और केवल 58 प्रतिशत परिवारों में ही 31 से 40 वर्ष के प्रौढ़ है । 41–50, 51–60, तथा 61 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में होने वाले प्रौढों के परिवारों के प्रतिशत में निरन्तर कमी हुई है जो क्रमशः 45 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत ही रहे हैं। नव जात शिशुओं के परिवारों का प्रतिशत 50 से कम रहा है और यही बात 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की रही है । सामान्य रूप से भारतीय जन संख्या में शिशु मृत्यु दर का ऊंचा होना है । जब 40 प्रतिशत परिवारों में 6 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे नहीं है । इसी से यह बात स्पष्ट हो ताती है यद्यपि भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है । सन् 1901 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 215 थी जो 1981 में कम हो कर 98 प्रति हजार 1991 में 78 प्रति हजार, तथा 2001 में 68 प्रति हजार हो गई है । अनुसूचित जाति के परिवारों में इस तथ्य की अधिक जानकारी की आवश्यकता है और यही विचार वृद्धावस्था वर्ग के लिए भी आवश्यक है । भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हई है । सन् 1901 में 23.6 से 1981 में 36 वर्ष 1991 में 46 वर्ष तथा 2001 में 54 वर्ष हो गई है । अध्ययन में शामिल महिलाओं (विशेषकर अनुसूचित जाति) के सम्बन्ध में कुछ अलग ही बात स्पष्ट हुई है क्योंकि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बहुत ही कम पाये गये है ।

लोगों की नागरिक दशायें :–

वैवाहिक स्थिति द्वारा जन संख्या के सामाजिक दशाओं को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है नागरिक दशायें जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अंग है लगभग 9 प्रतिशत परिवारों को छोड़ कर 91 प्रतिशत परिवारों में एक से 9

सदस्य अविवाहित रहे हैं । 2 या तीन अविवाहित सदस्यों वाले परिवार 37.4 प्रतिशत और 14 प्रतिशत परिवारों में एक से चार व्यक्ति अविवाहित रहे हैं । यह प्रायः सभी वर्ग के महिला परिवारों में रहा है ।

विवाहित लोगों में 89 प्रतिशत परिवारों में 1 से 9 विवाहित सदस्य रहे हैं । 4 विवाहित सदस्य वाले परिवार 14.6 प्रतिशत रहे है । विशेष बात यह है कि 11 प्रतिशत परिवार बिना विवाहित सदस्यों वाले रहे हैं । सारणी संख्या 5 से यह स्पष्ट है कि 3.6 प्रतिशत परिवारों में 3 विवाहित सदस्य रहे है । इसका कारण यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कुछ परिवारों में लड़कियों एवं लड़कों की शादी कम उम्र में ही होने पर ये अपने माता–पिता के साथ रह रहे है और कुछ वैवाहिक समूह सर्वेक्षण के समय नहीं प्राप्त हो सके जिन्हें इनमें नहीं शामिल किया जा सका है । दो विवाहित सदस्यों वाले परिवार अधिक मात्रा में पाये गये जिससे दोटे परिवार होने की बात स्पष्ट हो ताती है । यद्यपि 31 प्रतिशत महिलाओं के परिवार विधुर/विधवाओं के परिवार थे जिसमें से 27 प्रतिशत परिवारों में केवल एक इस प्रकार के सदस्य रहे हैं, यद्यपि अध्ययन में वरिष्ठ नागरिक उम्र के लोग नहीं शामिल किए गए । अधिकांशतः विधवायें अपने बच्चों के साथ रह रही हैं । तलाक शुदा या अलग – अलग रहने के अधिक परिवारों की जानकारी नहीं हुई । 99 प्रतिशत परिवारों में ऐसे सदस्य नहीं पाये गये । यहां तक कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में भी अकेले रहने वाली महिलायें, अपने पति से अलग किए जाने पर, नहीं पाई गई । इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार के सदस्यों में सामान्य तथा परिवार के साथ रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है वर्तमान अध्ययन में यह सिद्ध नहीं होता है ।

कृषि श्रमिक (बाल एवं महिला की स्थिति):–

अध्ययन में प्राप्त बाल महिलाओं के शैक्षिक स्तर भी ज्ञात किया गया यद्यपि जनसंख्या के विशेषताओं शिक्षा एक अंग नहीं है फिर भी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के परिवेश में शिक्षा के स्तर द्वारा इसे समझने में सहायता मिलती है । तीसरी पंच वर्षीय योजना के पश्चात से सरकार द्वारा शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है । एक तरह से शिक्षा के स्तर को किसी वर्ग विशेष के विकास का चिन्ह माना जा सकता है । इसे ध्यान में रख कर अध्ययन में शामिल महिलाओं तथा उनके परिवार के शैक्षिक स्तर को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि समाज के निम्न जाति व गरीब वर्ग में अशिक्षा का साम्राज्य है यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि 52 प्रतिशत परिवरों में सभी अशिक्षित सदस्य पाये गये । शेष परिवारों में 1 से 8 अशिक्षित सदस्य 2 से 7 प्रतिशत परिवारों मे पाये गये ।

प्राथमिक / प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जो अपना नाम लिख सकती थीं और पढ़ सकती हैं । लगभग 69 प्रतिशत परिवारों में कोई भी सदस्य न तो पढ़ सकता था और न ही लिख सकता था । लेकिन 31 प्रतिशत परिवारों में एक या उससे अधिक व्यक्ति प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त थे उन्हें शिक्षित में नहीं शामिल किया गया । लगभग 69 प्रतिशत परिवार जिन्हें नहीं लागू होता वर्ग के अन्तर्गत रखा गया उनके बच्चों को ीी शामिल किया गया जो स्कूल जाने के उम्र के अन्तर्गत नहीं थे । लगभग 20 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य प्राथमिक या प्रौढ़ शिक्षा

प्राप्त था । लगभग 41 प्रतिशत अनुसूचित परिवारों में एक से पांच सदस्य इस वर्ग के अन्तर्गत पाये गये ।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा बहुत ही सीमित रही है केवल 20 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये । इनमें से 14 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य माध्यमिक शिक्षा स्तर प्राप्त पाया गया । केवल 13 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये ।

जहां तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है सामान्य रूप से 17 प्रतिशत परिवारों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये । इनमें से 10 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य इस वर्ग के अन्तर्गत था ।

कालेज शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी परिवार नहीं था । सभी महिलायें माध्यमिक शिक्षा वर्ग तक ही सीमित रहा है।

अध्याय– 5

लाभार्थी परिवारों

का

उपभोग व्यय स्तर

लाभार्थी परिवारों का उपभोग व्यय स्तर

आवासीय दशाओं द्वारा कभी – कभी लोगों के आर्थिक स्तर और रहन सहन के स्तर का बोध होता है। वर्तमान में गृह निर्माण में सुधरी डिजाइन का प्रयोग किया जाने लगाा है। फिर भी इस दिशा में जो भी सुधार हुआ है वह अधिकतर नगरों और शहरों तक ही सीमित रहा है। औद्योगिक बस्तियों को छोड़कर, जो परिवर्तन नहीं हुआ है। आधुनिक गृह निर्माण तकनीक के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या अछूती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी नगरों और शहरों में रहने वाले लोग आधुनिक भवनों में ही रहते हैं। लगभग सभी नगरीय केन्द्र कभी गांव ही रहे हैं। नियोजित ढंग से बसे शहरी केन्द्र एक नया और हाल का ही विकास हैं साथ ही आधनिक औद्योगीकरण जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण के कारण वर्ग और जाति के अनुसार आवासीय वितरण को प्रोत्साहित किया है। अतः जाति एवं वर्ग के आधार पर लोगों का विभक्तीकरा गृहों के स्थान निर्धारण में महत्व रखता है। इस परिवेश में अध्ययन में शामिल महिलाओं के गृह के स्थान, प्रकार, क्षेत्र, कीमत और निर्माण के वर्ष तथा इन घरों में प्राप्त सुविधायें जैसे जल प्राप्ति के स्रोत, स्नानगृह, और शौच व्यवस्था आदि के दृष्टिकोण से उनके घरों के ढांचों पर विचार किया जायेगाा । साथ ही इन परिवारों द्वारा पालतू जानवरों के रहने की व्यवस्था, तथा उनके चारे आदि के लिए प्राप्त स्थान पर भी विचार करेंगे।

महिलाओं की जीवन दशाः– वर्तमान अध्ययन में 500 महिलाओं तथा उनके परिवारों के ढांचे पर विचार किया गया है। इन महिलाओं में 42 सामान्य जाति वर्ग 217 पिछड़ी जाति वर्ग तथा 241 अनुसूचित जाति वर्ग की रही है।

झांसी जनपद में गांव दूर –दूर तथा अधिक घरों वाले बड़े आकार के बने हैं और उनमें बनने वाले घ्झर जातियों के आधार पर गांव का विभाजन स्पष्ट देखने को मिलता है। सामान्य जाति के लोगों के आवास उनके आवासों से पीछे या आस – पास बने हैं यह अनुसूचित जातियों के लागों को गांव के एक कोने में अलग गृह निर्माण की सुविधा दी जाती है। सामान्य बस्तियों से अलग एक ही क्षेत्र में अकिांशतः अनुसूचित जाति के लोग बसते है। जिन्हें देखने मात्र से यह ज्ञात किया जा सकता है कि यह बस्ती गांव के सामान्य गृहों से अलग तथा थोड़ी दूर पर स्थित होती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या यद्यपि जिले के प्रायः सभी गांवों में विरित है पर आदिवासी जनसंख्या केवल जनपद के दक्षिणी भाग बबीना विकास खण्ड में ही केन्द्रित है फिर भी कुछ जनसंख्या विभिन्न गांवों के सामान्य जनसंख्या के साथ निवास करती है पर उनके रहने का स्थान भी गांव के अन्दर ही अन्य जनसंख्या से अलग होता है। उच्च जाति के लागों और आदिवासी जनसंख्या के लागों के बीच होने वाले लेन देन और अन्य सम्बन्ध अनुसूचित जाति के लोगों की भांति ही हुआ करता है ।

गृह निर्माण ढांचे द्वारा जाति के आधार पर सामाजिक स्तर का ज्ञान होता है। एक शिष जाति के लोग कसामान्यतया गांव के एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके लिए एक विशेष गली में रहते हैं। गांव के किसी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए सामान्य जाति के लोगों को सामाजिक मानदण्डों द्वारा कोई रूकावट नहीं है लेकिन कोई अनुसूचित जाति या अछूत जाति के लोग अन्य जाति के लोगों के बस्तियों में अपना मकान नहीं बना सकते है। गांवों में एक सामान्य ढांचा है कि अनुसूचित जाति के लोग गांव के मुख्य क्षेत्र से अलग छोटी बस्तियों में रहते हैं यही बात आदिवासी जनसंख्या के बारे में

भी सही है । अभी भी आधुनिक शक्तियां अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय दशाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को परिवर्तितकरने में समर्थ नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के आवास सम्बन्धी दूसरी विश्ङ्षेषता विभिन्न जाति वर्ग के उप जातियों के आधार पर गांवों का विभाजन है । अनुसूचित जाति के लोग भी इसके अपवाद नहीं है। गांवों के सामान्य जनसंख्या से अलग अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों की स्थिति, अन्य जातियों से मकानों की दूरी, आदि अनुसूचित जाति के लोगों की पहचान बनी है। अनुसूचित जाति के अन्तर्गत त्नि जातियों जिन्हें अछूत कहा जता है वे इनसे भी दूर गांवों में रहते हैं। अनुसूचित जाति में भी निम्न श्रेणी के लोगों को अलग रखा जाता है। अधिकांशतः गांवों में विभिन्न जाति के लोगों के लिए अलग–अलग कुएं हैं। बहुत से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों में उप–जाति के लोगों सामान्य कुओं और तालाबों से पानी लेने नहीं दिया जाता है।

स्थितिः–

सामाज में अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य लोगों द्वारा अलग तथा आर्थिक दृष्टि से उन्हें गिरा हुआ माना जाता है । वे अधिकांशतः गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहते है । इस प्रकार का विभक्तीकरा कभी – कभी गलियों या सड़कों द्वारा भी किया जाता है और उनके पूरी बस्ती को एक विशेष जाति के नाम पर पुकारा जाता है जिस जाति के लोग अधिकांशतः वहां पर रहते हैं । इस प्रकार का विभाजन गाांवों में विशेषकर देखने को मिलता है । सर्वेक्षण में 48.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलायें थीं जिनमें से इस प्रकार का विभक्तीकरण लगभग 83.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं

के परिवारों के साथ पाया गया पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ इस प्रकार का विभक्तीकरण नहीं पाया गया इनमें से 53.8 प्रतिशत पिछड़ी जाति के महिलाओं के आवास गांव के अन्दर ही था अनुसूचित जातियों में भी सभी जातियों को अछूत वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखा जाता है, उनमें से 11.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लागों के घर गांव के अन्दर पाये गये यद्यपि उन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रखा जाता है पर उन्हें अछूत नहीं समझा जाता है। आवास की इस स्थिति को सारणी संख्या – 1 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या – 1 महिलाओं के घरों की स्थिति

स्थिति	सामान्य वर्ग की महिलायें सं0 प्रतिशत		पिछड़े वर्ग की महिलायें सं0 प्रतिशत		अनुसूचित जाति की महिलायें सं0 प्रतिशत		कुल सं0 प्रतिशत	
गांव के अन्दर या मध्य	40	97.2	116	53.8	27	11.6	183	36.6
गांव के बाहर अलग बस्ती में	–	–	42	19.4	201	83.7	243	48.6
बिखरे हुए घरों में	2	2.8	59	26.8	13	4.7	74	14.8
योग	42		217	100.0	241	100.0	500	100.0

संविधान के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सामाजिक विभक्तीकरण व अलगाव से बचाने के लिए बहुत सी कल्याण की योजनायें प्रारम्भ की गई है जिससे इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसके अन्तर्गत बहुत से बड़ी स्कीमें उनके आवासीय सुविधायें, पीने के पानी की सुविधायें आदि प्रदान की गई हैं जिससे अनुसूचित जाति के लागों को सामाजिक विभक्तीकरण से बचाया जा सके । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बस्तियों का निर्माण और

उनके लिये कुओं की व्यवस्था की गई । ऐसा कहा जा सकता है कि इन सुविधाओं का पर्याप्त मात्रा में विस्तार के कारण इन समुदायों के समक्ष अधि समस्यायें उत्पन्न हो गई है । इन सुविधाओं के विस्तार के पीछे सरकार का जो भी उद्देश्य या विचार रहा हो । इन जाति के लोगों को क्षति पूर्ति दृष्टिकोण अपनाने के बजाये यदि धर्म निरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता जिससे समाज के बहुत सी बुराईयों को दूर किया जा सकता है ।

निवास स्थानः–

मानव जीवन की एक आधार भूत आवश्यकता रहने के लिये घर है इस प्रकार की आवश्यकता के स्वामित्व द्वारा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि प्रदान करती है। सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि लगभग सभी महिलायें अपने निजी घरों में रहती है, भले ही वे छोटे और भले ही उनमें आधुनिक घरों में प्राप्त सुविधाओं का अभाव हो। केवल कुछ ही महिलायें बिना घर के रही हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को गृह निर्माण के लिए जमीन दिलाने कार्य किया गया है और उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान की गई है जिससे उन्हें रहने के लिए छत प्राप्त हो सके। यद्यपि यह स्पष्ट करना कठिन है कि सरकारी सहायता द्वारा कितने लोगों को घर निर्माण के लिए जमीन या घर प्रदान किए गये हैं फिर भी सर्वेक्षण में शामिल अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति की महिलाओं के निवास स्थान की दशायें प्रायः सन्तोषजनक रही है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे एक अच्छे निवास स्थान में रहती हैं। इनके रहने वाले मकानों के प्रकार, इसका क्षेत्र, उसका मूल्य, तथा उनमें प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि 86.3 प्रतिशत महिलाओं क परिवार अपने निजी सीानों में रहते हैं। 8.5 प्रतिशत महिलायें किराये के मकान तथा 5.2 प्रतिशत महिलायें बिना किराया दिये घरों में रहती हैं। बिना किराया दिये जो महिलायें मकानों में रहती है उनके सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ कि गांव के कुछ भू स्वामियों द्वारा कुछ महिलाओं को अपने खेत के पास के घरों में रहने के लिए स्थान दे दिया है जो कभी–कभी उनके खेत तथा खलिहानों की देखरेख तथा उनके घरेलू कार्यो में सहायता करती हैं। इस स्थिति को सारणी संख्या –2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या – 2 महिलाओं के निवास स्थान

विवरण	सामान्य वर्ग		पिछड़ी जाति वर्ग		अनुसूचित जाति		कुल	
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
1. निजी मकान	37	91.0	142	64.1	219	91.0	398	86.3
2. किराये के मकान	3	6.7	70	32.4	4	1.5	77	8.5
3. बिना किराये के मकान	2	2.3	5	3.5	18	7.5	25	5.2
योग–	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.00

भूजोत के सम्बन्ध में बदलते कानूनों के परिवेश में ऐसे परिवार जो अपने भू स्वामियों के खेतों के मकानों में रहते हैं उन्हें मकान खाली करने की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है । इस प्रकार की 18 अनुसूचित जाति के परिवारों के समक्ष रहने के लिए स्थान नहीं है ।

गृहों के प्रकार:–

घर की बनावट द्वारा लोगों के आर्थिक स्थिति को व्यक्त किया जाता है जो उसमें रहते हैं। आधुनिक भवन निर्माण की सामग्री और तकनीकी ज्ञान के अभाव में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बहुत ही पुराने प्रकार के रहे हैं। इसका प्रमुख कारण गरीबी रही है ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तरीके के मकान कहीं–कहीं ही देखने को मिलते हैं। अभी भी लोगों के आर्थिक स्थिति के सुधार आवासीय घरों के निर्माण पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका है पर स्थिति में धीरे–धीरे परिवर्तन हो रहा हैं सभी आधुनिक मकानों या उत्तम मकानों में रहने की आशा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ सीमायें हैं जिनके कारण आधुनिक प्रकार के मकान सभी को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कुछ सम्पन्न लोगों को छोड़कर शेष लोग साधारण मकानों में रहते हैं। अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें सरकार द्वारा मकान उपलब्ध कराये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष लोग अभी भी जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहते हैं जिनकी दशा दयनीय है।

वर्तमान अध्ययन में घरों का वर्गीकरण उस आधार पर किया गया है जिसमें उत्तर देने वाली महिलायें रहती है चाहे वह उनका हो या न हो । अनुसूचित जाति के 18 परिवार जो बिना किराये के मकानों में रह रहें है उनके पास अपना स्वयं का मकान नहीं है उन्हें लागू नहीं होता वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है ।

अध्ययन में जो गृहों का प्रकार के ढांचे को स्पष्ट किया गया है । इसके द्वारा एक निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट होती है इसमें यह पाया गया कि जैसे जैसे भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है ऐसे मकानों के स्वामित्व के लोगों के प्रतिशत परिवार (फूस की छाजन वाले) झोपड़ों में रह रहे हैं ।

जिसमें विभिन्न वर्ग के 53.2 प्रतिशत या अनुसूचित जाति के 78.6 प्रतिशत लोग हैं ।

सम्पूर्ण दृष्टिकोण से 14.8 प्रतिशत घर मिट्टी की दिवाल तथा देशी खपड़ों से बने हुए है। इस प्रकार के मकान लागत तथा डिजाइन के दृष्टिकोण में फूस वाले झोपड़ों की तुलना में कुछ अच्छे हैं । अधिकांश अनुसूचित जाति तथा कुद मात्रा में पिछड़ी जाति के परिवार मिट्टी की बनी दिवालों द्वारा देशी खपरैल के छाजन वाले सीन में रहते हैं ।

सारणी संख्या –3 महिलाओं के मकानों के प्रकार

प्रकार	सामान्य वर्ग सं0 प्रतिशत		पिछड़ी जाति वर्ग		अनुसूचित जाति		कुल	
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
1. फूस के झोपड़े	–	–	115	53.2	188	78.6	303	47.4
2. मिट्टी की दीवार व छत	–	–	7	3.1	32	13.3	39	10.5
3. मिट्टी की दिवाल व देशी खपरैल	4	9.4	20	9.6	16	6.9	40	8.4
4. पत्थर की दीवार तथा मिट्टी की छत	2	1.3	5	2.7	3	0.9	10	2.6
5. ईट की दीवार तथा देशी खपरैल	3	4.9	4	0.9	2	0.3	9	1.8
6. पत्थर की दीवार तथा छत	33	74.4	66	30.5	–	–	99	29.3
योग–	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

फूस व मिट्टी के बने झोपड़े सबसे सस्ते और उनके निर्माण में कोई कुशलता की आवश्यकता नहीं होती है । सामान्यता पत्थर व आस – पास से

मिट्टी खोद कर दिवारे बना ली जाती हैं और बांस के लकड़ियों पर जंगली पत्तियां डालकर छत बना ली जाती है । चार मिट्टी की दीवारें बना कर उन पर छाजन डाल लिया जाता है इस प्रकार घरों के निर्माण में सबसे प्रमुख बात सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति है ।

वर्तमान अध्ययन में यह अनुभव किया गया कि गांव में झोपड़ों की संख्या तथा इसी प्रकार के चार दिवारों के छोटे – छोटे मकानों की संख्या के आधार पर गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है । गांवों में इस प्रकार के मकानों की संख्या जितनी ही अधिक होती है, उस गांव में उतनी ही अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक होती है, जो सारणी संख्या 3 में झोपड़ों की संख्या द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

देशी खपड़ों से बने मकानों की दशा झोपड़ों की द्वारा कुछ ही अच्छी है जब कि दिवारे मिट्टी की तथा छत देशी खपरैलों से बना ली जाति है । अध्ययन में यह स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के जनसंख्या के अकिंश मकान पत्थर की दीवार तथा छतों से बने है । साथ ही यही प्रवृत्ति पिछड़ी जाति की जनसंख्या के मकानों की भी है ।

मकानों का क्षेत्रफलः–

एक एक घर का मालिक होना या सिर के ऊपर छत होना ही समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि सब कुछ निर्मित क्षेत्र के या सीन पर निर्भर है । निर्मित क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं ? यह महत्व रखता है । गृह निर्माण के ढांचे के अतिरिक्त बना हुआ क्षेत्र वर्ग फिट में ज्ञात किया गया । घर के क्षेत्र का हिसाब रसोई स्नानघर तथा शौचालय को छोड़कर लिया गया है । अतः

घर के क्षेत्र के बारे में एक अनुमान लगाया गया जो वास्तविक के करीब माना जा सकता है यदि वास्तविक न माना जाय । यद्यपि 82.3 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना घ्ज्ञर पाया गया उनमें से अधिकांश के घर बहुत छोटे थे । सामान्यतया एक कमरे के घर में सभी आवश्यकतायें उसी एक कमरे से पूरी होती हैं । परिवार का औसत आकार 2 से 6 सदस्यों का रहा है और सभी सदस्य एक ही कमरे वाले झोपड़ों या घरों में रहते हैं । ग्रामीण क्षेत्र की यह सामान्य विशेषता रही हे कि परिवार के सभी सदस्य घर का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण कोई अलग क्षेत्र नहीं लेता बल्कि वे अपने जानवरों के साथ ही रहते हैं । यह बात अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के महिलाओं में अधिक पाई गई । अध्ययन में यह पाया गया कि 54 प्रतिशत घर 4 वर्ग के क्षेत्र से छोटे रहें हैं । अनुसूचित जाति के लोगों में 44.8 प्रतिशत मकान 2 से 4 वर्ग के रहे है। सम्पूर्ण में 9.8 प्रतिशत घर 5 से 7 वर्ग के रहे हैं। 11 वर्ग तथा उससे अधिक वर्ग के क्षेत्र के मकानों में 8.8 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वे बड़े आराम से रहते है। गांवों के घरों का क्षेत्र परिवार के सदस्यों की संख्या व क्षेत्र दोनों दृष्टिकोणों से बड़ा होता है। अधिकांशतः बड़े परिवार विशेषकर संयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत बड़े घरों में रहते है । इस स्थिति को सारणी संख्या 10 में स्पष्ट किया गया है ।

सारणी संख्या 4 घरों का आकार

घरों का क्षेत्र	सामान्य जाति वर्ग		पिछड़ी जाति वर्ग		अनुसूचित जाति		कुल	
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
एक वर्ग से कम	–	–	–	–	5	2.02	5	1.0
एक वर्ग	–	–	–	–	24	9.9	24	4.8
दो से चार वर्ग	–	–	–	–	109	44.8	109	21.8
5 से 7 वर्ग	2	2.2	28	13.1	41	16.8	71	14.2
8 से 10 वर्ग	4	9.0	135	63.5	16	6.8	155	31.3
11 या इससे अधिक लागू नहीं है	36	88.8	50	22.8	21	8.8	107	21.1
घर नहीं है ।	–	–	4	0.6	25	12.7	29	5.8
योग –	42	100.0	217	100.0	241	100.0	500	100.0

निर्माण का वर्ष :–

मकानों के क्षेत्र तथा प्रकार के साथ उसके निर्माण का वर्ष महत्व रखता है। अधिकतर मकान के निर्माण का वर्ष वहीं लिखा गया जो जबाब देने वाली महिलाओं द्वारा बताया गया। बहुत से घरों का निर्माण वर्ष 25 से भी अधिक पुराना पाया गया और कुछ महिलाओं ने अपने घरों के निर्माण वर्ष को नहीं स्पष्ट कर सकी हैं। लगभग 7.8 प्रतिशत परिवारों के संख्या में यह लागू नहीं होता क्योंकि वे किराये के मकान में रह रहे हैं। लगभग 38.4 प्रतिशत परिवार ऐसे मकानों में रह रहे हैं जो 21 वर्ष से अधिक पुराने रहे हैं। 15 वर्षो से पहले बने मकानों में 12.00 प्रतिशत परिवार तथा 18.8 प्रतिशत परिवार 6 से 10 वर्ष पुराने है।

सारणी संख्या 5 घरों के निर्माण के वर्ष

घरों के निर्माण का वर्ष	संख्या	प्रतिशत
एक वर्ष से कम	6	0.8
एक से पांच वर्ष पूर्व	74	12.8
6 से 10 वर्ष पूर्व	104	18.8
11 से 15 वर्ष	75	12.4
16 से 20 वर्ष	5	9.0
21 वर्ष पूर्व	197	38.4
नहीं जानते किराये के मकान में रहतें हैं	44	7.8
योग–	520	100.0

घरों का मूल्य :–

घरों के निर्माण के वर्ष के ज्ञात करने के सम्बन्ध में जो समस्या सामने आई वही समस्या घर का मूल्य ज्ञात करने में भी आई पर ऐसा सोचा गया कि घरों के मूल्य द्वारा उनमें रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति का ज्ञान कुछ सीमा तक होता है । इसलिए घरों के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई लेकिन जवाब देने वाली महिलाओं द्वारा विश्वसनीय सूचना नहीं दी जा सकी । अतः इस सम्बन्ध में कोई अनुमान अपने से नहीं दिया जा सकता क्योंकि भूमि व भवन की कीमत विभिन्न सीनों तथा विभिन्न समयों पर अलग अलग होती है । अतः एक अनुमान के आधार पर घरों की कीमत को स्पष्ट किया गया है । अध्ययन में यह पाया गया कि 66.0 प्रतिशत मकानों की लागत दो हजार पांच सौ रूपये तक स्पष्ट की गई । जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि 47.0 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाये कच्चे झोपड़ों में रहती है और उनकी कीमत 2500 रूपये से अधिक नहीं हो सकती है शेष में 14 प्रतिशत घरों की लागत 2500 से 500 रूपये आंकी गई । इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत जबाब देने वाली महिलायें पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग

की 4 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत क्रमशः किराये पर रहती हैं या बिना किराया दिये जाने वाले मकान में रहती हैं। जसे सारणी संख्या 6 में स्पष्ट किया गया है।

न्यून लागत वाले मकानों की अधिकता उनकी गरीबी की स्थिति को स्पष्ट करती है । इसके अतिरिक्त जो भी थोड़ा बहुत उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है वह परिवारों में विभाजित तथा बंट जाया करता है यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो भविष्य में उनके आर्थिक स्थिति में सुधार की कोई आशा नहीं की जा सकती है ।

सारणी संख्या –6 घरों का अनुमानित मूल्य

लगत	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
रू0 1000 से 2500	330	66.0
रू0 2500 से 5000	74	14.3
रू0 500 से 10, 000	22	4.1
रू0 10,000 से अधिक	37	7.1
किराये के मकान में रहते हैं ।	22	4.3
बिना किराया दिये हुये रहने वाले	15	4.2
योग–	**520**	**100.0**

बालक बलिकाओं की स्थिति :–

आवासीय सुविधाओं में स्नान तथा शौचालय की सुविधायें जुड़ी हुई हैं। इन सुविधाओं द्वारा कुछ विशेष प्रकार के तथा कुछ स्तर के व्यवहारों का निर्धारण होता है जाति, स्वच्छता, शुद्धता का विचार तथा प्रदूषण आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामान्य रूप से शौचालय तथा स्नान गृह आदि की सुविधायें किसी क्षेत्र में जल प्रापित के स्रोतों पर निर्भर हैं। पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा के अभाव में किसी परिवार व समाज से इस सम्बन्ध में स्वच्छता तथा सफाई की आशा नही की जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र में स्नान के सुविधा के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है ग्रामीण क्षे के अधिकांश लोगों के घरों में इस प्रकार की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा महिलाओं ने बताया कि वे तथा उनकी लड़कियां घरों के एक कोने में अस्थाई प्रबन्ध कर के स्नान करने का प्रबन्ध बना लिया जाता है। कभी–कभी स्नान की व्यवस्था घरों के पास पत्थर की सहायता से बना लिया जाता है जिससे कभी–कभी गन्दगी व नालियों के अभाव में कीचड़युक्त स्थान विकसित हो जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

गांवों में सामान्य बात यह है कि स्नान के लिए गांवों के लोग अपने स्नान, पशुओं को स्नान कराने तथा घर के बर्तनों को साफ करने के लिए गांवों के तालाब व पोखरों का प्रयोग करते हैं। अनुसूचित जाति एवं जन जाति वर्ग के लोगों को सामान्य रूप से इनका प्रयोग नहीं करने दिया जाता क्योंकि उनके छूने एवं प्रयोग करने से तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है और उच्च जाति के लोगों के प्रयोग के लायक नहीं रह जाता है। इस प्रकार की धारणा के कारण तथा उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें एक लम्बे समय तक अस्वच्छ रहने के लिए बाध्य होना पड़ता हैं। अधिकांश महिलाओं ने सर्वेक्षण के समय यह बताया कि उनके पास स्नान करने के बाद पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। इन महिलाओं में अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर वर्ग की थी और उनके पास इतना समय नहीं रहता जिससे वे अपने कपड़े साफ कर सकें। स्नान करना भी कभी–कभी उनके लिए एक विलसता की वस्तु होती है वे कभी–कभी ही स्नान करती है। स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति जागरूकता का अभाव तथा बीमारी के प्रति तटस्थता के दृष्टिकोण लोगों में शिक्षा के अभाव को स्पष्ट करता है। ऐसी स्थिति में लोग भाग्यवादी हो जाते हैं तथा गन्दगी में ही जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं में

51 प्रतिशत महिलाओं के घर में स्नान की अलग से सुविधायें प्राप्त हैं। इनकी आर्थिक स्थिति एंव शिक्षा के स्तर के साथ–साथ इनके द्वारा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अधिक परवाह तथा सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। लगभग 2.5 प्रतिशत महिलायें कभी–कभी अपने पड़ोसियों के स्नान घरों का प्रयोग कर लेती हैं लगभग 47 प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग की महिलाओं के घरों में स्थायी स्नान गृहों की सुविधा नहीं प्राप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य रूप से लोग अपने घरों के पास शौचालय बनाना पसन्द नहीं करते हैं। खुले खेत या खाद के गढ़ों का प्रयोग इसके लिए किया जाता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति एवं कुछ सीमा तक पिछड़ी जाति के महिलाओं को सामान्य जनसंख्या की तुलना में जिन्हें जल प्राप्ति की सुविधायें नहीं प्राप्त हैं वे अस्वस्थ्य दशाओं में रहती हैं। सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को खाना बनाने के लिए पानी लाने के लिए घरों से दूर तक जाना होता है।

अध्याय– 6

लाभार्थी परिवारों की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व

लाभार्थी परिवारों की सम्पत्तियाँ एवं दायित्व

महिलाओं की आर्थिक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण

अध्ययन में शामिल महिलाओं व उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति का ज्ञान उनके मासिक आय के आधार पर स्पष्ट किया गया है। परिवार की आय ज्ञात करने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि किसी परिवार के वित्तीय स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना कठिन है तथा जो भी स्पष्ट किया जाता है वह अधिकतर कम विश्वसनीय होता है। कुछ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में कुछ निश्चित तरीके अपनाये जाते हैं, इनमें से परिवार के उपभोग का स्तर, प्राप्त श्रम शक्ति, प्रत्येक परिवार की आय एवं तरलता की स्थिति आदि।

वर्तमान अध्ययन में ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना है, इसके लिए कोई विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया गया। बल्कि प्रश्न का उत्तर देने वाली महिलाओं को एक माह में प्राप्त होने वाली लगभग आय की रकम नकद या वस्तुओं के रूप में स्पष्ट करने क लिए कहा गया। वास्तविक रकम का ज्ञान प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है फिर भी उन्हीं के द्वारा बतायी गयी संख्या के बारे में उन्हीं से बार–बार पूंछा गया और उसी को सही मान लिया गया।

सर्वेक्षण के पश्चात इसे ज्ञात करने के लिए एक सामान्य तरीका अपनाया गया। सभी प्राप्त आंकड़ों को मासिक परिवार की आय में बदल लिया गया। प्राप्त रकम को मासिक के आधार पर स्पष्ट किया गया, इसे प्राप्त करने

के लिए उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य या पेशा, आय प्राप्त करने की अवधि आदि पर विचार नहीं किया गया। अध्ययन में लागू किये गये इस तरीके को पूर्ण तथा दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि (1) आय के बारे में स्पष्ट की गयी रकम जवाब देने वाली महिलाओं के ऐच्छिक स्पष्टीकरण या वक्तव्य पर आधारित हैं। इसलिए जिस विधि का प्रयोग किया गया है, उसे पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है। (2) उनके द्वारा स्पष्ट संख्या या रकम को जांच करने का कोई विश्वसनीय तरीका उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विशेषकर गरीब और अशिक्षित लोग, आय और अन्य बातों के सम्बन्ध्या में बहुत कम विचारशील हैं बहुत सी महिलाओं ने इस प्रकार की बातों को बताने में बहुत आश्चर्य किया। किसी प्रकार का हिसाब–किताब रखना उनके लिए बिल्कुल नया लगता था, फिर भी वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में एक विचार की रूपरेखा अवश्य उनके दिमाग में रहती हैं, उसी के आधार पर वे उन पर होने वाले व्ययों के सम्बन्ध में एक निश्चित रकम का अनुमान रखती हैं और जहां तक सम्भव होता है वे आय व व्यय में संतुलन बनाये रखने का प्रयास भी करती हैं। सर्वेक्षण के दौरान ऐसा अनुभव किया गया कि कुछ महिलायें जानबूझ कर अपने परिवार के वास्तविक आय को कम बताया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर बना हुआ था कि सही–सही आय बता देने पर सरकार को मालूम हो जायेगा और इसके कारण उनके परिवार वालों को हानि हो सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सी अधिक सहायता गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को ही प्राप्त होती है।

यह अनुभव करना और अनुमान लगाना सम्भव था कि इनके द्वारा स्पष्ट की गयी संख्या में कितनी वास्तविक है और कितनी नहीं। यद्यपि आय को कम बताने की प्रवृत्ति अनुसूचित जाति की महिलाओं में अधिक रही पर पिछड़ी एवं सामान्य जाति की महलिाओं में भी यही प्रवृत्ति रही है, क्योंकि

सामान्य जाति वर्ग की महिलाओं अपने को गरीब दिखाना चाहती थी। महिलाओं के रहन–सहन की दशायें, उनके पास प्राप्त माल व असबाब, भूमि व पशु, उपयोग का ढांचा तथा व्यय व ऋण ग्रस्तता की स्थिति में भी किसी वस्तुनिष्ठ अनुमान पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अधिकांश महिलायें भूमिहीन मजदूरें तथा आकस्मिक श्रमिक वर्ग के परिवारों की रही हैं (80 प्रतिशत) शेष सीमान्त कृषक परिवार को भी उन्हें वर्ष के सभी महीनों में रोजगार भी नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें प्राप्त मजदूरी एक से दूसरे क्षेत्र में अलग–अलग होती हैं, जो उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, मौसम, लिंग तथा उम्र पर निर्भर है।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक परिवार के लगभग मासिक आय पर विचार किया गया है और इसमें सभी जवाब देने वाली महिलाओं को शामिल किया गया है। विभिन्न वर्ग की महिलाओं के परिवारों को उनके द्वारा स्पष्ट आय के आधार पर इन्हें विभिन्न आय वर्ग में विभाजित किया गया है। सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि औसत सीमान्त कृषक परिवार द्वारा लगभग 5023 रूपये की वार्षिक आय प्राप्त करता है अधिकतम आय वर्ग द्वारा प्रति परिवार की अधिकतम आय लगभग 9675 रूपये वार्षिक है तथा मध्यम वर्ग आय वर्ग के अन्तर्गत औसत आय 5312.83 रूपये तथा न्यून आय वर्ग के अन्तर्गत औसत आय 3019.40 रूपये वार्षिक हैं।

सारणी संख्या 1 में यह भी स्पष्ट है कि आय के विभिन्न स्रोतों में लगभग सभी आय वर्गों में समानता है। सभी साधनों से प्राप्त आय जैसे–जैसे न्यूनतम आय वर्ग से मध्यम तथा ऊँचे आय वर्ग में बढ़ती जाती है। कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आय द्वारा एक अलग ढांचा स्पष्ट होता है। एक औसत परिवार (244.30 रूपये) है और न्यूनतम आयवर्ग के परिवारों में

यह 220.15 रूपये है ओर अधिकतम आय वर्ग में यह 202.50 रूपये मात्र है। गैर कृषि क्षेत्र से मजदूरील पर आधारित रोजगार से सभी आय वर्ग के परिवारों की औसत आय 321.47 यपये मात्र है। न्यून आय वर्ग के परिवारों को औसतन 223.97 रूपये मध्यम आय वर्ग में 281.77 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग के द्वारा 738.33 रूपये की आय प्राप्त की गयी।

सारणी संख्या – 1

महिला परिवारों के आय का स्तर (वर्ग के अनुसार औसत रूपये में)

क्रं सं.	विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू. से कम	द्वितीय वर्ग 4000 से 8000 रू.	तृतीय वर्ग 8000 रू. से अधिक	सभी वर्ग
अ.	निजी भूमि (जोत का औसत आधार)	1.34	1.51	1.73	1.52
ब.	**कृषि से प्राप्त आय**				
1.	कृल कृषि उत्पादन का भू–मूल्य	633.96	9118.53	18750.93	9354.84
2.	माल की लागत	2118.51	3065.86	7746.79	3336.61
3.	श्रम लागत	222.51	164.75	887.49	284.97
4.	अन्य लागत (भूमि का किराया	245222	2647.70	4487.03	2822.00
5.	कृषि व्यवसाय से प्राप्त	1540.64	3240.22	5629.62	2911.26
स.	**गैर कृषि आय**				
1.	डेरी कार्य	749.34	1324.35	2465.04	1258.11
2.	मुर्गी पालन	8.31	9.25	35.00	12.38
3.	कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आधार	220.15	244.30	202.50	229.36
4.	गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	223.97	281.77	738.33	321.47
योग		**3019.40**	**5312.83**	**9674.70**	**5023.17**

कुल आय में विभिन्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व को सारणी संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या – 2
महिला परिवारों की आय का ढांचा
(कुल आय में प्रतिशत)

क्रं सं.	विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू. से कम	द्वितीय वर्ग 4000 से 8000 रू.	तृतीय वर्ग 8000 रू. से अधिक	सभी वर्ग
अ.	कृषि व्यवसाय से प्राप्त	21.02	30.99	38.19	33.40
ब.	**गैर कृषि आय**				
1.	डेरी कार्य	14.82	19.92	24.48	25.05
2.	मुर्गी पालन	10.28	5.18	0.36	5.29
3.	कृषि में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय	27.29	24.60	22.09	24.57
4.	गैर कृषि उद्योगों से प्राप्त आय	26.59	19.30	13.88	16.59
	योग	100.00	100.00	100.00	100.00

सारणी संख्या 2 से यह स्पष्ट परिवारों के मुख्य आय के स्रोतों में विभिन्न स्रोतों का विभिन्न आय वर्गों में अलग–अलग महत्व है। औसतन कुल आय का लगभग 33.40 प्रतिशत कृषि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली आय है। विभिन्न आय वर्गों में महत्वपूर्ण कमी और वृद्धि की प्रवृत्ति है। मध्य आय वर्ग द्वारा लगभग 30.99 प्रतिशत निम्न आय वर्ग द्वारा 21.02 प्रतिशत तथा उच्चतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 38.19 प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त करता है। आय का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत डेरी का कार्य हैं कुल आय का लगभग 25.05 प्रतिशत इस स्रोत से प्राप्त होता है। विभिन्न आय वर्गों में यह प्रतिशत अलग–अलग है। न्यून आय वर्ग में 14.82, प्रतिशत मध्यम आय वर्ग में 19.92 तथा उच्च आय वर्ग में 24.48 प्रतिशत आय डेरी के कार्यों से प्राप्त होती है।

कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय औसत परिवार के लिए 24.57 प्रतिशत है। उच्च आय वर्ग के लिए यह 22.09 प्रतिशत ओर न्यूनतम आय वर्ग द्वारा 27.29 प्रतिशत आय इस स्रोत से प्राप्त होती है। गेर कृषि उद्यमों द्वारा परिवारों की औसत आय का 16.59 प्रतिशत आय प्राप्त होती है। न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों के द्वारा 26.59 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 19.30 तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा 13.88 प्रतिशत आय गैर कृषि उद्यमों से प्राप्त की गयी थी।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययन में शामिल महिलाओं के परिवारों के आय का प्रमुख स्रोत मजदूरी आधारित कृषि एवं कृषि रोजगार हैं। जिन परिवारों के पास कुछ भूमि है वे कृषि तथा डेरी से भी आय प्राप्त करते हैं। इन परिवारों द्वारा विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगार प्राप्त किया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय

महिला परिवारों के कुल आय स्तर तथा आय के ढांचे का विश्लेषण करने के पश्चात प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। अध्ययन में प्राप्त महिला परिवारों का औसत आकार लगभग 6 सदस्यों का आता है। विभिन्न आय वर्ग में परिवार के आकार अलग–अलग हैं। उच्चतम आयवर्ग के परिवार का औसत आकार लगभग 7 का मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों का औसत आकार 6 व 5 का आता है। इस प्रकार विभिन्न आय वर्ग में परिवारों के विभाजन के आधार पर परिवार का आकार विभिन्न आय वर्गों में अलग–अलग है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय स्तर तथा आय के ढांचे पर आय वर्ग के आधार पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

सारणी संख्या – 3

महिला परिवारों की प्रति व्यक्ति आय (रूपयों में)

क्रं सं.	विवरण	प्रथम आय वर्ग 4000 रू. से कम	द्वितीय वर्ग 4000 से 8000 रू.	तृतीय वर्ग 8000 रू. से अधिक	सभी वर्ग
1.	कृषि से प्राप्त आय	139.01	208.38	344.84	206.58
2.	गैर कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय	282.69	506.28	776.50	473.38
3.	कृषि क्षेत्र में मजदूरी रोजगार से प्राप्त आय	40.39	38.17	27.93	37.29
4.	वेतन	9.58	17.46	20.12	15.20
5.	अन्य अध्याय	41.25	15.82	63.21	32.05
6.	गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय	41.10	41.02	101.84	52.28
	कुल योग	**554.02**	**830.12**	**1334.44**	**816.78**

विभिन्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा अर्जित औसत प्रति व्यक्ति आय को सारणी संख्या 3 में स्पष्ट किया गया हैं एक औसत परिवार की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 816.78 रूपये मात्र आती है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति आय स्तर अलग–अलग रहा है। अचल आय वर्ग परिवारों की व्यक्ति आय 1334 रूपये, मध्यम आय वर्ग के परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 830.13 रूपये तथा न्यून आय वर्ग परिवारों की यह 554.02 रूपये रही है।

सारणी संख्या 3 में विभिन्न आय के स्रोतों द्वारा लगभग एक सा ढांचा स्पष्ट होता हैं कृषि क्षेत्र में मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय से यह ज्ञात होता है कि जैसे–जैसे उच्च आय वर्ग की ओर देखा जाता है, कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त आय क्रमशः कम होती जाती है ओर सभी परिवारों को औसतन 37.29 रूपये की आय इस स्रोत से प्राप्त होती है।

दूसरी ओर गेर कृषि क्षेत्र के मजदूरी पर आधारित रोजगार से प्राप्त आय निम्न तथा मध्यम आय वर्ग को लगभग समान आय ओर उच्च आय वर्ग के परिवारों की औसत आय 101.84 रूपये रही है और औसतन 52.28 रूपये की आय प्राप्त हुयी है।

उपभोग का ढांचा

ग्रामीण महिला परिवारों की आय स्तर के ढांचे का विश्लेषण के पश्चात उनके उपभोग के ढांचे पर विचार करने के लिए प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के उपभोग ढांचे का विश्लेषण के साथ–साथ उनके उपभोग के ढांचे पर विचार करने के लिए प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के उपभोग ढांचे का विश्लेषण के साथ–साथ उपभोग व्यय के विभिन्न मदों के महत्व को स्पष्ट करके उनके आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है।

सारणी संख्या 4 में महिला परिवारों के उपभोग व्यय के औसत रकम को स्पष्ट किया गया हैं एक औसत परिवार का वार्षिक उपभोग लगभग 6385 रूपया आता है। विभिन्न आय वर्गों के उपभोग व्यय की ओसत राशि अलग–अलग रही है और इसमें महत्वपूर्ण अन्तर है। उच्चतम आय वर्ग के परिवारों का प्रति परिवार उपभोग व्यय अधिकतम लगभग 9888 रूपये रहा है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा उपभोग पर 6448.64 रूपये वार्षिक व्यय किया था। इसी प्रकार न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों का उपभोग व्यय 5069 रूपये रहा हैं सारणी से यह स्पष्ट हे कि आय स्तर जैसे–जैसे बढ़ता जाता है, उस योग व्यय बढ़ता गया है।

सारणी संख्या –4
ग्रामीण महिला परिवारों के उपभोग व्यय का स्तर
(औसत व्यय रूपयों में)

क्रं सं.	उपभोग के मद	प्रथम आय 4000 से कम	मध्यम आय 4000 से 8000 रू.	उच्च आय 8000 रू. से अधिक	सभी आय वर्ग सम्मिलित रूप में
क.	वर्तमान उपभोग				
1.	खाद्यान्न	1232.14	1534.03	2256.86	1515.05
2.	चटनी, मसाला तथा जायकेदार चीजें	90.25	111.27	171.08	111.32
3.	फल व सब्जियां	179.11	247.24	385.63	239.83
4.	दूध व उससे बने पदार्थ	669.42	797.42	385.63	239.83
5.	खाद्य तेल	167.91	292.02	373.25	293.77
6.	चीनी, गुड़, शक्कर व खाण्डसारी	723.47	924.00	1057.13	866.93
7.	मांस व अण्डे	33.55	63.59	185.00	68.53
8.	चाय	168.50	195.25	293.33	128.27
9.	अचार	26.75	31.64	54.08	32.80
10.	बिस्कुट तथा मिठाइयां	40.38	55.34	85.83	53.73
11.	नशीली वस्तुएं	139.17	164.38	267.13	168.62
12.	ईधन तथा प्रकाश	114.98	134.89	202.22	136.37
13.	कपड़े	655.60	894.12	1571.66	894.35
14.	जूते व चप्पलें	132.77	158.41	240.25	159.65
15.	कपड़े, झूलने व साबुन आदि	111.85	135.53	289.67	147.33
ख.	**टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं**	**69.75**	**163.87**	**160.71**	**127.28**
ग.	**सेवाएं**				
1	शिक्षा	58.68	69.35	94.17	68.32
2	स्वास्थ्य	135.87	202.78	354.58	197.66
3	सवारी गुड़िया	867.85	117.99	236.09	122.04
4	मनोरंजन	9.27	2.94	4.58	6.59
	योग	**290.67**	**393.06**	**689.42**	**393.91**
घ.	**विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सव**	**117.35**	**152.53**	**286.25**	**157.15**
	कुल उपभोग	**5068.62**	**6448.64**	**9887.54**	**6384.75**
कुल उपभोग विवाह व अन्य सामाजिक उत्सवों को घटाकर		4951.27	6296.11	9601.29	6227.60

उपभोग के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में एक औसत ढांचा स्पष्ट होता हैं जैसे–जैसे उच्च आय वर्ग की ओर विचार किया जाता है, उपभोग के विभिन्न मदों पर होने वाला औसत व्यय आय बढ़ने के साथ–साथ बएता जाता हैं इस सम्बन्ध में टिकाऊ वस्तुओं पर होने वाला व्यय एक अपवाद प्रस्तुत करता है। मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्वारा टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय अधिकतम रहा है। इसके पश्चात उच्चतम तथा न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों का व्यय रहा है।

सारणी संख्या 4 में स्पष्ट उपभोग के विभिन्न मदों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे–जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है, उपभोग के प्रत्येक मद पर होने वाले व्यय में वृद्धि होती जाती है। उपभोग के मदों को चालू उपभोग व्यय व टिकाऊ उपभोग वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय में विभाजित किया गया है। चालू उपभोग व्यय को खाद्यान्नो, मसाला, चटनी और अन्य जायकेदार वस्तुओं, फल व सब्जियां, दूध और उससे सम्बन्धित उत्पादों, खाद्य तेलों, चीनी व खाण्डसारी, मांस व अण्डे, चाय, अचार, बिस्कुट व कपड़े व जूतों तथा धुलाई व स्वच्छता के व्ययों को शामिल किया गाय है। इसी प्रकार टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के व्यय के अन्तर्गत भवन निर्माण, नये कमरों का निर्माण, मरम्मत कार्य, रेडिया ट्रांजिस्टर तथा टी.वी. घड़ियों, विद्युत पंखों व उपकरणों, सिलाई मशीन, चारपाइयां, तोशक तथा गद्ढे, कम्बल, बरतन, लकड़ी एवं लोहे के बक्सों और खादी कपड़ों पर किये गये व्यय को शामिल किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत परिवारों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सवारी गाड़ियों और मनोरंजन पर किये व्यय को शामिल किया गया है। यदि कुल उपभोग व्यय में विभिन्न मदों के महत्व पर विचार किया जाता है तो विभिन्न मदों में चालू उपभोग व्यय कुल उपभोग व्यय का निम्न आय वर्ग के परिवारों का 90.57 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग परिवारों का 89.00

प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों 88.50 प्रतिशत और सभी परिवारों को सम्मिलित रूप से कुल उपभोग का 89.38 प्रतिशत रहा है। सभी मदों के सापेक्ष महत्व को सारणी संख्या 4 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या 5 से स्पष्ट है कि चालू उपभोग व्यय, कुल उपभोग व्यय का सबसे बड़ा भाग है। कुल उपभोग व्यय में चालू उपभोग यय निमन आय वर्ग का 90.57 प्रतिशत रहा है पर आय के बढ़ने के साथ–साथ यह कम होता गया है। मध्यम आय वर्ग में 89.00 प्रतिशत तिा उच्च आय वर्ग परिवारों का 88.50 तथा सभी आय वर्ग के परिवारों का चालू उपभोग व्यय कुल उपभोग व्यय का 89.38 प्रतिशत रहा है। चालू वस्तुओं के उपभोग व्यय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्नों पर किया गया व्यय रहा है। सभी आय वर्गों के परिवारों का खाद्यान्नों पर किया गया व्यय कुल उपभोग व्यय का 23.74 प्रतिशत रहा है।

विभिन्न आय वर्गों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि आय बढ़ने के साथ–साथ खाद्यान्नों पर हुआ व्यय कुल उपभोग में क्रमशः घटता जाता है। निम्न आय वर्ग परिवारों के उपयोग में खाद्यान्नों पर हुआ व्यय 24.31 जबकि मध्यम आय वर्ग में यह 23.79 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग में यह 22.83 प्रतिशत रहा है। चालु वस्तुओं के उपभोग व्यय में दूसरा मद कपड़ों पर किया गया व्यय है। सभी आय वर्गों के परिवारों का कपड़ों पर किया गया व्यय कुल उपभोग व्यय का 14.01 प्रतिशत रहा है। विभिन्न आय वर्गों में जैसे–जैसे आय बढ़ती गयी है यह व्यय बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग के परिवारों द्वारा 12.93 प्रतिशत मध्यम आय वर्ग द्वारा 13.87 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग में 15.90 प्रतिशत रहा है।

सारणी संख्या –5
परिवारों के उपभोग का ढांचा
(कुल उपभोग व्यय के प्रतिशत के रूप में)

क्रं सं.	उपभोग के मद	प्रथम आय 4000 से कम	मध्यम आय 4000 से 8000 रू.	उच्च आय 8000 रू. से अधिक	सभी आय वर्ग सम्मिलित रूप में
क.	चालू उपभोग				
1.	खाद्यान्न	24.31	23.79	22.83	23.74
2.	मसाले व चटनी आदि	1.73	1.73	1.73	1.74
3.	फल व सब्जियां	3.53	3.83	3.90	3.76
4.	दूध व उसके उत्पाद	13.21	12.37	13.22	12.83
5.	खाद्य तेल	5.29	4.53	3.77	4.60
6.	चीनी, गुड़, शक्कर व खाण्डसारी	14.37	14.33	10.69	13.58
7.	मांस व अण्डे	0.66	0.99	1.87	1.07
8.	चाय	3.32	3.03	2.97	3.11
9.	अचार	0.53	0.49	0.55	0.51
10.	बिस्कुट तथा मिठाइयां	0.80	0.86	0.87	0.84
11.	नशा के पदार्थ (तम्बाकू, शराब तथा अफीम आदि)	2.75	2.55	2.70	2.64
12.	ईंधन तथा प्रकाश	2.27	2.09	2.05	2.14
13.	कपड़े	12.93	13.87	15.90	14.01
14.	जूते व चप्पलें	2.62	2.46	2.43	2.50
15.	सफाई एवं स्वच्छता के समान	2.21	2.10	2.92	2.31
	योग चालू उपभोग	**90.57**	**89.00**	**88.50**	**89.38**
ख.	**टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं**	**1.38**	**2.53**	**1.63**	**1.99**
ग.	**सेवाएं**				
1.	शिक्षा	1.16	1.08	0.95	1.07
2.	स्वास्थ्य	2.67	3.11	3.59	3.10
3.	सवारियां	1.72	1.83	2.39	1.91
4.	मनोरंजन	0.18	0.05	0.05	0.09
	योग सेवायें	5.73	6.10	6.97	6.17
घ.	**विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सव**	**2.32**	**2.37**	**2.90**	**2.46**
	कुल उपभोग	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
विवाह व अन्य उत्सवों को छोड़कर कुल उपभोग		97.68	97.63	97.10	97.54

उपभोग का तीसरा महत्वपूर्ण मद गुड़ एवं खाण्डसारी आदि का रहा है। सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा कुल उपयोग व्यय का 13.58 प्रतिशत गुड़, खाण्डसारी और शक्कद आदि पर व्यय किया गया था। इस व्यय में आय वर्ग के साथ विलोम दिशा में परिवर्तन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। जैसे–जेसे आय बढ़ती गयी है, गुड़, खाण्डसारी पर किय गया क्रमशः कम होता गया है। निम्न आय वर्ग के परिवारों का गुड़ व खाण्डसारी पर व्यय 14.37 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग का 14.33 तथा उच्च आय वर्ग में कम होकर 10.69 प्रतिशत हो गया है।

उपभोग का चौथा मद दूध व दूध से बने पदार्थों का है। सभी आय वर्गों के परिवारों द्वारा इस मद पर कुल उपभोग व्यय का 12.83 प्रतिशत व्यय किया गया था। इस मद पर किया गया व्यय विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में लगभग समान रहा है। निम्न आय वर्ग में 13.21 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग का 12.37 प्रतिशत तथा उ च्च आय वर्ग में 13.32 प्रतिशत रहा है।

पांचवां स्थान खाद्य तेलों का रहा है। जैसे–जैसे ऊँचे आय वर्ग की बढ़ा जाता है खाद्यान्नों, चीनी व खाण्डसारी और खाद्य तेलों पर किया गया उपभोग व्यय क्रमशः कम होता गया है। न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा खाद्य तेलों पर 5.29 प्रतिशत, मध्यम आय वर्ग द्वारा 4.53 प्रतिशत तथा उच्चतम आय वर्ग के परिवारों द्वारा 3.77 प्रतिशत उपभोग व्यय खाद्य तेलों पर किया गया है। कपड़ों के व्यय के बारे में विलोम प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है।

सारणी संख्या – 6
महिला परिवारों के उपभोग की औसत प्रवृत्ति

क्रं सं.	आय वर्ग	औसत उपभोग (रूपये) सी	औसत उपभोग (रूपये) वाई	उपभोग की औसत प्रवृत्ति = सी/वाई
1.	4000 रूपये से कम आय के परिवार	5068.62	3019.40	1.68
2.	4000 से 8000 रूपयों के मध्य परिवार	6448.64	5312.83	1.21
3.	8000 रूपये से अधिक आय के परिवार	9887.54	9674.70	1.07
सभी आय वर्ग के परिवार		**6384.75**	**5023.17**	**1.27**

सभी परिवारों का सम्मिलित आय वर्गों की उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति 1.27 आती है। यह सभी आय वर्गों के परिवारों के उपभोग की औसत प्रवृत्ति एक से अधिक है। जैसे–जैसे आय वर्ग के ऊपर की ओर बढ़ा जाता है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति कम होती जाती हैं। यह निम्न आय वर्ग के परिवारों की यह 1.68 रही है। मध्यम आय वर्ग की 1.21 तथा उच्चतम आय वर्ग की 1. 02 रही है। सभी आय वर्गों की उपभोग की औसत क्षमता एक से अधिक है। अतः प्रत्येक आय वर्ग के परिवार को एक घाटा सहन करना पड़ता है। सभी परिवारों पर सभी आय वर्ग के परिवारों को लगभग 1362 रूपये का घाटा सहन करना पड़ता है। निम्न आय वर्ग के परिवारों का उपभोग व आय के बीच का घाटा 2049.23 रूपये मध्यम आय वर्ग का 1135.81 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग का घाटा 212.84 रूपये का रहा है।

सारणी संख्या –7

क्रं सं.	उपभोग के मद	प्रथम आय 4000 से कम	मध्यम आय 4000 से 8000 रू.	उच्च आय 8000 रू. से अधिक	सभी आय वर्ग सम्मिलित रूप में
क.	चालू उपभोग				
1.	खाद्यान्न	–	–	–	–
2.	मसाले व चटनी आदि	–	–	–	–
3.	फल व सब्जियां	–	–	–	–
4.	दूध व उसके उत्पाद	–	–	–	–
5.	खाद्य तेल	49.16	39.63	51.48	47.77
6.	चीनी, गुड़, शक्कर व खाण्डसारी	133.66	144.38	148.81	140.96
7.	मांस व अण्डे	6.16	9.94	25.52	11.14
8.	चाय	30.92	30.51	40.46	32.24
9.	अचार	4.91	4.94	7.46	5.33
10.	बिस्कुट तथा मिठाइयां	7.41	8.65	1.84	8.74
11.	नशा के पदार्थ (तम्बाकू, शराब तथा अफीम आदि)	25.54	25.68	36.85	27.42
12.	ईंधन तथा प्रकाश	21.10	21.08	27.89	22.17
13.	कपड़े पर व्यय	120.29	139.71	216.78	145.42
14.	जूते व चप्पलें	24.36	24.75	33.14	25.96
15.	कपड़े धोने व शौचालय की वस्तुएं	20.52	21.18	39.95	23.96
	योग 12 से 15	**842.36**	**896.75**	**12.07.06**	**927.87**
ख.	**टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं**	**12.80**	**25.60**	**22.17**	**20.70**
ग.	सेवाएं				
1.	शिक्षा	10.77	10.84	12.49	11.16
2.	स्वास्थ्य	24.93	31.68	48.91	32.14
3.	सवारियां	15.94	18.44	32.56	19.84
4.	मनोरंजन	1.70	0.46	0.63	0.91
	यदि क से घ	53.30	61.42	95.09	64.05
	योग – उपभोग	**930.02**	**1007.60**	**1363.60**	**1038.17**
घ.	**विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सव**	**21.53**	**23.83**	**39.48**	**25.55**
	कुल उपभोग	**930.02**	**1007.60**	**1363.60**	**1038.17**
विवाह व उत्सव व्यय को घटाकर उपयोग व्यय		908.49	983.77	1324.23	1012.62

सारणी संख्या 7 में स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के सबसे अधिक व्यय खाद्यान्नों पर है। सभी आय वर्ग के परिवारों का खाद्यान्नों पर होने वाला व्यय 246.51 रूपये रहा है। विभिन्न आय वर्गों में जैसे–जैसे आय बढ़ती जाती है, खाद्यान्नों पर किया गया व्यय 226.08 रूपया मध्यम आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 239.68 रूपये तथा उच्चतम आय वर्ग का खाद्यान्नों पर उपभोग व्यय 311.29 रूपये रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में दूसरा स्थान कपड़े पर किया गया व्यय है। सभी परिवारों का औसत व्यय 145.42 रूपया रहा है और जैसे–जैसे आय बढ़ती है, कपड़े पर किया गया व्यय बढ़ता गया हैं निम्न आय वर्ग का कपड़े पर किया गया व्यय प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 120.29 रूपये मध्यम वर्ग का 139.71 तथा उच्चतम आय वर्ग का 216.78 रूपये रहा है। उपभोग में तीसरा स्थान गुड़ व खाण्डसारी पर किया गया व्यय हैं सभी आय वर्ग के परिवारों का गुड़ व खाण्डसारी पर किया गया व्यय 170.96 रूपया रहा हैं यहां व्यय भी आय स्तर बढ़ने के साथ–साथ बढ़ता गया है। निम्न आय वर्ग का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 133.66 रूपये, मध्यम आय वर्ग का 144.38 रूपया तथा उच्चतम आय वर्ग का 148.81 रूपये रहा है। चौथे क्रम पर दूध व दूध से बने पदार्थों का है।

टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग व्यय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे गृह निर्माण व मरम्मत, रेडिया, ट्रांजिस्टर व टी.वी. घड़ियाँ, विद्युत पंखों, सिलाई मशीन, चारपायी व गद्ढे, कम्बल बरतन, लकड़ी व लोहे के बक्से, आदि पर किया गया व्यय शामिल है। सभी आय वर्गों का सम्मिलित रूप से इन वस्तुओं पर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 150.50 रूपये रहा है पर जैसे–जैसे परिवारों का आय स्तर बढ़ता गया है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता गया हैं निम्न आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय 12.80 रूपये रहा है। मध्यम

आय वर्ग परिवारों का 160.60 तथा उच्च तथा वर्ग का 180.7 रूपये रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया व्यय मकान आय वर्ग के व्यय की तुलना में कम है। इस सम्बन्ध में दो कारण स्पष्अ किए जा सकते हैं। एक तो यह है कि उच्च आय वर्ग के परिवारों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं पहले से ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं, नई वस्तुएं खरीदने के लिए कोई विशेष इच्छा व व्यवस्तता नहीं होती है। दूसरे यह कि मध्यम आय वर्ग के लोगों में अधिक होती है, क्योंकि वे अपना जीवन स्तर उच्च आय वर्ग के समान बनाने का प्रयास करते हैं। रैगनर नवर्स के अनुसार इसे प्रदर्शन प्रीााव (डिमांस्ट्रेशन इफेक्ट) कहा जा सकता है। नवर्स ने इसकी व्याख्या (कान्सपीसियस कन्जम्प्सन) नकलची उपभोग के रूप में की है। निम्न आय वर्ग के लोग अधिक मात्रा में आधुनिक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी आय इतनी पर्याप्त नहीं होगी। अतः इनके आय का एक बड़ा भाग चालू उपभोग पर व्यय हो जाता है, दूसरी ओर एक भाग की बचत की जाती है और एक छोटे भाग से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी जाती है, इसलिए निम्न आय वर्ग के परिवारों का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर) केवल 12.80 रूपये मात्र रहा है, जबकि मध्यम आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर किया गया प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय निम्न आय वर्ग परिवारों का दुगना या 25.60 रूपये रहा है।

सेवाओं के व्यय के सम्बन्ध में सभी आय वर्ग के परिवारों द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय 64.05 रूपये रहा हैं विभिन्न आय वर्गों में निम्न आय वर्ग का सेवाओं पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय 53.30 रूपये मात्र मध्यम आय वर्ग के परिवारों का 61.42 रूपये तथा 95.09 रूपये रहा है जो स्तर बढ़ने के साथ–साथ बढ़ा है।

उपरोक्त आय व व्यय (उपभोग व्यय) का विशेषण से यह स्पष्ट है कि परिवारों के आय व व्यय के बीच बड़ा अन्तर नहीं है, लोगों की उपभोग की औसत प्रवृत्ति अधिक ऊँची है तथा बचत स्तर निम्न है के गरीब परिवारों के सम्बन्ध में होता है।

अध्याय– 7

गाँव एवं शहरी सम्पत्तियों में महिला की सहभागिता

अध्याय– 7

गाँव एवं शहरी सम्पत्तियों में महिला की सहभागिता

सर्वेक्षण में ग्रामीण महिलाओं द्वारा जो व्यवसाय किये जो रहे हैं उन्हें 15 वर्गों में पाया गया। ग्रामीण महिलायें निम्न व्यवसायों में लगी हुयी हैं। इन महिला परिवारों की आर्थिक सामाजिक दशाओं को स्पष्ट करने के पहले उनके द्वारा किये जाने वलो व्यवसायों के बारे में कुछ स्पष्ट करना आवश्यक है।

कृष श्रमिक

ग्रामीण गरीब महिलाओं द्वारा कृषि क्षेत्र में श्रमिक के रूप में कार्य करना एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। अध्ययन में 500 ग्रामीण महिलाओं में से कुल 129 ग्रामीण महिला परिवारों द्वारा कृषि श्रमिक के रूप में कार्य किया जाता है। यद्यपि विभिन्न विकास खण्ड की इन महिलाओं को अत्म निर्भर बनाने के लिए ट्राइसेम योजना की भांति प्रशिक्षण तथा किट्स आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था ाी की गयी थी, पर इन महिलाओं द्वारा विभिन्न कारणों और कठिनाइयों के कारण प्रशिक्षण प्राप्त व्यवसाय को न अपनाकर अपने पुराने व्यवसाय परम्परागत व्यवसाय ही अपना रखा है और वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करके अपनी जीविका अर्जित कर रही है। इन कारणों पर विचार आगे किया जायेगा। साराणी संख्या–56 से यह स्पष्ट है कि कुल ग्रामीण महिलाओं का 25.8 प्रतिशत ग्रामीण महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं विभिन्न विकास खण्डों की स्थिति को सारणी संख्या–1 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–1
विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत ग्रामीण महिलायें

क्रं सं.	व्यवसाय	मऊरानीपुर संख्या	कुल प्रशिक्षित महिलाओं से प्रतिशत विकास खण्ड							
			चिरगांव		बबीना		बंगरा		कुल	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1.	कृषि श्रमिक	61	30.9	32	27.3	17	16.0	19	129	25.8
2.	निर्माण कार्य	17	8.6	8	–	–	–	–	39	
3.	मिट्टी खोदना	11	5.6	9	–	–	–	–	34	
4.	ईटे बनाना	22	11.2	2	–	–	–	–	35	
5.	बांस का कार्य	8	4.0	6	–	–	–	–	24	
6.	चमड़े का कार्य	11	5.6	9	–	–	–	–	31	
7.	मिट्टी के बर्तन	9	4.1	14	–	–	–	–	37	
8.	बुनाई	11	5.6	5	–	–	–	–	28	
9.	मुर्गी पालन	7	4.0	5	–	–	–	–	22	
10.	डेरी का कार्य	10	5.4	4	–	–	–	–	31	
11.	सिलाई	6	3.5	7	–	–	–	–	21	
12.	लंकड़ी का कार्य बाजे से सम्बन्धित	7	4.0	3	–	–	–	–	19	
13.	किराना स्टोर	3	0.5	3	–	–	–	–	19	
14.	सब्जी उगाना	7	3.5	4	–	–	–	–	21	
15.	दरी कम्बल बनाना	7	3.5	.	–	–	–	–	10	
		197	117	117	106		80		500	

सारणी संख्या–1 से स्पष्ट है कि मऊरानीपुर विकास खण्ड में ड्वाकरा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 197 ग्रामीण महिलाओं को अत्म निर्भर बनाने व आय अर्जित करने के साधन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 30.9 प्रतिशत महिलायें कृषि श्रमिक के रूप में अपनी जीविका अर्जित कर ही हैं। इसी प्रकार चिरगांव विकास खण्ड की 117 ग्रामीण महिलाओं में 32 या 27.3 बबीना विकास खण्ड की 106 महिलाओं में से 32 या विकास खण्ड की कुल प्रशिक्षित महिलाओं का 16 प्रतिशत तथा बंगरा विकास खण्ड की 80 महिलाओं में से 19 या कुल महिलाओं का 25 प्रतिशत भाग कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। झांसी जनपद एक असमतल धरातल का क्षेत्र है, फिर भी सिंचाई की सुविधाओं का विकास

किया गाय है। सन् 1995–96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 314 हजार हेक्टेयर था, जिसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र 160 हजार हेक्टेयर था, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 50.9 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार जनपद की कृषि अभी भी अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। अध्ययन में चुने गये विकास खण्ड की अर्थव्यवस्था में भी कृषि प्रधान है। इन विकास खण्डों के सिंचाई की सुविधाओं के विकास को सारणी संख्या– 2 में स्पष्अ किया गया है।

सारणी संख्या–2
अध्ययन के लिए चयनित विकास खण्डों में सिंचित क्षेत्र 1995–96 (हजार हेक्टेयर में)

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्रवार शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1	मऊरानीपुर	42.3	21.6	51.2
2	बंगरा	33.6	17.0	50.4
3	चिरगांव	36.6	23.7	64.9
4	बबीना	24.0	17.0	71.0
	योग जनपद	314.0	160.00	50.9

सारणी संख्या–2 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन से सम्बन्धित विकास खण्डों में कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है और सभी विकास खण्डों का शुद्ध बोये गये क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जनपद के प्रतिशत से गांवों में एक फसल उगायी जाती है, जहां पर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। एक से आध्कि फसलें उगायी जाती हैं। सन् 1995–96 के अन्त में जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का केवल 26.2 प्रतिशत था। अध्ययन के अन्तर्गत चुने गये विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र और एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की स्थिति को सारणी संख्या–3 में स्पष्ट किया गया है।

सारणी संख्या–3
चयनित विकास खण्डों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र
(हजार हेक्टेयर में 1995–96)

क्रमांक	विकास खण्ड	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्रवार शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
1	मऊरानीपुर	42.3	4.2	9.9
2	बंगरा	33.6	5.8	17.2
3	चिरगांव	36.6	5.3	14.4
4	बबीना	24.0	9.5	39.5
	योग जनपद	**160.0**	**42.0**	**26.2**

कृषि श्रमिकों को कितने दिनों कृषि क्षेत्र में कार्य मिल पाता है, यह बोयी जाने वाली फसलों की संख्या तथा प्रकार पर निर्भर है। यह कार्य बहुत ही मौसमी होता है और यह अल्पकालीन मात्र केवल 15 से 20 दिनों को होता है, जिसमें सभी किसानों को एक साथ श्रमिकों की आवश्यकता होती हैं कृषि में भूमि की जुताई, बुआई, पौध लगाने, सिंचाई, खर पतवार निकालने, उर्वरक और कीट नाशक दवाओं को छिड़कने, फसल की कटाई, पंवाई, ओसाई, सफाई, फसलों को बोरे में भरना एवं बैलगाड़ी पर लदाने के कार्य के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में महिलाओं को मुख्यतया निराई, बुआई, पौध लगाने, कटाई, फसलों से भूसा निकालने के कार्य, दवाई, सफाई, फसल को बोरे में भरने और बैलगाड़ी में लदायी के कार्य में लगाया जाता है। इन कार्यों को किसी भी जाति के लोग कर सकते हैं।

कृषि श्रमिक तीन तरीकों या प्रणाली के अनुसार कार्य करते हैं :–

1. दैनिक मजदूरी के आधार पर
2. टुकड़े या किसी काम विशेष के लिए निर्धारित मजदूरी (पीस रेट्स)
3. वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर

महिलाओं को दैनिक मजूदरी या काम के टुकड़े के आधार पर निर्धारित मजदूरी की दरों के आधार पर काम में लगाया जाता है। जिन किसानों को मजदूरों की आवश्यकता होती है, उन्हें मजदूरों के घर जाकर किसी विशेष दिन उनके खेत पर जाकर काम करने के लिए कहना होता है। श्रमिक किसानों के घर काम करने के लिए कहने के लिए या काम मांगने के लिए श्रमिक नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके मोल भाव करने की शक्ति कम हो जाती है। यदि किसान उनके घर जाते हैं तो वे मजदूरी के बारे में बात करने में समर्थ होते हैं और उन्हें एक उपयुक्त मजदूरी प्राप्त करने की आशा हो जाती है। जब श्रमिक किसी अन्य गांव या स्थान पर जाते हैं तो उन्हें काम खोजने और करने के लिए कहना और जाना होता है। यह एक निराशाजनक स्थिति होती है। जब किसानों द्वारा उनके पास जाकर काम करने के लिए कहा जाता है तो वे अपने गांव में कार्य करने के बजाय दूसरे गांवों में जाकर कार्य करना अधिक पसंद करते हैं जब कृषि श्रमिकों (पुरूष और महिलाओ) को दैनिक मजदूरी या कार्य के टुकड़े की मजदूरी पदर पर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वे किसी विशेष कृषक के साथ बंधे (अटेच्ड) नहीं हैं। वे किसी के यहां कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस स्थिति को श्रमिक पसन्द भी करते हैं। केवल वे श्रमिक जो वार्षिक संविदा या ठेके के आधार पर लगाये जाते हैं वे एक विशेष समय के लिए बंधे होते हैं। इसके पश्चात में पुनः ठेका के लिए सौदा कर सकते हैं। यदि श्रकमक किसी किसान से ऋण लिए होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब तक ऋण की रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक के लिए व उस किसान से बंधे होते हैं। कृषि कार्य के लिए श्रमिक बड़े किसानों या ऐसे किसानों द्वारा लगाये जाते हैं, जो अपने परिवार वालों की सहायता से समय पर कार्य पूरा करने में समर्थ नहीं होते हैं।

अध्याय– 8

झाँसी क्षेत्र में व्यवसायिक एवं सहकारी बैंको की भूमिका

अध्याय– 8

झॉसी क्षेत्र में व्यवसायिक एवं सहकारी बैंको की भूमिका

भारत सरकार ने आजादी के बाद सभी वर्गो की वित्तीय एवं आर्थिक भागेदारी को बढावा देने के लिए समय – समय पर विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्यकम प्रारम्भ क्यो है इन कार्यक्रमो का मुख्य उदेदश्य आर्थिक तौर पर पिछडे हुए क्षेत्र एंव व्यक्तिगत अर्थिक पिछडापन को दूर करने का है।

सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पिछडे क्षेत्र चिन्हित क्या है। जनपद झॉसी इसी क्षेत्र का एक भाग है झॉसी जनपद में कुल मुख्य कर्यकारों की संख्या 30 % है एवं कुल मुख्य कर्यकारो मे 46.5 कृषक 16.6ः कृषक श्रमिक एवं अन्य कृषक सम्बनिधत है जिससे प्रगटतः इस जनपद मे अधिसंख्या लोगो के जीविकोपार्जन का साधन स्त्रोत कृषि ही परिलक्षित हो रहा है। मुख्य कर्मकारो के 36.9% लोग अन्य उधोग धन्धो एवं व्यवसाय आदि मे लगे है।

बैंक सुविधाएं –

राष्ट्रीयकरण के बाद सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए बैंक ध्वज वाहक के रुप में पुर्नः आंकलित हुए एवं नई बैक शाखा खुलने का काम भी तीव्र गति से हुआ। फिर सेवा क्षेत्र अवधारणा के साथ प्रत्येक गांव किसी न किसी बैंक शाखा के साथ सम्बद्ध किया गया । इस तरह से जनपद झॉसी में बैकों की निम्नवत शाखाऍ कार्यरत है।

बैंको के नाम		संख्या
1. पंजाव नैशनल बैक	–	26
2. भारतीय स्टेट बैंक	–	20
3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	–	15
4. रानी लक्ष्मी बाई क्षे.ग्रा. बैंक	–	23
5. इलाहाबाद बैंक	–	02
6. यूनियन बैंक	–	02
7. बैक ऑफ बडौदा	–	02
8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	–	01
9. यूको बैंक	–	01
10. बैंक ऑफ इण्डिया	–	01
11. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	–	01
12. कैनरा बैंक	–	01
13. यूनाइटेड बैंक	–	01
14. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	–	01
15. विजया बैंक	–	01
16. देना बैक	–	01
17. सिण्डीकेट बैंक	–	01
18. इण्डियन ओवरसीज बैंक	–	01
19. जिला सहकारी बैक	–	17
20. भूमि विकास बैंक	–	04
21. आई.सी.आई. सी. आई	–	01
22. एच.डी.एफ.सी. बैंक	–	01
23. यू.टी.आई. बैक.	–	01
कुल योग	–	**125**

देश एवं प्रदेश की भॉति जनपद झॉसी भी कृषि आधारित है। यहॉ की कुल कार्य शक्ति का करीब 62 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। इसी के कारण जनपद झॉसी आर्थिक तौर पर पिछडा हुआ क्षेत्र हैं क्योकि यहॉ पर नहर राजकीय नलकूप निजि नलकूप बोरिंग पर लगे पम्पसेट. भूस्तरीय पम्प सेट पक्के कुएं नहर आदि सिचाई के साधनो का अभाव है जिसकी वजाह से अधिकाशं बर्ष भर मे एक ही फसल ली जाती है इसलिए इस अभाव सिचाई के साधनो के अभाव को दूर करने के लिए बैको का विशेष योगदान हो सकता है।

झॉसी जनपद कृषि मे फसलोपादन के साथ – साथ पशु पक्षी पालन भी पूरक क्रिया कलापो के रुप में आमतोंर पर अपनाए जाते है। इसलिए सीमांत एवं लधु कृषकों तथा कृषि मजदूर की इन क्रिया कलापों मे बैक वित्त के माध्यम से आय बढाने मे योगदान दे सकता है इन वित्त योगदाने के माध्यम से पशु चिकित्सालय पशु विकास केन्द्र. कृत्रिम गर्भाधन केन्द्र उपकेन्द्र पशु प्रजनन केन्द्र और पोतट्री यूनिट के आभव को दूर कर सकता है एवं बैंक वित्त हेतु ऋण आवेदन तैयार करवाने. ऋण वितरण में ताल मेल करवाता है।

जनपद मे मउरानीपुर तहसील के रानीपुर टेरीकाट के नाम से कपडा तैयार करने की छोटी– छोटी हैण्डलूम हथेकरधा इकाइयां है जहॉ करीब 1200 बुनकर परिवार इस कार्य में लगे है कार्य निजी व्यापार के जरिये होता है जिसके कारण राज्यी और राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त नही हो सकी है और नये–नये यन्त्र का आभाव भी है जिसकी वजह से विकी पर कमी रहती है अतः बैक इस अभाव को दूर करने और विकी को बहाने के लिए वित्त से सहायता कर सकता है।

जनपद झॉसी मे कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सुविधाओ तथा सेवाओ की उपलव्धता बैकों के माध्यम निम्न प्रकार है।

कृषि

अ फसली ऋण :– कृषि उत्पादन कि लिये फसली ऋण एक महत्वपूर्ण निवेश है क्योंकि कृषको की कय शक्ति कम होने के कारण वे समुचित मात्रा में बीज. उर्वरक व कीटनाशक दवाओं का उपयोग नही कर पाते। अतः सहकारी तथा व्यवसायिक बैको से ऋण दिलाकर कृषको की क्रय शक्ति बढाने को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। फसली ऋण समय से उपलब्ध कराने के लिये विकास खण्डो एवं कृषि विभाग द्वारा सक्रिय योगदान दिया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक. भारतीय स्टेट बैक तथा सेन्ट्रल बैक. क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा झॉसी जनपद में कृषि कार्य योजना लागू कर दी गई है। तथा कृषि कार्ड भी प्रदान किये जा रहे है।

ब– उर्वरक एवं बीज की आपूर्ति :– कृषि विभाग. सहकारिता विभाग. राष्ट्रीय बीज निगम एवं यू0 पी0 एग्रो के अतिरिक्त निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही है। कृषि रक्षा – रसायन तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में जनपद में कार्यरत कृषि रक्षा इकाईयों तथा अन्य संस्थाओ तथा अन्य संस्थाओ पर उपलव्घ है।

विगत वर्षो में पर्याप्त मात्रा में ऋण आवेदन व्यवसायिक बैको को प्राप्त न होने के कारण फसली ऋण के लिये उनकी लक्ष्य प्राप्ति नही हो पाती थी । गत वर्षो से शासन ने विकास खण्डो एवं कृषि विकास को 50 प्रतिशत ऋण आवेदन एकत्र एवं प्रेषित करने के लिये निर्देश जारी किये है। जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा।

सिंचाई तथा कृषि यन्त्रः–

झॉसी जनपद के वर्षाधीन रहने तथा औसत वर्षा मात्रा कम होने के कारण सिंचाई के साधनों पर कृषको की निर्भरता अधिक है जिसको समुचित मात्रा में पूरा करने के लिये विभिन्न सिंचाई साधनों जैसे बंधी. टपक सिंचाई.

कूप बिजली एवं डीजल इन्जन लिफ्ट सिचाई योजना. कूप बोरिंग सिंचाई टैंक आदि सुविधायें उपलब्ध है।

स– भूमि विकास शुष्क क्षेत्र मे आने के कारण जनपद में भूमि विकास के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। भूसंरक्षण विभाग द्वारा सामुदायिक चैक डैम. बन्धी निर्माण तथा भूमि समतलीकरण आदि कार्य किया जाता है। जनपद में राष्ट्रीय जलाशय की तीन परियोजनायें – मऊरानीपुर. बंगरा एवं चिरगांव विकास खण्ड में चल रही है।

<u>द– उद्यान विकास –</u> जनपद में कृषि की विपरीत परिस्थितियों एवं कृषि पर निर्भर बहुसंख्यक जनसंख्या को लाभकारी जीविकोपार्जन प्रदान करने के दृ ष्टिकोण से उद्यानीकरण सर्वोतम विकल्प पाया गया है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुंसार बुन्देलखण्ड की भूमि एवं जलवायु नीबू वर्गीय फलो की खेती के लिये बहुत उपयुक्त है। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक वृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। यह परियोजन जनपद के सभी विकास खण्डो में कार्यान्वित की गई है। संकर टमाटर. मटर तथा परम्परागत प्याज व संकर उत्पादन हेंतु अम्बेडकर विशेष योजना के अन्तर्गत शाकभाजी उत्पादन हेतु योजना क्रियान्वित है।

<u>कृषि सम्वर्गीय कार्यः–</u>

अ– दुग्ध विकास – जनपद दुधारु पशुपालन को अधिक महत्व देने की दिशा में पशुओं की नस्ल सुधार उनकी आपूर्ती. स्वास्थ्य रक्षा. उचित मात्रा में पौष्टिक आहार की आपूर्ति तथा उत्पादों के पिपणन कि लिये सरकारी एवं गैर सरकारी स्तरों पर प्रभावी तन्त्र की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम की महात्वकांक्षी योजना के अर्न्तगत वर्ष 1990– 91 मे झॉसी से कानपुर मार्ग पर चिरगॉव एवं मोंठ ब्लाक पटटी पर पड़नें वाले 66 गॉव का सर्वेक्षण कर लिया गया है और उनमें

प्रस्तावित दुग्ध समितियां गठित की गई हैं। जिन ग्रामों में समितियॉ गठित हो चुकी है उन ग्रामों में सन1994 – 95 से ऋण वितरण किया जा रहा है। जनपद में एक दुग्ध चिलिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है।

ब– मुर्गी पालन – जनपद में उपर्युक्त बेटेनरी सुविधाओं के साथ–साथ एक कुक्कुट फार्म भरारी में कार्यरत है इस फार्म पर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है।

स– सुअर /पालन शूकर विकास हेतु जनपद मे बबीना. मऊरानीपुर. झॉसी एवं मोंठ पशु चिकित्सालयों पर शूकर सांड पालने तथा उन्नतशील नस्ल के शूकर सांडो की सुविधा उपलब्ध है।

द– 18 बकरी पालन 10 भेड पालन केन्द्रो पर वर्तमान में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध है।

<u>लधु एवं कुटीर उधोग :–</u>

जनपद में संस्थाओं के अधीन कार्यशील औधोगिक इकाईयों की संख्या वर्ष 98– 99 में 1432 है। जिनमें प्रत्यक्ष कुल रोजगार सृजन लगभग 3049 का है। जनपद में मध्य रेल्वे का कैरिज एण्ड वैंगन रिपेयर वर्कशाप. बी0 एच0 ई0 एल0 सूती मिलए करारी हूम पाईप तथा स्लीपर कारखाने. श्री निवास फर्टीलाइजर्स. डायमण्ड सीमेंट इत्यादी कारखाने प्रमुख है। जनपद के रानीपुर केन्द्र में कार्यरत बुनकर इकाईयो द्धारा निर्मित टेरीकाट को पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त है।

जनपद में एक औद्योगिक संस्थान ग्वालियर रोड पर कार्यरत है। विकासखण्ड बड़ागॉव के कोछाभॉवर में एक चीनी पात्र विकास केन्द्र तथा मऊरानीपुर में ट्रेनिंग कम इन्फारमेशन सेन्टर कार्यरत है। कच्चे माल की

उपलब्धता तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता अंशपूंजी . ऋण विपणन व्यवस्था । आधुनिकतम तकनीकी जानकारी की उपलब्धता तथा उद्यमकर्ता को प्रशिक्षित किये जाने की मूलभूत सुविधाओं हेतु जिला उद्योग केन्द्र यू0 पी0 एफ0 सी0. के0 वी0 आई0 सी0. सहायक निदेशालय (हेण्डलूम) आदि संस्थायें भूमिका निभा रही है।

जिले के प्रत्येक विकास खण्ड पर उद्यमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनके माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

जनपद में गुरसंराय बामौर चिरगॉव बड़ागॉव एवं मऊरानीपुर में मिनी इण्डस्ट्रियल इस्टेट विकसित करने का प्रस्ताव है।

झॉसी जनपद के अग्रीम बैंक पी0 एन0 बी0 तालीक सं 3 में जिला वार्षिक कार्य योजनाओ की सेक्टरवार प्रगति दरसाया गया है कार्य योजनाओं की सुचारु रुप से लागू करने के लिये इस निम्न चार भागो में बाटा गया है।

1. फसली ऋण

2. कृषि एवं कृषि संवर्गीय

3. लधु उधोग आदि

4. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र

जैसा की हम जानते है कि उपरोक्त सेक्टरवार प्राथमिकता क्षेत्र मे आता है आर0 बी0 आई0 के अनुसार सभी बैको द्वारा दिये गये ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता का ऋण होना अनिवार्य है। इस नियम को सूचारु रुप से लागू करने के लिये एवं झॉसी जैसे पिछडे क्षेत्र को आर्थिक सस्तीकरण के लिये भारत के सभी क्षेत्र मे अग्रीम बैको का गढन किया गया ।

झाँसी जनपद के अग्रीम बैक से मिले आकडो के अनुसार सन 2003–04, रु 3345 लाख का सन 2004–05 फसली ऋण के लिये रखा गया। तदोपरान्त ये लक्ष्य बढाकर रु 468910 लाख रुपये कर दिया गया। इसके बाद सन 2005–06 में इस लक्ष्य को लगभग 60% बढा कर 7890 लाख रुपये कर दिया गया। अगर इस लक्ष्य की उपलब्धियो पर ध्यान दिया जाय तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि सन 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 इन लक्ष्यो को पा लिया गया सन 2003–05 फसली ऋण सेक्टर में 145% उपलब्धि रही। एवं 2004– 05 167% और 2005–06 131% उपलब्धि की गई।

कृषि एवं कृषि संवर्गीय ऋण का लक्ष्य सन् 2003–04. 3074.31 लाख रुपये था परन्तु कुल उपलब्धि इस वर्ष 2650.26 लाख रुपये रहा जोकी लक्ष्य 14% कम रहा। यह लक्ष्य सन 2004 –05 एवं 2005– 06 मे बढाकर 3712. 72 लाख रुपये और 4484.20 लाख रुपये कर दिया गया । परन्तु 2004–05 इस सेक्टर मे कुल उपलब्धि 46% रही 2005– 06 यह लक्ष्य 10% कम पाया गया। क्षेत्र के उन्नित के दृष्टि से अगर देखा जाय तो कार्य योजना से कम लक्ष्य अर्जित कर ठीक नही है।

सेक्टर प्रगति आकडो के अनुसार सन 2003– 04 में 16% कम उपलब्धि रहा 2004–05 एक फिर ये उपलब्धि कार्य योजना से 22% कम आकलन किया गया। किन्तु सन 2005– 06 इस क्षेत्र में लक्ष्य से 31% ज्यादा उपलब्धि आकलन किया गया।

अन्य प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि भी झाँसी जनपद में सराहनीय है। 2003– 04. मे 32% 2004– 05. 8% और सन 2005–06 मे 26% लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही।

झाँसी जिले में कार्य योजनाओ की सेक्टरवार प्रगति सरहानीय है। इस क्षेत्र मे महायोग लक्ष्य सन् 2003– 04 में 12400.38 लाख रुपये लक्ष्य रखा गया और उपलब्धि रही 14759.61 लाख रुपये जो की लक्ष्य से 19% अधीक है।

सन् 2004– 05 में यह लक्ष्य 15860.71 लाख रुपये रखा गया था । इस वर्ष मे उपलब्धि 18618.69 लाख रुपये उपलब्धि आकलंन किया गया । अतः लक्ष्य से 17% अधिक उपलब्धि रहा।

सन् 2005–06 में भी लक्ष्य से 20% अधीक अकंलन किया गया क्योकि लक्ष्य था 21095.80 लाख रुपये और उपलब्धि हुई 25374.56 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा कृषि में वित्य समय को दूर करने के उददेश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी आरम्भ किये गये। समीक्षा वर्ष 2005–06 में व्यवसायिक बैको द्वारा 22000 किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य के सापेक्ष 22600 कार्डो का वितरण किया गया । विभिन्न बैकों द्वारा सन 2005– 06 के0 सी0 सी0 वितरण मे योगदान नियमनिरक्त सारणी मे दर्शाया गया है।

सारणी सं0 – 1

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

क्र0 सं	बैंक का नाम	बैंक संख्या
1	पंजाब नैशनल बैंक	6665
2	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	4350
3	भारतीय बैंक	5515
4	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	5785
5	इण्डियन ओवरसीन बैंक	285

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि व्यवसायिक बैंको ग्रामीण बैंको एवं सरकारी बैंको का किसी मे क्षेत्र का विकास दर बढा में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर ये बैक प्राथमिकता क्षेत्रो में एक कार्य योजना बनाकर काम करें । और यह समय पर उस लक्ष्य को पा ले।

कोई भी पिछडा क्षेत्र जो के कृषि पराधान है उस क्षेत्र में विकास के लिय सबसे बडी बॉधा वित्त समस्या है । इस समस्या को दूर करने के लिये बैकों का बडा योगदान होता है। अगर बैकं इस क्षेत्र में अपने कार्य प्रणाली को सुधार ले और पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ इस क्षेत्र में कार्य करें तो क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है।

झॉसी जिले में बैकों का ऋण वितरण में कार्य सराहनीय है। क्योंकि सन 2003– 04 2004–05 एवं सन 2005–06 मे जो लक्ष्य रखे गयें थे उन क्षेत्र से ज्यादा उपलब्धि हुई है। **सारणी संख्या – 2** सेक्टवार लक्ष्य एवं उपलधियॉ दर्शाया गया है।

सारणी सं0 – 2

जिला वार्षिक कार्य योजनाओं की सेक्टरवार प्रगति

	2003–04			2004–05			2004–05		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रति
फसली ऋण	3345-02	4854-69	145	4689-10	7816-74	167	7890-80	10307-71	131
कृषि एवं कृषि संवर्गीय	3074-31	2650-26	8	3712-72	3184-92	86	4484-20	4026-93	90
लधु उधोग आदि	1286-90	1020-01	84	1423-39	1116-73	78	1287-60	1684-26	131
अन्य	4694-15	6184-65	132	6035-50	65000-10	108	7433-20	9355-66	126
कुल योग	12400-38	14769-61	119	15860-71	18618-69	117	21095-80	25374-56	120

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झॉसी

कार्य क्षेत्र एप्रोच के अनुसार विभिन्न बैंकों का योगदान

व्यवसायिक बैंको में पी0 एन0वी0. एस0 बी0 आई0. इलाहाबाद बैंक. और आई0 ओ0 बी0 का ग्रामीण क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है। सारणी संख्या – 3 में कार्य क्षेत्र एप्रोच के अनुसार निम्न लिखित बैंको का फसली सेक्टर में लक्ष्य एवं उपलधियॉ दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 3
फसली ऋण (Agriculture loan)

क0 सं0	बैंक का नाम	2003 - 2004			2004- 2005			2005- 2006		
		लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
1	पी. एन.बी.	86030	163374	190	129360	242920	188	226070	289938	128
2	एस. बी. आई	47658	94730	199	78220	137907	176	139500	268991	193
3	सी.बी. आई	30156	38430	127	43750	73814	169	81160	67171	83
4	इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	156	–	–	–	–
5	आई.ओ..बी.	250	1958	783	1000	3129	313	2000	7000	350
योग		164094	298492		252330	457926		448730	633100	

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

नीचे दिये गये **Digram 1** में विभिन्न बैंको सेवा क्षेत्र कृषि ऋण (Agriculture Loan) है. उनकी उपलब्धि को दर्शया गया है।

उपरोक्त पाचॅ बैंको जिनका सेवा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र लक्ष्य एवं उपलब्धि में वृद्धि हुई है। प्राथमिकता क्षेत्र में नियमानुसार 40% प्राथमिकता क्षेत्र में होनी चाहिये । जिसमें फसली ऋण 18% का नियम है। सभी बैंको ने इस लक्ष्य को अर्पीत किया है।

आर0 आर0 बी0

आर0 आर0 बी0 की प्रथमिकता क्षेंत्र मे झॉसी जिले में योगदान निम्नप्रकार हैं। एवं 2003–2004 फसली ऋण का लक्ष्य 30092 हजार रुपये रखा गया था। यह लक्ष्य सन् 2005– 2006 बढाकर 114850 हजार रुपये कर दिया गया। अगर उपलब्धियों पर ध्यान जाय तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकतें हैं कि सन् 2003– 2004. 2004–2005 . 2005–2006. में उपलब्धि 166%, 335% और 144% आकंलन किया गया ।

सारणी संख्या – 4
आर0 आर0 बी0 बैंक – ऋण योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि

	2003- 2004			2004 -2005			2005- 2006		
	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
फसली ऋण	30092	50071	166	43180	144612	335	114850	164883	144
कृषि मुख्य एवं कृषि संवर्गीय	23967	20822	87	29190	17921	61	16300	21072	129
लघु उधोग	1415	826	58	1500	1414	94	1000	1655	166
अन्य प्रथामिक क्षेत्र	13445	10825	81	16810	11049	166	8550	8732	102

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झॉसी

सन् 2003 – 2004 में कृषि मुख्य एवं संवर्गीय सेक्टवार में लक्ष्य से 13% कम एवं सन् 2004– 2005. लक्ष्य से 39% कम उपलब्धि रही । 2005–2006 कम सेक्टवार मे लक्ष्य 16300 हजार रुपये रखा गया था। किन्तु उपलब्धि 21072 हजार रुपये आंकलन किया गया जो कि लक्ष्य से 29% अधिक है।

लघु उधोग क्षेत्र में सन् 2003— 2004 लक्ष्य सें 32% कम. सन् 2005— 2006 मे लक्ष्य 1000 हजार रुपये रखा गया था। किन्तु उपलब्धि 1655 हजार रुपये हुआ । जोकि अपने लक्ष्य से 66% अधिक है।

अन्य प्रथमिक क्षेत्र मे आर0 आर0 बी0 द्वारा प्रदान किये गये ऋण में सन् 2003— 2004. में लक्ष्य से 19% कम रहा सन् 2004— 2005. में लक्ष्य से 34% कम उपलब्धि हुई । एवं सन् 2005— 2006 में लक्ष्य से 2% अधिक उपलब्धि हुई।

नीचे दिये गयें **Digram No-** 2 मे आर0 आर0 बी0 की भूमिका एवं ऋण योजना /सेक्टरवार लक्ष्य एवंम उपलविध दर्शाया गया है।

डी0 सी0 बी0

डी0 सी0 बी0 की प्रथमिकता क्षेंत्र मे झॉसी जिले में योगदान निम्नप्रकार हैं । सन् 2003—2004 फसली ऋण का लक्ष्य 140316 हजार रुपये रखा गया था। यह लक्ष्य सन् 2004— 2005 बढाकर 173400 हजार रुपये कर दिया गया। अगर उपलब्धियों पर ध्यान जाय तो हम यह निष्कर्ष

निकाल सकतें हैं कि सन् 2003– 2004 मे लक्ष्य से 3% कम, 2004–2005 मे लक्ष्य से 3% अधिक एवंम 2005–2006 में लक्ष्य से 1% कम उपलब्धि अंकित की गई।

सारणी संख्या – 5 में सन् 2003 – 2004. 2004–2005. 2005–2006. में डी0 सी0 बी0 का सेक्टवार लक्ष्य एवं उपलधियॉ दर्शाया गया है। व्यवसायिक बैंको में डी0 सी0 बी0 का ग्रामीण क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है।

सारणी संख्या – 5

डी0 सी0 बी0 – ऋण योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि

	2003-2004			2004-2005			2005-2006		
	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
फसली ऋण	140316	136654	97	173400	179136	103	225500	222493	99
कृषि मुख्य एवं कृषि संवर्गीय	–	–	–	3400	657	19	4420	800	18
अन्य प्रथामिक क्षेत्र	1475	20	1	–	1080	–	–	337	–

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

कृषि मुख्य एवं कृषि संवर्गीय उपलब्धियों पर ध्यान जाय तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकतें हैं कि सन् 2004–2005 मे लक्ष्य से 81% कम, एवंम 2005–2006 में लक्ष्य से 82% कम उपलब्धि अंकित की गई।

लधु उधोग क्षेत्र एवंम अन्य प्रथमिक क्षेत्र ऋण योगदान निराशाजनक रहा। अतः इस निराशाजनक कार्य शैली से क्षेत्र का लधु उधोग की उन्नति असम्भव है।

एल0 डी0 वी0

एल0 डी0 वी0 की प्रथमिकता क्षेंत्र मे झाँसी जिले में योगदान निम्नप्रकार हैं । समीक्षा वर्षो में एल0 डी0 वी0 का फसली ऋण योगदान शून्य है। सारणी संख्या – 5 में सन् 2003 – 2004. 2004–2005. 2005–2006. में एल0 डी0 वी0 का सेक्टवार लक्ष्य एवं उपलधियाँ दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 6

एल0 डी0 वी0–ऋण योजना लक्ष्य एवं उपलब्धि

	2003- 2004			2004 -2005			2005- 2006		
	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
फसली ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कृषि मुख्य एवं कृषि संवर्गीय	81378	54473	67	80880	50519	62	66500	47375	71
लधु उधोग	2375	858	36	142339	111673	78	128760	168426	131
अन्य प्रथामिक क्षेत्र	1475	20	1	603550	650010	108	743320	935566	126

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

विभिन्न शसकीय योजनाओ को लागू करने में बैंको का योगदान

बैको के माध्यम से जनपद झाँसी में निम्न योजनाऐं चलाई जा रहे है। जिसका मुख्य उद्धेश्य आर्थिक पिछडेपन को दूर करना है। जो तालिका सं0 मे योजनाओ को निम्न से दर्शाया गया है।

अ— प्रधानमन्त्री रोजगार योजना

ब— स्र्वण जयन्ती रोजगार योजना

स— स्र्वण जयन्ती स्वरोजगार योजना

द— विशेष अशंदान योजना (स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान)

अ – प्रधानमन्त्री रोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत तीन वर्षो के लिए (सन 2003– 04. 2004–05. 2005– 06.) सत्तराह बैको ने अपने लक्ष्य बनाये और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये उपलब्धि प्राप्त की जो सारणी सं0 7 मे दर्शाया गया है इस प्रकार योजना में कुल रु 807 24 लाख और 834 लाख लक्ष्य 2003–04 2004–05 2005–06 मे क्या गया और उसकी उपलब्धि रु 814 लाख 824 लाख जो उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही सन 2003–04 और 2005–06 मे जबकि 2004–05 मे यह लक्ष्य के बराबर रही इस योजना के अर्न्तगत 17 बैंको मे सबसे अधिक पी0 एन0 बी0 का लक्ष्य रु 200 लाख सन 2003–04 मे था जो कुल लक्ष्य की 24.78 है उपलब्धि 206 लाख थी जो कुल उपलब्धि का 25.31% है जबकि इसी सन मे उपलब्धि पी0 एन0 बी0 की लक्ष्य से 3% अधिक हे जबकि तालिका सं0 अ मे दर्शाया गई कि उपलब्धि लक्ष्य से सबसे अधिक प्रतिशत यू0 बी0 आई0 की है क्योकि यू0 बी0 आई का लक्ष्य रु 36 लाख जबकि उपलब्धि रु 42 लाख है जो 17% अधिक लक्ष्य से है।

सारणी सं0 7

प्रधानमन्त्री रोजगार योजना

क0 सं0 बैंक का नाम	2003– 2004			2004–2005			2005–2006		
	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
1. पी. एन.बी.	200	206	103	203	212	104	208	214	103
2. एस. बी. आई	180	183	102	183	196	107	190	196	103
3. सी.बीकृआई	155	160	103	160	160	100	165	166	101
4. इलाहाबाद बैंक	30	21	70	36	27	75	36	33	92
5. ओ. बी.सी.	24	24	100	24	24	100	23	21	91
6. बी.ओ.बी.	25	25	100	24	24	100	24	24	100
7. यू.बी.आई.	36	42	117	38	38	100	36	34	94
8. यूको बैंक	10	10	100	10	10	100	15	14	93
9. पी.एण्ड.एस. बी	8	8	100	10	10	100	11	11	100
10. आई.ओ.बी.	20	19	95	20	15	75	24	23	96
11. केनरा बैंक	25	25	100	23	26	113	23	23	100
12. बी. ओ.आई	24	24	100	24	24	100	23	21	91
13. स्टेट बैंक इन्दौर	15	15	100	15	15	100	17	17	100
14. यूनाइटेड बैंक इण्डिया	10	9	90	10	10	100	10	7	70
15. विजया बैंक	8	6	75	10	1	100	12	12	100
16. देना बैक	11	11	100	11	11	100	10	10	100
17. सिण्डीकेट बैंक	26	26	100	23	12	52	17	10	59
योग	**807**	**814**	**101**	**824**	**824**	**100**	**834**	**836**	**100**

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

सन् 2004– 05 के अन्तर्गत. योजना मे 17 बैकोन रु 824 लाख लक्ष्य के रुप मे निर्धारित क्यो जो पिछले साल के लक्ष्य से अधिक है जबकि

उपलब्धि रुपये 824 लाख रही जो लक्ष्य के बराबर हें इस प्रकार सन 2004–05 मे पिछले साल की उपलब्धि से अधिक है। जबकि बैको में सबसे अधिक लक्ष्य पी0 एन0 बी0 का था जिसने 203 लाख रुपये रखा था जो गत वर्ष के से 15: अधिक इस प्रकार पी0 एन0 बी0 उपलब्धि 212 लाख रुपये थी जो लक्ष्य से 4% अधिक रही जबकि गत वर्ष की भॉति इस वर्ष एक प्रतिशात बढोतरी रही जबकि केनरा बैके ने अपने लक्ष्य 23 लाख रुपये रखकर 26 लाख रुपये उपलब्धि प्राप्त की जो लक्ष्य से 13 % अधिक रही जो बैको मे सबसे अधिक वृद्धि दर्शाती है। बैंको मे सबसे खराव उपलब्धि इलाहाबाद बैंक आई0 ओ0 बी0 और सिण्डी बैंक की है जो लक्ष्य से 25% 25% एवं 48 % कम को सा सं0 अ मे दर्शाती है इस प्रकार इलाहाबाद बैंक की 5% उपलब्धि गतवर्ष से अधिक है जबकि आई0 ओ0 बी0 की उपलब्धि 120% पिछले वर्ष से कम है और सिण्डी बैंक की उपलब्धिगत वर्ष की भॉति से 48: कम है जो सवसे प्रतिशत सारणी स0 **अ** में दर्शायी गई है।

वर्ष 2005 – 06 में इस योजना के अर्न्तगत सत्रहा बैंको का लक्ष्य 834 लाख रुपये था जिसमे से सबसे अधिक पी0 एन0 बी0 का लक्ष्य 208 लाख रुपये जो कुल लक्ष्य का था जवकि सबसे कम लक्ष्य यूनाइटेड बैक इण्डिया एवं देना बैंक का 10 लाख – 10 लाख रुपये था। सत्तराह बैंको के लक्ष्य की कुल उपलब्धि 836 लाख रुपये थी जो लक्ष्य से 36 प्रतिशत अधिक को दर्शाती है जबकि कुल उपलब्धि मे सबसे अधिक प्रतिशत उपलब्धि पी0 एन0 बी0 और एस0 बी0 आई0 की 214 लाख रुपये और 196 लाख रुपये ही जो लक्ष्य से 3% प्रत्येक की अधिक थी उपलब्धि इस प्रकार इस प्रकार इस योजना मे इस वर्ष मे सबसे कम उपलब्धि 10 लाख रुपये रही जो लक्ष्य से 41% कम है।

ब— स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

सारणी स0 8 मे इस योजना से सम्वन्धित सत्तराह बैको द्वारा तीन वर्ष का (सन 2003— 04. 2004—05. 2005— 06.) लक्ष्य उपलब्धि दर्शायी गई हैं

सारणी सं0 8

स्र्वण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

	2003— 2004			2004—2005			2005—2006		
क0 सं0 बैंक का नाम	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
1. पी. एन.बी.	24	32	100	34	35	103	40	40	100
2. एस. बी. आई	24	49	100	45	48	106	34	34	85
3. सी.बीकृआई	17	17	100	18	19	105	30	30	100
4. इलाहाबाद बैंक	—	—	—	—	—		11	11	73
5. ओ. बी.सी.	2	2	100	5	5	100	8	8	100
6. बी.ओ.बी.	—	—	—	—	—	—	10	10	100
7. यू.बी.आई.	6	7	100	3	3	100	15	15	100
8. यूको बैंक	2	2	100	4	4	100	8	8	100
9. पी.एण्ड.एस. बी	1	1	100	2	2	100	5	5	63
10. आई.ओ.बी.	—	1	—	—	—	—	8	8	100
11. केनरा बैंक	3	4	100	8	8	100	8	8	100
12. बी. ओ.आई	—	—	—	11	11	100	10	10	100
13. स्टेट बैंक इन्दौर	2	2	100	6	6	100	5	5	83
14. यूनाइटेड बैंक इण्डिया	—	4	—	—	—	—	0	0	—
15. विजया बैंक	1	1	100	2	2	100	8	8	100
16. देना बैक	—	—	—	2	2	100	5	5	100
17. सिण्डीकेट बैंक	3	6	100	5	5	100	4	4	67
योग	85	128		145	150	103	230	209	91

स्त्रोत :— अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

सन् 2003 –04 मे इस योजना के अर्न्तगत बैंको के द्वार 85 लाख रुपये लक्ष्य रखा था जो यह लक्ष्य 17 मे से 11 बैंको का था बाकी 6 बैंको ने इस योजना से सम्बन्धित कोई लक्ष्य नही रखा इन बैंको मे सबसे अधिक लक्ष्य पी0 एन0 बी0 और एस0 बी0 आई0 24 लाख रुपये प्रत्येक का था जो कुल का 28.259 प्रतिशत है । जवकि सबसे कम विजया बैंक एवं पी0 एण्ड एस0 बी0 1 लाख रुपये प्रत्येक का था जो कुल लक्ष्य का 1.78 प्रतिशत हैं जबकि इस बर्ष कुल उपलब्धि 128 लाख रुपये रही थी जो 3 बैंको की है (दो बैंक वह है जिसकी कोई लक्ष्य नही था) इसमे सबसे अधिक उपलब्धि एस0 बी0 आई0 49 लाख रुपये थी जो कुल उपलब्धि 38.28 प्रतिशत जबकि लक्ष्य से 104.17 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई । इस प्रकार दो बैंको की उपलब्धि का 0.78 प्रतिशत एवं 3.13 प्रतिशत है

इस योजना के माध्यम से सन् 2004– 05 में 13 बैंको का लक्ष्य 145 लाख रुपये सारणी स0 8 के माध्यम से दर्शाया गया है जिसमे सबसे अधिक लक्ष्य एसा0 बी0 आई0 का 45 लाख रुपये दिखाया गया है। जो कुल लक्ष्य का 31.03 प्रतिशत है इसमे सबसे कम पी 0 एण्ड एस0 बी0. विजया बैंक एवं देना बैंक प्रत्येक का 2 लाख रुपये रखा गया हैं जो कुल लक्ष्य का प्रत्येक का 1.38 प्रतिशत है जबकि इन बैंको की कुल उपलब्धि 150 लाख रही जो कुल लक्ष्य से 3.45 % अधिक है इस उपलब्धि के अर्न्तगत सवसे अधिक एस0 बी0 आई0 की 48 लाख रुपये रही जो कुल उपलब्धि का 32% है जबकि लक्ष्य से 6.67 अधिक दर्ज की गई ।

सत्तराह बैंको के द्वारा सन् 2005– 06. मे इस योजना अपना निर्धारित लक्ष्य 230 लाख रुपये तालिका स0 के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस तालिका मे कुल लक्ष्य 230 लाख रुपये निर्धारित किया गया है जबकि सबसे अधिक लक्ष्य 40 लाख रुपये पी0 एन0 बी0 का है जो कुल लक्ष्य का

17.39 % है इसमे सबसे कम 5 लाख रुपये यू0 बी0 आई000 एवं देना बैंक का है जो कुल लक्ष्य का 2.17 है जबकि इन बैंको के द्वारा उपलब्धि 209 लाख रुपये इन सन् में हुई इसमें सबसे अधिक 40 लाख रुपये पी0 एन0 बी0 की रही जो कुल उपलब्धि का 2.17% और लक्ष्य का 100 % है जबकि सबसे कम उपलब्धि पी0 एण्ड एस0 बी0 की 5 लाख रुपये है जो कुल उपलब्धि का 2.39 % यह उपलब्धि लक्ष्य से 37% कम दर्ज की गई

स – स्र्वण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

इस योजना मे सत्तराह बैंको मे से केवल चार बैंको ने 2004 –05 एवं 2005–06 मे लक्ष्य को निर्धारित किया गया है और 34 लाख का सारणी स0 9 मे दर्शाया गया है।

इस योजना मे सन् 2003 – 04 मे चार बैंको का लक्ष्य 342 लाख रुपये था इसमे सबसे अधिक लक्ष्य आर0 बी0 का 103 लाख रुपये है जो कुल लक्ष्य का 30.12 प्रतिशत है जबकि सबसे कम आई0 सी0 बी0 का लक्ष्य 2 लाख रुपये है (कुल लक्ष्य का 0.585 प्रतिशत है) जबकि इन चारों बैको की उपलब्धि 314 लाख रुपये थी इसमे सबसे अधिक उपलब्धि 103 लाख रुपये आर0 आर0 बी0 है जो कुल उपलब्धि का 32.80 प्रतिशत है जो उपलब्धि लक्ष्य के बराबर है सबसे कम उपलब्धि आई0 ओ0 बी0 है जो शून्य है।

सारणी सं0 – 9

स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना

	2003– 2004			2004–2005			2005–2006		
क0 सं0 बैंक का नाम	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
1. पी. एन.बी.	100	91	91	131	140	107	172	150	87
2. एस. बी. आई	85	80	94	48	48	100	76	47	62
3. सी.बी. आई	52	40	77	44	44	100	42	35	83
4. इलाहाबाद बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ओ. बी.सी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बी.ओ.बी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. यू.बी.आई.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. यूको बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. पी.एण्ड.एस. बी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. आई.ओ.बी.	2	–	–	–	–	–	–	–	–
11. केनरा बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. बी. ओ.आई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13. स्टेट बैंक इन्दौर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14. यूनाइटेड बैंक इण्डिया	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15. विजया बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16. आर.आर.बी	103	103	100	175	135	77	186	162	87
17. डी.सी.बी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18. एल.डी.बी.	–	–	–	37	130	351	22	57	259
19. देना बैक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20. सिण्डीकेट बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	342	314	92	435	497	114	498	451	91

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

सन् 2004– 05 मे पॉच बैको का लक्ष्य 435 लाख रुपये सारणी सं0 – 9 मे दर्शाया गया है इसमे सबसे अधिक 175 लाख रुपये आर0आर0बी0 का है जो कुल का 40.23 प्रतिशत है सबसे कम लक्ष्य के साथ एल0 डी0 बी0 को 37 लाख रुपये पर दिखाया गया है। (कुल लक्ष्य का 8.51 प्रतिशत है) जबकि इस सन् मे उपलब्धि पॉच बैको की 497 लाख रुपये हैं इसमे सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि एल0 डी0 बी0 की है जो लक्ष्य का 251 प्रतिशत अधिक है सबसे कम उपलब्धि प्रतिशत मे आर0 आर0 बी0 की है। जो लक्ष्य से 23% कम है।

सत्तराह बैंको मे से केवल पॉच बैको ने ही अपना कुल लक्ष्य 498 लाख रुपये सन् 2005–06 के लिए निर्धारण किया जो सारणी सं0 9 मे देखने पर पता चलता है। इसमे सबसे अधिक लक्ष्य 186 लाख रुपये आर0 आर0 बी0 का है। जो कुल का 37.35 प्रतिशत था सबसे कम लक्ष्य एल0 डी0 बी0 का 22 लाख रुपये है जो कुल का 4.42 % जबकि बैंको की कूल उपलब्धि 451 लाख रुपये है इसमे सबसे अधिक प्रतिशत एल0 डी0 बी0 की है जो लक्ष्य से 159 प्रतिशत अधिक है 57 लाख रुपये है सबसे कम प्रातिशत उपलब्धि लक्ष्य से 38% एस0 बी0 आई0 की है।

द– विशेष अशंदान योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान)

इस योजना के माध्यम से बैंको के सन् सन 2003– 04. 2004–05. 2005– 06 में लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सारणी सं0 –10

विशेष अंशदान योजना (स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान)

	2003– 2004			2004–2005			2005–2006		
क0 सं0 बैंक का नाम	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.	लक्ष्य	उप.	प्रति.
1. पी. एन.बी.	191	191	100	405	272	67	378	246	65
2. एस. बी. आई	228	228	100	335	298	89	350	243	69
3. सी.बी. आई	130	130	100	270	192	71	295	184	62
4. इलाहाबाद बैंक	1	1	100	40	–	–	20	–	–
5. ओ. बी.सी.	22	22	100	25	24	96	20	22	10
6. बी.ओ.बी.	20	20	100	20	9	45	20	–	–
7. यू.बी.आई.	76	76	100	50	64	128	72	53	76
8. यूको बैंक	4	4	100	20	36	180	20	7	35
9. पी.एण्ड.एस. बी	2	2	100	10	–	–	5	3	60
10. आई.ओ.बी.	19	19	100	35	26	74	30	16	53
11. केनरा बैंक	11	11	100	20	49	245	25	2	8
12. बी. ओ.आई	20	20	100	30	40	133	25	18	72
13. स्टेट बैंक इन्दौर	–	–	–	10	–	–	5	–	–
14. यूनाइटेड बैंक इण्डिया	23	23	100	25	26	100	20	–	–
15. विजया बैंक	1	1	100	10	4	40	5	1	20
16. आर.आर.बी	70	70	100	280	138	49	292	124	42
17. डी.सी.बी.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18. एल.डी.बी.	163	163	100	205	154	75	230	118	51
19. देना बैक	4	4	100	20	11	55	15	9	60
20. सिण्डीकेट बैंक	36	36	100	20	03	15	15	0	–
योग	***1021***	***100***	***100***	***1830***	***1346***	***74***	***1830***	***1046***	***57***

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झाँसी

सारणी सं0 – 11

योजनाओ में बैंको के लक्ष्य निर्धारण मे कमी या वृद्धि का प्रतिशत

क्र0 सं0	योजनाओ का नाम	2004– 05 प्रतिशत	2005– 06 प्रतिशत
अ	प्रधानमन्त्री रोजगार योजना	2.11	1.21
ब	र्स्वण जयन्ती रोजगार योजना	70.59	58.62
स	र्स्वण जयन्ती स्वरोजगार योजना	27.19	14.48
द	विशेष अशंदान योजना (स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान)	79.24	NIL

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झॉसी

सरणी सं0 –12

योजनाओ में बैंको के लक्ष्य निर्धारण मे कमी या वृद्धि का प्रतिशत

क्र0 सं0	योजनाओ का नाम	2004– 05 प्रतिशत	2005– 06 प्रतिशत
अ	प्रधानमन्त्री रोजगार योजना	1.29	1.46
ब	र्स्वण जयन्ती रोजगार योजना	17.19	39.33
स	र्स्वण जयन्ती स्वरोजगार योजना	58.28	10.58
द	विशेष अशंदान योजना (स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान)	31.83	22.29

स्त्रोत :– अग्रीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, झॉसी

सारणी सं0 (11) और (12) के माध्यम से विभिन्न बैंको के द्धारा निर्धारित लक्ष्य और उनकी उपलब्धि मे कमी या वृद्धि को प्रतिशत मे दर्शाया गया है इस प्रकार सारणी सं0 (11) में बैको द्धारा लक्ष्य गत वर्ष की भॉति 2. 11 प्रतिशत अधिक वृद्धि से निर्धारत प्रधानमंत्री योजन के माध्यम से सन् 2004–05 मे किया है। जबकि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना मे इस सन् मे 70.59 प्रतिशत वृद्धि गत वर्ष की भॉति दर्ज की गई है। इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार और विशेष अशंदान योजना मे भी वृद्धि 27. 19 प्रतिशत और 79.24 दर्ज की गई है। जबकि सन् 2005– 06 मे बैकों के द्धारा निर्धारित लक्ष्य मे वृद्धि 1.21 प्रतिशत प्रधानमंत्री रोजगार योजना मे दर्ज की गई है। जबकि स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना मे भी वृद्धि 58.62

एवं 14.48 प्रतिशत दर्शायी गई है। बल्कि इस सन् मे विशेष अशंदान योजना मे कोई वृद्धि नही दर्ज की गई है। क्योकि इस सन् मे बैकों का लक्ष्य पिछले वर्ष की भॉति बराबर है।

सारणी सं0 12 में सन् 2004– 05 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंको की उपलब्धि 1.29 प्रतिशत अधिक गत वर्ष के मुकाबले दर्ज की गई है। जबकि 2005–06 में 1.46% अधिक गतवर्ष (2004–05) की भॉति अधिक है। जबकि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में सन् 2004– 05 और 2005– 06 मे वृद्धि का प्रतिशत 17.19 और 39.33 रहा इसके अलावा स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना मे सन् 2004– 05 मे वृद्धि 58.28 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि सन् 2005– 06 मे यह गत वर्ष की भॉति 10.58 प्रतिशत कम रह गई इसी प्रकार वित्त अशं योजना सन् 2005– 05 मे वृद्धि 31.83 प्रतिशत रही बल्कि सन् 2005– 06 मे यह उपलब्धि गत वर्ष की भॉति 22.29 प्रतिशत कम रह गई।

अध्याय – 9

शासकीय कार्यक्रमों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : झाँसी जनपद के सन्दर्भ मे

शासकीय कार्यक्रमों का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव : झॉसी जनपद के सन्दर्भ मे

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सरकार का यह दायित्व है कि इसे एक कल्याणकारी राज्य के रुप मे प्रतिस्थापित करें। इसलिए सरकार समाज मे निम्न वर्गो और गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस प्रकार सरकार स्वतंत्रता के बाद से ही देश के सभी नागरिकों की विशेष रुप से आर्थिक व समाजिक दृष्टि से ही देश के सभी नागरिको की विशेष रुप से आर्थिक व समाजिक दृष्टि से पिछडें हुए लोंगो और वंचित वर्गो को प्राथमिक शिक्षा , प्राथमिक स्वास्थ्य , आवास सुरक्षित पेयजल विजली और खाध सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधांए मुहैया करानें हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का सचालन कर रही हैं इन योजनाओं और कार्यक्रमो को संचालित करने का उद्देश्य देश मे व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और गरीबी एवं अमीरी के बीच की खाई को पाटना भी रहा है।

स्वंतत्रता के बाद देश भर मे ग्रामीण और शहरी गरीबों, बचित वर्गो तथा अधिक पिछडे क्षेत्रो के विकास को समुचित दिशा प्रदान किए जाने हेतु वर्तमान मे सरकार द्वारा संचालित योजनाओ की संख्या ठीक – ठीक कितनी है इनका कितना और किस मात्रा मे असर हुआ हैं शयद ही किसी को मालूम हो लेकिन इतना जरुर पता है कि अलेके केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इन विभिन्न योजनाओं की संख्या कम से कम 150 के आस पास है।

सरकार द्वारा संचालित योजनाएं :–

सरकार द्वारा संचालित की जा रही इससे पूर्व की विभिन्न विकास और कल्याण की योजनाओं पर दृष्टिपात करें, तो विदित होता है कि वर्तमान मे अनेक योजनाएं चल रही है। जैसे जवाहर ग्राम समृद्वि योजना (1999), सुनिश्चित रोजगार योजना (1993), प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम (1995), प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (1993), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (1997), ग्रामीण विधुतीकरण योजना (1970), इदिंरा आवास योजना (1985), कुटीर ज्योति कार्यक्रम (1988), ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1990), ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना (1996), आदि है।

इसी प्रकार कमजोर और पिछडें वर्गो, बालकों महिलाओं , वृद्धों और विकलांगो आदि को विशेष समाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके अहम उद्देश्यों को लेकर कुछ और कार्यक्रमो को सुचालित किया गया जिसमें समन्वित बाल विकास योजना (1975), कुटीर बीमा योजना (1989), बाल श्रम उन्मूलन योजना(1994), राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (1995), बालिका समृद्वि योजना (1997), पल्स पोलियो कार्यक्रम (1997), महिला स्वशक्ति योजना (1998), महिलाओं के लिए 2001 में दो योजनाएं महिला स्वाधार योजना एवं महिला स्वंयसिद्व योजना के नाम से संचालित किया गया है। 15 अगस्त 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अम्वेडकर बाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना तथा कृषको को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकट हरण बीमा योजना के नाम से शुरु की गयी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनाः—

इस योजना का प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2005 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले मे शुभारभ किया। शुरुआत मे यह योजना 27 प्रदेशो के 200 जिलों मे लागू की गयी थी। जिसे धीरे —धीरे बाद मे बढाया गया इस योजना मे केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 90:10 की है।

- राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शरीरिक भ्रम करना चाहें, कम से कम 100 दिन का गांरटी शुद्व वेतन रोजगार मुहैया कराएंगी।
- इस योजना मे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और कम के इदले अनाज योजना को मिला दिया गया है।
- यदि आवेदक को पद्रह दिनो के भीतर रोजगार मुहैया नही कराया जाता, तो वह राज्य सरकार की आर्थिक क्षमता के अधीन रहते हुए उसके द्वारा निर्दिष्ट बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, वशर्ते कि यह दर वित्तीय वर्ष के दैारान पहले तीस दिन कि लिए वेतन दर के एक — चौथाई से कम न हो और वित्तीय बर्ष की शेष अवधि मे वेतन दर से आधे से कम न हों।
- इस योजना में महिलाओं को एक — तिहाई आरक्षण प्राप्त है।
- इस योजना मे एक जॉव कार्ड निर्गत किया जाता है जिसे दिखाकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता हैं

काम के दौरान धायल होने पर निःशुल्क डाक्टरी इलाज किया जायेगा। अस्पलाल मे भर्ती होने पर कम से कम आधी मजदूरी के बरावर दैनिक भत्ता दिया जायेगा तथा मौत होने पर 25000 रुपये का भुगतान किया जायेगा।

जवाहर ग्राम समृद्वि योजना :–

जवाहर ग्रम समृद्वि योजना, पहले ये चल रही जवाहर रोजगार योजना का व्यापक रुप है। सितम्वर 2001 मे इसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मे मिला दिया गया है। इस योजना का मौलिक उदे्श्य गॉवो मे मॉग आधारित समुदायिक अवसंरचना का सृजन करना था तथा गौण उदे्श्य ग्रमीण क्षेत्रो मे बेरोजगार गरीबों के लिए मजदूरी आधारित रोजगार अवसरें का सृजन करना भी था।

अत्योदय अन्न योजना :–

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को इस योजना की शुरुआत की । यह योजना अत्यधिक निर्धन लोंगो को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरम्भ की गई। इसके तहत एक करोड निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किग्र. अनाज दिया जाता हैं।

रोजगार आश्वासन योजना :–

रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूवर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रो मे लागू की गई थी । इस योजना का 1 अप्रैल 1999 से पुनर्गठन किया गया है। अव यह देश भर मे जिलस मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जिसमें मजदूरी के पलायन से ग्रस्त इलाको पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है योजना क मुख्य बिन्दु निम्न है

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार से अधिक दो युवाओ को 100 दिन तक का लाभप्रद रोजगार उपलव्ध कराना है
- योजना का गौण उद्देश्य पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिए आर्थिक अधोरचना तथा सामुदयिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

- इस योजना का व्यय 75:25 के अनुपात मे केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा वहन किया जाता है।
- योजना मे मजदूरी सामग्री के 60:40 को बनाए रखना है

कुटीर ज्योति योजना

हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारें के जीवन स्तर मे सुधार के लिए भारत सरकार ने कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत 1988–89 मे की। इसके अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रो मे निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को एक बत्ती विधुत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो को विजली मुहैया कराई जाती है।

बालिका समृद्वि योजना :–

इस योजना को 2 अक्टूबर 1997 को आरम्भ किया गया, इसके तहत 15 अगस्त 1997 के बाद जन्मी बालिका के परिवार को जो कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र मे गरीबी की रेखा के नीचे निवास करता है। जन्म के समय 500 रुपये की राशि (दो लडकियो तक सीतित) देने कर प्रावधान हैं । इसके बाद बालिका के स्कूल जाने पर उसे एक स्कालरशिप भी देने का प्रावधान है यह छात्रवृद्वि पहली क्षा के लिए 300 रुपये और दसवीं कक्षा के लिए 100 रुपये है।

भारत सरकार ने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है और आज भी करती चली आ रही ही। इन योजनाओ को मुख्य रुप से गरीवों, ग्रामीणो, बेरोजगार महिलाओं, बच्चों, वृद्वों और पिछडें वर्गो के लोंगो को आर्थिक और

सामाजिक रुप से समर्थ बनाने के अहम उद्देश्य को पूरा करने के लिए संचालित किया गया है इसके अतिरिक्त आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं से वचित गॉवो और शहरी मलिन बस्तियों को इन सुविधाओं से परिपूर्ण करने का लक्ष्य भी बनाया गया है। इस राज्य सरकारें द्वारा संचालित योजनाओ के अतिरिक्त अकेले केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व से ही लगभग डेढ सैकडा योजनाएं संचालित की गई है सरकार को नई योजना चलाने से बेहत्तर होगा कि वह वर्तमान मे संचालित योजनाओं का कियान्वयन सुचारु ठग से करें और इन सभी योजनाओं मे आने वाली कठिनाईयो का समाधान निकाले।

कमीयॉः—

वर्तमान मे संचालित योजनाओ का अगर हत अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि देश मे ग्रामीण क्षेत्रो और शहरी मलिन बस्तियों और लोगो के विकास और विभिन्न निर्वल एवं वचित वर्गो के कल्याण के लिए पूर्व मे चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रम अपेक्षित उद्देश्य के अनुरुप इनमे किए जाते रहे है। और बदलाव और इन कार्यक्रमों पर निवशित की गई विशाल धनराशि के माध्यम से यह सम्भावनायें थी कि वहां विकास की गति तीव्र होगी और वहॉ के लोगो के जीवन स्तर मे बदलाव आएगा। लेकिन जिस गति से संसाधन लगाएं जाते है। और कार्यक्रमों मे बदलाव आया, उस गति से गरीब और निर्बल बर्गो के लोगो के जीवन स्तर मे बदलाव नही आ सका, यह बात भी दुर्भाग्यपूर्ण रही है। भारत मे गरीवी निवारण और रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों पर लगभग 42 करोड़ रु प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। खाधान्न, उर्वरकों, करोसीन, रसोई गैस जैसी विभिन्न मदों से सब्सिडी के रुप मे अकेले केन्द्र सरकार द्वारा विशाल धनराशि खर्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी विभिन्न मदों के संचालन मे कमी का रुख अपनाया था, लेकिन राजनीति कारणें से यह सम्भव नही हो सका। इतनी

योजनाओं के बावजूद भी अरज गरीवी और बेरोजगारी के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। जहॉ एक ओर प्रशासनिक ढाचें मे अनेक कमियों के कारण हमारी यह मुहीम प्रभावित हो रही है। वही तेजी से बढती जनसंख्या के अनुरुप संसाधनो मे वृद्वि नही हो पाने से निर्धनता और बेरोजगारी मे सुधार नही आ रहा है।

प्रभावः—

गरीबों की गरीबी का एक प्रमुख कारण स्वंय उनकी ऊपर उठने के लिए इच्छाशक्ति का अभाव भी रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों द्वारा उन्हे निरंतर दिये गए कर्ज और अनुदान कर्जमाफी की घोषणा आदि से उन्हे स्वावलवी होने के स्थान पर बैसाखियें के सहारे चलने की आदत डाल दी है।

शहरी और ग्रामीण दोनो प्रकार के क्षेत्रो मे विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अधीक मजबूत बनाते हुए गरीबों और निर्बल लेागों के विकास और कल्याण से संवन्धित समस्त कार्यक्रमों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हे सौपना चाहिए। योजनाओं को ऊपर से थोपने के स्थान पर आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाओं का चयन उनमे लाभार्थियों के चयन से लेकिन वहां सुविधाओं के विस्तार और अनुरक्षण आदि से संबधित सभी कुछ जिम्मेदारी कागजी खाना पूर्ति के अतिरिक्त वास्तविक अर्थो मे पचायतो ही निर्धारित की जानी चाहिए। रोजगार सृजन गरीबी निवारण तथा गॉवी और मलिन बस्तियों मे जन सुविधाओं के विकास हेतु चलाई जा रही अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमो के स्थान पर इनकी सख्या घटकर, उनके आधार को व्यापक करना चाहिए। वर्तमान मे चल रही अनेक योजनाओ मे सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए अमल—चूक परिवर्तन की आवश्यकता है। चूकि ये कार्यक्रम त्रिस्तीरय पंचायतों के माध्यम से चलाए जाने की

व्यवस्थाएं की जा रही है। इनसे जुडे हुए सरकारी खर्चो मे कटौती करनी होगी और इस प्रकार बचे हुए संसाधनो को अविकसित क्षेत्रो के लिए सभी आवश्यक जन सुविधाओं मे प्रयोग किया जाना चाहिए।

सुझाव :–

इन सव योजनाओं बारे विभिन्न राज्यो और सभी क्षेत्रो मे गरीबी, गरीबो तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमो और रोजगार सृजन योजनाओ का तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ का पूनमूल्यांकन करना होगा। अव समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओ की आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि सही समय पर सही तरीके से सही लोगो और सही क्षेत्रो तक पहुच सकें । साथ ही विकास अनौपचारिक एवं प्रौठ शिक्षा, परिवार कल्याण से सबधित कार्यक्रमो का प्रचार – प्रसार एवं इनके समुचित रुप से क्रियान्वयन मे त्रिस्तरीय पंचायतों के अतिरिक्त स्वंयसेवी संस्थाओं, समाज सेवी संगठनो को भी बढ चढ कर भाग लेना चाहिए और जन साधरण से भी अपील करनी चाहिए कि वे गरीबी और बेरोजगारी के निवारण मे सहयोग करें। और सभी सरकार द्वारा संचालित योजनाओ मे कार्यरत है उन सव को अपने कार्य मे लापरवाही नही करनी चाहिए और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए । यदी नही ऐसा करते है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पडेगा जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र मे वहुत दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

सारणी सं0 – 1 (अ)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य पूर्ति का विवरण।

समीक्षा वर्ष 2002–03,2003–04, 2004–05,2005–06, 2006–07 एवं 2007–08

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2002–03					वर्ष 2003–04					वर्ष 2004–05				
		लक्ष्य	पूर्ति				लक्ष्य	पूर्ति				लक्ष्य	पूर्ति			
			समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति		समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति		समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बडागॉव	200	–	29	29	16	200	35	14	49	20	200	29	43	72	40
2	बबीना	200	12	69	81	48	200	12	52	64	25	200	22	55	77	45
3	चिरगॉव	250	25	33	58	32	250	105	45	150	65	240	78	32	110	60
4	मोंठ	240	32	19	51	30	250	118	24	142	60	250	276	48	324	165
5	बंगरा	240	52	38	90	50	250	85	36	121	50	250	107	78	185	95
6	मऊरानी पुर	240	11	58	69	38	200	55	65	120	50	250	105	60	165	84
7	गुरसराय	220	20	71	91	50	250	92	90	182	78	200	135	92	227	125
8	बामौर	220	27	41	68	35	210	90	51	141	60	220	125	89	214	110
		1810	179	358	537	299	1810	592	377	969	408	1810	877	497	1374	724

स्त्रोत :– समग्र ग्राम विकास योजना रिर्पोट

सारणी सं0 – 1 (ब)

सार्स्वण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत लक्ष्य पूर्ति का विवरण।

समीक्षा वर्ष 2002–03,2003–04, 2004–05,2005–06, 2006–07 एवं 2007–08

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2005–06					वर्ष 2006–07					वर्ष 2004–05				
		लक्ष्य	पूर्ति				लक्ष्य	पूर्ति				लक्ष्य	पूर्ति			
			समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति		समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति		समूह स्वरोजगार	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	कुल	अनु0 जाति
1	**2**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
1	बडागॉव	165	104	51	155	76	165	110	38	148	75	160	31	10	41	22
2	बबीना	150	84	24	108	52	150	80	69	149	74	205	53	0	53	28
3	चिरगॉव	295	208	46	254	125	295	105	86	191	96	310	45	16	61	32
4	मोंठ	280	215	87	302	150	280	144	101	245	124	375	53	24	77	38
5	बंगरा	420	320	40	360	181	420	180	55	235	118	310	65	25	90	45
6	मऊरानी पुर	310	230	52	282	142	310	112	78	190	96	265	30	15	45	23
7	गुरसराय	165	124	53	177	90	165	20	35	55	28	275	21	23	44	18
8	बामौर	206	65	110	175	82	206	58	37	95	49	184	10	20	30	15
		1991	1350	463	1813	898	1991	809	499	1308	660	2084	308	133	441	221

स्त्रोत :– समग्र ग्राम विकास योजना रिपोर्ट

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का वर्षवार आर्थिक विश्लेषण वर्ष 2002– 03

वर्ष 2002– 03 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SJGSY) मे झॉसी जिले के आठ विकास खण्डो मे कार्यरत स्वराजगारी कुल व्यक्तियो का अध्ययन करते है तो हम पाते है कि कुल 1810 व्यक्तियो को इस योजना के अर्न्तगत लाभ देने का कुल सकल लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन केवल 537 व्यक्तिों तक ही इस योजना का लाभ पहुचाया जा सका जिसमे समूह स्वरोजगारी 179 तथा व्यक्तियो स्वरोजगारी 358 थें। वही इस येाजना का लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के लोगो की संख्या 299 है।

जब हम वर्ष 2002–03 के संमकों का विकास खण्ड बार विश्लेषण करते है तो पाते है कि इन आठो ब्लाको मे अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने श्रेष्ठतम लक्ष्य 250 निर्धारत करने वाला विकास खण्ड चिरगॉव था तो वही न्यूनमत लक्ष्य निर्धारत करने वाला विकास खण्ड बडॉगाव 200 और बवीना 200 थे इसके अतिरिक्त निर्धारित लक्ष्य अवरोही क्रम में इस प्रकार से मोंठ 240, बंगरा 240, मऊरानीपुर 240, गुरसरांय 220, बामौर 220, था।

जब हम इन लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति का विश्लेषण करते है तो पाते हैं कि अधिकतम लक्ष्य पूर्ति करने वाले सर्वश्रेष्ठ दो विकासखण्ड गुरसंराय और बंगरा थे जिन्होने क्रमशः 220 240, लोगो को रोजगार दिलवाने के अपने निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष क्रमशः 91 एवं 90 लोंगो को इस योजना के अर्न्तगत लाभ दिलवाने मे सफल हुए हैं। अन्य ब्लाको की स्थिती अवरोही क्रम में इस प्रकार परिलक्षित होती है। बवीना 81, मऊरानीपुर 69, बामौर 68, चिरगॉव 58 मोंठ 51 बडॉगाव 29।

इससे स्पष्ट है कि 2002 – 03 मे अधिकत्म लक्ष्य पूर्ति करने वाला ब्लाक गुरसराय था तो न्यूनतम पूर्ति करने वाला ब्लाक बडांगाव था जो अपने निर्धारित लक्ष्य 200 के सापेक्ष केवल 29 लोंगो को स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदान कर सका।

वर्ष 2002 –03 के अर्न्तगत इस योजना मे अनुसूचित जाति के 299 लोगो को दिये गये लाभो का विश्लेषण करते है तो हम देखते हैं कि अधिकतम एवं न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने वाले विकास खण्ड क्रमशः गुरसराय 50, और बडॉगाव 16 थे । इसके अतिरिक्त अन्य विकास खण्डो की स्थिती अवरोहीक्रम मे इस प्रकार थी बगंरा 50, बवीना 48, मऊरानीपुर 38, बामौर 35, चिरगॉव 32 मोंठ 30, अतः स्पष्ट है कि अधिकतम समान्य एवं अनुसूचित जाति कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला दोनो ही स्थिती में विकास खण्ड गुरसरायं ही है ।

वर्ष 2003 – 04

वर्ष 2003 – 04 मे SJGSY के लक्ष्य पूर्ति विवरणे के विश्लेषण करने पर हम पातें है कि इस वर्ष भी झॉसी जिले मे अपने कुल निर्धारित लक्ष्य 1810 लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के सापेक्ष केवल 969 लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करा पाया लेकिन वर्ष 2002– 03 की तुलना मे 432 अधिक था। वर्ष 2003–04 में अधिकत्म लक्ष्य 250 निर्धारित करने वाले विकास खण्ड चिरगॉव, मोठ, बंगरा, एवं गुरसरायं थे वही न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करने वाले विकास खण्ड बामौर 210, बडांगाव 210 व बबीना 200 था इन लक्ष्यो के सापेक्ष की गयी पूर्ति का विकासखण्डो का अवरोहीक्रम इस प्रकार था गुरसरायं 182, चिरगॉव 150, मोंठ 142, बामौर 141 बंगरा 121, मऊरानीपुर 120 बबीना 64, बडॉगाव 49। इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी

अधिकत्म लक्ष्य पूर्ति करने वाला विकासखण्ड गुरसरायं एवं न्यूनमत लक्ष्य पूर्ति करने वाला विकास ख्ण्ड बडॉगाव थे।

जब हम वर्ष 2003– 04 मे इस योजना के अर्न्तगत उपलब्ध अनुसूचित जाति के लोगो को उपलब्ध करायें गये स्वरोजगार की प्रवृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन विकासखण्ड वार करते है तो इसमें भी गतवर्ष की पुरानी प्रवृति का पुनरावृत्ति लगभग दृष्टिपात होती है और इस वर्ष भी अनुसूचित जाति को अधिकत्म एवं न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकास खण्ड गुरसरांय एवं बडांगाव प्रथम एवं अन्तिम स्थान पर बना हुआ है लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कम मे परिवर्तन हुआ है जिनका अवरोही कम इस प्रकार है। चिरगॉव 65, बामौरा 60, मोंठ 60, बंगरा 50, मऊरानीपुर 50, बबीना 64।

इस प्रकार समग्र रुप से देखें तो कुल सकल स्वरोजगार एवं अनुसूचित जाति को उपलब्ध करायें गये रोजगारो की प्रवृति विकास खण्ड वार लगभग समान है परन्तु गतवर्ष 2002–03 की तुलना में 2003–04 में रोजगार उपलब्ध कराने के अनुपात में वृद्वि हुई है जो लक्ष्य पूर्ति के हिसाब से एक शुभ संकेत है।

वर्ष 2004– 05

वर्ष 2004– 05 के लक्ष्य पूर्ति समंको का विश्लेषण करते है तो हम पाते है कि इस वर्ष भी कुल निर्धारित लक्ष्य गत वर्षो से निर्धारित लक्ष्यो के अनुरुप ही 1810 लोगो को इस योजना के अर्न्तगत लाभ पहुचाने का सार्थक उद्‌देश्य निर्धारित किया गया था। परन्तु इसमे से झॉसी जिला केवल 1374 लोगो को ही इस योजना का लाभ दिला सका जो पिछले वर्ष से 405 अधिक

था। अतः स्पष्ट है कि इस वर्ष भी हम गतवर्ष की तरह अपने निर्धारत सकल कुल लक्ष्यो को भी प्राप्त नही कर सकें परन्तु सकल कुल प्रवृति वर्तमान रही।

जव हम इन लक्ष्यों का विकास खण्ड बार विश्लेषण करें तो देखेगे कि इस वर्ष अधिकत्म लक्ष्य निर्धारित करने वाले तीन विकास खण्ड मोंठ, बंगरा एवं मऊरानीपुर ये जिनका लक्ष्य 250 व्यक्तियो को इस स्वरोजगार येाजना का लाभ दिलाना था अन्य लक्ष्य लगभग गत वर्ष के ही समान थे। यदि हम 2004–05 के लक्ष्य पूर्ति का विकासखण्ड वार अध्ययन करें तो पाते है कि कुछ जिलों मे न्यूनतम वृद्धि के साथ औसत वृद्धि प्रवृति लगभग गत वर्षो के समान ही थी । लेकिन कुछ विकास खण्ड मे असमान प्रवृति देखने को मिली जो गतवर्ष के न्यूनतम लक्ष्य पूर्ति से भिन्न था । इस वर्ष अधिकत्म स्वरोजगार उपलव्ध कराने वाले दो विकास खण्ड मोंठ एवं गुरसरांय थे। जो अपने निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 250 एवं 200 के सापेक्ष लक्ष्य क्रमशः 325 एवं 22 लोगो को स्वरेाजगार उपलव्ध करा कर की गयी। अन्य विकास खण्डो की लक्ष्य पूर्ति अवरोही क्रम इस प्रकार था। बामौर 214, बंगरा 185, मऊरानीपुर 165 चिरगॉव 110 बबीना 77 बडॉगॉव 72।

वर्ष 2004– 05 मे अधिकत्म अनुसूचित जाति को स्वरोजगार प्रदान करने वाला विकास खण्ड भी मोठं था वही न्यूनतम रेाजगार उपलव्ध कराने वाला विकास खण्ड अभी भी गत वर्ष की भाति बडागॉव बना हुआ था लेकिन रोजगार उपलव्ध कराने की प्रवृति (Trends) में जरुर वृद्वि देखी गयी । अन्य विकासखण्डो का अवरोही क्रम इस प्रकार था गुरसराय 125, बामौर 110, बंगरा 95, मऊरानीपुर 84, चिरगॉव 60, बबीना 45।

वर्ष 2005– 06

वर्ष 2005 – 06 में स्वर्ण जयंन्ती स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत आश्रितों को लाभ पहुचाने की प्रवत्ति मे गत वर्ष की अपेक्षाकृत सूक्ष्म परिर्वतन करने का प्रयास किया गया जिसके परिणामस्वरुप कुल निर्धारित लक्ष्य 1991 लक्षित किया गया जो पिछले तीन वित्तिय वर्षो से 181 अधिक था ऐसा गतवर्ष 2004–05 मे लक्ष्य पूर्ति प्रवृति को देखते हुए किया गया लगता है। इस लक्ष्य के सामने हम कुल पूर्ति प्रवृति को देखे तो यह अपने निर्धारित लक्ष्य ये मात्र 178 कम था जो यह दर्शाता है कि पिछले वर्ष 2004 – 05 मे लक्ष्य पूर्ति प्रवृति मे काफी सुधार हुआ है

जव हम लक्ष्य पूर्ति का विकासखण्ड वार विश्लेषण करते है तो पातें है कि इस वर्ष अधिकत्म लक्ष्य निर्धारित करने वाला विकास खण्ड बंगरा 420, था वही न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करने वाला विकास खण्ड इस वर्ष बबीना 150 था अन्य विकास खण्डो की स्थिती अवरोही क्रम में इस प्रकार थी मऊरानीपुर 310, चिरगॉव 295, मोंठ 280, बामौर 206 , गुरसराय 165, बडागॉव 165। इन लक्ष्यो के सापेक्ष विकास खण्ड वार कुल पूर्ति का विश्लेषण करें तो हम पाते कि इस वर्ष कुल अधिकत्म पूर्ति करने वाला विकास खण्ड बंगरा था वही न्यूनतम स्वरोजगारी लक्ष्य पूर्ति करने वाला विकास खण्ड बबीना 108, था जबकि अन्य विकास खण्डो की रोजगार उपलव्ध कराने की औसत प्रवृति मे सुधार देखा गया जिनका अवरोही क्रम इस प्रकार है मोठ 302, मऊरानीपुर 282 चिरगॉव 254, गुरसरास 177, बामौर 175, बडॉगाव 159।

वही जब वर्ष 2005– 06 मे अनुसूचित जाति को इस योजना के अर्न्तगत उपलव्ध करायें गये रोजगार की प्रवृति में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा निश्चित औसत सुघार देखा गया है। इस वर्ष अनुसूचित जाति को अधिकत्म रोजगार उपलव्ध कराने वाला विकास खण्ड भी बंगरा ही है अतः हम देखते है

कि बंगरा इस वर्ष एक ऐसा विकास खण्ड है जो लक्ष्य, लक्ष्य पूर्ति एवं अनुसूचित जाति का उपलब्ध करायें गये स्वरोजगार के तीनो ही दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है।

वर्ष 2006 – 07

वर्ष 2006 – 07 मे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आकडो का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हम इस वर्ष भी कुल निर्धारित लक्ष्य गतवर्ष के अनुरुप ही 1991 लोगो को SJGSY का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिसके सापेक्ष कुल पूर्ति 1308 जो कि पिछले वर्ष के कुल सकल पूर्ति से काफी कम था। वही अनुसूचित जाति के 660 लोगो को स्वरेागार दिलाने का इस वर्ष 2006– 07 में लक्ष्य निर्धारित किया गया ।

यदि हम लक्ष्यो का विकास खण्ड बार विश्लेषण करें तो इस वर्ष गत वर्ष में निर्धारित लक्ष्यो की पुनरावृति कर दी गई है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया गया है अर्थात इस वर्ष भी अधिकतम एवं न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करने वाला विकास खण्ड गत वर्ष 2005 – 06 की भॉति बंगरा एवं बबीना है अन्य विकास खण्ड का अवरोही क्रम गत वर्ष के अनुक्रम में ही निर्धारित है इन लक्ष्यो के सापेक्ष पूर्ति को देखें तो हम पाते है कि गतवर्ष 2005 – 06 की अपेक्षा कृत कुल पूर्ति चालू वर्ष मे कम रही है इस कुल पुर्ति मे अधिकत्म पूर्ति करने वाला विकासखण्ड बंगरा के स्थान पर मोंठ बन गया है जिसकी कुल स्वरेाजगारी लक्ष्य पूर्ति 245 थी । जो अपने निर्धारित लक्ष्य 280 से कम था परन्तु अपने गत वर्ष के लक्ष्य पूर्ति 215 से 30 स्वरोजगारी अधिक था वही न्यूनतम लक्ष्य पूर्ति करने वाला विकास खण्ड गुरसरायं 55 था जो कि वही विकास खण्ड था जिसने 2002– 03 , 2003–

04 और 2004– 05 मे अच्छे विकास लक्ष्यो की पूर्ति किया था। अन्य विकास खण्डो के लक्ष्य पूर्ति का अवरोही अनुक्रम इस प्रकार था बंगरा 235, चिरगॉव 191 , मऊरानीपुर 190, बबीना 149, बडॉगाव 148, बामौर 95 ।

वर्ष 2006 –07 मे जब हम अनुसूचित जाति के स्वरेाजगारीयो को उपलब्ध कराये गये स्वरोजगार पर दृष्टिपात करते है तो पाते है कि इस वर्ष झॉसी जिले के सभी विकास खण्डो द्वारा लक्ष्य पूर्ति गत वर्ष 2005– 06 की अपेक्षाकृत काफी कम था जिसका कारण सभी विकास खण्डों द्वारा औसत न्यून लक्ष्य पूर्ति या फिर भी यदि हम इन संमको का गहनत्म अध्ययन करें तो हम पाते है कि इस वर्ष अनुसूचित जाति कि आश्रितो को अधिकतम स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाला विकास खण्ड मोंठ या जिसने चालू वर्ष 124 आश्रितो को स्वरोजगार उपलब्ध कराया । वही न्यूनतम लक्ष्य पूर्ति करने वाला विकास खण्ड गुरसराय रहा जो कि 2002– 03, 2003– 04 मे अनुसूचित जाति को अधिकत्म स्वरेाजगार उपलब्ध कराने वाला विकास खण्ड था । यदि हम अन्य विकास खण्डो की प्रवृति देखें तो उनका अवरोही अनुक्रम इस प्रकार था बंगरा 118 , चिरगाव 96, मऊरानीपुर 96, बबीना 74, बडॉगाव 75, बामौर 45 ।

वर्ष 2007– 08

वर्ष 2007– 08 के समंको का विश्लेषण करे तो हम देखगे कि हम वर्ष की अपेक्षाकृत कुल लक्ष्य पूर्ति में 993 अंको की बढोत्तरी कर 2084 निर्धारित किया गया लेकिन कुल लक्ष्य पूर्ति की स्थिती पिछले वर्ष 2006– 07 से भी काफी निम्न रहा है इस वर्ष झॉसी जिले के समस्त विकास खण्ड कुल मिलकर 441 लोगों का ही स्वरोजगार उपलब्ध करा पायें वही अनुसूचित जाति के आश्रितो को उपलब्ध करा पाये स्वरोजगार की भी स्थिती पिछले वर्ष की

तुलना मे काफी कम रही है I और केवल 281 को समस्त विकासखण्ड स्वरोजगार उपलब्ध करा पायें।

यदि हम चालू वर्ष 2007 – 08 के विकास खण्ड वार लक्ष्यो की बात करें तो हम देखगें कि एक – दो विकास खण्डो ने छोडकर सभी ने अपने गत वर्ष के निर्धारित लक्ष्यो से अधिक लक्ष्य निर्धारित किये परन्तु इन निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति मे किसी भी विकास खण्डो की पूर्ति की स्थिती गतवर्ष की अपेक्षाकृत अधिक नही थी । अर्थात इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिकत्म लक्ष्य तेा निर्धारित किये गये परन्तु सभी विकास खण्डो द्वारा गतवर्ष की अपेक्षाकृत पूर्ति कम की गयी। यही प्रवृति अनुसूचित जाति को उपलब्ध कराये गये स्वरोजगारों मे भी देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषणो के पश्चायत अब हम निम्न सार्थम एवं सुक्ष्म निष्कर्षो पर पहुचते है जो अग्रलिखित है।

- झॉसी के समस्त विकास खण्डो की इस योजना के अर्न्तगत निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष औसत प्रगति ठीक रही गत दो वर्षो को छोडकर।
- झॉसी जिले समस्त विकास खण्ड द्वारा वर्ष 2002– 03, 2003–04, 2004– 05 एवं 2005– 06 में निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष कुल पूर्ति बढते हुए वर्धमान क्रम में या वही वर्ष 2006– 07 एवं 20007– 08 की लक्ष्य पूर्ति स्थिती सापेक्ष रुप से निम्न रही ।
- वर्ष 2004– 05 एवं 2005– 06 मे तो कुछ विकास खण्डो द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यो से भी अधिक स्वरोजगारीयों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने कार्य किया।

- इन 6 वर्षो मे वर्ष2005– 06 अधिकत्म लक्ष्य पूर्ति करने वाला वर्ष रहा जिसमें 1991 स्वरोजगारी को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के सापेक्ष मे कुल 1813 लोगो को समस्त विकास खण्डो द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया वही सवसे कम लक्ष्य पूर्ति वाला वर्ष 2007– 08 था।
- झॉसी जिले के इन 6 वर्षो में अनुसूचित जाति के लोगो को उपलब्ध कराये गये स्वरोजगार पर दृष्टिपात करें तो 2005– 06 मे सबसे अधिक अनुसूचित जाति के स्वरोजगारो को स्वरोजगार उपलब्ध कराये गये।

सारणी सं0 – 2

SGYS, IAY & PAYJAL योजना के अर्न्तगत लक्ष्य पूर्ति का विवरण।

समीक्षा वर्ष 2002–03,2003–04, 2004–05,2005–06, 2006–07 एवं 2007–08

onth/ fortnight	Selection Year and Scheme	Target as per action plan			Amount	Balance Target as on		1st April	Progress During the fortnight			Cumulative Progress			Balance target at the end of fornight		
		Villages (nos.)	Phy. Target	Fin. Reg	Avbl.at District	Unsatur - ated Villages (nos.)	Balance Phy. Target	Fin. Reg	satur ated Villages (nos.)	Phy. Ach.	Fin Exp.	saturated Villages (nos.)	Phy. Ach.	Fin Exp.	Villages (nos.)	Balance Phy. Target	Balance fund
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2004-05																
2-Dec	SGSY	54	342	30.12	30.12	54	342	30.12	0	0	0	54	342	30.12	0	0	0
2-Dec	IAY	52	742	179.87	179.87	52	742	179.87	0	0	0	52	742	179.9	0	0	0
2-Dec	PAYJAL	11	21	5.98	5.98	8	16	4.78	0	0	0	8	16	4.78	0	0	0
	2005-06																
2-Dec	SGSY	55	448	36.05	36.05	55	448	36.05	0	0	0	55	448	36.05	0	0	0
2-Dec	IAY	52	648	162	162	52	648	158	0	0	0	52	648	158	0	0	0
2-Dec	PAYJAL	1	4	1.416	1.416	1	4	1.416	0	0	0	1	4	1.416	0	0	0
	2006-07																
2-Jan	SGSY	61	209	18.62	18.62	61	209	18.62	7	17	1.45	10	32	2.75	51	177	15.87
2-Jan	IAY	61	637	159.25	159.25	61	637	159.25	0	0	10	0	0	139.3	61	637	20
2-Jan	PAYJAL	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स्त्रोत :– समग्र ग्राम विकास योजना रिपोर्ट

SGSY – Swaran Jayanti Gram Swarozgar Yojana

IAY – Indira Awaas Yojana

समग्र ग्राम विकास योजना

वित्तीय विश्लेषण

वर्ष 2004– 05

जब हम समग्र ग्राम विकास योजना के अर्न्तगत संचालित ग्रामीण योजनाओं का अध्ययन झाँसी जिले के सन्दर्भ मे करते है तो हम पाते है कि यहाँ वर्ष 2004– 05 मे कुल तीन ग्रामीण योजनाये SGSY, IAY, तथा PAYJAL अर्धमासिक रुप मे सचांलित थी। इन योजनाओ के आर्थिक प्रकृति का जब हम विश्लेषण करते है तो यह दृष्टिपात होता है कि सरकार ने इन योजनाओ के क्रियात्मक संचालन हेतु क्रियान्वयन योजनाओ लक्ष्य निर्धारित किये जिससे गॉव के समग्र विकास को विना बाधा के सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने SGSY, को 54 IAY को 52 तथा PAYJAL को 11 ग्रामो मे संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके लिए योजनावार कृल 205.99 लाख रुपये कि वित्तिय आवश्यकता की मॉग की जिसे बिना किसी बाध के समग्र मार्ग के अनुरुप राशि उपलव्ध करा दी गयी PAYJAL योजना को छोड कर शेष सभी योजना का संचयी उन्नती (Cumulative Progress) आवश्यकता एवं लक्ष्य के अनुरुप हो गयी है। लेकिन PAYJAL योजना को केवल 8 गॉवो मे ही लागू किया जा सका और इस योजना ने अपने निर्धारित भौतिक लक्ष्य 21 लाख का केवल 16 लाख भौतिक प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सका और वित्तीय आवश्यकता अथवा वित्तीय मॉग का 4.78 लाख रुपये ही खर्च किया जा सका।

वर्ष 2005– 06:–

वर्ष 2005– 06 मे इन योजनाओ का वित्तीय विश्लेषण करें तो हम देखते है कि गत वर्ष मे निर्धारित लक्ष्यो के अनुरुप ही सूक्ष्म परिवर्तन के साथ इनके क्रियात्मक लक्ष्यो को स्थापित किया गया जिसमें SGSY को 55 गॉवो मे, IAY को 52 गॉवो मे तथा PAYJAL जो कि गतवर्ष मे 11 ग्रामों मे संचालित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया जिनके लिए योजनावार वित्तीय आवश्यकताओ का अनुमान इस प्रकार लगाया गया SGSY 36.05 लाख, IAY को 162 लाख, PAYJAL को 1.416 लाख । इन धनराशि उपलव्ध करा दी गयी। जब हम इन येाजनाओ के प्रगति का आकलन करते है तो हम पाते है कि इन तीनो योजनाओ के निर्धारित लक्ष्यो को सचयी समग्र रुप से प्राप्त कर सम्पूर्ण धनराशि खर्च कर दी गयी है।

वर्ष 2006– 07 :–

वर्ष 2006– 07 मे झॉसी जिले मे संचालित SGSY, IAY, तथा PAYJAL समग्र ग्रामीण विकास योजनाओ के वित्तीय निण्यादन क्षमता आर्थिक विश्लेषण करते है तो हम पाते है कि गत वर्ष 2005– 06 की अपेक्षाकृत इन योजनाओ के क्रियात्मक योजना लक्ष्य मे योजनावार वृद्दि की गयी लकिन भौतिक लक्ष्यो मे योजनावार वृद्दि की गयी लेकिन भौतिक लक्ष्यो एवं वित्तीय आवश्यकता आकलन मे कमी की गयी। जो भी हेा सरकार द्वारा मॉग वित्तीय आवश्यकता के अनुपम जिले को वित्त उपलब्ध करा दिये गये, जिसे वित्त वर्ष मे जिला संचालन तन्त्र द्वारा योजना लक्ष्य को प्राप्त करने का सम्पूर्ण प्रयास के बाद भी योजनावार संचयी प्रगति इस प्रकार थी।

- SGSY योजना को केवल 10 गॉवो मे ही लागू किया जा सका जिसके परिणाम स्वरुप 32 लाख भौतिक प्राप्ति हो सका जिस पर निर्धारित एवं उपलब्ध राशि का 18.62 लाख ही खर्च किया जा सका। शेष आगमी वित्त वर्ष हेतु स्थान्तरित कर दिया गया।
- इंदिरा आवास योजना की संचयी स्थिती तो निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप किसी गॉव मे प्रारम्भ नही किया जा सका जिसमे परिणाम स्वरुप भौतिक प्राप्ति शून्य थी लेकिन ध्यान देने येाग्य तथ्य यह है कि विना किसी गावॅ मे योजना को संचालित किये बैगर 139.25 लाख रुपये व्यय कर दिये गये।
- PAYJAL योजना की संचयी प्रगति तो इस वित्त वर्ष मे शून्य था।

निष्कर्षः–

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि

- समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत संचलित इन तीनो योजनाओं की वित्तीय निष्पादन सबसे अधिकत्म वित्त वर्ष 2005– 06 में थी।
- वही न्यूनतम निष्पादन क्षमता वाला वर्ष 2006– 07 रहा जिसमें निर्धारित तीनों योजनाओं के लक्ष्यों को निर्धारित अर्ध वार्षिक अवाधि में प्राप्त नही किया जा सका।
- वर्ष 2006– 07 एक मात्र ऐसा वर्ष है जिसमे इन तीनों योजनाओं के लिए आगामी वर्ष के लिए शेष प्राप्त होते है।
- इन तीनों वर्षो मे सबसे अधिक धन इदिरा आवास योजना पर व्यय किये गये जवकि न्यूनतम धनराशि PAYJAL योजना पर की गयी
- इस प्रकार PAYJAL योजना सबसे न्यूनतम धन प्राप्त करने वाली योजना थी।

अध्याय– 10

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

गरीबी उन्मूलन देश के नियोजित आर्थिक विकास का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सन् 1970 के दशक के प्रारम्भ से गरीबी उन्मूलन कि लिये सरकारी हस्तक्षेप, नामान्वित लक्ष्य कार्यक्रमो के माध्यम से बढता रहा है। और 1980 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रो की गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण उन्मूलन पर विषेश ध्यान दिया गया । छठी एवं सातवी दोनो पंचवर्षीय योजनाओं में समाजिक न्याय के साथ विकास किये जाने कि बात पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी सम्बन्धी अनुमानों के आधार पर सन् 1987–1988 में 2000 लाख व्यक्ति या ग्रामीण जनंसख्या का लगभग 33 प्रतिशत गरीब थे। आठवीं पचंवर्षीय योजना में (1992–97) इस बात को पुनः दोहराया गया कि गरीबी उन्मूलन नियोजन विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

विकास प्रकिया के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया है जिसके लिये ऐसे क्षेत्रो व उपक्षेत्रों में विनियोजन किया जायें जिनमें रोजगार के अवसरों के सृजन की अधिक से अधिक सम्भावनायें हैं और भौगोलिक दृष्टि से उन क्षेत्रों में विनियोजन किया जायें जिनमें विकास कर के रोजगार के अवसरो में वृद्धि की जा सकती है।. इसके लिये ऐसी उत्पादन तकनीकों और उत्पादो का चुनाव किया जाना चाहिये जो श्रम प्रधान उत्पादन किया जा सकता हैं इस कार्य के लिये ऐसे अनुभव किया गया कि अल्पकालीन दृष्टिकोण से गरीबों और अल्प बेरोजगारों को सरकार द्वारा अतिरिक्त पूरक रोजगार प्रदान किये जा सकते है। सन् 1992– 93 में गरीबों के आर्थिक सुधारों की जो प्रकिया को

अपनाया गया उस गरीबी उन्मूलन रणनीति पर गहन अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानवीय जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास के लक्ष्य का ध्यान में रखकर गरीवों के परिवार के मुख्यिा को आर्थिक सहायता प्रदान कर के उन्हे आय अर्जित सम्पत्तियों को प्राप्त करने का कार्यक्रम बनाया गया ज़िनके माध्यम से परिवार को आय प्राप्त हो सके तथा भविष्य में परिवार के लिये आय प्राप्ति का आधार बना रहें। पुरुषो को आय सृजित सम्पत्तियों के प्राप्त करने का आधार प्रदान करने के साथ– साथ महिलाओं को भी स्वावलम्बी बनाने के लिए भी उन्हें आय अर्जित करने के लायक बनाने का प्रयास किया गया। साथ ही परिवार के युवको को कुशल श्रमिक या स्वरोजगार चलाने के लिये प्रशिक्षित करने का प्रयास किया गया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के लिए अलग से कार्यक्रम ड्वाकर (DWACARA) प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान अध्ययन का प्रमुख उदद्श्य ग्रामीण महिलाओं. जिन्हे विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्धारा आर्थिक सहायता प्रदान करके स्वावलम्बी बनाने तथा आय अर्जित करने के योग्य बनाने का प्रयास किया गया. के रहन सहन के स्तर का विश्लेषण करना है। उद्देश्य उनके आय के स्त्रोत. आय स्तर तथा उपभोग के ढांचो का अध्ययन करना रहा है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार के सम्पत्तियों एवं दायित्व का विश्लेषण करने के साथ साथ उनकी आर्थिक समाजिक दशाओं का भी अध्ययन करना रहा है। ग्रामीण महिलाओं के उनके परिवारों से उनके आय स्तर तथा उपभोग स्तर के सम्बन्ध को भी ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को उनके

द्वारा किये जाने वाले व्यवसायों को अपनाने की प्रवृत्ति से प्राप्त आय व व्यवसाय के वर्तमान स्थिती पर विचार किया गया है।

सैम्पुल डिजाइन व अध्ययन विधिः वर्तमान अघ्ययन का क्षेत्र झॉसी जनपद निर्धारित किया गया। जनपद आठ विकास खण्डो में विभाजित है पर ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम वर्तमान में चार विकास खण्डो में लागू है. यह मऊरानीपुर. चिरगॉव. बबीना तथा बगंरा मे लागू है। इन विकास खण्डों में सन् 1996 के अन्त में कुल लाभान्वित ग्रामीण महिला परिवारों से सैम्पुल के आधार पर इनका चुनाव किया गया अध्ययन में कई स्तरो पर सैंम्पलिंग का सहारा किया गया। प्रथम स्तर पर विकास खण्डों में लाभान्वित ग्रमीण महिला परिवारों की सख्या का विकास स्तर पर चुनाव कुल लाभान्वित महिला परिवारों के अनुपात के आधार पर किया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर चयनित महिला परिवारों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता के परिवारों का विभाजन व्यवसाय के आधार पर कर के विभिन्न व्यवसाय की अपर्याप्तता के कारण उनका चुनाव व्यवसायों के आधार पर किया गया।

आंकडो का संग्रहीकरण : ग्रामीण महिलाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली बनाई गई प्रशनावली का परीक्षण करने के लिये एक अग्रगामी सर्वेक्षण किया गया जिसके पूरा होने पर प्रशनावली में छोटे – छोटे आवश्यक परिवर्तन किये गयें।

प्रशनावली के आधार पर उन व्यवसायों से सम्बन्धित महिलाओं से उनके जीवन के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर के

प्रशनावली को पूरा किया गया । उसी के आधार पर ग्रामीण महिला परिवारों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र की गई।

आंकडो का विश्लेषण तीन विकास खण्डों से ग्रमीण महिला परिवारों की आय विभिन्न आय वर्गो में विभाजित कर के किया गया । अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्न प्रकार रहें।

अध्ययन में चुनी गयी ग्रामीण महिलायें 8.55 प्रतिशत सामान्य जाति वर्ग 43.65 प्रतिशत पिछडी जाति वर्ग तथा 47.80 प्रतिशत महिलायें अनुसूचित जाति वर्ग की रही है। इनके परिवारों का अकार अलग – अलग रहा है। लगभग 44.4 प्रतिशत परिवारों में 6 से 10 सदस्य 5 प्रतिशत परिवारों के 11 से 15 सदस्य तथा 2.8 प्रतिशत परिवारों में एक सदस्य वाले परिवार रहें है।

यद्यपि कृषि क्षेत्र में बडे परिवारों की मांग होती है पर अध्ययन में शमिल महिलाओं के परिवारों मे बडे परिवारों के जोखिम उठाने के लिये लोग तैयार नही दिखे क्योंकि इनके अधिंकाश परिवार भूमि हीन अधिकांश परिवार छोटे रहे हैं। लगभग 47.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के महिलाओं के परिवार छोटे रहे। इसी प्रकार 47.3 प्रतिशत पिछडी जाति के महिलाओं के परिवारों के सदस्यो की संख्या 6 से 10 सदस्यों की रही है।

लिंग के अनुसार परिवारो के विभाजन से यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक वर्ग की महिला परिवरों में एक से लेकर चार पुरुष और स्त्रियां रही है। 24.2 प्रतिशत पिछडी जाति तथा 24.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों में दो पुरुष व दो स्त्रियो का अनुपात रहा हैं इसी प्रकार 22.6 तथा 23 प्रतिशत परिवारों में 3 पुरुष व 3 स्त्रियों का अनुपात रहा हैं परिवार के ढांचे में 48 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य 6 वर्ग या उससे कम उम्र

वाले तथा 38.8 प्रतिशत परिवारों में इस उम्र के सदस्य नही रहें है। लगभग सभी परिवारों में 6 से अधिक बच्चे इस उम्र वर्ग के नही है। 48.3 प्रतिशत परिवारो में 7 से 10 वर्ष उम्र वाले सदस्य नही थे. शोध 49.6 प्रतिशत परिवारों मे इस उम्र वर्ग के एक से दो सदस्य रहे है। इस प्रकार 11 से 15 वर्ष के उम्र वाले सदस्य 54.2 प्रतिशत परिवारो में नही रहे। शेष 43.3 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य इस उम्र वर्ग के थे। औसतन 54.6 प्रतिशत परिवारों में 16 से 20 वर्ष उम्र के सदस्य नही पाये गये । इन परिवारों के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है। कि अभी भी 11 से 20 वर्ष के उम्र वाली लडकियो का विवाह करके परिवार से अलग कर दिया जाता है। इसी कारण से 11 से 20 वर्ष के उम्र वर्ग के सदस्यो की संख्या परिवारों में कम ही है। जबकि 60 प्रतिशत परिवारो में 21 से 30वर्ष के प्रौढो की संख्या एक या दो सदस्यो की रही हैं । इससे अधिक उम्र के सदस्यो की संख्या 56 प्रतिशत परिवारों में एक से दो सदस्य रहे है। इन परिवारों की जनसंख्या में बच्चो एवं प्रौढों की संख्या अधिक रही है।

शैक्षिक स्तर के दृष्टिकोण से 5.2 प्रतिशत परिवार अशिक्षित तथा 2 से 7 प्रतिशत परिवारों में 1 से 8 सदस्य अशिक्षित पाये गयें। 31 प्रतिशत परिवारों में एक या उससे अधिक सदस्य प्राथमिक या प्रौढ शिक्षा प्राप्त था। लगभग 69 प्रतिशत परिवारों को लागू नही होता के अर्न्तगत विभाजित किया गया जिनमें स्कूल जाने वाले उम्र के अलग के बच्चे शामिल किए गये। लगभग 41 प्रतिशत परिवारों मे एक से पॉच सदस्य प्राथमिक या प्रौढ शिक्षा प्राप्त थे। 20 प्रतिशत परिवारो में माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त सदस्य प्राप्त सदस्य पाये गये। 17 प्रतिशत परिवारों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त सदस्य पाये गये।

आवासीय दशाओं के दृष्टिकोण से 86.3 प्रतिशत परिवारों के पास अपने निजी मकान थे. 8.5 प्रतिशत किराये के मकान तथा 5.2 प्रतिशत परिवार भू स्वामियेां द्धारा दिये गये मकानो में रहते है। जो बिना किराया दिये रह रहे है। घरों के बनावट के सम्बन्ध में 47.4 प्रतिशत परिवारों के घर फूस के छाजन वाले थे। इनमें से 78.6 प्रतिशत घर अनुसूचित जाति के थें । लगभग 14.8 प्रतिशत परिवारों के घर की दिवाल मिट्‌टी की तथा छत देशी खपरैल की रही है । मकानों का औसत आकार 7 से 12 वर्ग गज का रहा हैं इन मकानों में अधिकांश मकान 15 वर्ष के पूर्व के नही रहे। लगभग 70 प्रतिशत मकान 20 पूर्व बनायें गयें थें। इन मकानों में अधिकाश आधुनिक सुविधाओं का आभाव रहा है. केवल 51 प्रतिशत परिवारों में स्नान के लिए सुविधायें अलग से प्राप्त है। लगभग 91.7 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा नही है।

अर्थिक स्थिति

ग्रामीण परिवारों के सभी वर्गो परिवारों के सभी वर्गो की आय लगभग समान रही है। सभी महिलायें कृषि क्षेत्र से प्राप्त मजदूरी रहा है। एक परिवार द्धारा औसतन 229.39 रुपये की आय कृषि क्षेत्र से मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त हुयी है। मध्यम आय वर्ग परिवारों में प्रति परिवारों 244.30 रुपये तथा उच्च आय वर्ग में 202.50 रुपये की रही है। जबकि न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों मे कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त आय औसतन 220.15 रुपये की रही है। इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम द्धारा औसतन प्रति परिवार 321.47 रुपये रही हैं विभिन्न आय वर्गो में विभाजित परिवारों में न्यून आयर्वग परिवार के गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी आधारित श्रम द्धारा 223.97 रुपये मध्यम आय वर्ग परिवारों को औसतन 281.377 रुपये. तथा उच्च आय वर्ग परिवारों को

औसतन 738.33 रुपये प्राप्त हुए थे। आय के विभिन्न स्त्रोतों का विभाजन करने पर मजदूरी से कुल आय का 41.16 प्रतिशत आय प्राप्त हुआ था. जिसमें 24.57 प्रतिशत कृषि क्षेत्र तथा 16.59 भाग गेर कृषि क्षेत्र के मजदूरी आधारित श्रम से प्राप्त हुआ था। निम्न आय वर्ग के परिवारों की आय में मजदूरी आधारित श्रम से कुल आय कर 53.88 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ था. जिसमें 27.29 प्रतिशत कृषि क्षेत्र तथा 26.59 प्रतिशत गेर कृषि क्षेत्र की मजदूरी प्राप्त हुआ था। मध्यम आय वर्ग में कुल आय का 43.90 प्रतिशत भाग मजदूरी से तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों में मजदूरी से कुल आय कर 35.97 प्रतिशत हिस्सा ही प्राप्त था। इस प्रकार इन परिवारो के आय का प्रमुख्य स्त्रोत मजदूरी आधारित रोजगार रहा है। अपनी आय में वृद्धि के लिए मुख्य व्यवसाय के साथ– साथ दूसरे भी कार्य करते है।. जैसे डेरी का कार्य. जूते बनाने का कार्य तथा अन्य कार्य बहुत ही छोटे पैमाने पर किये जाते हें कृषि से प्रापत होने वाली आय. जो मजदूरी के रुप मे प्राप्त की जाती है. उसमें गुणात्मक अन्तर है। उच्च आय वर्ग के परिवारो द्वारा एक अधिक मात्रा में प्राप्त आय स्थायी श्रमिक के रुप में प्राप्त करते है। अन्य आय वर्गो (मध्यम व निम्न आय वर्ग) के परिवारों द्वारा कृषि मजदूरी की प्राप्ति एक आस्मिक श्रमिक के रुप में प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के विश्लेषण ये यह स्पष्ट है कि परिवारो की आय में वृद्धि के साथ हुयी है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। सामान्य रुप से एक परिवार में की औसत प्रति व्यक्ति आय 816.78 रुपये मात्र रही हैं विभिन्न आय स्तरों में परिवारो के विभाजन के आधार पर उच्च आय वर्ग के परिवारों में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1334 रुपये. मध्यम आय 554.02 रुपये रही हैं । कृषि एवं गैर क्षेत्र के क्षेत्र के मजदूरी स्तर पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में मजदूरी से प्राप्त प्रति व्यक्ति औसत आय 37.29 रुपये में और गैर कृषि क्षेत्र के मजदूरी आधरित रोजगार है.

52.28 रुपये की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हुयी है। विभिन्न आय वर्ग के परिवारों में यह विलोम प्रवृत्ति स्पष्ट करता है। कृषि क्षेत्र से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय निम्म आय वर्ग के परिवारों में 40.39 रुपयें. मकान आय वर्ग के परिवारों में 38.17 रुपये तथा उच्च आय वर्ग के परिवारों द्वारा कृषि क्षेत्र से 27.3.93 रुपये प्रति व्यक्ति आय. प्राप्त की गयी हैं इसी प्रकार गैर कृषि क्षेत्र से उच्च आय वर्ग के परिवारों के द्वारा अधिकतम प्रति व्यक्ति आय 101. 84 रुपये रही है। मध्यम आय वर्ग के परिवारो द्वारा गैर कृषि मजदूरी आधारित रोजगार से प्राप्त प्रति व्यक्ति आय केवल 41.02 तथा निम्न आय वर्ग द्वारा भी यही आय प्राप्त की गयी है जो 41.10 रुपये प्रति व्यक्ति आय रही हैं ।

सामान्य रुप से ग्रामीण महिला परिवारों के उपयोग को ढांचा एक सा रहा हैं । इन परिवारों द्वारा अपनी आय का एक बडा भाग खाद्यान्नों. कपड़े. चीनी तथा खाण्डसारी पर व्यय किया जाता है। विभिन्न आय वर्गो के उपभोग व्यय कैसे विभिन्न मदो के सापेक्षिक महत्व में अन्तर रहा है। औसतन एक परिवार का वार्षिक उपभोग व्यय 6385 रुपया रहा है। उच्च आय वर्ग के परिवारों का प्रति परिवार उपयोग व्यय 9888 रुपये वार्षिक रहा है। जो मध्यम व निम्न आय वर्ग के परिवारों का वार्षिक उपभोग व्यय 6448.64 रुपये तथा 5069 रुपये रहा है। उपभोग के विभिन्न मदों मे महत्व के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है। चालू उपभोग पर व्यय आय का 89. 38 प्रतिशत रहा है। इन परिवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं पर एक छोटा हिस्सा कुल उपयोग का केवल 6.17 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है। विभिन्न आय वर्गो कि परिवारों में भी यही प्रतिशत रहा है। सेवाओं के व्यय में शिक्षा तथा मनोरंजन पर किया जाने वाला व्यय बहुत ही कम है। चालू उपयोग व्यय में खाद्यान्नों पर कुल उपयोग का 23.74 प्रतिशत चीनी व

खांडसारी पर 13.58 प्रतिशत. कपड़े पर 14.01 प्रतिशत रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की लगभग परिवार के व्यय के उपभोग के ही समान रहा हैं प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का स्तर से बढता गया हैं सामान्य रुप से एक परिवार का प्रति व्यक्ति चालू उपभोग व्यय 246.51 रुपये मात्र रहा हैं। निम्न आय वर्ग के परिवारो में प्रति व्यक्ति उपभोग 226.08 रुपये तथा उच्च आय वर्ग का 311.29 रुपये रहा है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भी आय स्तर बढने के साथ – साथ बढने की प्रवृत्ति है। उपभोग प्रवृत्ति 1.27 रही है। विभिन्न आय वर्ग की उपभोग की औसत प्रवृत्ति एक से अधिक रही है। निम्न आय वर्ग की औसत प्रवृति सबसे अधिक 1.68 रही हैं और उच्च आय वर्ग की उपभोग की औसत प्रवृत्ति 1.07 रही हैं उपभोग की ऊची औसत प्रवृत्ति का अधिक होना एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कही जाती है। तथा यह इस बात को स्पष्ट करता हैं कि परिवारों को प्राप्त होने वाली आय उनके उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नही है. जबकि उपभोग व्यय में अधिकांश व्यय खाद्यान्नों पर किया जाता हैं इस स्थिति में टिकाऊ वस्तुओं पर किये गये व्यय के लिए अधिक अवसर नही बचता है। इन परिवारों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 20.70 रुपये मात्र रहा है। उच्च आय वर्ग का प्रति व्यक्ति टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया उपभोग व्यय मात्र 22.17 रुपये रहा हैं मध्यम आय वर्ग के परिवारों का टिकाऊ वस्तुओ पर किया गया व्यय उच्च वर्ग की तुलना में अधिक रहा है।

ग्रामीण परिवारों की परिसम्पत्तियों का मूल्य 19488 रुपये रहा हें परिसम्पत्ति का मूल्य आय स्तर के बढने के साथ– साथ बढता गया है। विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों में घरेलू सम्पतियां सबसे अधिक. इसके पश्चात पशु सम्पत्तियां जिनका मूल्य प्रति परिवार 4532 रुपये रही हैं. तीसरे स्थान पर कृषि सम्पतियां रही हैं । घरेलू टिकाऊ सम्पतियों में

मकान ही प्रमुख हें प्रति परिवार के पास 8980 रुपये औसत मूल्य के आवसीय मकान रहें. दूसरे स्थान जेवरातों का रहा हैं। कुल घरेलू परिसम्पतियों में आवासीय मकानों का हिस्सा 68.44 प्रतिशत. जेवरातों का 12.03 प्रतिशत. बिस्तर तथा बिछौनों का 64.7 प्रतिशत. और 6.65 प्रतिशत हैण्ड पम्प का स्थान रहा हैं पशुसम्पत्तियों का प्रति परिवार औसत मूल्य 4533 रुपये का रहा हैं । जिनमें दूध देने वाली गायों का स्थान प्रथम है. जो कुल पशु सम्पत्तियों का 43.77 प्रतिशत और दूसरे स्थान कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले बैलों का 19.43 प्रतिशत रहा हैं। कृषि सम्पत्तियों का प्रति परिवार औसत मूल्य 183539 रुपये का रहा हैं. जिसमें सबसे अधिक महत्व पम्पिंग सेटों का है. जो कुल कृषि सम्पत्तियों का मूल्य का 32.72 प्रतिशत रहा है। बैलगाड़ी का क्रम दूसरा. जो कृषि सम्पत्तियों के मूल्य का 20.40 प्रतिशत रहा हैं। कृषि सम्पत्तियों का प्रति व्यक्ति औसत मूल्य 298 रुपये का था. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बैलगाड़ी रही है।

जहां तक परिवारों का दायित्व का प्रश्न है. इन परिवारों में प्रति परिवार 3192 रुपये का ऋण प्रति परिवार लगा हुआ है। कुल दायित्व में पुराना लगा हुआ ऋण का दायित्व कुल दायित्व का 57.79 प्रतिशत रहा है. जो न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों के कुल दायित्व का 70.62 प्रतिशत रहा हैं वर्तमान लिए गये ऋणों में यह बात पायी गयी थी कि प्रति परिवारों के वर्तमान ऋणों में 29.5 प्रतिशत ऋण उत्पादक कार्यो के लिए गयें है। जिसका अर्थ है कि अभी भी 70 प्रतिशत ऋण उपभोग उद्देश्यों के लिए किये जा रहे हें उत्पादक ऋण अधिकांश उच्च आय वर्ग के परिवारों द्धारा लिया जा रहा है। और उपभोग ऋण अधिकांश मध्यम आय वर्ग के परिवारों द्धारा लिया जा रहा है कुल परिवारों में 88 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त है। निम्न आय़ वर्ग के 90 प्रतिशत तथा उच्च आय वर्ग के 83 प्रतिशत परिवार

ऋणी है। इन परिवारों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में अभी भी महाजनों द्वारा लिये गये ऋणों का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवारों द्वारा 62.58 प्रतिशत ऋण महाजनों द्वारा ही प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार कुल परिवारों का 4/5 भाग ऋण ग्रस्त हैं । इस ऋण में भविष्य में बढने का अनुमान लगाया जा सकता हैं. क्योंकि इन परिवारों की आय उपभोग व्यय की तुलना में कम रही हैं. जब तक इनके आय स्तर में अधिक तीव्रता से वृद्धि नही की जाती हे तब तक ऋण ग्रस्तता समाप्त नही हो सकती हैं।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के आर्थिक सामाजिक जीवन में सुधार के लिए जो भी कार्यक्रम चलाये गये हैं. उनका प्रभाव आंशिक तथा अल्पकालीन रहे है और जिन परिवारों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाये जाते है। उनको आर्थिक दशायें लगभग समान बनी हुयी है। ऐसी स्थिती में ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगार और गरीबी की समस्या हल होने की आशा बहुत ही कम प्रतीत होती है। इसीलिए अर्थशात्री गरीबी उन्मूलन के लिए पुर्नविचार का प्रश्न उठाने लगे है। इस सम्बन्ध में विकास के सिद्धान्तों के प्रवर्तको में लिबस्टीन (Leibenstein) तथा नेलशन के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि अल्पविकसित देश या उसमें रहने वाले परिवार न्यून आय स्तर संतुलन जाल में फसे हैं। इन्हे इस स्थिति से निकालने के लिए एक न्यूनतम स्तर के प्रयास की आवश्यकता है. पर इसके लिए रोजेनस्टीन रोडान के बड़े धक्के का सिद्धान्त सबसे उपयुक्त माना जा सकता है और इन परिवारों को गरीबी के जाल से निकालने में एक बड़ी मात्रा में विनियोग के साथ साथ कुशल प्रशासन की भी आवश्यकता के महत्व को व्यक्त किया जा सकता है।

सुझाव

बैंको की उन्नति का आधार ऋणों की सामाजिक मांगो के अनुरुप बसूली हें क्योकि ऋण वसूली पर ही ऋण वितरण उत्पादन ओर भण्डारण आदि निर्भर करते है ऋणों को उसकी आवश्यकता तथा क्षमता के अनुरुप ऋण प्रदान करना तथा समय से ऋण की वसूली करा एक दूसरे के पूरक कार्य है ऋणों की अवधि पार हो जाने के बाद प्रभावी कार्यवाही हेतु ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौप दी जाती है और बैको की ऋण वसूली राजस्व विभाग को सौपनें के बाद राजस्व विभाग ऋणीकर्ता ऋण एवं ऋण पर लगे व्याज की टोटल धनराशि के साथ 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज अतिरिक्त वसूली करता है न देने पर उसे हवालात मेब न्द कर देता है ओर उसके न चुकने पर साहूकार या महाजन उसकी सम्पत्ति पर कव्जा **कर लेते है या अपने परिवार का आर्थिक विकास नही कर** पाता है।

बैंको की सफलता वास्तव में सरकार की उपलब्धि है अगर सही समर्थसन मिले लोच सहित दृष्टिकोण अपनाया जाये तो सरकार की कोशिश सफल हो सकती है सरकार के पास सर्वाधिक संसाधन है और वह ग्रामीण विकास की सबसे बडी प्रेरक शक्ति बन सकती है जरुरत है सिर्फ कुछ नीतियों में परिवर्तन करने की ओर उसकी के अनुरुप इच्छाशक्ति तथा राजनैतिक नेतृत्व औश्र सकारी तंत्र है स्तर पर कठिन परिश्रम करें अगर सही माहौल समर्थन और मार्गदर्शन मिले तो कृषक और समाज विकास और परिर्वतन के पथ पर चलने के इच्छुक है बैंको झॉसी की उपरोक्त एवपं अन्य समस्याओ के सामाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं

1. ऋण वसूली को कारगर बनाने के लिए समयवृद्ध कार्य योजनानुसार कार्य कारना होगा

जैसे

क) ऋृणी बार क्षेत्रवार बकाया मांग सूचियों का संकलन करना ।

ख) क्षेत्रवार तथा शाखावार ऋण वसूली के लक्ष्य का निर्धारण करना।

ग) जनपद क्षेत्र की वसूली टीम बनाना।

ध) लक्ष्य पूर्ति की त्रैमासिक तथा तदनुसार कार्यवाही करें कार्यवाही केवल पत्रों द्धारा करने तक सीमित न रहे बल्कि ऋणकर्ता के पास वसूली की टीम स्वय मौके पर जाकर ऋणी कर्ता से मिले और ऋण की किश्त जमा करने के लिऐ प्रेरित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि ऋण कर्ता ने जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया है उसी में प्रयोग किया है अथवा नही और समस्त निरीक्षण की रिपोर्ट उस क्षेत्र के शाखा प्रबन्ध को लिखित रुप से तथा किश्ते न जमा करने का कारण भी दें।

यदि इसके बाद भी ऋण की किश्त जमा नही होती है तो बैंक को केवल उतनी ही किश्तों की धनराशि की वसूली राजस्व विभाग को सौपा देना चाहिए जबकम रुपयों कि वसूली होगी तो आसानी से वसूली हो जायेगी । इसमें न ऋणी का साहूकार या महाजन से ऋण लेना पडेगा और न ही बैंको की वसूली में इसी प्रकार की नीति अपनायी जाना चाहिए जब तक ऋण की पूरी धनराशी जमा नही हो जाती

2. भारत सरकार ने खासकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से लाभान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुदानित योजनाओ के लिए ऋण

वितरण करने में लक्ष्य अवधि निश्चित की है। तथा प्रतिभूति नही ली जाती है अनुदानित ऋणों के लाभार्थियों का सबसे ज्यादा ऋण बाकी है उनकी वसूली अनुपा भी सबसे कम हैं इस प्रकार वसूली को कारगर बनाने के लिए नियमों मे परिवर्तन करना होगा। जो निम्नवृत है।

क) ऋणो पर अनुदान की अपेक्षा व्याज पर अनुदान दिया जाना चाहिए जिसके आर्कषण से ऋण वसूली पर प्रभाव पडेगा और अच्छे परिणाम सामने आयेंगे तथा ऋणो की आदायगी नियमित रुप से होगी।

ख) ऋण के विरुद्ध प्रतिभूति अवश्यक ली जावें ताकि ऋणी कर्ता को ऋण चुकाने की चिन्ता रहे।

ग) ऋण देने से पूर्व ऋणों का निरेक्षण साक्षात्कार तथा ऋण वसूली का आकलंन अच्छी तरह से कर लेना होगा।

घ) ऋण वितरण के बाद मौके पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए ऋण कर्ता ने जिस उददेश्य के लिये ऋण लिया है वह कार्य कर रहा है अथवा नही यदि नही कार्य कर रहा तो तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करना चाहिए उसकी पूरी रिर्पोट बनाकर शाखा प्रबन्धक को देनी चाहिए ऋणीकर्ता से सम्पर्क करें तथा ऋण की किश्त जमा करने के लिए प्ररित करें और इसके बाद भी आती तो बैक उतनी ही किश्तो की वसूली विभाग को सौप देना चाहिए बैंक को इसी प्रकार की निति अपनानी चाहिए जब तक ऋणी को पूरी धनराशि जमा नही हो जाती हैं।

3. बैको की ऋण योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर यह सुनिशचित करना चाहिए कि क्षेत्र में कृषि से सम्बधिंत तथा अन्य

योजनाओ द्वारा किस किस कार्य हेतु ऋण की आवश्यकता है और किस क्षेत्र में ऋण वितरण उपयोगी होगा पात्रो की गहन जॉच एवं ऋण वसूली का आंकलन किया जाना आवश्यक है।

4. बैको की आय मुख्य व्यवसाय से होती हैं बैको द्वारा अधिकांश ऋण कृषि क्षेत्र को आवटित है जिन पर व्याज की दर सामान्य रुप से कम है अतः व्यय की अपेक्षा आय में वृद्धि करने के लिए व्यवसायिक बैंको की भातिं सभी प्रकार के व्यवसायिक बैंको को ऋण मे निवेश कर सकें तथा अपनी निधियों को अधिक लाभप्रद एवं सुरक्षित ऋण वितरण मे प्रयोग कर सके इसके अतिरिक्त व्यय मे कमी करने हेतु आवश्यक है कि बैंक प्रशासनिक व्यय में कटोती करने हेतु ठोस उपाय अपनायें।

5. बैंको द्वारा कृषि ऋण पर व्याज की दरें कम होनी चाहिए किसानो के विभिन्न वर्गो के लिए व्याज की अलग –अलग दरें होनी चाहिए छोटे व कमजोर किसानो को ऋण देते समय इस बात का घ्यान रखना चाहिय कि कृषको के ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है आकंलन करना चाहिए और उसी के अनुरुप ऋण की वापसी की समय सीमा किश्तें निर्धारित करना चाहिए।

6. बैको की शाखाओं का विस्तार जो कुछ ही क्षेत्रो / प्रांन्तो तक सीमित है बैंक के कार्यक्षेत्र की सीमा का विस्तार किया जाना चाहिए जनपद से बाहर ड्राफ्ट मेल ट्रान्सफर की सुविधा की जा सकें बिलों के भुगतान क्रडिट कार्ड खाता ट्रान्सफर आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु इसे रिर्जव बैंक आफ इण्डिया द्वारा अधिकृत करना

चाहिए इसके फलस्वरुप बैंक का व्यवसाय बढने के साथ साथ ग्राहको को सुविधा मिलेगी।

बैंको की प्रबन्ध व्यवस्था सूचना प्रणाली तथा कार्यप्रणाली के आधुनिकी की आवश्यकता है बैको की शाखाओं से सूचनायें संकलित करने तथा उन्हे सूचनों प्रेषित करने के लिए नवीनतम तकनीकी इन्अरनेट का प्रयोग करना चाहिए । कम्प्यूटर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण उपकरण है इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा क्षेत्र की समस्त ग्रामीण शाखाओ का कम्प्यूटरी कृत होना चाहिए तथा सुव्यवस्थित ढंग से आकंडो का संकलन एवं विश्लेषण भी किया जाना चाहिए।

8. बैको को छोटे व सीमान्त किसानों को कुछ ऐसे कार्य कारने पडते है जो उन्हे ऋण के लिए बाध्य करते है उदाहरणार्थ सामाजिक रीतियो के अनुसार शादी व्याह चिकित्सा व्यय मृत्यु आदि व्यय के लिए खर्च करने पड़ते है सामाजिक और धार्मिक उत्सव हमारे गॉव के जीवन का महत्वपूर्ण अगं है इन पर किया जाने वाला व्यय किसानों को परामर्श देने से आसानी से कम नही किया जा सकता वास्तव में इसके लिए कुछ न कुछ संस्थात्मक वित्त प्रबन्ध करना चाहिए। शादीयों मृत्यु धार्मिक खर्चो चिकित्सा व्यय शिक्षा आदि के लिए ग्रामीण बैंको ऋण उपलब्ध करना चाहिए ताकि लोगो को बंधुआ मजदूर बनने से रोका जा सकें।

9. बाढ या सूखा जैसी प्राकृतिक विपादाओं के कारण ऋण वापसी में चूक होने पर फसलों हेतु दिये गये ऋणों को 3 से पॉच वर्ष तक सार्वधिक ऋणो में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सार्वधिक ऋण

हो तो उसके चुकाने का समय बढाना चाहिए अथवा उसे नये सिरे से चरणबद्ध किया जाना चाहिए।इसी प्रकार प्राकृतिक विपदाओ के सताये उधार कर्ताओं के मामले में प्रतिभूति की मूल्य से अधिक ऋण की रकम को ऐसे सार्वधिक ऋणो में परिवर्तन किया जाना चाहिए जो एक उचित अवधि में प्रति संदेह हो इसके अतिरिक्त कार्यवाही पूजी भी उपलब्ध करानी चाहिए और सार्वधिक ऋणों के अर्न्तगत देय किश्तो का समय बढना चाहिए या उन्हे सिर से चरण बद्ध किया जाना चाहिए।

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के प्रवर्तक बैंक पंजाबनेशनल बैंक अपनी ग्रामीण शाखाये इन बैंको के क्षेत्रो मे चला रहे है इस कारण कई प्रकार के नियन्त्रण एवं प्रशासन पर होने वाले परिहार्य व्यय कम किये जा सकते है। ग्रामीण क्षेत्र में वाणिज्य बैंको के कार्य को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सौप देना चाहिए।

11. बैंको की सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को सरल कारगर बनाया जाये स्थानीय लोगो की वरीयता दी जायें तथा स्टाफ को ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाये तो बैंक के लिए उपयुक्त तथा ग्रामीण विकास की आधारशिला होगी।

12. बैंक कर्मचारियों को लगन निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसंगतियों सुविधाओं एवं प्रोन्नित सम्बंधी समस्याओ का निदान करना चाहिए ताकि वे सही दिशा मे कार्य करें एवं जनता में बैंक की साख रखें ।

13. प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सेमिनारो तथा ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण विकास कार्यक्रमो तथा गरीबी उन्मूलन की अवधारणा के बारे मे जानकारी दी जाये तथा इसकी आवश्यकता के बारे मे उत्साह पैदा किया जायें तथा अपने कार्यक्षेत्र मे अधिक से अधिक बचतो को अपनी और आकर्षित करें।

14. बैंक में स्टाफ की संख्या का निर्धारण उस शाखा के निक्षेपों ऋण व्यावसायों की मात्रा या सक्रिय खातों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए तथा समय समय पर उसकी पुनः समीक्षाकी जानी चाहिए।

15. बैंको को केवल संस्थागत श्रोतों से ही ऋण उपलब्ध होना चाहिए गैर संस्थागत स्त्रोतोपर ऋण सम्बधी निर्धरता समाप्त होनी चाहिए संस्थागत ऋणों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि धनी एवं निर्धन दोनो प्रकार के किसान इससे लाभान्वित हो सके और इसके द्धारा कुशलता व उत्पादकता को बढाना चाहिए।

उपरोक्त उपायों को क्रियान्वित करने हेतु बैको को अपनी उपविधियों मे उचित परिवर्तन करना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैक तथा नाबार्ड बैकं एवं प्रवर्तक बैक से अनुमोदन भी कराना होगा यदि इन उपायों पर सही ढगं से अमल किया जाये तो बैक ऋण वितरण में तथा ऋण वसूली के क्षेत्र मे अच्छी प्रगति कर सकेगा बैक कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढेगी तथा बैंक के कारोबार एवं लाभ मे आपेक्षित वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झॉसी जनपद मे ग्रामीण बैंक का प्रतिनिधत्व करता हैं इस बैक की कार्य प्रणाली के बारे में ग्रामीण जनता से एक

सैम्पल सर्वेक्षण किया गया जिसमे जनपद के चारों व्लाक से दस दस ग्रामो का एक प्रतिचयन यादृचिछक आधार पर लिया गया जिससे कई रोचक तथ्य बैक की कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में प्राप्त हुये उनमे से कुछ प्रमुख इस प्रकार है।

1. नमूने में चुने गये लोगो में से 90 प्रतिशत का मानना था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और अन्य व्यवसायिक बैको मे नाम के अलावा क्या अन्तर है इन बैको को खोलने का क्या उद्धेश्य है इस सबकी जानकारी उन्हे नही है इसके स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता को प्रचार प्रसार कार्याप्रणाली इत्यादि से अपने लक्ष्य उद्देश्य को स्पष्ट करने मे सफल हुये प्रतीत नही होते है।

2. नमूने / प्रतिदर्श मे चुने हुये लोगो मे से 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता का मानना था कि बैको को ग्रामीण कृषको को कृषि ऋण के साथ ही साथ कम व्याज दर शादी व अन्य धार्मिक रीति रिवाजों को सम्पन्न करने हेतु ऋण देना चाहि जिससे कि वे साहूकार व महाजनो के चंगुल मे न फसे इस हेतु वे प्रतिभूति के रुप मे कृषि भूमि व अन्य अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति की बात भी करतें है मेरे स्वयं के विचार से भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक जनता को यह लाभ दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण महाजनो के जाल मे न फस सके व आर्थिक उत्पीडन की पीड़ा से मुक्ति पा सके।

3. नमूने प्रतिदर्श मे चुने हुये लोगो मे 60 प्रतिशत लोग समय पर अपना ऋण चुकाते पाये गये जबकि 40 प्रतिशत समय पर ऋण का भुगतान नही कर पाये जबकि उनका आर्थिक स्तर नियमित भुगतान करने वालो की तुलना मे किसी भी दृष्टि से कमजोर नही था बल्कि इस 40

प्रतिशत से लगभग 30प्रतिशत लोग राजनैतिक दृष्टि से किसी न किसी दल से सम्बन्धित रहे है व ग्रामीण पंचायतो मे प्रतिनिधित्व भी करते है या किया है इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि राजनैतिक दृष्टि से प्रभाशली लोग बैंक ऋण का नियमित भुगतान करने हेतु ज्यादा सचेष्ट नही होते शायद वसूली से सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी उन पर अपना दबाब बनाने मे कामयाब नही हो पाती है।

4. प्रतिदर्श के लोगो में लगभग 90 प्रतिशत की राय में कृषि के विकास हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को श्रेष्ठतम मानते हैं।

5. सर्वेक्षण के दौरान अधिकाश ग्रामीण ने स्वीकार किया है कि विभिन्न योजनाओ हेतु ऋण के लिय बैंक द्धारा पूर्ण करायी जाने वाली प्रक्रिया अनपड ग्रामीण कृषकों से बाहर है। साथ ही बैक स्टाफ कार्यवाही मे अनावाश्यक दरी करते है। यद्यपि उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि कई बैंक अधिकारी उन्हे अच्छी प्रकार से सलाह मशविरा देते है परन्तु कागजी कार्यवाही को प्रक्रिया का अंग बता कर आवश्यक मानते है

6. प्रतिदर्श के लोगो मे 70 प्रतिशत अपनी जरुरतो के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व अन्य बैको के अतिरिक्त अपनी अन्य अनुत्पादक आवश्यकताओ की पूति हेतु साहूकार / महाजन अपनी निकटतम आर्थिक रुप से सम्पनन रिश्तेदारों से ऋण प्राप्त करते है।

7. प्रतिशत में 80 प्रतिशत लोगो का मानना था कि बैंको को स्वंय समूहो के माध्यम से गरीबी हटाने हेतु योजनाओं के लिए पर्याप्त ऋण देना चाहिए तथा उनकी उचित मोनीटरिंग रखनी चाहिए।

8. समय दृष्टि कोण अधिकांश लोग बैको की कार्यप्रणाली से संतुष्ट दिखे लेकिन साथ ही कमियो के बारे मे जिनका कि मै इस अध्याय से उल्लेख कर चुका हूँ अपनी बेवाक राय से इस अध्याय का सार्थक रुप प्रदान करने मे मेरी मदद की।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कि झाँसी मे आधार भूत संरचना का विवेचना किया है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि झाँसी जनपद में आधारभूत संरचना तो है प्रगति अत्यन्त धीमी है यही कारण है कि जनपद मे आज भी अशिक्षा गरीबी , बेरोजगारी व आर्थिक असमानता निम्न स्वास्थ्य दशायें व उद्यमिता का अभाव स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है इन सम्बन्ध मे जहा तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के योगदान का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध मे समस्त सरकारी विभागों के दोष बैकिग प्रणाली मे भी आ गये है बैक अधिकारियो /कर्मचारियों व नागरिको का सहयोग नही हो अतः इस दिशा मे सरकार को व समाज के सदस्यो को ठोस शुरुआत करनी होगी व इन बैको को क्षेत्रीय जनता की मांग व आवश्यकता के अनुसार ऋण योजना बनाने व उसके अनुसार वित्त पोषण करने के मामले मे पूर्ण स्वायत्ता दी जानी चाहिए तथा अन्य प्रकार की शक्तियों बाहरी व राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

- Adeyokunna , Tamulaya , Woman and Rural Development in Africa .
- Agawal ,B., Women Poverty and Agriculture Growth in India.
- Agrawal, A . N ., Indian Agriculture, Delhi, 1981.
- Agrawal, A.N., A Portrait of Nationalised Banks, Inter India Publication, 1979.
- Ahlerwalia, G.S: Role of Banks in Rural Development, Kitab Mahal, Allahabad, 1983
- Alam ,Sultan and, Carol Wolkowitz, Women Poverty in Bangladesh.
- Allen Sheila , Carol Wolkoitz, Home Working and the Control of Women's Work
- Anand, S.C. & Jagat Ram, Handbook on Regional Rural Banks concepts and operations, Vision Books, 1989.
- Arora, R. C., Integrated Rural Development. S. Chand and Company, New Delhi.
- Arora, R.C.: Integrated Rural Development, S. Chand & Sons., New Delhi, 1979
- Balkrishna R., Studies in Indian Economic Problems Banglore, 1959
- Bandopdhya, Bella, The Value of Women's Daily Chores.
- Bardhan , P . "Green Revolution and Agricultural Laborers" Economic and Political Weekly Vol. Nos. 9 30 and 31, Special Number, July 1970.
- Bardhan , P . "Green Revolution and Agricultural Labourers" Economic and Poltical Weekly, Vol. V. Nos. 9, 30 and 31, Special Number, July 1970.
- Basu S.K.: Commercial Banks and Agricultural Credit, Allied Publishers Pvt. Ltd. New Delhi, 1980.
- Basu, S.K.: Theory & Practice of Development Banking, Asia Publishing House, New York, 1965.
- Bedi, H.L.& Others: Theory & Practice of Banking, Jeevandeep Parkashan, Nagpur, 1984.

- Belshaw, Horace: Agricultural Credit is Economically underdeveloped Countries, FAO, Rome: 1965.
- Bhagwan Sahai Mudgal: Political Economy in Ancient India, Kishore Publishing House Kanpur, 1960
- Bhalla , G, S. Changing Agrarian Structure ,in India : A Study of the Impact of Green Revolution of Haryana, Meenakshi Prakashan ,(Meerut - Delhi1974).
- Bhalla , G. S. and. K. Chadda . Structural Changes in Income Distribution: A Study of the Imact of Green Revolution in Punjab, "Jawaharlal Nehru University, Unpublished Report (New Delhi , 1981)
- Bhalla , G. S. Changing Agrarian Structure in Indian: A Study of the Impact of Green Revolution In Haryana , Meenakshi Prakashan,(Meerut –Delhi 1974).
- Bhalla ,G. S. and. K. Chadda . Structural Change in Income Distribution A Study of the impact of Green Revolution in Punjab, "Jawaharlal Nehru University, Unpublished Report (New Delhi, 1981) .
- Bhatt, N.S.: Aspects of Rural Banking, Commonwealth Publishers, Delhi, 1988.
- Bhatti , I. Z. "Inequality and Poverty in Rural India, "Sakhya ,Vol . 36, Series C 1974
- Bilgrami, A.R.: An Introduction to Agricultural Economics, Himalaya Publishing House, Bombay, 2000.
- Chattopadhyay , M . II Some Aspects of Employment and Unemployment In Agriculture "Economic Political Weekly Vol . XII , No. 39, 24 Sept 1977 .
- Chaubey, B.N.: Agricultural Banking in India, National Publishing House, New Delhi, 1994
- Chaudhari, Pramit, The Indian Economy: Poverty and Development, Vikas Publishing House' Pvt. ltd. (New Delhi, 1979).
- Chaudhary, P. C. , Bihar District Gazetteers , Muunger , 1960 .
- Chauhan, D.S.: Agricultural Economics, Laxami Naryan Agrawal Edu. Pub. Agra, 1953.
- Chawla, A.S.: Nationalisation and Growth of Indian Banking, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1986.

- Choubey, B.N.: Institutional Finance for Agricultural Development, Subhada Saraswat, Poona, 1977
- Cohen, R.L.: The Economics of Agriculture, Cambridge University Press, 1956
- Dang, A.K.: Bank Credit in India, Classical Publishing Company New Delhi, 1986
- Daniel Thoner: Agricultural Cooperatives in India, Asia Publishing House, Bombay, 1964
- Dantwala, M. L. Poverty in India then and Now, Macmillan Company of India (Delhi; 1973).
- Datt, Guru: Indian Banking Past & Present, Self-Publishers, Lucknow, 1960
- Datta, Rudra, Sundaram, K.P.M.: Indian Economy, S.Chand & Co. Ltd. New Delhi, 1990
- Desai V.R. & Mutalik, Banking Development in India, Himalaya Publishing House, Bombay, 1967.
- Desai, B.M.: Institutional Finance for Agriculture, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1996.
- Desai, S.S M.: Rural Banking in India, Himalaya Publishing House, Bombay, 1986.
- Desai, Vasant: A Study of Rural Economics, Himalaya Publishing House, Bombay, 1990
- Desai, Vasant: India Banking (Nature & Problems), Himalaya Publishing House, Bombay, 1991
- Dewet, Kewal Krishanan, et. Al: Indian Economics 22nd (ed.) S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1972
- Dhingra, I.C.: Rural Banking in India, Sultan Chand & Sons, New Delhi, 1994
- Dwivedi, d. N., Economic Concentration and Poverty in India, Datta Book Centre (Delhi, 1974).
- Eicher, C and Witt, L. (Ed.): Agriculture in Economic development, Mc. Grow Hill, Book Company, New York, 1964.

- Etienne, Gilbert: Studies in Indian Agricultural art of the possible, Oxford University Press, Bombay, 1968.
- Ezekiel, H. (Ed.): The Economics Times Statistical Survey of the Indian Economy, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd., New Delhi, 1990.
- Foneseca, A. J. (Ed.), Chal lenge of Poverty in India, Vikas Publications (Delhi, 1972).
- Garg J.S. et al "Impact of High Yielding Varieties of Crops on Patterns of Income Distribution", Indian Journal of Agricultural Economics, vol. XXV, No.3, Conference Number, July-Sept. 1970.
- Garg, J.S. and H. L. Srivastava, "Income Savings and Investment in the Context of Modern Farm Technology", I Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVII, No.4, Oct. Dec. 1972.
- Garg, J.S. et al.' Impact of Modern Technology on Rural Unemployment" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 27, No.4, Oct.-Dec. 1972.
- Garg, K.N.: Money, Banking, Trade & Finance, Kitab Mahal, Allahabad, 1977.
- Ghatak Subrata: Rural Money Market in India, Macmillian Co., New Delhi, 1976.
- Ghosal, S.N.: Agricultural Financing in India, Asia Publishing House, Bombay, 1972.
- Ghosh, Alank: Indian Economy, it nature & Problems, The World Press Pvt. Ltd., Calcutta, 21st C, Nov. 1977.
- Gill, M.S.: Agricultural Cooperatives, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1983
- Government of India, Agricultural Situation in India, Sept. 1980, New Delhi.
- Government of India, Report of the National Commission on Agriculture, Part XV (New Delhi, 1976).
- Government of India, Statistical Abstract of "India, New Delhi for various years.
- Goyal, K.G.: Rural Development and Banks, Prateeksha Publication, Jaipur, 1987
- Grewal, P.S.: Rural Banking in India, Kalayani Publishers, New Delhi, 1993

- Grewal, S. S. and H.S. Bal "Impact of Green Revolution on Agricultural Wages in the Punjab", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 39, No.3, July-Sept. 1974.

- Grover,D. K. and K. N. Rai. "Effects of the Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana". Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 29, No.3, July-Sept. 1974.

- Grover,D. K.and K. N. Rai. "Effects of the. Agricultural Revolution on the Agricultural and Industrial Labour in Haryana." Indian Journal of Agricultural.

- Gupta, Ajit Das: Agriculture & Economic Development, Associated Publishers, New Delhi, 1973

- Gupta, S. Das, A. S . Maiti , Rural Energy Crisis Poverty and Women Role in Five Indian Villages.

- Jindal, F.R. "A study of the Nature of Rural Poverty in the Wake of Agricultural Development in Punjab", a Ph.D. Thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 1979.

- Jules , Wage Determination - An Analysis of Wage Criteria, New York, 1959 .

- Kahlon, A.S. & Singh, Karam: New Directions in Agricultural Credit System & Rural Finance Market, Allied Publishers Ltd. New Delhi, 1992

- Karla, M.L.: Banking in the Twenty first Century: Challenge & opportunities, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1988

- Khaund, H.P. "Changes in Income Distribution Pattern and their significance in 'a Society in Transition" , Indian Journal. of Agricultural Economics, Vol. 25, Conference. Number, 1972.

- Khusro, A.M. (Ed.): Reading in agricultural development, Allied Publishing Pvt., Ltd. Bombay, 1968

- Kumar, Jyoti: Integrated Rural Development Perspectives & Prospects, Mittal Publications, Delhi, 1987

- Kumar, Kenwal: Institutional Financing of Indian Agriculture with special reference to Commercial Banks, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1987

- Laxminarayan, H. "Changing Conditions of Agricultural Labourers " Economic and Political Weekly, Vol. XII- No. 43, 22 oct. 1977.

- Lee, Virgil, P.: Principles of Agricultural Credit, Mc. Graw Hill Book Co. Jan. New York, 1930
- Lenin, V. I. The Development of Capitalism in Russia, Progress Publishers (Moscow, °1977).
- Maheshwari, S.R: Rural Development in India, Sage Publications, New Delhi, 1985
- Malhotra, V . K. Bihar Minimum Wages Manual 1985 , Malhitra , Brothers, Patna
- Mamoria, C.B.: Rural Credit & Agricultural Cooperation in India, Kitab Mahal, Allahabad, 1983
- Mathur & B.L. & Singh Bhagirath (Ed.), Experiences of Banking in Rural Development, RBSA publishers, Jaipur, 1995
- Memorial, C . B. , Agriculture Problems of India, Allahabad 1960.
- Minhas" B.S. and T. N. Srinivasan. "New Agricultural Strategy Analyzed " Yojna, 21 January 1966.
- Misra S.K. & Puri V.K.: Indian Economy, Himalaya Publishing House, Bombay, 1983
- Mohideen, Udumah D.S.S.: Institutional Credit and Agricultural Development Mittal Publications, New Delhi, 1991
- Mukherjee , R. K. , Land Problems of India 1933 . London
- Murray, William, G.: Agricultural Finance-Principles & Practices of Farm Credit, Iowa: the Iowa: State College Press, Ames, 1953.
- Murthy. N.L. & Naryana K.V.: Rural Economy of India, Mittal Publications, New Delhi, 1989
- Nabhi's Ninth Five Year Plan 1997-2002, Vol. II, A Nabhi Publication, New Delhi.
- Nag, Das, Problems of Underdevelopment Economy, Agra, 1962.
- Naidu, L.K. (Ed.): Bank Finance for Rural Development, Ashish Publishing House, New Delhi, 1986
- Nakkiran, S.: Agricultural Financing & Rural Banking in India-An Evolution, Rainbow Publication. Coimbatore, 1980
- Namekar , K . R . and Khandelwala, S. V. , Bhoodan and The Landless, Bombay

- Nanawati & Anjaria: Indian rural problem, Indian Society of Agricultural Economic, Bombay, 1970
- Narayan Kamal: Commercial Banking in India-Performance Evolution, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1986
- Narula, R.K.: Agricultural & Rural Advances by Commercial Banks, V.D.H. Publishers, Delhi, 1984
- Panandikar S.G. and Mithani B.M.: Banking in India, Orient Longman, Calcutta, 1975
- Panikar, P.G.K. "Employment, Income and Food Intake among Selected Agricultural Labour Households," Economic and Political Weekly, Vol. XII, Nos. 31, 32 and 33, Special Number, August, 1978.
- Panini , M. N. , Women Workers in the Unorganized Sector A Study of the Effects of Endustrialisation in India.
- Pischke, J.D. Von, et al., Rural Financial Markets in Developing countries, The Johns Hepkins University Press, London, 1983
- Prakash, Brahm , Education and Rural Development National, Institute of Education , Delhi , 1984.
- Prasad , K . N . , Economics of a Backward a Backward Economy, Calcutta Region tn , 1967.
- Prasad, Ravindra: Cooperatives & Rural Development Osmania University, Hyderabad, 1978
- Puri , V .K .and Mishra, S.K., Indian Economy, Bombay, 1983.
- Ranga, reddy, A.: Agricultural Development Rural Credit & Problems of its Recovery, Mittal Publications, New Delhi, 1990
- Rao , C. Rajeshwar Sen , Problems of Indian's Agrarian Sector, 1970.
- Rao, Ramachandra B.: Current Trends in Indian Banking, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1984
- Rao, V.G. and Malaya, Pramajit, Role of Commercial Banks in Agricultural Development, Ashish Publishing, New Delhi, 1980
- Rao, V.M. Rural Development and the Village-Perspectives for Planning and Development, Sterling Publishers Pvt. Ltd. (New Delhi, 1980).
- Rathod S.C.: Urban Cooperative Banks Role and Development in India with Reference to Gujarat : University Publication Sales Unit, Baroda, 1982

- Ray t A. An Aspect of Agricultural Income Distribution Pattern in Dynamic Rural Economy I" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol., XXV, No.3, July-Sept. 1970.
- Rayini : Agricultural Credit-In the year Book of Agriculture, USA, T.M. Vohra Publications & Distributors, Allahabad, 1988
- Rayudu, C.S.: Rural Credit in India, Mittal Publications, New Delhi, 1995
- Reddy, A Ranga: Agricultural Development Rural Credit Problems of its Recovery, Mittal Publications, New Delhi, 1997
- Reddy, A. Vinayak: Modernization of Indian Agriculture, Mittal Publications, New Delhi, 1991
- Reddy, B.D.: Bank Finance to Farm Sector in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1990
- Rudra Ashoka: Indian Agricultural Economics, Allied Publishes, New Delhi, 1983
- Sadhu, A. N. and A. Singh. "Agricultural Growth and Farm Employment, " Indian Journal of Labour Economics, Vol. XXI, No.4 (1), Jan. 1979.
- Sahela, Begum, Martin Greely, Women's Employment In Agriculture.
- Sahultz , T . W., The Production and Distribution of Agriculture Chicago, 1981.
- Saini, G. R. "Economics of Farm Management," a Ph.D. thesis, University of Delhi, 1973.
- Saini, G. R. "Green Revolution and the Distribution of Farm Incomes", Economic and political Weekly, Vol. XI, No. 13, 27 March, 1976.
- Sandhu Baldev S.: Banking & Rural Development (Promise & Performance) Deep & Deep Publications, New Delhi, 1996
- Sankaram, S.: Agricultural Economy of India, Bombay, 1979
- Sau, R.K.: Indian economic Growth Constraints & Prospects, Calcutta, 1973
- Schulter. M. and W. John Mellor. "New Seeds Varieties & the Small Farmers, "Economic and Political Weekly, Vol. VII, NO. 13, 25 March, 1972.

- Sen, A. "Poverty: A Ordinal Approach to Measurement", Econometric, Vol. 44 No.2, March 1976.
- Shah, S. L. and R. C. Aggarkar. "Impact of l' Technology on the Levels of Income, Pattern of Income Distribution and Savings of Farmer in Central Uttar Pradesh" Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXV, No. July Sept. 1970.
- Shan, C.H. (ed.): Agricultural Development of India (Policy & Problems) Orient Longman Publishers Bombay, 1979.
- Sharma, A. C. et aI, "Impact of High Yielding Variety of Crops on Pattern of Income Distribution Indian Journal of Agricultural Economic: Vol. 25 No. 3, Conference Number, July-Sept 1970.
- Sharma, B.P : Role of Commercial Banks in India's Developing Economy, S. Chand & Company, New Delhi, 1974
- Sharma, N.K.: Rural Economics, RBSA Publishes, Jaipur, 1995
- Shivarh, M., Delivery system for Rural Development NIRD, Hydrebad.
- Shrivastava, D.S.: Agricultural Economics, Rewat Publications Jaipur, 1996
- Shukla, Tara (Ed.): Economics of Underdeveloped Agriculture, Vora & Co. Publishers Pvt. Ltd. Bombay, 1969
- Singh, Ajit: Rural Development & Banking in India: Theory & Practice, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1985.
- Singh, Amarjit & Sadhu, A.N. Agricultural Problems in India, Himalaya Publishing House, Bombay, 1991
- Singh, et. al "impact of New Agricultural Technology and Mechanization on Labour Employment," Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. XXVI] ~o. 4 Oct.-Dec. 1972.
- Singh, Hoshiyar (Ed.): Rural Development in India, Print well Publisher, Jaipur, 1985
- Singh, J.P.: Role of Institutional Finance in Agriculture, Ashish Publishing House, New Delhi, 1988
- Singh, Maninder , the Depressed Classes, Their Economic and Social Problems, Bombay , 1947
- Singh, Mohinder: Anatomy of Integrated Rural Development, Mittal Publications, New Delhi, 1994

- Sinha K.B.: Cooperation in India United States of America, National Cooperative Printing Press, New Delhi, July, 1974
- Sinha, S.L.N. (Ed.): Reform of the Indian Banking System, Orient Longman Limited, Madras, 1972
- Srivas, M.N.: Indian Villages, Asian Publishing House, 1960
- Steve John, et.al.: Rural Poverty & Agrarian Reforms, Allied Publishers Pvt. Ltd. New Delhi.
- Subrahmanya, K.N.: Modern Banking in India, Deep & Deep Publications, New Delhi, 1985
- Sukhatme , P. V. Feeding India's Growing Millions, Bombay , 1965.
- Suneja, H.R., Banking leading to Priority Sectors-Principles & techniques
- Swamy M. and Vasudevan S.V.: A Text Book of Banking, S. Chand & Co. Ltd., New Delhi, 1984
- Thirunarayan, R.: Cooperative Banking in India, Mittal Publications, New Delhi, 1996
- Tokhi, M.R. & Sharma (Ed.): Rural Banking in India, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1975
- Tomar, J.S.: Farm Credit & Finance, Sagar Publications, New Delhi, 1978
- Vaish, M.C.: Modern Banking, RABSA Publications, Jaipur, 1984
- Venkatappiah, V.: Role of RBI in the Development of credit Institutions, Gokhale Institute of Politics & Economics, Poona, 1960
- Wadhwa, Charan D.: Rural Bank for Rural Development, Macmillan & Company, New Delhi, 1980
- Youssef , N. and Heder, Rural Houelds Headed By Women: A Priority Concern for Development

प्रश्नावली

नाम :–

स्थायी पता :–

व्यवसाय :–

(क) सामान्य

1. विकास खण्ड..गॉव का नाम ....
   विकास खण्ड कार्यालय से दूरी ....पक्की सड़क से दूरी ....
   ....

2. गॉव मे स्कूल स्तर ....
(क) पोस्ट आफिस..सहकारी समिति..............................बैंक की
   दूरी ....प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का नाम व दूरी ....

(ख) जनांकीय

1. नाम..पति का नाम..

2. परिवार के मुखिया का नाम ....मुखिया से सम्बन्ध.............
   ....जाति ....

3. परिवार के सदस्यों का विवरण

कम संख्या *लिंग* *आयु* *शिक्षा स्तर*

4. परिवार में अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या ....तथा उनका विवरणः–

नाम कार्य मजदूरी की दर

5. परिवार में आय अर्जित करने वाली महिला सदस्यों की संख्याः–

नाम कार्य मजदूरी

6. विवाहित सदस्यो की संख्या ....तथा विवरणः–

नाम आयु लिंग बच्चों की संख्या आयु

7. परिवार के सदस्यो का शिक्षा स्तरः–

नाम सदस्य आयु लिंग शिक्षा का स्तर

(ग) आवास सम्बन्धी दशायें :–

1. घर अपना/किरायें/बिना किरायें का ....

2. घर प्राप्ति का स्त्रोत ....

3. घर के लिये भूमि की प्राप्ति ....

4. निर्माण का वर्षः...................................

5. घर की स्थितिः गॉव के बीच/गॉव के बाहर/अलग कालोनी बिखरे हुए ....

6. घर के प्रकार : पक्का/कच्चा/दोनों मिला हुआ/मिट्टी का दीवाल और छत/पत्थर की दिवाल व छत/फूस का छाजन/अन्य ....

7. घर का क्षेत्रफल ....

8. कमरों की संख्या................................. आकार...................................

9. घर में प्राप्त स्थान तथा सुविधायें...................................

(क) कमरों की संख्या (ख) स्नानघर
(ग) शौचालय (घ) भोजनालय

10. पानी प्राप्त करन के श्रोत–सार्वजनिक कुंए/निज कुंए/सरकारी हेण्ड पम्प/व्यक्तिगत हेण्ड पम्प/नदियॉ/तालाब/नहर/अन्य ....

11 . घर निर्माण के लिए प्राप्त आर्थिक सहायता:

(क) सरकार से ....(ख) बैंको से..

(ग) भूमि स्वामियों से........................ ....(घ) अन्य श्रोतो से...................................

(घ) आय के श्रोत:

1. कृषि से प्राप्त आय **रकम**

(क) माल व सामानां की लागत
(ख) श्रम की मजदूरी
(ग) भूमि का लगान
(घ) कृषि व्यवसाय से आय

2. गैर कृषि आय:

(क) पशुपालन
(ख) मुर्गीपालन
(ग) कृषि में मजदूरी
(घ) वेतन
(च) अन्य आय
(छ) गैर कृषि क्षेत्र की मजदूरी

3 . पहरवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों का विवरण:

(क) उपभोक्ता ढॉचा

4. खाद्यान्नों का प्रयोग	**साप्ताहिक मात्रा**	**मासिक मात्रा**
(क) गेंहूँ		
(ख) चावल		
(ग) मक्का		
(घ) ज्वार		
(च) बाजरा		
(छ) दालें		

5. चटनी व मसालें:

6. फल एंव सब्जियॉ

7. दूध व उससे बने पदार्थ

8. खाद्य तेल

9. चीनी,गुड़, खाण्डसारी

10. गोश्त व अण्डे

11. चाय

12. अचार

13. बिस्कुट, मिठाइयां

14. नशे की वस्तुएं

15. ईधन तथा प्रकाश

16. कपड़े

17. जूते व चप्पल

18. कपड़े धोने व शौचालय के सामान

छ टिकाऊ वस्तुऐं

1. गृह निर्माण /मरम्मत /नये कमरों का निर्माण

2. रेडियो, ट्राजिस्टर, टी0वी0

3. घड़िया

4. विधुत पंखे व उपकरण

5. सिलाई मशीन

6. चारपाई

7. गद्दे

8. कम्बल/रजाई

9. बर्तन

10. लकड़ी/लोहे के बक्से

11. हेण्डलूम

ज सेवायें

क शिक्षा
ख स्वास्थ्य रक्षा
ग साईकिल
घ मनोंरजन

झ विवाह/अन्य सामाजिक उत्सव

1. पारिवरिक परि सम्पत्तियॉं

क आवासीय मकान
ख रेडियो/ट्राजिस्टर
ग घड़ियां
घ बिजली पंखे
च सिलाई मशीन
छ चारपाई
ज बिस्तर
झ फर्नीचर
ण बर्तन
त नगद/बैंक जमा
थ गहने व जेवरात
द लड़की/लोहे के बक्से
न हेण्ड पम्प
प हेण्ड लूम
फ अन्य सम्पत्तियां

2. पशु धन

क कृषि कार्य के बैल
ख दूध देने वाली गायें
ग बिना दूध वाली गायें
घ गाय के बच्चे
च दुधारु भैंसे
छ बिना दूध देने वाली भैंसे
ज भैंस के बच्चे
ण बकरियॉ
त सुअर
थ भेंड़े

3. कृषि सम्पत्तियॉ

क कृषि फार्म में घर का निर्माण सिंचाई के साधनों को लगाने के लिए
ख बिजली के ट्यूबवेल, पम्पसेट
ग कुएं
घ बैलगाड़ी
च साईकिल
छ लकड़ी व लोहे के हल, जुआ/बीज बोने का यंत्र
ज छोटे दवाई के यंत्र
झ चारा काटने की मशीन
ण कुल्हाडी/फाबड़ा आदि
त अन्य कृषि यंत्र

4. दायित्व

क पुराना बकाया ऋण
ख चालू ऋण
ग उत्पादन कार्य
घ गृह निर्माण तथा मरम्मत
च उपभोक्ता वस्तुयें खरीदने के लिये
छ पुराने ऋण की अदायगी के लिये

5. ऋण के स्त्रोत

क सहकारी समिति
ख महाजन
ग राष्ट्रीयकृत बैंक
घ भू स्वामी
च अन्य

ण. ग्रामीण आर्थिक विकास में बैको का योगदान

1. बैंक द्वारा कृषि कार्यो के लिए दिये जाने वाले ऋणों से आप लाभान्वित है अथवा नही।
   हॉ ☐ नही ☐

2. क्या रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की सुविधाओं से आप सन्तुष्ट है।
   हॉ ☐ नही ☐

3. बैंका द्वारा चलायी जाने वाली योजनाये आपके लक्ष्योद्दश्यों की पूर्तिसार है। अथवा नही।
   हॉ ☐ नही ☐

4. किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से आप लाभान्वित है अथवा नही।
   हॉ ☐ नही ☐

5. क्या लधु उधोगों के लिए ऋण प्राप्त करने में कटिनाई होती है।
   हॉ ☐ नही ☐

6. क्या आप ग्रामीण किसान की श्रेणी मे आते है।
   हॉ ☐ नही ☐

7. क्या आप बैंक की कथनी व करनी मे अन्तर पाते है।

8. बैंक द्वारा ऋण लेने जमा करने या पैसा निकालने के सम्बंध में वहां के कर्मचारी जानकारी प्रदान करतें है। अथवा नही ।
   हॉ ☐ नही ☐

9. क्या आप ऋण का पैसा समय पर चुकाते है।
   हॉ ☐ नही ☐

10. बैंको के ऋण देने की पद्धति दोषपुण है अथवा नही।
    हॉ ☐ नही ☐

11. क्या आप समय पर व्याज देते है।
    हॉ ☐ नही ☐

12. बैंको जिन शर्तो के अनुसार ऋण प्रदान करते है। वे कठोर है अथवा सामान्य।
    हॉ [ ] नही [ ]

13. क्या ऋण प्राप्त करने मे अधिक समय लगता है ।
    हॉ [ ] नही [ ]

14. जिस कार्य के लिए आपने ऋण लिया है क्या उसका उपयोग उसी कार्य मे करने है।
    हॉ [ ] नही [ ]

15. क्या बैंक द्वारा अनुत्पादक कार्यो शादी त्यौहार धार्मिक कार्यक्रमो के लिए ऋण दिया जाना चाहिए।
    हॉ [ ] नही [ ]

16. बैंक द्वारा ऋण चुकाने की अवधी को बढाना चाहिए अथवा नही।
    हॉ [ ] नही [ ]

17. यदि नही तो क्या आप ऋण का पुर्नभुगतान सही समय पर देते रहते है।
    हॉ [ ] नही [ ]

18. ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलिन हेतु बैंक के किस प्रकार की ऋण योजना चलानी चाहिए।
    हॉ [ ] नही [ ]

19. क्या आपकी राय मे रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पर्वतक बैंक मे मिलना उचित होगा।
    हॉ [ ] नही [ ]

20. क्या ऋण लेते समय अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पडती है।
    हॉ [ ] नही [ ]

21. क्या आपके गॉव में लगें बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी श्रोत से ऋण प्राप्त करते है।
    हॉ [ ] नही [ ]

22. क्या आप रानी लक्ष्मीवाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक को अन्य राष्ट्रीयकृत बैकों से अलग करते है।
    हॉ [ ] नही [ ]

23. आपकी राय में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली में क्या क्या दोष है।प्रमुख पॉच लिखों।

1 2 3 4 5

24. कृषि के विकास हेतु आपको कौन सी ऋण योजना श्रेष्ठतम लगती है। कृपया अपनी पसन्दगी का कम अंकित करें।

हॉ ☐ नही ☐

25. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के विकास हेतु आपकी राय में रानीलक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कौन सी योजना चलानी चाहिए।

26. क्या आपके गॉव में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा की आवश्यकता होती है।

हॉ ☐ नही ☐

27. आपकी राय में रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली में क्या– क्या दोष है । प्रमुख पॉच लिखों।